संवैधानिक मूल्य

केंद्रित प्रशिक्षण दिशा-निर्देशिका

पॉपुलर एजुकेशन एंड एक्शन सेंटर (PEACE)

संवैधानिक मूल्य-केंद्रित
प्रशिक्षण दिशा-निर्देशिका

कवर डिज़ाइन एवं लेआउट
अखिल श्रीवास्तव

प्रशिक्षक समूह
अरुण कुमार सिंह
अभिषेक श्रीवास्तव
ऋचा
जितेंद्र चाहर

मुद्रकः
विकास कम्प्युटर एंड प्रिंटर्स
ई 33, सेक्टर A5/6, ट्रोनिका सिटी
यूपीएसआईडीसी इंडस्ट्रियल एरिया लोनी,
गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश 201102
मोबाइल : 9810189445

इस प्रशिक्षण मैनुअल में प्रकाशित सामग्री कॉपीराइट प्रतिबंधों से मुक्त है। इस सामग्री की प्रतियां निर्मित करने, वितरित करने या इस्तेमाल करने पर किसी तरह की बंदिश नहीं है।

सीमित वितरण हेतु
जनहित में
पॉपुलर एजुकेशन एंड एक्शन सेंटर (पीस) की ओर से प्रकाशित

सितंबर, 2023

आभार

प्रस्तुत प्रशिक्षण मैनुअल समुदाय के बीच संवैधानिक मूल्यों को बढ़ाने में अग्रणी स्तर के कार्यकर्ताओं के लिए तैयार किया गया है। यह मैनुअल ओडिशा, झारखण्ड तथा उत्तर प्रदेश के पत्रकारिता, सामाजिक तथा आर्थिक न्याय और कला एवं संस्कृति के क्षेत्र से चुने गए 26 प्रतिभागियों के साथ संवैधानिक मूल्यों को जमीनी स्तर पर सुदृण करने की प्रक्रिया के दौरान मिले अनुभवों के आधार पर तैयार किया गया है। ये सभी प्रतिभागी पीस द्वारा 2021-2023 के बीच चलाई गई दो वर्ष की फॉलोशिप में चयनित फ़ेलो रहे हैं।

इस मैनुअल को आप सबके सामने ला सकने की प्रक्रिया में हम सबसे पहले सभी फ़ेलो: - ओडिशा से कल्याण आनंद, सत्या महार, गदाधर प्रधान, बिघ्नेश्वर साहू और मधुस्मिता बेहरा; झारखण्ड से ज्योति लाकड़ा, दीपलक्ष्मी मुंडा, सुनीता मुंडा, तुरतन टोपनो, आनंद दत्ता, राकेश रोशन किरो, संजय वर्मा, असगर खान और नलिन मिश्रा; उत्तर प्रदेश से ऋचा सिंह, नीतू सिंह, अमन गुप्ता, अंकुर जायसवाल, उमेश जोशी, मसीहुद्दीन संजारी, सुरेश राठोर, बलवंत यादव, अमित कुमार, गौरव गुलमोहर, अलमास अंसारी और इम्तियाज अहमद का धन्यवाद करना चाहेंगे जिनकी जमीनी स्तर पर की गई मेहनत ने इस मैनुअल को उसकी अंतर्वस्तु प्रदान की।

प्रतिभागियों के साथ-साथ हम गुफरान भाई और नरेंद्र मोहंती का भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन्होंने फेलोशिप की अवधि में प्रतिभागियों के लिए 'मेन्टर' की भूमिका निभाई।

इस मैनुअल को तैयार करने में हम अनिल चौधरी, सत्यम श्रीवास्तव तथा श्वेता त्रिपाठी का भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इस पूरी प्रक्रिया में पूरे धैर्य के साथ हमारा मार्गदर्शन किया।

हम अजीम प्रेम जी फाउंडेशन के साथियों का धन्यवाद करते हैं जिनके सहयोग से यह दो साल की प्रक्रिया चली जिसकी बदौलत हम यह मैनुअल आपके समक्ष ला सके।

अंत में हम उन सभी समुदायों का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारी इस प्रक्रिया को स्वीकार किया।

अरुण कुमार सिंह

अभिषेक श्रीवास्तव

ऋचा

जितेंद्र चाहर

प्रस्तावना

अपने संविधान को अंगीकार किए हुए हमें 75 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू हुआ था। इस दिन को पहले जहां कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था वहीं 2015 से उसे संविधान दिवस के रूप में याद किया जाने लगा है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य लोगों को संविधान, मौलिक अधिकारों, कर्त्तव्यों व संवैधानिक मूल्यों के प्रति जागरूक करना है।

संविधान निर्माण एकाएक हो जाने वाली घटना नहीं थी। यह एक लम्बी प्रक्रिया का परिणाम था। संविधान को शताब्दियों तक औपनिवेशिक सरकार के विभिन्न अधिनियमों, चार्टरों, कमीशनों, समकालीन वैश्विक घटनाओं और दुनिया के अनेक संविधानों के सार ने प्रभावित किया है।

जब यह तय हो गया कि अंग्रेज भारत छोड़ेंगे तब भारत का संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर पूरा हुआ। नागरिकता, निर्वाचन और अंतरिम संसद से संबंधित उपबंधों को तथा अस्थाई और संक्रमणकारी उपबंधों को तुरंत 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया। शेष संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ।

संविधान लागू होने के सात दशक बाद के राष्ट्रीय अनुभव बताते हैं कि एक संवैधानिक गणराज्य के तौर पर हम- यानी संविधान को आत्मार्पित करने वाले नागरिक- अधिकारों की प्राप्ति की दिशा में बहुत आगे बढ़ चुके हैं लेकिन संविधान की प्रस्तावना में वर्णित मूल्यों के मामले में हम लगातार पिछड़ते जा रहे हैं। अधिकार और मूल्य के बीच की दूरी जितनी आज दिख रही है, वह अभूतपूर्व है। इसे केवल एक उदाहरण से समझा जा सकता है। अधिकारों के संदर्भ में एक संवैधानिक समाज के तौर पर हम इतने आगे जा चुके हैं कि यह देश आज समलिंगी विवाह पर चर्चा कर रहा है और सर्वोच्च अदालत तक यह मामला पहुंच चुका है, लेकिन लैंगिक समानता के बुनियादी मूल्य की खस्ताहाली को अखबारों की सुर्खियों में महिला विरोधी हिंसा की खबरों में देखा जा सकता है।

चूंकि संविधान में दिए गए नागरिक अधिकार संवैधानिक मूल्यों को अपने भीतर उतारने और उन्हें सामाजिक रूप से साकार करने के महज औजार हैं, तो कह सकते हैं कि हमने औजार तो बहुत बना लिए लेकिन उनसे कोई मूर्ति नहीं गढ़ी, कोई आविष्कार नहीं किया, कोई तरक्की नहीं की। मूल्यों के अभाव में औजार रचनात्मक उद्यम की जगह विनाशकारी कवायदों में लग जाएं तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। आज भारत में अधिकारों का कुल सिला यही है।

यही वह पृष्ठभूमि है जो हमें मूल्यों की ओर देखने और उन्हें अपने भीतर उतारने को प्रेरित करती है। मूल्य आधारित समाज का सपना सबसे पुराना सपना रहा है। दुनिया भर के धर्मों ने बराबरी, भाईचारा और इंसाफ की बात कही है। सभी तरह के समाज सुधार आंदोलनों का भी यही नारा रहा है। आधुनिक राष्ट्र-राज्यों के बनने के पीछे योरोपीय पुनर्जागरण

के विचार का यही मूल रहा है। भारत के भक्ति और सूफी आंदोलन से लेकर बंगाल के नवजागरण और बाद में आए रेडिकल राजनीतिक विचारों के केंद्र में भी वही मूल्य रहे हैं, जो संविधान के पहले पन्ने पर दर्ज हैं।

फिर सवाल उठता है कि पांच हजार साल के मूल्य-संघर्ष के बावजूद मूल्यों के प्रशिक्षण की जरूरत आज क्यों महसूस की जा रही है? इस सवाल का जवाब हम अपने रोजमर्रा के अनुभवों और अनुभूतियों में खोज सकते हैं। इसीलिए यह प्रशिक्षण पुस्तिका अनुभव-केंद्रित है। मूल्य रोपे नहीं जाते। ज्यादा से ज्यादा मनुष्य के हृदय की मिट्टी की निराई-गुड़ाई करके, उसे काम भर सींचा जा सकता है। बीज भीतर हमेशा से मौजूद होता है। बस उसके पनपने की स्थितियां पैदा करनी होती हैं। यह प्रशिक्षण दिशा-निर्देशिका उन्हीं उर्वर परिस्थितियों को पैदा करने का एक खाका है। जाहिर है, इस पुस्तिका में दिए गए चरण और उनके भीतर के अभ्यास आजमाये हुए हैं। दो वर्ष के प्रशिक्षण में अर्जित किए गए अनुभवों और उन पर प्रतिभागियों के फीडबैक के आधार पर यह पुस्तिका तैयार की गई है। इसलिए इसमें ज्यादातर सामग्री वह है जिसे कोई भी प्रशिक्षक एक न्यूनतम तैयारी के साथ कहीं और किसी अन्य समूह के बीच सहजता के साथ जरूरी बदलावों के साथ लागू कर सकता है।

विस्तार से इस प्रशिक्षण पुस्तिका के उपयोग के तरीके भीतर के पन्नों में दिए गए हैं। प्रशिक्षक से अपेक्षा है कि वह इस पुस्तिका को प्रशिक्षण में उपयोग करने से पहले पढ़े और प्रशिक्षण की पूर्वशर्तों को पूरा कर ले।

प्रशिक्षक समूह
नयी दिल्ली
सितम्बर 2023

अनुक्रम

		पृष्ठ संख्या
	आभार	3
	प्रस्तावना	5
1.	**परिचय**	
	यह प्रशिक्षण मैनुअल किस बारे में है : संवैधानिक मूल्य	9
	इसकी जरूरत क्यों है : पृष्ठभूमि	10
	इसकी जरूरत किसे है : वी, द पीपुल	11
	इसका उपयोग कैसे करें : प्रशिक्षक के लिए दिशा-निर्देश	13
2.	**प्रशिक्षण के चरण : 3 चरण, 24 सत्र, 31 गतिविधि, 2 अवकाश कार्य**	
क.	**प्रशिक्षण का पहला चरण**	15
	जस देखा तस लेखा : निजी अनुभव से सार्वभौमिक मूल्यों तक	
	8 सत्र, 17 गतिविधि, 1 अवकाश कार्य	
	उद्देश्य : मनुष्य में मूल्यों के बनने की प्रक्रिया को निजी जीवन-अनुभवों से समझना	
ख.	**प्रशिक्षण का दूसरा चरण**	53
	वत्स! तुम इतिहास की धरोहर हो : सामाजिक इतिहास से संवैधानिक मूल्यों तक	
	8 सत्र, 10 गतिविधि, 1 अवकाश कार्य	
	उद्देश्य : संविधान में वर्णित मूल्यों के बनने की प्रक्रिया को सामाजिक, आर्थिक और संस्थानिक विकास की परस्पर क्रिया से समझना	
ग.	**प्रशिक्षण का तीसरा चरण**	91
	सफर का मुकाम : संवैधानिक मूल्य प्रशिक्षण के सैद्धांतिक और व्यावहारिक सबक	
	8 सत्र, 4 गतिविधि	
	उद्देश्य : प्रक्रिया का पुनरावलोकन और आगे का रास्ता	
3.	**अनुलग्नक**	115
3.1	**सत्रवार अभ्यास सामग्री**	
	प्रेमचंद की कहानी 'ठाकुर का कुआं' और 1905 से 1947 तक का घटनाक्रम	117
	औद्योगिक क्रांति से 1857 तक का घटनाक्रम	137
	1858 से 1947 तक का घटनाक्रम	143
	1948 से 1980 तक का घटनाक्रम	167
	1981 से 2009 तक का घटनाक्रम	171
	2010 से 2023 तक का घटनाक्रम	180
3.2	**पठन सामग्री**	
	संविधान निर्माण की संक्षिप्त प्रक्रिया	187
	मौलिक अधिकार एवं नीति-निर्देशक तत्व	197
	संवैधानिक मूल्य और मौलिक अधिकारों का अंतर्संबंध	207
	समुदाय में संवैधानिक मूल्य स्थापित करने में हमारी भूमिका	210

यह प्रशिक्षण मैनुअल किस बारे में है

भारत का संविधान 'प्रस्तावना' से प्रारंभ होता है। प्रस्तावना में संविधान के आदर्श, उद्देश्य तथा मौलिक नियम अन्तर्निहित अथवा समाहित हैं। संविधान की प्रस्तावना ने देश के भाग्य को सुनिश्चित, समुचित तथा व्यवस्थित आकार देने में अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। संविधान के प्रावधानों की व्याख्या करने में प्रस्तावना की मार्गदर्शक के रूप में भूमिका महत्वपूर्ण है। जिन मूल्यों ने स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरणा दी वही मूल्य भारतीय लोकतंत्र के आधार बने तथा इन्हें भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया। संविधान की सभी धाराएं इन्हीं मूल्यों को हासिल करने के अनुरूप बनी हैं।

संविधान की प्रस्तावना राष्ट्र-दृष्टि और उद्देश्य का कथन है। यह राष्ट्रीय आदर्श को हासिल करने की प्रणाली की स्थापना करती है। इसीलिए, भारत के नागरिक के रूप में राष्ट्र-निर्माण के प्रति हमारी भूमिका को समझने के लिए यह प्रस्तावना महत्वपूर्ण है।

इस प्रस्तावना में मूलत: चार मूल्यों का वर्णन है- स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुत्व। विडम्बना है कि देश की आजादी का जब अमृतकाल मनाया जा रहा है उस वक्त ये चारों मूल्य समाज में सबसे निचली स्थिति में हैं। रोजमर्रा की घटनाओं में असंख्य बार हमें अन्याय, गैर-बराबरी, सामुदायिक टकराव और बंदिशें देखने को मिल रही हैं।

यह प्रशिक्षण मैनुअल इन्हीं चारों मूल्यों की समझ कायम करने और समुदाय/समाज में इनके प्रसार के तरीकों को खोजने और लागू करने पर केंद्रित है। चूंकि यह प्रशिक्षण मैनुअल दो वर्ष के प्रशिक्षण और फीडबैक के आधार पर तैयार किया गया है, इसलिए यह एक आजमाया हुआ खाका है जिसके दायरे में प्रशिक्षण का कोई भी कार्यक्रम तैयार किया जा सकता है।

इस मैनुअल की जरूरत क्यों है

संवैधानिक मूल्यों की अवहेलना आए दिन लगातार हमारे समाज में हो रही है। इसके सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक पहलू हैं। एक तो, हमारे समाज के मूलभूत ढांचे में ही असमानता मौजूद है। समाज का यह ढांचा आज भी जाति आधारित पितृसत्तात्मक सामंतवादी सोच पर आधारित है। आज एक ओर जहां अमीर-गरीब के बीच, गोरे-काले के बीच, मर्द-औरत के बीच असमानताएं बढ़ती जा रही हैं वहीं दूसरी ओर असंतोष और क्रोध की लहरें भी फैलती जा रही हैं। सर्वव्यापी संकट का प्रभाव समाज के हर तबके पर नज़र आ रहा है। समाज और देश के स्तर पर भी टूटन, बिखराव और हिंसा जोर पकड़ती जा रही है। घरेलू हिंसा, बलात्कार, हत्या, भेदभाव, समान एवं न्यूनतम मजदूरी, दहेज, कार्यस्थल पर यौन शोषण, इत्यादि मुद्दे प्रमुख हैं जिनके खिलाफ आंदोलन होते रहते हैं।

दूसरी ओर, पूंजी के भूमंडलीकरण तथा उससे जुड़ी हुई निजीकरण और उदारीकरण की प्रक्रियाओं के चलते देश के अंदर विभिन्न वर्गों के बीच असमानता तेजी से बढ़ी है। राज्य की कल्याणकारी भूमिका ही नहीं, बल्कि गरीबों और समाज के कमजोर तबकों के हित में उसकी हस्तक्षेपकारी भूमिका भी उत्तरोत्तर कम होती गई है। इन मसलों से संवैधानिक मूल्य सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहें हैं तथा आगे भी होने वाले हैं। अब संविधान बदलने की भी बातें परवान चढ़ाई जा रही हैं।

मोटे तौर पर कुछ बिंदु गिनाए जा सकते हैं जो बताते हैं कि संवैधानिक मूल्यों पर केंद्रित इस प्रशिक्षण पुस्तिका की जरूरत क्यों है।

- समाज में बढ़ती आर्थिक असमानता
- अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन
- धार्मिक सह-अस्तित्व को संकट
- संवैधानिक संस्थाओं की स्वायत्तता का पतन
- राज्य द्वारा धार्मिक बहुसंख्यकवाद का घोषित अंगीकार

उपर्युक्त संदर्भ में संवैधानिक मूल्यों की समाज में जरूरत ही इस प्रशिक्षण मैनुअल की जरूरत को अपने आप पुष्ट करती है। इसके बावजूद, समस्या यह है कि मूल्य जैसी सूक्ष्म चीजों पर प्रशिक्षण देना और एक आजमाये हुए खाके के भीतर लोगों के बीच काम करना कठिन है क्योंकि ऐसा कोई खाका सहज उपलब्ध नहीं है। यह प्रशिक्षण मैनुअल उसी कमी को पूरा करता है।

इस मैनुअल की जरूरत किसे है

संविधान की प्रस्तावना को आत्मार्पित करते हुए जब हम खुद को "हम भारत के लोग" कहते हैं, तो इसका आशय यह होता है कि स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुत्व वाले समाज की जिम्मेदारी हम से शुरू होती है। प्रत्येक नागरिक के लिए अपनी व्यक्तिगत जिंदगी, परिवार और उसके आसपास के माहौल में समानता, स्वतंत्रता और न्याय सुनिश्चित करने के लिए सक्रियता से काम करना वांछित है, बल्कि स्वयंसिद्ध है। समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व हमारे प्रमुख संवैधानिक मूल्यों के रूप में स्थापित किए गए हैं, लेकिन ये मूल्य मूलभूत मानवीय मूल्य भी हैं। संविधान की प्रस्तावना में इन मूल्यों के होने का मतलब है कि एक राष्ट्र के रूप में हम इन मूल्यों के साथ चलेंगे और इन्हें हमेशा बनाए रखेंगे। कानून निर्माण और व्यवस्था में हम इन मूल्यों को अंततः स्थापित करेंगे और एक नागरिक के रूप में हम इन्हें अपने और अपने आसपास के लोगों के जीवन में बनाए रखेंगे।

इसलिए इस संविधान और इसके मूल्यों की जरूरत हम सब को है। हम सब को, यानी उन सभी लोगों को जो भारत के नागरिक हैं। जो इस संविधान को किन्हीं वजहों से नहीं मानते, उन्हें भी संवैधानिक मूल्यों की जरूरत है क्योंकि ये मूल्य सार्वभौमिक हैं और मनुष्य की आंतरिक अच्छाइयों को उजागर करते हैं। इसलिए, हमारा संविधान अपनी मूल भावना में राष्ट्रीय सीमा में बंधा हुआ नहीं है। इसके संवैधानिक मूल्य ही इसे सार्वभौमिक और मानवीय बनाते हैं। कह सकते हैं कि समूची दुनिया और उसमें रहने वाले हर एक मनुष्य, यहां तक कि अन्य प्राणियों को भी स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और न्याय की जरूरत है।

इसलिए इस प्रशिक्षण मैनुअल की जरूरत सभी को है, खास तौर से उन लोगों को जिन्हें संवैधानिक मूल्यों पर केंद्रित काम करना है। इसकी विशिष्ट जरूरत उन समाजकर्मियों, पत्रकारों, संस्कृतिकर्मियों, स्वयंसेवी संस्थाओं और सरकारी-गैरसरकारी इकाइयों को है जिनके पास संवैधानिक मूल्यों पर काम करने का कोई पहले से तैयार और आजमाया हुआ खाका नहीं है।

प्रशिक्षण में प्रतिभागी कौन हो सकता है

- स्वतंत्र/पेशागत व्यक्ति
- सांगठनिक कार्यकर्ता

प्रशिक्षण का उद्देश्य क्या है

- संवैधानिक मूल्यों पर समझ का निर्माण करना
- प्रतिभागियों द्वारा संवैधानिक मूल्यों को आत्मसात करना
- संवैधानिक मूल्यों को समुदाय के स्तर पर मजबूत करने की रणनीतिक नियोजन पर साझा समझ विकसित करना

प्रशिक्षण का वांछित परिणाम

- स्वतंत्र एवं पेशेवर प्रतिभागी अपने घर-परिवार, निजी जीवन, समुदाय और कार्यस्थल में संवैधानिक मूल्यों का प्रचार-प्रसार करें, उन्हें बरतें और अपने पेशेवर कार्य को संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप संपन्न करें।
- संगठनों के कार्यकर्ता अपने घर-परिवार, निजी जीवन, समुदाय और संगठन में संवैधानिक मूल्यों का प्रचार-प्रसार करें, उन्हें बरतें और अपने संगठन के माध्यम से इन मूल्यों को समुदाय में ले जाकर सामुदायिक कार्रवाइयों में परिणत करें।

प्रशिक्षण की प्रविधि

- आनुभविक
- सहभागितापूर्ण
- संवादी

प्रशिक्षण स्थल

- प्रशिक्षण स्थल एक हरा, भरा और खुला परिसर हो।
- खाने-पीने को लेकर समय की पाबंदियां न्यूनतम हों।
- प्रशिक्षण सत्र की अवधि को लेकर समय की पाबंदियां न्यूनतम हों।
- आसपास ध्यान भटकाने वाले तत्व (नदी, पहाड़, समुद्र, बाजार, सिनेमाहॉल) न्यूनतम हों।

सहायक सामग्री

- किताबें
- परचे
- फिल्में
- अतिथि व्याख्यान
- चार्ट पेपर, कलम, प्रोजेक्टर, गतिविधियों में काम आने वाली सामग्री
- 1 बाल्टी और 3 गेंदें

मैनुअल का उपयोग कैसे करें

इसका उपयोग करने के लिए प्रशिक्षक से प्रथम अपेक्षा यह है कि वे सभी सत्रों के लिए दी गई पाठ्य सामग्री को पढ़कर, अभ्यासों को खेलकर और फिल्मों को देखकर पहले अपना परिप्रेक्ष्य निर्माण कर लें, उसके बाद ही प्रशिक्षण में जाएं।

कुल मिलाकर प्रशिक्षण के तीन चरण हैं। इन चरणों को प्रशिक्षण-अनुभव के आधार पर प्रतिभागियों के व्यक्तित्व व परिप्रेक्ष्य निर्माण की स्वाभाविक दिशा के हिसाब से संयोजित किया गया है। चूंकि मूल्यों के मूल में जीवन-अनुभव होते हैं, तो पहला चरण प्रतिभागियों के निजी जीवन-अनुभवों से जुड़े कुछ अभ्यासों से शुरुआत करते हुए उन्हें सार्वभौमिक मूल्यों तक ले जाने की कोशिश करता है। इसी क्रम में यह समझदारी विकसित होती है कि सार्वभौमिक मूल्यों का सार ही संवैधानिक मूल्यों के रूप में संविधान की प्रस्तावना में आया है।

चूंकि सार्वभौमिक मूल्यों के संवैधानिक मूल्यों तक चले आने की एक ऐतिहासिकता है, लिहाजा दूसरा चरण इतिहासबोध पर केंद्रित है। यह चरण इस उद्देश्य से बनाया गया है ताकि विभिन्न पेशों और पृष्ठभूमि से आए अलग-अलग उम्र के प्रतिभागियों के बीच ज्ञान के अंतर को पाटा जा सके और सभी को मोटे तौर से जानकारी के एक समान स्तर पर लाया जा सके। एक ओर जहां नई उम्र के प्रतिभागियों के लिए यह चरण शिक्षण का कार्य करेगा, वहीं अधिक उम्र के परिपक्व प्रतिभागियों के लिए यह पीछे मुड़ कर देखने, पढ़ी हुई चीजों को याद करने और अपने परिप्रेक्ष्य को दुरुस्त करने के काम भी आएगा।

दो चरणों के संपन्न होने के बाद जब सभी प्रतिभागी एक समूह के तौर पर समान रूप से उन्नत हो जाएंगे, तो दूसरे चरण के अंत में दिए गए अवकाश कार्य की समीक्षा के माध्यम से अगले चरण में उनका अभिमुखीकरण किया जा सकता है। यह तीसरा और अंतिम चरण अब तक प्रतिभागियों की समझदारी में आए बदलावों के पड़ावों की शिनाख्त करता है। वे जिन पड़ावों से गुजरकर यहां तक पहुंचे हैं, उनकी पहचान और उनका सूत्रीकरण ही इस चरण का उद्देश्य है। यह सूत्रीकरण समूची प्रशिक्षण प्रक्रिया को वस्तुगत अमूर्तीकरण की ओर ले जाएगा, जिसके अंत में कोई प्रतिभागी प्रशिक्षक की भूमिका अपनाने में खुद को सक्षम पाएगा। वह अपने प्रशिक्षण अनुभवों के अमूर्तीकरण के आधार पर उन्हीं अनुभवों से दूसरों को गुजार पाने और प्रशिक्षित कर पाने के काबिल बन पाएंगे और जिन अनुभवों को प्रतिभागी इस प्रक्रिया में प्राप्त कर पाए हैं, उन अनुभवों से अपने समुदाय, संगठन के लोगों या फिर अपनी टीम के सदस्यों को गुजारने के लिए क्या किया जा सकता है, उसकी योजना तैयार कर पाएंगे।

इन तीनों चरणों के परस्पर जुड़ाव और विकासात्मक दिशा की एक गहरी समझ बनाना प्रशिक्षक के लिए अनिवार्य है। प्रशिक्षक को यह समझना होगा कि कोई सत्र कहां और क्यों खत्म हो रहा है तथा अगला सत्र कैसे उसके आधार पर निर्मित हो रहा है। इस प्रक्रिया

में प्रतिभागी समूह के विकास का निरंतर मूल्यांकन करते हुए उसे चलना होगा, जिससे यह तय किया जा सके कि एक समूह के बतौर प्रतिभागी अभी किस अवस्था में हैं और उन्हें किन सत्रों की जरूरत है।

मैनुअल में प्रत्येक अभ्यास के साथ 'सत्र संचालन' शीर्षक से एक नोट दिया गया है। किसी भी अभ्यास को चलाने से पूर्व यह आवश्यक है कि प्रशिक्षक 'सत्र संचालन' पर नजर डाल लें। इस नोट में अभ्यास से संबंधित प्रक्रिया और विषय-वस्तु के बारे में लिखा गया है। इसके अलावा हर सत्र में कैसे शुरुआत करनी है और कैसे समापन, उसके बारे में भी नोट में दिया गया हैं। इनका मूल मंतव्य हर सत्र को आपस में जोड़ना और विषय प्रवाह को बनाए रखना है। प्रशिक्षक को इस बात का ध्यान रखना होगा कि यह प्रवाह टूटे नहीं।

यह कार्यशाला तीन चरणों में आयोजित की जानी है। तीनों चरण सात-सात दिन के हिसाब से बनाए गए हैं। प्रशिक्षक को इस मैनुअल की गतिविधियों में अपनी और प्रतिभागियों की जरूरत के हिसाब से बदलाव करने की छूट है। प्रशिक्षक सभी चरणों के हिसाब से अपनी कार्यशाला की अवधि तय कर सकते हैं।

यह मैनुअल अधिकतम 20 से 40 प्रतिभागियों के लिए उपयुक्त है और इतने के ही अनुभव के आधार पर लिखा गया है।

प्रशिक्षक को अतिरिक्त पाठ्य सामग्री देने और जरूरत के हिसाब से फिल्म प्रदर्शन करने की भी छूट है। यह मैनुअल मोटे तौर पर एक प्रतिभागी की विकास यात्रा के हिसाब से बनाया गया है।

पहला चरण

जस देखा तस लेखा

निजी अनुभव से सार्वभौमिक मूल्यों तक

सत्र 1

आप कौन?

सत्र का खाका

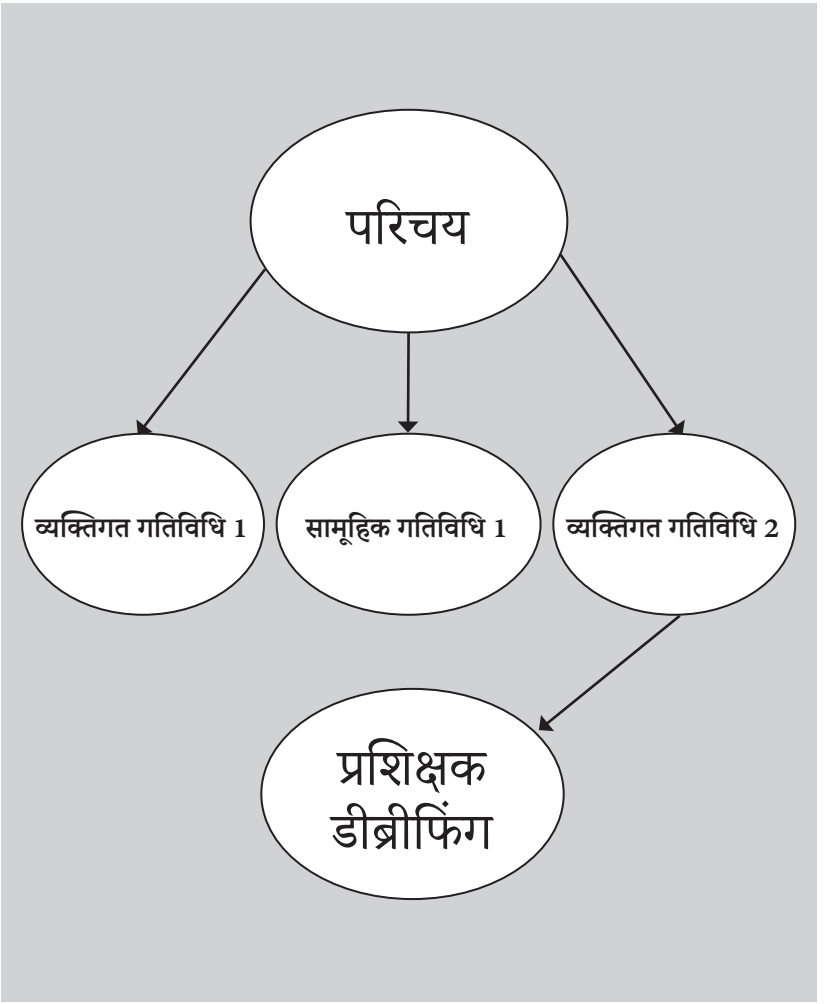

सत्र संचालन

प्रशिक्षक प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए कार्यशाला की औपचारिक शुरुआत करेगा। सत्र की शुरुआत से पहले प्रशिक्षक प्रतिभागियों को कार्यशाला संबंधित व्यवस्थाओं, जैसे- खाने का समय, परिसर के नियम तथा सत्रों के समय की जानकारी देगा। इसके बाद सभी प्रतिभागियों की सहमति से परिचय सत्र होगा। परिचय तीन तरह की गतिविधियों के माध्यम से होगा।

गतिविधि 1

परिचय सत्र की प्रथम गतिविधि के अंतर्गत प्रशिक्षक प्रतिभागियों को गोल घेरा बनाकर खड़े होने को कहेगा। प्रशिक्षक, प्रतिभागियों की रुचि, क्षेत्र, वैवाहिक स्थिति, उम्र, संतान, संगठनों में भागीदारी, राजनीतिक रुझानों, आदि के संदर्भ में कुछ सवाल पूछेगा। इनसे सम्बंधित प्रतिभागियों को एक-एक कर के गोले के बीच बुला कर उन्हें पहचाना जाएगा और ताली बजा कर उनका स्वागत किया जाएगा।

प्रतिभागियों से पूछे जाने वाले सवालों के उदाहरण-

1. वह साथी जो स्नातक हैं।
2. वह साथी जिन्होंने स्नातक से आगे की पढ़ाई की है।
3. वह साथी जो विवाहित हैं।
4. वह साथी जो अविवाहित हैं।
5. वह साथी जो खाने में मीठा पसंद करते हैं।

प्रशिक्षक ऐसे कुछ सवाल अपनी तरफ से जोड़ सकता है जिससे रुचियों-अरुचियों, निजी प्रवृत्तियों की पहचान शुरू में ही हो सके। यह प्रक्रिया आगे काम आएगी।

परिचय की इस प्रक्रिया से प्रतिभागियों के बीच एक स्तर की सहजता आएगी। इसका उद्देश्य उन्हें इस बात का अहसास करना है कि वे इस समूह में अकेले नहीं हैं बल्कि उनके जैसे और भी साथी वहां मौजूद हैं।

इस परिचयात्मक गतिविधि के बाद सब पहले की तरह अपनी-अपनी जगह पर बैठ जाएंगे।

गतिविधि 2

सभी प्रतिभागी जब आराम से बैठ जाएं, तब परिचय सत्र की दूसरी गतिविधि के लिए प्रशिक्षक उन्हें तीन-तीन के छोटे समूहों में बंट कर अपना संक्षिप्त परिचय देने को कहेगा।

प्रशिक्षक इसका तरीका विस्तार से समझाएगा- प्रतिभागियों को सभी के बीच से अपने लिए दो ऐसे साथी चुनने हैं जिनके बारे में वे कम से कम जानते हों। अगर तीन के समूह बनाने की इस प्रक्रिया में कोई एक या दो प्रतिभागी छूट जाए, तो उन्हें मौजूदा समूहों में समायोजित किया जा सकता है या फिर दो के छूटने पर उन दोनों का एक अलग समूह

बनाया जा सकता है।

अलग-अलग समूह बन जाने और साथ बैठ जाने के बाद प्रशिक्षक उन्हें कुछ दिए गए बिंदुओं पर चर्चा करने को कहेगा। इन बिंदुओं पर एक-दूसरे के बारे में परिचयात्मक चर्चा करके समूह के सदस्यों को एक-दूसरे का परिचय सबके बीच में देना है।

परिचयात्मक समूह चर्चा के निम्न बिंदु हो सकते हैं:

1. नाम
2. कहां से आए हैं?
3. शैक्षणिक योग्यता?
4. परिवार में कौन-कौन है?
5. अभी तक के काम का ब्यौरा?

प्रशिक्षक ऐसे कुछ बिंदु अपनी तरफ से जोड़ सकता है जिससे प्रतिभागियों को एक-दूसरे के बारे में बेहतर जानने का मौका मिले और उनके बीच सहजता कायम हो। यह प्रक्रिया आगे काम आएगी।

इस कार्य के लिए प्रतिभागियों से कहें कि हॉल अथवा हॉल के बाहर कहीं भी शान्त जगह पर बैठकर परिचय के लिए सुझाए गए बिन्दुओं के आधार पर अपने साथियों के साथ चर्चा करें। आवश्यकतानुसार प्रतिभागी चाहें तो परिचय बिन्दुओं को अपनी नोट बुक में नोट भी कर सकते हैं। प्रतिभागियों को इस कार्य को कितने समय में पूरा कर लेना है, इसकी सूचना प्रशिक्षक को अवश्य दे देनी चाहिए। इस कार्य की चर्चा के लिए प्रतिभागियों को लगभग 30-40 मिनट का समय देना चाहिए। प्रतिभागियों द्वारा अपने साथियों का परिचय प्राप्त करने के बाद सभी प्रतिभागी एक-दूसरे के बारे में बड़े समूह को बताएंगे। प्रतिभागियों को लगभग तीन घंटे का समय इस प्रक्रिया के लिए देना चाहिए। इस प्रक्रिया में इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि कोई भी प्रतिभागी अपना परिचय खुद न दे। परिचय का क्रम इस प्रकार हो सकता है जैसे ए व्यक्ति बी का परिचय दे, बी व्यक्ति सी का परिचय दे तथा सी व्यक्ति ए का परिचय दे।

गतिविधि 3

जब सभी प्रतिभागी अपने साथी का परिचय सदन में रख दें, तब परिचय सत्र की तीसरी गतिविधि के लिए प्रशिक्षक उन्हें गोल घेरे में आराम से बैठने को कहें। प्रतिभागियों के बैठ जाने के बाद उन्हें व्यक्तिगत स्तर पर अपने नाम, कहां से आए हैं और आजीविका के साधनों के बारे में बताने को कहें। इससे प्रतिभागियों की आपस में जान-पहचान के लिए एक और अवसर खुलेगा।

प्रशिक्षक को सभी प्रतिभागियों को बोलने और सुनने के लिए पर्याप्त गुंजाइश बनाए रखनी चाहिए। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान यह कोशिश रहनी चाहिए कि सभी प्रतिभागी एक-दूसरे का नाम-पता आदि ध्यानपूर्वक सुनें।

प्रशिक्षक डीब्रीफिंग

प्रशिक्षक इस तरह के तीन स्तरीय परिचय की उपयोगिता को मूल्यों के संदर्भ में समझाएगा। मूल्य चाहे मानवीय हों या संवैधानिक, हर मूल्य के मूल में मनुष्य होता है। हर मनुष्य के अपने कुछ मूल्य होते हैं जिनके आधार पर वह अपनी जिंदगी जीता है और दूसरे मनुष्यों के साथ संवाद करता है, रिश्ते बनाता है। अक्सर यह संभावना रहती है कि एक मनुष्य का मूल्य दूसरे के साथ टकराने लग जाए। जब दो मनुष्यों के मूल्य टकराते हैं तो समूह, समुदाय और समाज की संभावना कमजोर पड़ती है। फिर, चूंकि एक समूह, समुदाय और समाज का भी कोई मूल्य होता होगा, तो व्यक्ति और समूह के मूल्य में भी अक्सर टकराव होते हैं। इन टकरावों से बचने के लिए ही जरूरी है कि लोग एक-दूसरे को बेहतर जानें-समझें, ताकि उनके बीच न्यूनतम सहमति का एक रिश्ता कायम हो। एक लोकतांत्रिक गणराज्य में तमाम टकरावों और मतभेदों के साथ भी यह रिश्ता न्यूनतम नागरिकता के संबंध के रूप में सामने आता है। इसलिए अगर हम यह समझ पाएं कि मेरे मूल्य वहीं तक जायज हैं जहां दूसरे के मूल्यों का हनन नहीं हो रहा, तो हम कम से कम नागरिकता का संबंध दूसरों से बना पाएंगे। इससे आगे के और अंतरंग संबंध हमारे ऊपर निर्भर करते हैं, लेकिन परिचय का बुनियादी उद्देश्य यह है कि हम एक-दूसरे की रुचियों-अरुचियों, पसंद-नापसंद, व्यवहार, प्रवृत्तियों को समझ पाएं और अपने व्यवहार को उसी के हिसाब से संचालित करें ताकि रिश्तों में परस्पर सम्मान और प्रतिष्ठा कायम रहे।

परिचय की डीब्रिफिंग समाप्त हो जाने के बाद एक छोटा ब्रेक दें। ब्रेक के बाद गीत या कोई खेल गतिविधि करवाएं जिससे कि परिचय का सत्र समाप्त हो जाने के बाद प्रतिभागी अगली चर्चा के लिए व्यवस्थित रूप से तैयार हो सकें।

इसके बाद प्रतिभागियों को कार्यशाला के उद्देश्यों के बारे में बताया जाए। कार्यशाला के उद्देश्यों को चार्ट पेपर पर लिखें और प्रतिभागियों को चर्चा का मौका प्रदान करें, ताकि वे इस विषय पर अपने मन में उभरने वाले प्रश्नों पर चर्चा कर सकें। कार्यशाला के उद्देश्यों के साथ-साथ कार्य-पद्धति और विषय-वस्तु की मोटी-मोटी रूपरेखा प्रतिभागियों के समक्ष रखें। इससे प्रतिभागियों की सक्रियता बढ़ेगी और वे सहज हो पाएंगे।

यह ध्यान रहे कि प्रतिभागी जब प्रशिक्षण हॉल से बाहर निकलें तो उन्हें कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में मालूम हो और साथ ही यह भी उन्हें स्पष्ट हो कि इस पूरे कार्यक्रम में उनकी क्या भूमिका है।

यह कार्यशाला तीन चरणों की है। तीनों चरण का जोर सीखने के अलग-अलग स्तरों पर है। उद्देश्य निरूपण की प्रक्रिया के दौरान प्रतिभागियों के समक्ष तीनों चरण के व्यापक उद्देश्यों को रखा जाना चाहिए। इस प्रक्रिया के दौरान ध्यान रहे कि इस बात की गुंजाइश हमेशा बनी रहे कि प्रतिभागियों को यह महसूस होता रहे कि उनकी स्वयं की सीखने की जरूरत ही कार्यशाला के उद्देश्य हैं। इसी प्रकार हमेशा यह ध्यान रखें कि इस पूरे सत्र की चर्चा में प्रत्येक प्रतिभागी को यह महसूस हो कि प्रशिक्षण कार्यशाला में उनकी अपनी अहमियत है और सीखने की विषय-वस्तु उनकी अपनी है तथा उनके अपने जीवन अनुभव से जुड़ी

है। इसका समूचा सरोकार संवैधानिक मूल्यों के आत्मसातीकरण की प्रक्रिया से जुड़ा है।

कार्यशाला के उद्देश्य:

- संवैधानिक मूल्यों पर समझ का निर्माण करना
- प्रतिभागियों द्वारा संवैधानिक मूल्यों को आत्मसात करना
- संवैधानिक मूल्यों को समुदाय के स्तर पर मजबूत करने की रणनीतिक नियोजन पर साझा समझ विकसित करना

उद्देश्य स्पष्ट करने के बाद प्रशिक्षक अगले सत्र पर बात रखते हुए कहें कि अगले अभ्यास में हम सब अपने जीवन में पीछे झांककर यह देखने-समझने की कोशिश करेंगे कि आज हम जो हैं, वह कैसे हैं। आखिर एक मनुष्य के रूप में हमारी प्रवृत्तियां, हमारा आचार-व्यवहार, पसंद-नापसंद आदि कैसे विकसित हुए हैं और उनका हमारे जीवन-मूल्यों को गढ़ने में क्या योगदान रहा है।

इसके बाद कुछ व्यवस्था संबंधी- रहने, खाने, पानी आदि पर बातें स्पष्ट कर दी जाएं। रात के सांस्कृतिक कार्यक्रम पर भी निर्णय कर लिया जाएं। इसके बाद कुछ आचरणगत बातें- लोगों की भावनाओं का सम्मान, परिसर को ठीक-ठाक रहने देने, खाने पीने का समय, कार्यशाला की समय-सारिणी आदि पर प्रतिभागियों के साथ निर्णय लेकर इस सत्र को समाप्त किया जाए।

यदि प्रतिभागियों की राय बन रही हो तो पहले दिन की कार्यवाही यहीं समाप्त कर दें और सभी लोगों को प्रशिक्षण हॉल के बाहर के क्रियाकलापों, बातचीत तथा विचार-विमर्श का मौका उपलब्ध कराएं। इससे आपसी रिश्तों में सहजता तथा निकटता आएगी।

सत्र 2

पुरानी यादें

सत्र का खाका

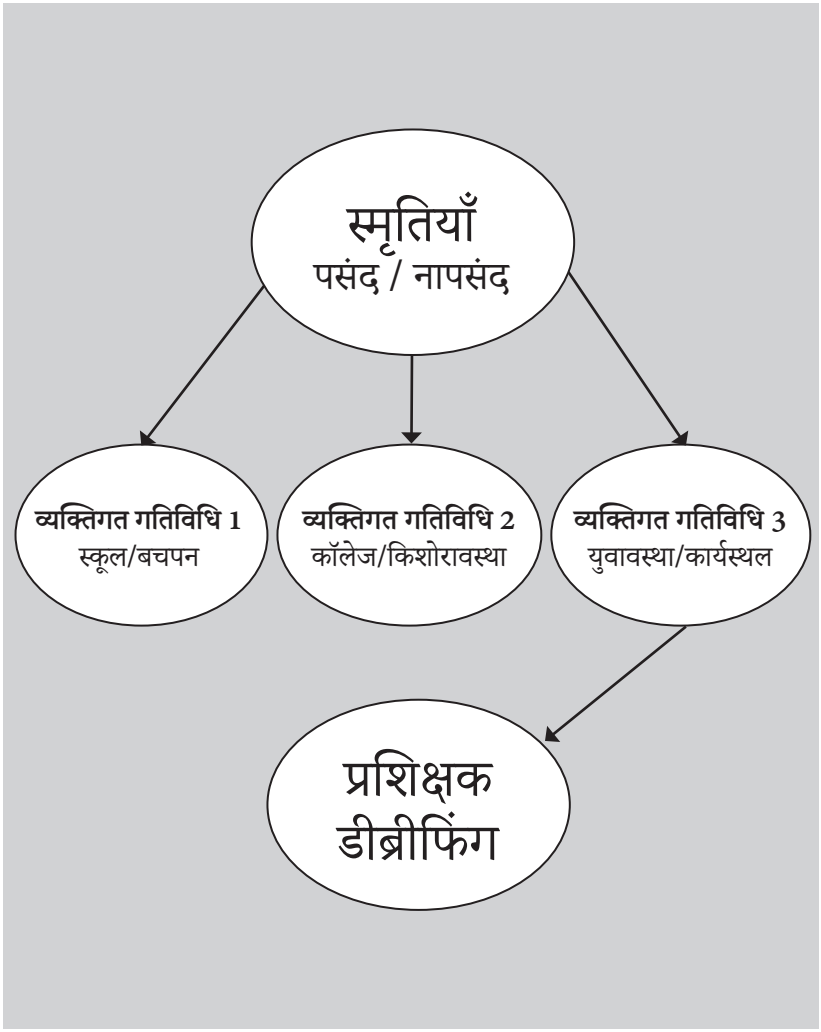

सत्र संचालन

प्रशिक्षक इस सत्र की भूमिका को पिछले सत्र से ही उठाते हुए कहेगा कि हम इस बात को जान चुके हैं कि मूल्यों का लेना-देना मनुष्यों और मनुष्यों के समूहों से होता है, इसलिए लोगों के बीच रिश्ते इसमें कितनी अहमियत रखते हैं। जब हम संवैधानिक मूल्यों की बात करते हैं, तो सबसे पहले इस बात को समझना जरूरी होगा कि मूल्य चाहे कैसे भी हों उन्हें हमें सबसे पहले अपने जीवन में खोजने और पहचानने की जरूरत होती है। इसके लिए हमें पलट कर अपनी जिंदगी को थोड़ा साफ नजर से देखना होगा और अपने व्यक्तित्व और अनुभवों की उन तहों तक जाना होगा जहां से मूल्यों की पैदाइश होती है।

यह सत्र इसी उद्देश्य से है। इस सत्र में हम एक जैसी तीन गतिविधियां एक के बाद एक करेंगे। ये सभी गतिविधियां व्यक्तिगत होंगी, सामूहिक नहीं।

गतिविधि 1

सवाल: सात साल की उम्र तक आपका बचपन कहां गुजरा? उस समय आपके आसपास कौन लोग मौजूद थे? उनके साथ आपके संबंध कैसे थे? इस दौरान किन लोगों ने आपके ऊपर सबसे अधिक प्रभाव छोड़ा? यह प्रभाव किन कारणों से पड़ा रहा होगा?

प्रशिक्षक इस सवाल को बोर्ड पर लिखेगा। फिर सबसे कहेगा कि उनके पास आधे घंटे का समय है। हर कोई इस सवाल को अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतार ले और अपनी सुविधा के हिसाब से जाकर सोचे और जवाब लिखे। सभी नियत समय पर हॉल में लौट आएं और एक-एक कर के सबके समक्ष प्रस्तुति दें।

सवाल पर विचार करने और लिखने के लिए प्रशिक्षक अपनी जरूरत के हिसाब से समय तय कर सकता है, जरूरी नहीं कि वह आधा घंटा ही हो।

नियत समय के बाद हॉल में वापस आने पर प्रतिभागी एक-एक कर के अपने जवाब सबके बीच में आकर पढ़ेंगे।

प्रशिक्षक ध्यान दें

प्रशिक्षक सबके जवाबों को नोट करता जाएगा। यह काम अपनी नोटबुक में भी प्रशिक्षक कर सकता है, लेकिन इसे यदि सबके सामने चार्ट पेपर या बोर्ड पर दर्ज किया जाए तो बेहतर हो। प्रशिक्षक को सारी प्रतिक्रियाओं को समान प्रतिक्रियाओं और असमान प्रतिक्रियाओं की दो श्रेणी में बांटना है। फिर यह देखना है कि कौन से जवाब किस संवैधानिक मूल्य की श्रेणी के भीतर आ रहे हैं।

उदाहरण के लिए, बचपन में प्रभावित करने वाले आस-पास के व्यक्तियों के संबंध में प्रतिभागियों के आने वाले जवाब कुछ ऐसे हो सकते हैं-

- सख्त पिता
- सौतेले अभिभावक (मां या पिता)

- गांव के लोग
- वह लोग जिन्होंने यौन शोषण किया
- स्नेही दादा-दादी या नाना-नानी
- जातिगत भेदभाव करने या पीटने वाले शिक्षक

अनुशासन-प्रेमी पिता की याद यदि नकारात्मक संदर्भ में है, तो इससे यह आशय लगाया जाना चाहिए कि यह जवाब देने वाले को बचपन में पिता से 'स्वतंत्रता' की चाह थी। इसी तरह, एक भेदभावकारी या मारने वाले शिक्षक के प्रति नापसंदगी का आशय यह है कि बच्चा समानता और न्याय चाह रहा है। यही बात यौन शोषक के मामले में भी लागू होगी। प्यार करने वाले नाना-नानी या दादा-दादी की सुखद याद को इस रूप में लिया जाना चाहिए कि बच्चा उन बुजुर्गों के सामने सहज है जहां अपने को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है। गांव की याद या गांव के लोगों की सुखद याद मूल्य के स्तर पर बंधुत्व, एकता, सहकारिता आदि की ओर इशारा करती है।

प्रशिक्षक को यह विश्लेषण और वर्गीकरण लगातार करते चलना होगा।

प्रशिक्षक डीब्रीफिंग

अपने विश्लेषण के आधार पर प्रशिक्षक को उपर्युक्त गतिविधि की डीब्रीफ्रिंग करनी है। इस गतिविधि का उद्देश्य क्या था, यह डीब्रीफिंग से स्पष्ट हो जाना चाहिए। सभी के जवाबों को बोर्ड या चार्ट पेपर पर बिंदुवार सबके सामने इकट्ठा कर के मूल्यों के संदर्भ में उनके आशय प्रतिभागियों को समझाने होंगे। जैसे, अगर किसी प्रतिभागी को बचपन के अपने सख्त पिता याद हैं, तो इसका मतलब कि स्वतंत्रता और न्याय का मूल्य उसके भीतर पहले से है। वही मूल्य उसकी पसंदगी या नापसंदगी को तय कर रहा है।

इसका मतलब है कि हम जो कुछ भी चाहते हैं या नहीं चाहते, हर चीज मूल्य संचालित है, भले हमें उसका अहसास हो या नहीं। जब हमें इस बात का सचेत अहसास हो जाता है, तो हम मूल्य आधारित सचेत जीवन जीने लग जाते हैं, बस इतना ही अंतर है।

प्रशिक्षक कहेगा कि इसी प्रक्रिया को हम उम्र के दूसरे पड़ावों पर दुहराएंगे और देखेंगे कि कैसे जब मनुष्य बड़ा होता जाता है तो उसके अनुभवों में उसके मूल्य और स्पष्ट होते जाते हैं।

गतिविधि 2

सवाल: आठ से अठारह बरस की उम्र में आप किस स्कूल/स्कूलों में पढ़े? उन स्कूल/स्कूलों की दो अच्छी बातें क्या थीं जो स्कूल जाने के लिए आकर्षित करती थीं? ऐसा क्यों था? (उसके क्या कारण थे?) स्कूल की दो ऐसी चीजें जो अच्छी नहीं लगती थीं? ऐसा क्यों था? (उसके क्या कारण थे?)

प्रशिक्षक इस सवाल को बोर्ड पर लिखेगा। फिर सबसे कहेगा कि उनके पास आधे घंटे का

समय है। हर कोई इस सवाल को अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतार ले और अपनी सुविधा के हिसाब से जाकर सोचे और जवाब लिखे। सभी नियत समय पर हॉल में लौट आएं और एक-एक कर के सबके समक्ष प्रस्तुति दें।

सवाल पर विचार करने और लिखने के लिए प्रशिक्षक अपनी जरूरत के हिसाब से समय तय कर सकता है, जरूरी नहीं कि वह आधा घंटा ही हो।

नियत समय के बाद हॉल में वापस आने पर प्रतिभागी एक-एक कर के अपने जवाब सबके बीच में आकर पढ़ेंगे।

प्रशिक्षक ध्यान दें

प्रशिक्षक सबके जवाबों को नोट करता जाएगा। यह काम अपनी नोटबुक में भी प्रशिक्षक कर सकता है, लेकिन इसे यदि सबके सामने चार्ट पेपर या बोर्ड पर दर्ज किया जाए तो बेहतर हो। प्रशिक्षक को सारी प्रतिक्रियाओं को समान प्रतिक्रियाओं और असमान प्रतिक्रियाओं की दो श्रेणी में बांटना है। फिर यह देखना है कि कौन से जवाब किस संवैधानिक मूल्य की श्रेणी के भीतर आ रहे हैं।

उदाहरण के लिए, आठ से अठारह साल के बीच पसंद और नापसंद पर प्रतिभागियों के जवाब कुछ ऐसे हो सकते हैं।

वह बातें जो अच्छी लगती थीं-

- सहृदय अध्यापक
- दोस्तों का साथ
- हॉस्टल के जीवन के प्रति आकर्षण
- सांस्कृतिक कार्यक्रम
- खेल-कूद के अवसर

वह बातें जो अच्छी नहीं लगती थीं-

- अध्यापकों द्वारा किया जाने वाला भेदभाव
- जातिसूचक नामों से पुकारा जाना
- रंग की वजह से भेद करना
- शारीरिक बनावट की वजह से मजाक बनाया जाना
- अरुचिकर पाठ्यक्रम

प्रशिक्षक को इन बिंदुओं को संवैधानिक मूल्यों के हिसाब से बांटना है। यह काम वह अपनी नोटबुक में कर सकता है और सबके सामने बोर्ड पर भी लिख सकता है। उदाहरण के लिए, दोस्तों का साथ और हॉस्टल जीवन के प्रति आकर्षण जैसी बातें बंधुत्व की ओर इशारा करती हैं, जबकि भेदभाव, जातिसूचक नाम, आदि गैर-बराबरी का संकेत करते हैं यानी जिस प्रतिभागी को ये नापसंद थे उसका स्वाभाविक रुझान बराबरी की ओर है।

प्रशिक्षक को यह विश्लेषण और वर्गीकरण लगातार करते चलना होगा।

प्रशिक्षक डीब्रीफिंग

अपने विश्लेषण के आधार पर प्रशिक्षक को उपर्युक्त गतिविधि की पिछली गतिविधि की तरह ही डीब्रीफ्रिंग करनी है और बताना है कि प्रतिभागियों की पसंद और नापसंद दोनों किशोरावस्था में भी मूल्य से संचालित थीं, भले वे इसके प्रति सचेत रहे हों या नहीं। फिर प्रशिक्षक कहेगा कि इसी प्रक्रिया को हम उम्र के अगले पड़ाव पर दुहराएंगे और देखेंगे कि कैसे जीवन अनुभवों से मूल्य और स्पष्ट होते जाते हैं।

गतिविधि 3

सवाल: अठारह बरस के बाद की उम्र में आप किन संस्थानों में रहे? कहां काम किया? उन कार्यस्थलों की दो अच्छी बातें क्या थीं जो वहां काम करने के लिए आकर्षित करती थीं? ऐसा क्यों था? (उसके क्या कारण थे?) कार्यस्थल की दो ऐसी चीजें जो अच्छी नहीं लगती थीं? ऐसा क्यों था? (उसके क्या कारण थे?)

प्रशिक्षक इस सवाल को बोर्ड पर लिखेगा। हो सकता है कि प्रतिभागियों में कुछ ही पेशेवर काम करने वाले लोग हों, तो यह अभ्यास उन्हीं पर लागू होगा जिनके अपने कार्यस्थल हैं। किसी सामाजिक कार्यकर्ता के लिए उसका कार्यस्थल उसका संगठन माना जाएगा। किसी पत्रकार के लिए उसका कार्यस्थल उसका प्रतिष्ठान होगा जहां वह नौकरी करता है। जिस पर भी यह प्रश्न लागू होता हो, वह इस सवाल को अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतार ले और अपनी सुविधा के हिसाब से जाकर सोचे और जवाब लिखे। सभी नियत समय पर हॉल में लौट आएं और एक-एक कर के सबके समक्ष प्रस्तुति दें।

सवाल पर विचार करने और लिखने के लिए प्रशिक्षक अपनी जरूरत के हिसाब से समय तय कर सकता है, जरूरी नहीं कि वह आधा घंटा ही हो।

नियत समय के बाद हॉल में वापस आने पर प्रतिभागी एक-एक कर के अपने जवाब सबके बीच में आकर पढ़ेंगे।

प्रशिक्षक ध्यान दें

इस गतिविधि में भी प्रशिक्षक को पहले की भांति मूल्यों के आईने में जवाबों को परखना होगा।

प्रशिक्षक डीब्रीफिंग

डीब्रीफिंग पहले की दो गतिविधियों की तरह ही होगी।

तीनों गतिविधियों की डीब्रीफिंग संयुक्त रूप से करते हुए सत्रांत में इस बात पर बल देना है कि जैसे-जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती जाती है, वह ज्यादा सचेत ढंग से अपने जीवन अनुभवों से मूल्यों के सबक लेने लग जाता है और उसके मूल्य ठोस होते जाते हैं। इन अभ्यासों का

सबक यह है कि हम जैसे-जैसे अनुभव-संपन्न होते जाते हैं, हमारे मूल्य ठोस होते जाते हैं। तो अब तक का सबक यह है कि मूल्य कहीं और से नहीं, हमारे जीवन-अनुभवों से ही पैदा होते हैं। ये मूल्य हमारे भीतर हमेशा मौजूद रहते हैं, बस हमें इनकी पहचान करनी होती है।

प्रशिक्षक को प्रतिभागियों को यह समझाना होगा कि यह सत्र इसलिए था कि हम लोग इस बात को समझें कि कैसे हमें जिंदगी में जो अनुभव हुए, वे सभी के सभी किसी न किसी संवैधानिक मूल्य से जुड़े हुए हैं। दूसरी बात, कि हम सभी लोगों के तमाम अलग-अलग अनुभव कुल चार मूल्यों के दायरे में ही निकल कर आ रहे हैं- स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और न्याय।

इस अभ्यास में हमको समझ आता है कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में दर्ज चारों संवैधानिक मूल्य हमेशा से हमारे जीवन का हिस्सा रहे हैं और इन्होंने ही हमारे समाज की बुनियाद रखी है। आज के दौर में धीरे-धीरे यही समता, स्वतंत्रता, न्याय, भाईचारा, मानवीय गरिमा के मूल्य धीरे-धीरे समाज से विलुप्त हो रहे हैं और समाज का बुनियादी ढांचा गैर-बराबरी और भेदभाव पर आधारित होता रहा है। हमें इन्हीं मूल्यों को एक बार फिर न सिर्फ अपने जीवन में बल्कि अपने समुदायों में पुनर्स्थापित करने की जरूरत है।

सत्र 3

मैं कौन?

सत्र का खाका

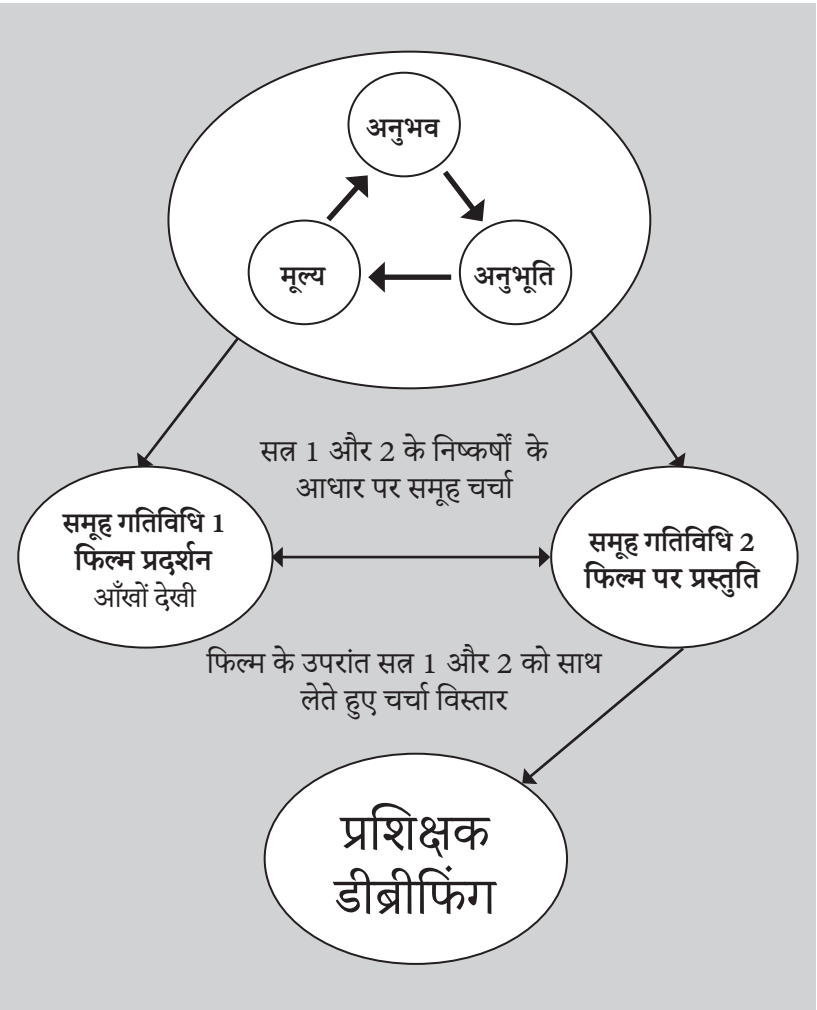

सत्र संचालन

सत्र 1 और 2 के आधार पर प्रशिक्षक अब तक सीखे गए का पुनरावलोकन करेगा। इस पुनरावलोकन के साथ बात को आगे बढ़ाते हुए अनुभव और मूल्यों के बीच में अनुभूति को ले आना है और यह समझाना है कि अनुभव सीधे मूल्यों में नहीं बदल जाते हैं बल्कि यह अनुभूतियों पर निर्भर करता है। इसके बाद भी जो मूल्य बनते हैं, वे अनुभवों और अनुभूतियों के हिसाब से बनते-बिगड़ते रहते हैं। इस तरह, अनुभव, अनुभूति और मूल्य के बीच एक परिवर्तनीय चक्र होता है।

अभी तक हमने पिछले दो सत्रों में जो बातें समझी हैं उन्हें क्रम से एक-एक कर के दुहराएंगे। सबसे पहले हमने अपने प्रारंभिक जीवन से जुड़े कुछ सवालों के जवाब दिए और अपनी बचपन की पसंद-नापसंद की पहचान की। फिर यही काम हमने अपने किशोरावस्था और युवा जीवनखंड के लिए किया। हमारे जो जवाब रहे उनका हमने मूल्यांकन और विश्लेषण किया। इससे कुछ बातें समझ में आईं जिन्हें बिंदुओं में याद करना जरूरी है।

इन बिंदुओं को प्रशिक्षक बोर्ड पर लिखेगा-

1. हमारी पसंद या नापसंद स्वाभाविक तौर पर हमारे अनुभवों और उनसे होने वाली अनुभूतियों से तय होती है। जिस व्यक्ति/घटना के साथ अनुभूति सुखद/दुखद हो उसे हम अच्छा/बुरा व्यक्ति/प्रसंग मानते हैं।
2. अपनी पसंद और नापसंद के संदर्भ में हमारी तात्कालिक निजी अनुभूतियां ही अनुभव और सबक का काम करती हैं।
3. जब हम इन निजी अनुभूतियों को दूसरों से साझा करते हैं और दूसरों की अनुभूतियों से अपने साथ कुछ समानता पाते हैं। इस मोड़ पर पता लगता है कि हमारी अनुभूति मौलिक नहीं थी बल्कि वह एक सार्वभौमिक अनुभूति का हिस्सा है। यानी जो हमें बुरा लगता है वही दूसरों को भी बुरा लगता है और जो हमें अच्छा लगता है वही दूसरों को भी अच्छा लगता है। ज्यादातर मामलों में सहज अनुभूतियों में हमारे बीच समानता पाई गई है, जैसा कि हमने दो दिनों के अभ्यास में देखा।
4. ये जो तात्कालिक अनुभूति है, वही दीर्घकालिक अनुभव है। इसी अनुभव से हम धारणाएं बनाते हैं कि कैसा व्यवहार मनुष्यसंगत/समाजसंगत होना चाहिए और कैसा नहीं।
5. जब समाज के संचालन के लिए संहिताएं तैयार की जाती हैं तो इन्हीं सामूहिक अनुभवों को लिखित मूल्यों के रूप में प्रतिपादित किया जाता है।
6. जब राष्ट्र-राज्य के संचालन के लिए संहिताएं बनाई जाती हैं तो हमारे सामाजिक मूल्य ही संवैधानिक मूल्यों की शक्ल ले लेते हैं।

हम पाते हैं कि संवैधानिक मूल्य भले अनुभूतियों के विकासक्रम में सबसे बाद में गढ़े जाते हों, लेकिन हर अनुभूति के मूल में एक मूल्य छुपा होता है। जरूरी नहीं कि हम उस मूल्य को तत्काल पकड़ पाएं। अकसर हम अनुभूति को वहीं छोड़ कर आगे बढ़ जाते हैं। कुछ लोग सहज अनुभूतियों को अपने ठोस आनुभविक प्रशिक्षण के काम में लाते हैं और जीवन

जीने का ढर्रा तय करते हैं। कुछ और लोग जो ज्यादा सजग होते हैं, अनुभूति से मूल्य तक की यात्रा कर पाते हैं।

सवाल उठता है **कि क्या अनुभूति से मूल्यों तक पहुंचना जरूरी है? अगर हां, तो क्यों?**

यदि हर मनुष्य अपनी-अपनी अनुभूति और अनुभव के हिसाब से व्यवहार करने लग जाए और उसके हिसाब से जीवन जीने की अपनी संहिता बना ले, तो समाज या राष्ट्र-राज्य कैसे चल पाएगा?

प्रशिक्षक इन दो सवालों पर समूह चर्चा करवाएगा।

चर्चा का उद्देश्य इन सवालों के विभिन्न आयामों को खंगालना होगा ताकि विषय को थोड़ा और विस्तार मिले।

लगभग घंटे भर की चर्चा के बाद विषय को थोड़ा और खोलने के लिए एक गतिविधि के तौर पर एक फिल्म का प्रदर्शन किया जाएगा।

गतिविधि 1

फिल्म प्रदर्शन 'आंखों देखी'

फिल्म सबको एक साथ देखनी है। फिल्म यूट्यूब पर मौजूद है। फिल्म देखने के लिए इस लिंक पर जायें-

https://www.youtube.com/watch?v=2ErfXLkVBMY

गतिविधि 2

प्रतिभागियों के छोटे समूह बनाकर फिल्म पर उन समूहों में चर्चा करवाएं। सत्र की शुरुआत में उठाए गए सवालों के संदर्भ में फिल्म के ऊपर हर समूह को अपनी प्रस्तुति देनी है।

प्रस्तुतियों के बाद खुली चर्चा होगी। प्रशिक्षक उन चर्चाओं से निकले बिंदुओं को बोर्ड पर डीब्रीफिंग के लिए नोट करेगा।

उदाहरण के लिए, कुछ ऐसे बिंदु निकल कर आ सकते हैं-

- यह फिल्म अनुभवों के महत्त्व को स्थापित करती है। जो व्यक्ति अपने जीवन के अनुभव से नहीं सीखता है, उसका अंत तय है।
- यह फिल्म कई गंभीर सवाल उठती है। जब हम सत्य/सही बोलते हैं तो जीवन में कई मुसीबतें आनी शुरू हो जाती हैं। फिल्म का नायक सही बात बोलने लगता है और उसका परिवार अलग हो जाता है। परिवार अलग होने के बाद भी खुश नहीं रह पता है। इस से समझ आया कि परिवार के लोग अलग हो कर कभी खुश नहीं रह सकते हैं।
- फिल्म का नायक अनुभव के आधार पर व्यवहार करना शुरू करता है तो हर बात को अपने अनुभव, तर्क और सवालों से तौलता है।
- फिल्म सिर्फ स्वयं के अनुभव से ही नहीं बल्कि दूसरे के अनुभव से भी सीखने की शिक्षा देती है।

- फिल्म समूह के महत्त्व को भी दर्शाती है।
- पूरी फिल्म दूसरों द्वारा कही-सुनी बातों को नकारती है तथा अपने अनुभवों के महत्व को स्थापित करती है।

इन्हीं बिंदुओं के आधार पर प्रशिक्षक डीब्रीफिंग करेगा।

प्रशिक्षक ध्यान दें

यह फिल्म आपकी पहले से देखी हुई होनी चाहिए। चूंकि यह चरण मनुष्य के अनुभवों से मूल्यों के बनने की विकास-प्रक्रिया को दर्शाता है, तो फिल्म के नायक के माध्यम से यह बात समझाने की सलाहियत प्रशिक्षक को खुद विकसित करनी चाहिए ताकि यह फिल्म समझाइश की प्रक्रिया में एक सहायक सामग्री की भूमिका को साकार कर सके।

प्रशिक्षक डीब्रीफिंग

फिल्म से यह समझ आता है कि जब आदमी बदलता है तो वह हर बात पर सवाल उठाना शुरू कर देता है और वह दूसरों द्वारा कही गई बातों को मानने से भी इंकार कर देता है। वह केवल अपने अनुभवों पर ही अडिग रहता है, लेकिन एक बिंदु पर जा कर वह व्यक्ति दूसरे के अनुभव को भी मानना शुरू कर देता है। इसलिए हम कह सकते है कि अपने अनुभवों और दूसरे के अनुभवों से मिलाकर ही ज्ञान अर्जित किया जा सकता है।

इसे सूत्र के रूप में हम ऐसे समझ सकते हैं

निजी अनुभव – निजी अनुभूति – सामूहिक मूल्य

अनुभव से सीखने की यह प्रक्रिया अंतहीन है। हम अनुभव करते हैं, उससे अनुभूति पैदा होती है और फिर अनुभूति से हम सामान्य मूल्य ग्रहण करते हैं। यह प्रक्रिया जीवनपर्यंत चलती रहती है। अगर अपनी निजी अनुभूतियों को अपने तक ही सीमित रखा गया, तो उसका कोई मोल नहीं होता। ऐसे में अपने सबसे नैतिक आग्रह भी मूल्यविरोधी हो जा सकते हैं। इसीलिए, केवल अनुभव करना और व्यवहार का सबक लेना पर्याप्त नहीं है बल्कि दूसरों के अनुभवों को देखना-समझना और दूसरों से समानुभूति महसूस करना ही हमें समाज के लायक उपयोगी मूल्यों तक पहुंचा सकता है। फिल्म का नायक अत्यंत नैतिक होते हुए भी इस मामले में चूक जाता है।

इस फिल्म से यह समझ आता है कि किसी एक व्यक्ति के अत्यधिक अनुभूति अथवा अनुभव केंद्रित हो जाने का असर उसके परिवार, समुदाय आदि के सभी मूल्यों पर पड़ता है। नायक के अनुभव चूंकि सामान्य मूल्यों तक नहीं पहुंच सके, इसलिए उनके कारण परिवार के अन्य सदस्यों के साथ अन्याय हुआ, उनकी आजादी मारी गई, भाई-भाई में कटुता पैदा हुई और गैर-बराबरी की भावना घर कर गई।

यानी, एक मूल्य कभी अकेले में नहीं मारा जाता। एक मूल्य का ह्रास दरअसल सभी मूल्यों के ह्रास का कारण बनता है।

मूल्यों की अंतर्निर्भरता को हम अगले सत्र में कुछ खेलों के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे।

सत्र 4

सब मिले हुए हैं

सत्र का खाका

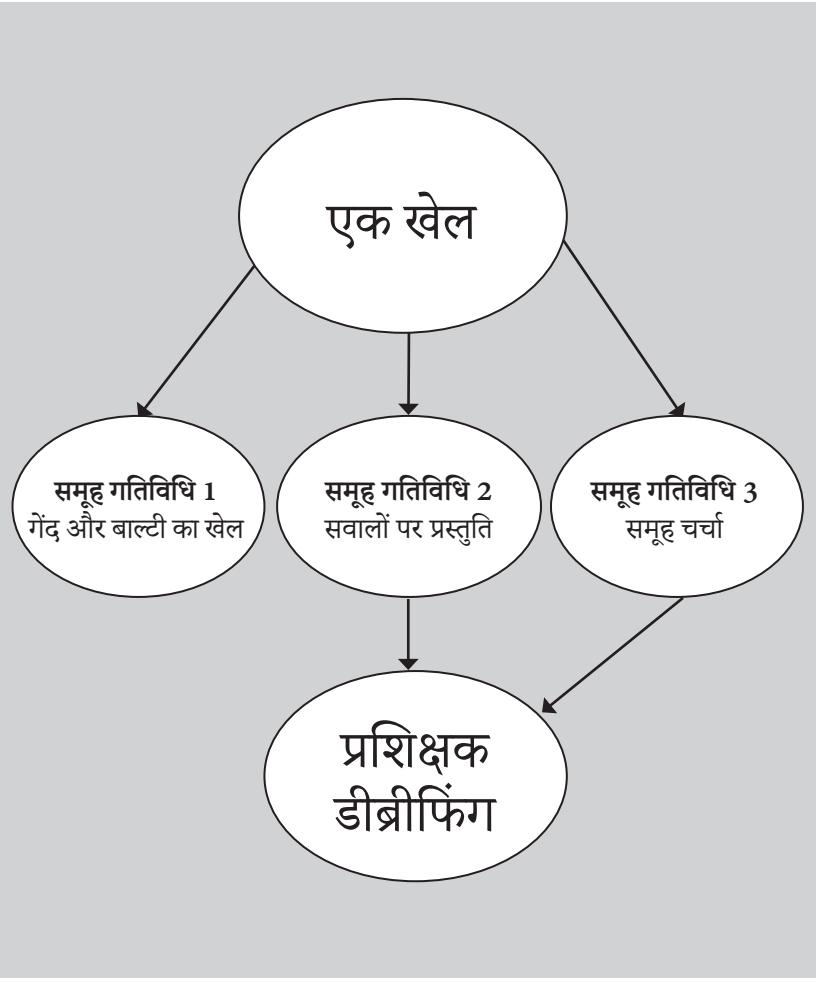

सत्र संचालन

प्रशिक्षक याद दिलाएगा कि पिछले सत्र में हमने जाना कि कैसे एक मूल्य का ह्रास अकेले में नहीं होता, बाकी सारे मूल्य भी बराबर प्रभावित होते हैं। इस बात को थोड़ा और विस्तार से समझने के लिए प्रतिभागियों को एक खेल खेलना है।

गतिविधि 1

इस खेल के लिए प्रतिभागियों को खुले मैदान में जाने के लिए कहें।

- प्रतिभागियों को तीन समूहों में विभाजित करें (1, 2, 3)।
- प्रतिभागियों को मैदान के अलग-अलग कोने में त्रिकोणाकार में खड़ा होने के लिए कहें और त्रिकोण के तकरीबन बीच में एक ऐसी जगह एक बाल्टी को रख दें जिससे समूह 1 की बाल्टी से दूरी सबसे कम हो, समूह 3 की बाल्टी से दूरी सबसे ज़्यादा हो और समूह 2 की 1 से ज़्यादा और 3 से कम हो।
- बाल्टी के नीचे एक पत्थर लगाकर उसे समूह 1 की ओर थोड़ा झुका दें।

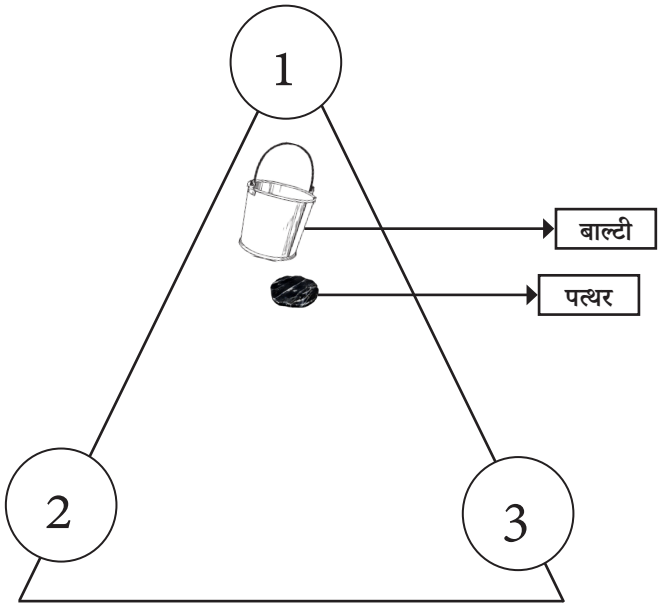

- सभी समूहों को गेंद दें। बारी-बारी से सभी समूहों को कहें कि वे निशाना लगाकर गेंद को बाल्टी में डालें।
- यह खेल तीन राउंड खिलाएं। हर राउंड में एक समूह को 8 बार बाल्टी में गेंद

डालने का मौका मिलेगा। जितनी बार एक समूह गेंद को बाल्टी में डालेगा, उतनी बार प्रशिक्षक उसे एक अंक देगा।

- खेल का अंतिम स्कोर प्रशिक्षक नोट कर लेगा, कि हर समूह को आठ में से कितने अंक मिले।
- सबके सामने जीत और हार और सबके स्कोर सुनाए जाएंगे।

गतिविधि 2

खेल समाप्त होने के बाद तीनों समूहों को इन बिन्दुओं पर जवाब लिखना है और आधे घंटे बाद प्रस्तुति देनी है-

1. क्या आप खेल के अंतिम नतीजे से संतुष्ट हैं?
2. इस खेल में आपके समूह के साथ क्या कोई बेईमानी हुई?
3. अगर आपको लगता है बेईमानी हुई, तो उसे कैसे ठीक किया जा सकता है?
4. यह कौन तय करेगा कि खेल में बेईमानी को कैसे रोका जाए?

इन चारों सवालों पर तीनों समूहों की प्रस्तुति से निकले बिंदुओं को प्रशिक्षक नोट कर लेगा। फिर उन बिंदुओं को मूल्यों के आलोक में स्थापित करते हुए समूह चर्चा के लिए कुछ प्रश्न सदन के समक्ष रखेगा।

गतिविधि 3

निम्न प्रश्नों पर चर्चा करवाई जा सकती है। प्रशिक्षक चाहे तो कुछ और प्रश्न जोड़ सकता है। इस चर्चा का उद्देश्य यह जानना है कि स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और न्याय के मूल्य आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इन्हें पैदा करने वाली या नकारने वाली कुछ पूर्व परिस्थतियां होती हैं। यदि परिस्थितियों को दुरुस्त कर दिया जाए तो मूल्यों को अक्षुण्ण रखा जा सकता है।

चर्चा के लिए प्रश्न-

1. आप समाज में ऐसी कौन सी परिस्थितियों को देख पाते हैं जहां लोगों को समान अवसर नहीं मिल पाते हैं?
2. किन समूहों को ज़्यादा अवसर मिलते हैं? किन समूहों को कम अवसर मिलते हैं?
3. यह कौन तय करता है कि किसे कम या ज्यादा मौके मिलने चाहिए?
4. समाज में असमानता के विभिन्न स्वरूप क्या हैं?
5. असमानताएं अन्याय को कैसे जन्म देती हैं?
6. एक अन्यायपूर्ण समाज कैसे बंधुत्व को मारता है और निजी आजादियों पर बंदिश लगाता है?

प्रशिक्षक डीब्रीफिंग

जिस तरह इस खेल में दी गई पूर्वस्थितियां ही असमानता और अन्याय को पैदा कर रही थीं, उसी तरह हमारे समाज में भी मूल्यों का हनन सामाजिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। जिस तरह खेल की पूर्व परिस्थितियां उसने तैयार कीं जिसने खेल को प्रस्तावित किया, उसी तरह समाज की पूर्व परिस्थितियों को भी वह तय करता है जो समाज को संचालित करता है। समाज को कौन संचालित करता है? राज्य यानी मोटे तौर पर सरकार। राज्य का समाज से क्या रिश्ता है? संविधान का। संविधान वह अनुबंध है जो राज्य और नागरिकों को एक दूसरे से बांधता है। संविधान की प्रस्तावना राज्य के लिए बाध्यकारी है, जिसे नागरिकों ने खुद को आत्मार्पित किया है।

इसलिए, संवैधानिक मूल्यों को लागू करने की पूर्व परिस्थितियां उपयुक्त रहें, सबको समान अवसर मिले, किसी के साथ नाइंसाफी न हो और सद्भाव बना रहे, यह सुनिश्चित करना राज्य का काम है। राज्य ही जब खेल की परिस्थितियां ऐसी तैयार कर दे कि किसी के साथ पक्षपात होने लगे और उसके मन मुताबिक कोई खेल में जीतने या हारने लगे, तब राज्य संविधान से मुकर जाता है। ऐसे में राज्य को पटरी पर लाने यानी खेल की पूर्व परिस्थितियों को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी नागरिकों के ऊपर स्वाभाविक रूप से आ जाती है क्योंकि संविधान के मूल्यों को उन्होंने आत्मार्पित किया था।

यानी, अव्वल तो संवैधानिक मूल्यों को लागू करने की जिम्मेदारी राज्य की है। राज्य यदि फेल हो जाए तो उसे पटरी पर लाने की जिम्मेदारी नागरिकों की है।

इसीलिए, राज्य और नागरिकों के बीच एक निरंतर संवाद की जरूरत होती है। इसी संवाद से एक राष्ट्र बनता है। राज्य और नागरिकों का अपनी-अपनी जगह स्वायत्त ढंग से काम करना राष्ट्र नहीं बना सकता। राष्ट्र और राज्य दो अलग चीजें हैं। राष्ट्र के भीतर विविधताएं हैं, पहचानें हैं। उन्हें एक सूत्र में ये मूल्य ही बांधते हैं। जब हम मूल्यों पर आपस में सहमति बना लेते हैं और राज्य की हर कार्रवाई को उसी के पैमाने पर तौलते हुए स्वस्थ संवाद की प्रक्रिया में जाते हैं, तो अपनी विशिष्ट पहचानों के साथ आपस में मिलकर एक राष्ट्र को बनाते हैं।

पहचान, विविधता और उससे बनने वाले राष्ट्र पर आने से पहले हमें यह समझना होगा कि संवाद कैसे करें। संवाद की भूमिका इतनी अहम क्यों है? न केवल राज्य और नागरिकों के बीच, बल्कि नागरिकों के बीच भी निरंतर संवाद क्यों जरूरी है। इस संवाद को लोकतांत्रिक बनाए रखने की शर्तें क्या हैं।

इस पर हम आगे के सत्र में चर्चा जारी रखेंगे।

सत्र 5

बात की तमीज़

सत्र का खाका

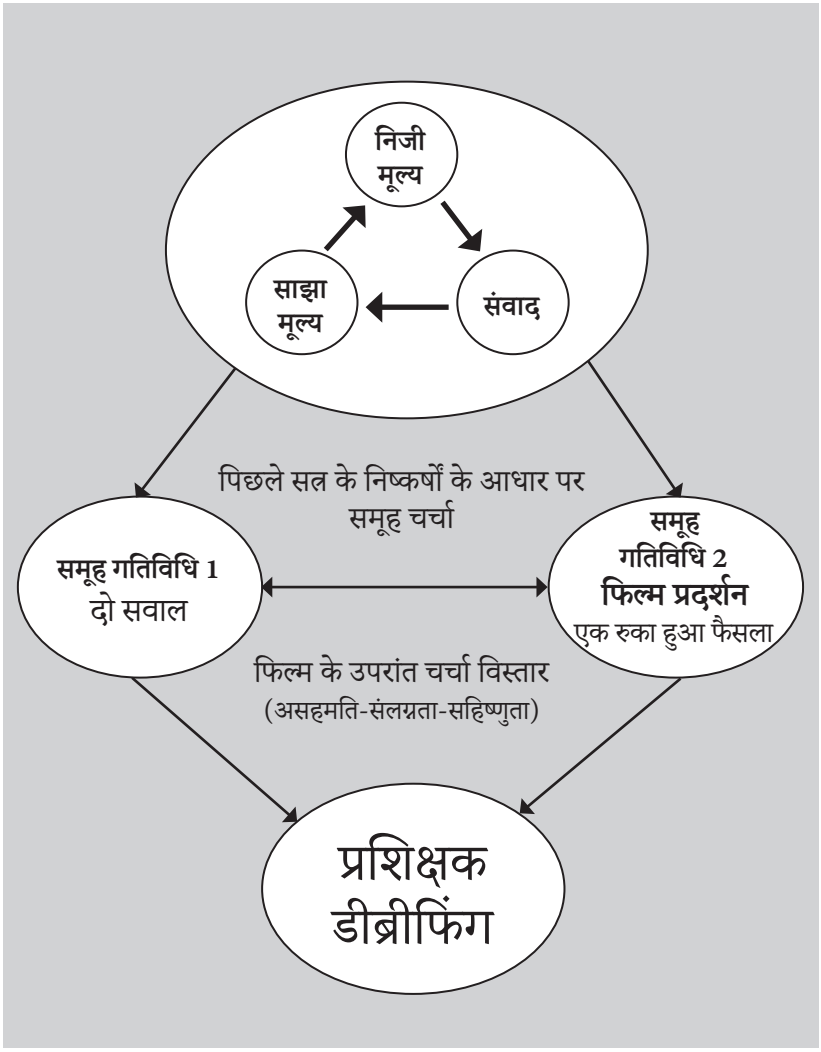

सत्र संचालन

प्रशिक्षक पिछले सत्र के पुनरावलोकन से इस सत्र को आगे बढ़ाएगा। पिछले सत्र में हमने जो सीखा उसे बिंदुवार याद कर लें-

- स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और न्याय के संवैधानिक मूल्य परस्पर निर्भर हैं। किसी एक का ह्रास सिलसिलेवार सभी के ह्रास का कारण बनता है।
- मूल्यों के ह्रास की परिस्थितियां जरूरी नहीं कि मनुष्य की तय की हुई हों, ये ऐतिहासिक रूप से प्रदत्त भी हो सकती हैं।
- एक लोकतांत्रिक संवैधानिक गणराज्य में संवैधानिक मूल्यों को सुनिश्चित करने की मूल जिम्मेदारी राज्य की होती है, जो संविधान के माध्यम से नागरिकों के प्रति जवाबदेह होता है।
- राज्य के नाकाम हो जाने पर नागरिकों को यह जिम्मेदारी उठानी होती है।
- इसीलिए नागरिकों के बीच और राज्य के साथ नागरिकों का निरंतर संवाद एक मूल्यपरक राष्ट्र बनाने में अनिवार्य भूमिका निभाता है।

गतिविधि 1

उपर्युक्त बिंदुओं पर संक्षिप्त चर्चा के बाद प्रशिक्षक संवाद की जटिलताओं पर चर्चा को बढ़ाने के लिए दो सवाल सदन के समक्ष रखेगा-

1. हर व्यक्ति के जीवन को संचालित करने वाले मूल्य उसके निजी अनुभवों से उपजते हैं, ये हमने शुरू में जान लिया था। अगर मूल्य निजी अनुभवों की उपज हैं, तो दो अलग-अलग मूल्यों वाले व्यक्तियों के बीच स्वस्थ संवाद कैसे संभव हो जबकि पहले से ही लोगों के बीच अपनी-अपनी पहचान को लेकर दूरियां कायम हैं? आपके हिसाब से लोगों से संवाद करने में आपको कौन सी अड़चनें आती हैं?
2. राज्य को संवैधानिक मूल्यों पर लाने के लिए जरूरी है कि व्यक्ति/नागरिक खुद पहले उन मूल्यों से वाबस्ता हो। तो क्या मूल्यों को आत्मसात किए बगैर राज्य से संवाद संभव नहीं है? या कोई तरीका है? राज्य से संवाद करने, उसके समक्ष अपनी मांग रखने, अपनी बात मनवाने, अपना दृष्टिकोण समझाने के लिए आप किन तरीकों का इस्तेमाल करते हैं?

इन दो सवालों पर छोटे-छोटे समूहों में चर्चा करवा कर जवाबों की प्रस्तुति करवानी है। विचार करने और जवाब देने के लिए पौन घंटे का समय दिया जाना चाहिए।

प्रशिक्षक ध्यान दें

प्रशिक्षक को छोटे समूहों की प्रस्तुतियों से निकले बिंदुओं को नोट करते जाना है और उन सभी बिंदुओं को एक चार्ट पेपर पर या बोर्ड पर सबके सामने लिख देना है। इस बात का

खयाल रखना है कि **सभी प्रतिक्रियाएं दो श्रेणियों में विभाजित हों- पहली श्रेणी नागरिकों के बीच संवाद पर केंद्रित हो, दूसरी नागरिकों और राज्य के बीच संवाद पर।**

पहली श्रेणी में मोटे तौर पर जो बातें निकल कर आएंगी, उन्हें 'हम' और 'वे' के खांचे में देखा जा सकता है। दूसरी श्रेणी में जो बातें निकल कर आएंगी, उन्हें अधिकारों के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है।

प्रशिक्षक डीब्रीफिंग

प्रशिक्षक को समूह में प्रतिक्रियाओं पर चर्चा करवा के निजी और सार्वजनिक संवाद के दो अवरोधों की पहचान करनी है-

1. पहचान का संकट।
2. अधिकार-केंद्रित राजनीति/समाजकर्म का संकट।

इन दो बिंदुओं के माध्यम से प्रतिभागियों को यह समझाना है कि एक ओर जहां पहचान हमारे आपसी संवाद में अड़चन बन जाती है, तो दूसरी ओर हमारे अधिकार कभी-कभार एक दूसरे के खिलाफ चले जाते हैं और राज्य से संवाद की प्रक्रिया में अधिकारों की मांग के अलावा आगे बढ़ने का हमें कोई रास्ता नहीं दिखता। यानी संवैधानिक अधिकार अगर हमें दे भी दिए जाते हैं, तो उनका अनुपालन नहीं होता और मामला ढाक के तीन पात ही रह जाता है।

इसके माध्यम से प्रशिक्षक को प्रतिभागियों में पहचान और अधिकार दोनों की सीमाओं की समझदारी पैदा करनी है। यहीं पर संवाद एक ऐसा औजार बनकर उभरता है जिससे परस्पर स्वीकार्यता बनती है और पहचानों के पार जाकर लोगों में समन्वय स्थापित किया जा सकता है तथा राज्य के साथ मूल्य के स्तर पर संलग्नता स्थापित की जा सकती है।

गतिविधि 2

फिल्म प्रदर्शन 'एक रुका हुआ फैसला'

फिल्म सबको एक साथ देखनी है। फिल्म यूट्यूब पर मौजूद है। फिल्म देखने के लिए इस लिंक पर जायें-

https://www.youtube.com/watch?v=mLrPhR0Gzn4

प्रशिक्षक ध्यान दें

यह फिल्म आपकी पहले से देखी हुई होनी चाहिए। फिल्म प्रदर्शन के बाद उस पर पिछली गतिविधि की डीब्रीफिंग के आलोक में सामूहिक चर्चा करवाएं। सामूहिक संवाद की प्रक्रिया में सत्य या न्याय-निर्णय तक पहुंचने में तर्क, सहिष्णुता, असहमतियों के सम्मान, संलग्नता आदि के मूल्यों को केंद्र में रखें और फिल्म से उदाहरण लें।

प्रशिक्षक डीब्रीफिंग

बाबासाहब आंबेडकर का सूत्र था- शिक्षित बनो, संगठित हो, आंदोलित हो। हमारे सामने सबसे पहला सवाल ही अटक जाता है कि कैसे खुद को और दूसरों को शिक्षित करें। चूंकि हम सामाजिक प्राणी हैं और दूसरों के साथ हम अलग-अलग संबंधों में जीते हैं, तो एक-दूसरे को शिक्षित करने का काम हमें करना होता है। यह परस्पर शिक्षण कभी भी अलग-अलग ऊंचाइयों पर खड़े होकर नहीं किया जा सकता। सामाजिक शिक्षण में भी मूल्यों का खयाल रखना होता है। किसी को उपदेश नहीं दिया जा सकता है, ऐसा कर के आप उसे गैर-बराबर महसूस करवा रहे होते हैं।

इसीलिए संवाद की पहली शर्त है बराबरी यानी सामने वाले को हीन न समझना, अपने जैसा समझना। एक बार आप सामने वाले को बराबर समझ के संवाद शुरू करते हैं तो उसके साथ आपकी संलग्नता की जमीन तैयार होती है। निरंतर संवाद और संलग्नता से स्वीकार्यता पैदा होती है। यही स्वीकार्यता आपके संदेशों के लिए स्पेस बनाती है। बिना स्वीकार्यता के कोई किसी की बात न तो सुनता है और न ही मानता है।

यानी, सामाजिक शिक्षण का सूत्र है-

संवाद – संलग्नता – स्वीकार्यता

चूंकि संवाद सबसे प्राथमिक कदम है, तो संवैधानिक मूल्यों के आलोक में संवाद करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। संवाद समतापूर्ण, न्यायपरक, बंधुत्व पैदा करने वाला और एक दूसरे को अपनी बात रखने की आजादी देने वाला होना चाहिए। यानी, संवाद एकतरफा नहीं होना चाहिए, सहभागितापूर्ण होना चाहिए।

चूंकि असहमतियां जायज हैं, तो उनका सम्मान किया जाना चाहिए। टकराव की स्थिति में भी प्रतिक्रिया से बचना चाहिए। कुल मिलाकर, बात करने की एक लोकतांत्रिक और सभ्य तमीज को सीखना मूल्यों की सार्वजनिक स्थापना के वृहत्तर कार्य में सबसे बुनियादी शर्त है।

इस चर्चा को अगले सत्रों में आगे बढ़ाते हुए यह जानने की कोशिश करेंगे कि घर, परिवार, समुदाय, समाज, कार्यस्थल आदि जगहों पर मूल्यों के आड़े कौन सी चीजें रोजमर्रा की जिंदगी में आती हैं, जो हमारे संवाद को प्रभावी नहीं होने देती हैं।

सत्र 6

बहुत कठिन है डगर पनघट की

सत्र का खाका

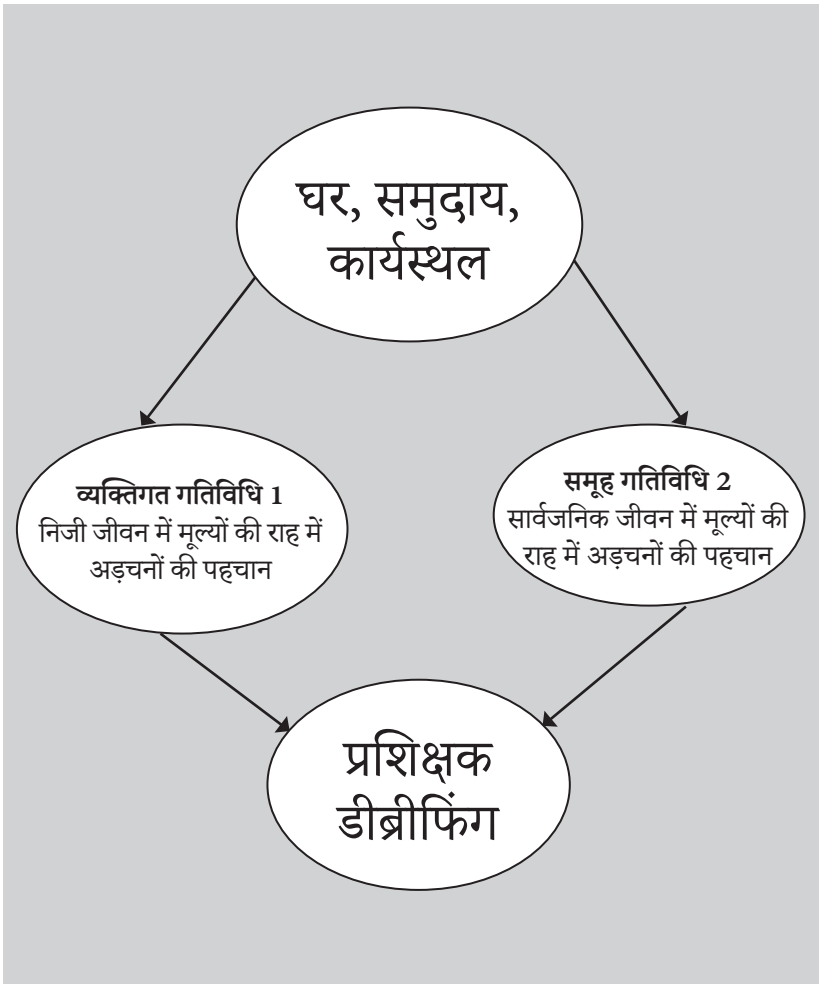

सत्र संचालन

प्रशिक्षक पिछले सत्र के सीखे गए बिंदुओं को दर्ज करते हुए पुनरावलोकन करेगा।

प्रतिभागियों से दो गतिविधियां करवाई जानी हैं। पहली गतिविधि निजी होगी, दूसरी छोटे-छोटे समूहों में की जाएगी। दोनों गतिविधियों के लिए आधे से पौन घंटे का समय दिया जाना चाहिए।

गतिविधि शुरू करने से पहले थोड़ा चर्चा करते हुए यह स्पष्ट करना चाहिए कि संवाद में आने वाली अड़चनों को हमने पिछले सत्र में पहचाना था। जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति अपने स्पेस में संवाद को उत्सुक रहता ही हो, इसके बावजूद अपने मूल्यों के हिसाब से या सामाजिक मूल्यों के हिसाब से जीने में दिक्कतें सभी को आती हैं। कहीं निजी और सामाजिक मूल्य का टकराव होता है। कहीं संवैधानिक मूल्यों का सामाजिक मूल्यों से टकराव होता है।

एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर जब हम घर, परिवार, समाज, समुदाय में जाते हैं तो अपने कुछ मूल्य लेकर जाते हैं। जरूरी नहीं कि हम आदर्श रूप से संवैधानिक मूल्यों पर ही जी रहे हों, लेकिन सचेत नागरिक होने के नाते संवैधानिक मूल्यों को लागू करने की आकांक्षा जरूर रखते हैं। ऐसे में अपने घर-परिवार, गांव-कस्बे, समुदाय और व्यापक समाज में क्या हमें कोई अड़चन आती है?

संविधान भले आजादी, भाईचारे, इंसाफ और बराबरी की बात करता हो, लेकिन हम सब अपने अनुभव से जानते हैं कि समाज में ये चारों मूल्य बहुत दुर्लभ हैं। क्यों है आखिर ऐसा?

इसी को समझने के लिए हम आज दो गतिविधियां करेंगे।

गतिविधि 1

प्रशिक्षक सभी प्रतिभागियों को एक सवाल देगा और आधा घंटा जवाब लिखने का समय देगा। सभी को आधे घंटे बाद अपने-अपने जवाब सदन के समक्ष पढ़ने होंगे।

सवाल: निजी जीवन में आपको अपने घर-परिवार और रिश्तों के भीतर मूल्यपरक जीवन जीने या व्यवहार करने में कैसी बाधाएं आती हैं? ऐसी तीन बाधाएं लिखें।

प्रशिक्षक ध्यान दें

प्रस्तुति के दौरान प्रशिक्षक सबके जवाबों को बोर्ड पर सामने लिखेगा। फिर इस पर प्रतिभागियों के बीच चर्चा करवाएगा और चर्चा से निकले प्रमुख बिंदुओं को बोर्ड पर दर्ज करेगा।

गतिविधि 2

प्रशिक्षक प्रतिभागियों के छोटे-छोटे समूह बनाकर उन्हें एक सवाल देगा और चर्चा कर के जवाब लिखने के लिए पौन घंटे का समय देगा। सभी समूहों को पौन घंटे बाद अपने-अपने जवाब सदन के समक्ष पढ़ने होंगे।

सवाल: सामाजिक जीवन में आपको अपने कार्यस्थल पर, संगठन में, संस्थान में मूल्यपरक जीवन जीने या व्यवहार करने में कैसी बाधाएं आती हैं? ऐसी तीन बाधाएं लिखें।

प्रशिक्षक ध्यान दें

प्रस्तुति के दौरान प्रशिक्षक हर समूह के जवाब को बोर्ड पर सामने लिखेगा। फिर इस पर समूहों के बीच चर्चा करवाएगा और चर्चा से निकले साझा बिंदुओं को बोर्ड पर दर्ज करेगा।

प्रशिक्षक डीब्रीफिंग

दोनों गतिविधियों से निकले बिंदुओं का समाहार करते हुए प्रशिक्षक इस तथ्य को रेखांकित करेगा कि भले ही संविधान ने हमें स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुत्व के मूल्यों के हिसाब से राष्ट्र को गढ़ने का आदर्श दिया था, लेकिन सबसे बड़ी विडम्बना यह है कि इस राष्ट्र की सभी इकाइयां- परिवार से लेकर राज्य तक, इन मूल्यों के प्रत्यक्षतः/खिलाफ दिखती हैं। इसका साफ अर्थ है कि संविधान निर्माताओं ने बिलकुल उन्हीं बिंदुओं पर अपना हाथ रखा, जहां यह समाज ऐतिहासिक रूप से कमजोर था।

जो अड़चनें आप सब ने गिनवाई हैं वे बहुत स्वाभाविक हैं। इसका संबंध इस समाज की संरचना से है, जिसे ऐतिहासिक रूप से समझने के लिए हमें अतीत में जाना होगा। आखिर जैसे गैर-बराबरी का सामना हम रोज करते हैं, वह आती कहां से है? जबकि मूल्य तो हम सब के भीतर अपने अनुभवों से ही छुपे होते हैं? जब हर कोई अनुभवजन्य मूल्यों के हिसाब से जीवन जी रहा है, तो समाज मूल्यहीन क्यों है?

इस पहेली को थोड़ा विस्तार से समझना जरूरी है।

संविधान निर्माताओं के पास संविधान का एक ऐसा मॉडल चुनने की उलझन थी जो भारतीय समाज के लिए सबसे उपयुक्त हो। संविधान सभा के पास दो उदाहरण थे। एक संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय व्यवस्था का और दूसरा ब्रिटिश प्रणाली संविधान का। राज्यों के संघ वाली अमेरिकी प्रणाली में विविधता पर विमर्श नहीं है। उनका विमर्श बहुलता के इर्द-गिर्द केंद्रित था। उनकी प्रणाली हर किसी को अवसर प्रदान करने के लिए कहती है। उनकी प्रणाली में सर्वाधिक मत प्राप्त कर प्रथम स्थान पर आने वाले और दूसरे स्थान पर आने वाले के बीच मतों का अंतर उनके समाज में मौजूद बहुलता के बारे में बताता है। उदाहरण के लिए, चुनाव में एक रिपब्लिकन और एक डेमोक्रेट को प्राप्त मतों के बीच व्यापक अंतर का मतलब होगा कि मतदाताओं के बीच कम बहुलता मौजूद है। जब दोनों के बीच मतों का अंतर कम होगा, तब इसका अर्थ यह हुआ कि बहुलता की सीमा अत्यधिक है। उनके पास प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली है। अमेरिकी बहुलता, भारतीय विविधता के बराबर नहीं है।

जब हम बहुलता और विविधता का इस्तेमाल एक साथ करते हैं, तो यहां अंग्रेजी के दो शब्दों को समझना जरूरी है- Plural और Diverse: हिंदी में Plurality को बहुलता और Diversity को विविधता कहा जाता है। Plurality (बहुलता) तब होती है, जब एक से अधिक चीजें मौजूद हों; लेकिन वह विविधता (Diversity) नहीं है। प्राकृतिक

रूप से तो हम एक से अधिक चीजों का अस्तित्व पाते ही हैं। इसमें क्या खास है? जो हमें कुदरती रूप से मिला है, उसे हजारों वर्षों में अपने अभ्यास, संघर्ष, सामाजिक पहल के माध्यम से हमने और समृद्ध भी तो किया है, उसे संजोया भी तो है। जो चीजें मनुष्य ने अपने सभ्यताक्रम में विकसित की हैं, वे विविधता कहलाती हैं।

उदाहरण के लिए हमें सा रे गा मा स्वर मिले। हमने इससे हिंदुस्तानी संगीत, कर्नाटक संगीत को विकसित किया। हमें आवाज मिली और हमने इसे विभिन्न रूपों जैसे लेखन, ऑडियो, ब्लॉग, वेबसाइट आदि में विकसित किया। कुदरत से मिली हुई बहुलता पर हमने बहुत सांस्कृतिक मेहनत की और विविधता का निर्माण किया। यही कारण है कि विविधता कड़ी मेहनत और सांस्कृतिक हस्तक्षेप की मांग करती है। यही भारत को अमेरिका से अलग करता है। इसलिए अमेरिकी संविधान का प्रारूप यहां नहीं चल सकता था।

दूसरी तरफ ब्रिटिश संविधान एक 'बहुसंख्यक लोकतांत्रिक' प्रणाली प्रदान करता है। उसकी प्रणाली को भी भारतीय समाज के लिए उपयुक्त नहीं माना जा सकता था। इसके पीछे भी विविधता का ही कारण है। हमारे यहां हजारों भाषाएं हैं। वर्तमान में भारत में 65 धर्म हैं। हमने सांस्कृतिक और भावनात्मक रूप से इतना संघर्ष किया है कि सामाजिक स्तर पर हमने भावनात्मक रूप से विविधता पैदा कर ली है। भारत के पास जो विविधता है, वह प्रकृति प्रदत्त नहीं है। भारतीय समाज ने इस विविधता को सदियों के संघर्ष, आत्मसातीकरण और सृजन से निर्मित किया। बहुलता को समाहित करते हुए यहां विभिन्न जातियों, धर्मों, जनजातियों आदि के विविध समाज का निर्माण हुआ।

सामाजिक प्रथाओं के विभिन्न उदाहरणों से इसे समझा जा सकता है। गुजरात में एक हिंदू परिवार एक दरगाह की ढाई सौ साल से देखभाल कर रहा है। आलू पकाने के यहां चार सौ तरीके हैं। ये विविध तरीके आलू के पीछे लगाए गए सामाजिक और मानवीय श्रम का परिणाम हैं।

इसीलिए संविधान सभा में हुई बहस भारत की विविधता पर आकर अटक गई थी। सदस्यों को इस सवाल का सामना करना पड़ा कि विविधता का क्या किया जाए। राष्ट्र इतना विविध है कि हाल के सर्वेक्षण के अनुसार 780 भाषाएं (बोलियों के अलावा) बोली जाती हैं। ये भाषाएं हमें प्रकृति प्रदत्त नहीं हैं। ये भाषाएं समय के साथ विकसित हुईं। इसलिए, जब संविधान लिखा गया था, तो हमारे दो उद्देश्य थे। पहला, 'संविधान को सामाजिक क्रांति की सुविधा देनी चाहिए' और दूसरा उद्देश्य 'भारत की सामाजिक विविधता की रक्षा करना' था। विविधता की रक्षा करने का कर्तव्य उन लोगों को दिया गया, जिन्होंने खुद को संविधान अर्पित किया था यानी हम लोग, 'वी, द पीपुल'।

भारत की विविधता की रक्षा करना हमारा प्राथमिक कर्तव्य है। चूंकि हम अभिव्यक्त करने वाले प्राणी भी हैं, तो हमारी हर अभिव्यक्ति का आधार विविधता होनी चाहिए। अनुच्छेद 19ए इस आधार की सुरक्षा की गारंटी देता है। जब हम सांस्कृतिक अभिव्यक्ति, सामाजिक-राजनीतिक अभिव्यक्ति या पत्रकारीय अभिव्यक्ति करते हैं, तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम विविधता को कम नहीं करते, बल्कि विविधता की रक्षा करते हों।

दिक्कत यह हो गई कि हमने विविधता की रक्षा करने के बजाय अपनी-अपनी पहचानों की रक्षा करना शुरू कर दिया। दूसरे की पहचान को अपनी पहचान का विरोधी मान लिया। इसीलिए, आज पहचानों में बंटा समाज किसी भी मूल्य को बरदाश्त नहीं कर पाता है। हर जगह हमें चारों मूल्यों का हनन देखने को मिलता है।

भारतीय समाज सदियों से एक मिश्रित समाज था। यहां एकता में विविधता के मूल्य थे। अंग्रेजों द्वारा भारतीय समाज के मूल्यों को धार्मिक पहचान की तर्ज पर सांप्रदायिक बना दिया गया। ब्रिटिश पाखंड यह था कि उन्होंने पहले इस समाज को विभाजित किया, फिर कहा कि वे भारतीयों को एकजुट कर रहे हैं। कह सकते हैं कि भारत के 'एकता में विविधता' वाले मूल्य को अंग्रेज शासकों ने 'विविधता में एकता' में बदल कर सिर के बल उलटा खड़ा कर दिया।

जो समाज सदियों से सह-अस्तित्व में रहता आया था, इस औपनिवेशिक परिवर्तन ने सांप्रदायिक ताकतों को ऊर्जा दी। धीरे-धीरे भारत अपनी सार्वभौमिक मूल्य प्रणाली से जुदा हो गया। जब तक ब्रिटिश ने उपमहाद्वीप पर कब्जा नहीं किया था, तब तक कश्मीर से लेकर दक्षिण तक अधिकांश हिस्सों में कलात्मक या धार्मिक ग्रंथ सामाजिक प्रथाओं से स्वायत्त अस्तित्व में रहते आए थे। पश्चिम ने मुद्रण की तकनीक का उपयोग करते हुए भारतीय ग्रंथों को बिना संदर्भ और सार समझे अनुवाद किया। अनूदित ग्रंथों से सबसे पहले पहचान आधारित भावनाओं को बढ़ावा मिला। तब से भारतीय समाज लगातार पहचान के आधार पर खंडित होता रहा और पहचान के राजनीतिकरण का मार्ग प्रशस्त करता रहा है।

नतीजतन, लोगों में समानता, न्याय, बंधुत्व, स्वतंत्रता के मूल्य कम पड़ते गए और देश के संसाधनों पर औपनिवेशिक शासकों का कब्जा हो गया।

आजादी के बाद भी संसाधनों पर कब्जे के चरित्र ने समाज को बांटने का ही काम किया। हम जिस समाज को देखते हैं, वह वैसा नहीं है जैसा संविधान उसे बनाना चाहता है इसीलिए संविधान के आदर्शों की ओर काम करना हम सबका कर्तव्य है क्योंकि वे आदर्श हमारे अपने हैं। हम खुद वैसा समाज बनाना चाहते हैं। इसलिए यह हमारी ही जिम्मेदारी है, राज्य उसे निभाए या न निभाए। इसी वजह से हमने संवाद, संलग्नता, स्वीकार्यता की अहमियत पर बात की है और इस प्रक्रिया में पहचानों और अधिकारों की सीमाओं को समझने की भी कोशिश की है। यह वाकई कठिन काम है।

सत्र 7

दिल ही तो है

सत्र का खाका

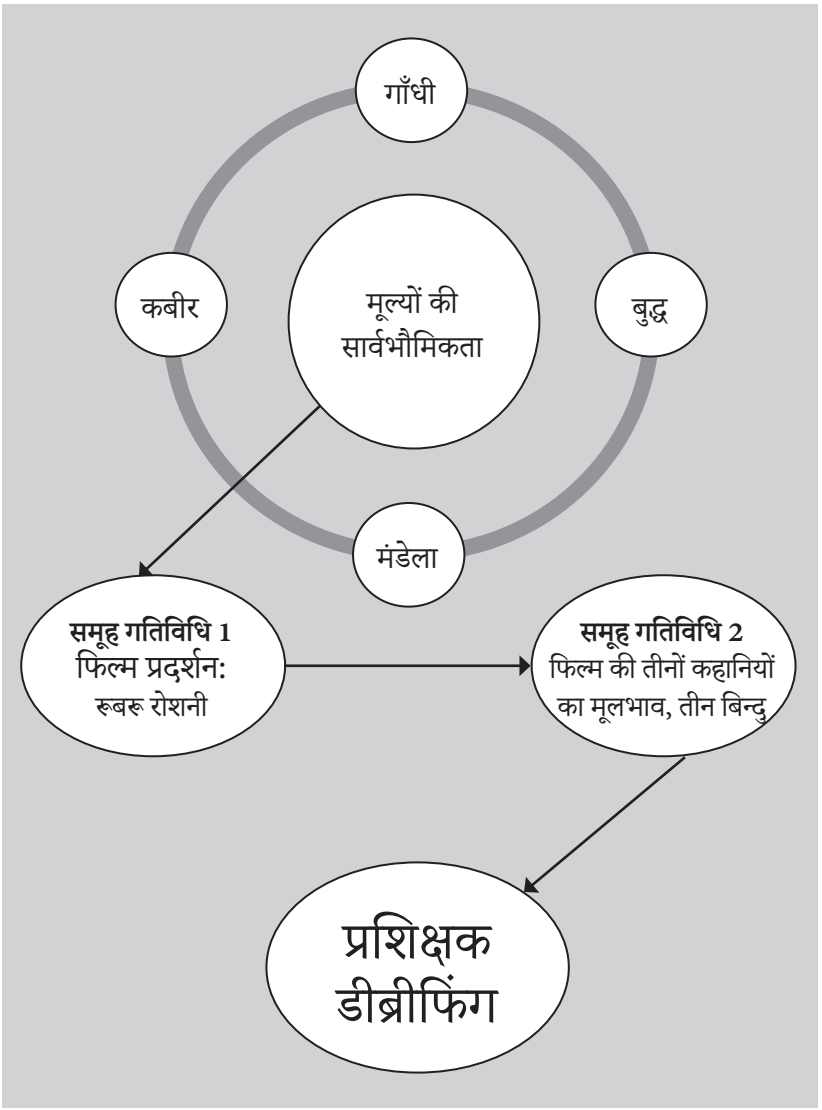

सत्र संचालन

पिछले सत्र का पुनरावलोकन करते हुए प्रशिक्षक प्रतिभागियों के समक्ष एक सवाल रखेगा कि यदि मूल्यों के हिसाब से समाज को गढ़ने का काम इतना कठिन है, तो बुद्ध, कबीर, नानक, गांधी, मंडेला, मदर टेरेसा, आंबेडकर आदि ने इस बात को अनुभव नहीं किया होगा? फिर आखिर उनकी प्रेरणा क्या रही? उनके ढंग क्या रहे? उनका चालक बल क्या रहा होगा?

इन महान विभूतियों के मूल्यबोध के इर्द-गिर्द सामाजिक कर्म में कोई समानता खोजी जा सकती है क्या? अपने काम के लिए क्या इनसे हम कुछ सबक ले सकते हैं? आखिर वे कौन से गुण हैं जो इन शख्सियतों को और इनके काम को महान व अनुकरणीय बनाते हैं?

सभी प्रतिभागी इन सवालों पर चर्चा करेंगे। प्रशिक्षक चर्चा से निकले मुख्य बिंदुओं को बोर्ड पर लिखेगा।

यह चर्चा अगली गतिविधि के बाद जारी रहेगी। गतिविधि के तौर पर प्रतिभागियों को एक डॉक्युमेंटरी फिल्म दिखाई जाएगी।

गतिविधि 1

फिल्म प्रदर्शन : रूबरू रोशनी

यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर मौजूद है। फिल्म सबको एक साथ देखनी है।

गतिविधि 2

फिल्म के बाद प्रशिक्षक सभी प्रतिभागियों से पिछली चर्चा के आलोक में फिल्म के सबक पूछेगा। तीनों कहानियों से एक-एक केंद्रीय बिंदु सभी को बताने हैं। प्रशिक्षक उन्हें नोट करेगा और चर्चा को जारी रखेगा। फिल्म के किरदारों में जिन नैतिक मूल्यों या मानवीय मूल्यों या संवैधानिक मूल्यों की झांक आती है, उन पर बात होगी।

प्रशिक्षक ध्यान दें

यह फिल्म आपकी पहले से देखी हुई और पूर्व-समीक्षित होनी चाहिए। चर्चा के दौरान प्रशिक्षक को संक्षेप में यह बतलाना होगा कि संवैधानिक प्रस्तावना में दिए गए मूल्य भले ही सात-आठ दशक के हुए हैं, लेकिन उनकी सार्वभौमिकता और प्राचीनता ऐसी है कि उन्हें मनुष्य जाति के लिए सर्वथा प्रासंगिक बनाती है। संविधान में ये मूल्य कहीं नकल से नहीं आए हैं, बल्कि हमारी अपनी धार्मिक-दार्शनिक परंपरा की देन हैं और हम सब के भीतर अंतर्निहित हैं।

प्रशिक्षक डीब्रीफिंग

गांधी मानते थे कि सारे मनुष्य गहन रूप से सामाजिक होने की इच्छा रखते हैं। वे इनसानी

रिश्तों को ही साध्य के रूप में देखते हैं। मनुष्य एक दूसरे के साथ रचनात्मक रिश्ता कायम करना चाहता है। यदि ऐसा नहीं है, तो आदमी सामने वाले की सहमति का अनावश्यक रूप से मोहताज क्यों होता है? यह जान जाने पर कि किसी एक मसले पर दो के बीच सहमति असंभव है, आदमी क्यों चाहता है कि किसी और बात पर ही सही, सहमति बन जाए? संवाद खत्म होने के बाद भी मनुष्य उसे बहाल क्यों करना चाहता है? आखिर लंबे समय तक एक दूसरे से दूर, शांत रहने के बावजूद लोग दोबारा कैसे बातें करने लग जाते हैं?

इसलिए क्योंकि मनुष्य एक दूसरे के बगैर रह ही नहीं सकता। वह अपने मिजाज के लोगों के साथ रहने को चाहे कितना ही तत्पर क्यों न हो, लेकिन उसे उनके साथ भी रहना पड़ता है जिनसे उसका मिजाज नहीं मिलता और उनसे भी बात करनी पड़ती है जिससे उसके मतभेद हों। चूंकि समूची मनुष्यता के लिए केवल एक धर्म नहीं हो सकता, लिहाजा दुनिया की यह धार्मिक विविधता ही परस्पर इज्जत, समान बरताव और सांप्रदायिक सौहार्द को अनिवार्यता बनाती है। गांधी मानते थे कि यह मनुष्य की गहन सामाजिकता की चाहत के चलते संभव किया जा सकता है। कभी-कभार ही ऐसा होता है कि मनुष्य अपने समुदाय से स्वतंत्र होकर अकेले में रहना चाहता है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से निहित सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं का भागीदार होने के चलते लोग आपस में धार्मिक-सांस्कृतिक समुदाय के बतौर भी मिलते हैं। उन्हें इन साक्षात्कारों को सक्रिय रूप से एक शक्ल देनी होती है और यह तय करना पड़ता है कि वे एक-दूसरे के प्रति खटास न पैदा कर लें बल्कि आपस में दोस्ताना, शिष्ट, भले और सम्माननीय बने रहें। एक दूसरे की धार्मिक और दार्शनिक परंपराओं की इज्जत किए बगैर लोग एक दूसरे के प्रति भले रह ही नहीं सकते।

यही बातें हमें फिल्म में देखने को सहज रूप से मिलती हैं, जो बताती हैं कि मूल्यों पर चलने के लिए मनुष्य के भीतर गुण पहले से मौजूद होते हैं, उनको कहीं से अर्जित नहीं करना होता, बस उनका बोध होना जरूरी है।

इसी दायरे में मनुष्य की सहज आंतरिक अच्छाइयों को मूल्यों के केंद्र में स्थापित करना है।

यह भलाई, जिसे गांधीजी गहन सामाजिकता की इच्छा कहते हैं, मनुष्य के भीतर की एक कुदरती अच्छाई है। इसी को बुद्ध करुणा कहते हैं। अकसर करुणा कहने पर इस समाज में लोग आदमी को हलके में लेने लगते हैं। आप अगर ध्यान से देखें, तो बुद्ध से लेकर गांधी और मदर टेरेसा तक, सबके भीतर करुणा ही वह मूल तत्व है जो साझा है।

बुद्ध के यहां करुणा कोई स्त्रैण गुण नहीं है, वह सभी मनुष्यों के लिए एक बुनियादी नैतिक मूल्य है। महावीर ने तो अहिंसा के नैतिक महत्व को केवल मनुष्यों तक ही नहीं, सभी जीवों में पोषित करने की बात कही थी। अशोक ने राजनीतिक और सामाजिक हिंसा की व्यर्थता को समझा तथा विभिन्न धार्मिक-दार्शनिक समूहों के बीच सद्भावपूर्ण सह-अस्तित्व की पैरवी की। प्राचीन धर्मसूत्रों में कहा गया है कि ज्ञान केवल पेशेवर रूप से प्रशिक्षित पुरुषों यानी ब्राह्मणों की बपौती नहीं है, महिलाओं और निचले दरजे के लोगों से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। हमारे दौर में महात्मा गांधी ने दिखाया कि उत्पीड़क के खिलाफ हिंसक टकराव के मुकाबले शांतिपूर्ण प्रतिरोध कितना ज्यादा प्रभावी हो सकता है। हिंसक मर्दानगी के इस

जगत में हालांकि ये सारे गुण औरतों और कमजोर लोगों के लायक मान लिए गए।

हमारे समाज में मूल्यों का रोजमर्रा की जिंदगी में न दिखना दरअसल समाज में करुणा की कमी को दर्शाता है। यह करुणा की कमी समाज में पुरुष सत्ता की देन है। पूरे समाज की संरचना मर्दानगी के इर्द-गिर्द रची गई है। औपनिवेशिक शासन से जिन लोगों ने हमें मुक्ति दिलाई, उनके द्वारा परिकल्पित व्यवस्था के केंद्र में सबके लिए सच्ची आजादी का मूल्य था। इसके उलट, जहरीली मर्दानगी की संस्कृति में वर्चस्व का तत्व केंद्रीय होता है जो स्वतंत्रता-संवेदी समतावादी नीति के साथ बेमेल है। फिर सवाल उठता है कि मोटे तौर पर आक्रामक और हिंसक पुरुषों द्वारा समर्थित एक सड़ा-गला, रूढ़िवादी और पुरुषवादी नैतिक तंत्र आज हमारे समाज के आकांक्षी वर्गों के बीच आखिर कैसे समर्थन पा रहा है?

यह भी चिंता की बात है कि सामाजिक हिंसा एक लोकतंत्र में बार-बार खुद को पुनरुत्पादित करती है। लोकतंत्र इसलिए होते हैं कि वे परामर्श, समझौते, रायशुमारी और संवाद के अमर्दाना मूल्यों को प्रोत्साहित करें। लोकतंत्र हमें बताता है कि जरूरी नहीं हम जो चाहें वह हमें मिल ही जाए- यानी ताकत, दृढ़ता, साहस आदि का प्रदर्शन एक बात है लेकिन अपनी सनक में हठधर्मी हो जाना, अपने को लड़ाकू दिखाना और कमजोर पर दबंगई झाड़ना बिलकुल दूसरी बात है। शांतिपूर्ण और सक्रिय लोकतंत्रों में लोगों को यह विश्वास रहता है कि वे खुद को हमलों के प्रति महफूज कर लेंगे, लेकिन वे यह बात भी उतने ही अच्छे से समझते हैं कि हिंसा कोई नायकीय कृत्य नहीं है। महानतम भारतीयों ने मर्दाना रूढ़ियों को तोड़ने का काम किया है और पुरुष-स्त्री के द्वैध में फंसने से उन्होंने इनकार किया है। क्या आज भारत के लोग उनका अनुकरण करेंगे, हिंसा को थामेंगे और सबके लिए आजादी को सुनिश्चित करेंगे? यह सवाल हम सब से है कि क्या हम ऐसा अपनी जिंदगी में करने की कोशिश करेंगे?

सत्र 8

क्या सीखा मैंने?

सत्र का खाका

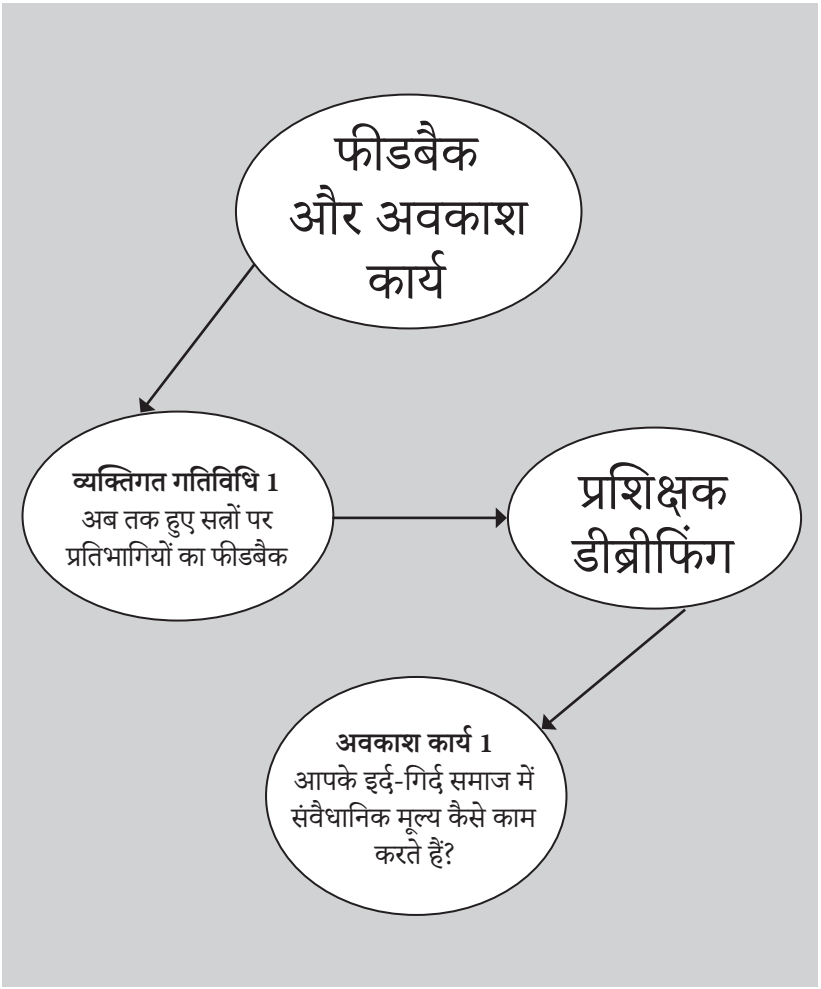

सत्र संचालन

यह सत्रांत का पड़ाव है। पहले चरण के इस आखिरी सत्र में प्रशिक्षक को सभी प्रतिभागियों से अब तक हुए चरणों और सीखे हुए पर फीडबैक लेना है। फीडबैक की गतिविधि व्यक्तिगत होनी है। सभी प्रतिभागियों को निम्न सवालों के जवाब लिखकर प्रस्तुति देनी है। जवाब लिखने के लिए आधा से पौन घंटे का समय दिया सकता है।

व्यक्तिगत गतिविधि 1

सवाल निम्न हो सकते हैं-

1. अब तक मैंने क्या सीखा? बिंदुवार लिखें।
2. प्रशिक्षक और कार्यशाला संयोजकों के बारे में फीडबैक, बिंदुवार लिखें।
3. प्रशिक्षण कार्यशाला के इंतजाम, परिसर और अन्य सुविधा/असुविधा पर बिंदुवार फीडबैक।

प्रशिक्षक ध्यान दें

प्रस्तुतियों के दौरान प्रशिक्षक को तीनों सवालों के तीन खाने बोर्ड पर बनाकर बिंदु नोट करते जाने होंगे। उसके बाद साझा और विशिष्ट बिंदुओं की पहचान करनी होगी। तकनीकी इंतजामात और परिसर से संबंधित फीडबैक को दुरुस्त करने के तरीकों पर बात होगी और प्रतिभागियों को आश्वस्त किया जाएगा कि अगले चरण में इसे लागू किया जाएगा। इसलिए इन बिंदुओं को अगले चरण के सत्र प्रारंभ तक संजो कर रखा जाना होगा। इसके अलावा, प्रशिक्षक और कार्यशाला संयोजकों के बारे में फीडबैक को भी गंभीरता से लेते हुए अगले चरण के सत्रों की तैयारी के दौरान समाहित करना होगा।

जहां तक अब तक सीखे गए का सवाल है, जवाबों से निकले भ्रामक और अधूरे बिंदुओं पर प्रशिक्षक को फिर से डीब्रीफ करने की जरूरत होगी। इसके लिए जरूरी है कि प्रशिक्षक पहले सवाल के जवाबों को ध्यान से सुने और भ्रम दूर करने के लिए डीब्रीफिंग से पहले दिए गए अवकाश में अपनी तैयारी कर ले।

प्रशिक्षक डीब्रीफिंग

प्रस्तुतियों के दौरान पहले सवाल पर आए जवाबों के आधार पर यह डीब्रीफिंग होगी जिसमें बीते सात सत्रों का सार दिया जाएगा।

बीते सात सत्रों के सार रूप में हम कह सकते हैं कि मूल्यों का लेना-देना मनुष्य की आंतरिक अच्छाई के साथ है, जिस पर समय के साथ समाज की धूल जमती गई है। हमें अपनी अच्छाइयों को दोबारा खोज निकालने की जरूरत है ताकि हम अपने ही जैसे लोगों के साथ सौहार्द, करुणा व प्रेम के रिश्ते कायम कर सकें और सारे मतभेदों को भुलाते हुए उन्हें भी वैसे ही आजाद कर सकें जैसी आजादी हम अपने लिए उनसे चाहते हैं।

हमने सीखा है कि आजादी, बराबरी, भाईचारा और इंसाफ आपस में जुड़ी चीजें हैं। आप सामने वाले को अगर सौहार्दपूर्ण ढंग से बरतेंगे, भाई मानेंगे, तो उसे उतनी ही आजादी देंगे

जितनी आपको उससे अपने लिए अपेक्षा है। जाहिर है, इससे बराबरी का भाव अपने आप पैदा होगा और नाइंसाफी की गुंजाइशें खत्म हो जाएंगी।

इतना ही नहीं, अगर समाज में नाइंसाफी कहीं दिखती है, तो उसे दुरुस्त करने के लिए आप व्यवस्थागत पहल भी करेंगे, जैसा हमने खेल में देखा था। जरूरतमंद को उचित अवसर दिलवाना न्याय है। यह न्याय आगे चलकर बराबरी और भाईचारा पैदा करता है तथा वंचित को आजादी का अहसास दिलाता है।

आप किसी एक मूल्य को पकड़ कर चलें, तो बाकी तीनों मूल्य अपने आप सधते जाएंगे। यह आपके अपने आचार पर है कि आपको किस मूल्य को बरतने में ज्यादा सुविधा होती है। इसे जब तक व्यावहारिक जीवन में लागू नहीं किया जाएगा, तब तक इसका परीक्षण भी नहीं हो पाएगा कि यह तरीका कितना कारगर है और कितना नहीं।

डीब्रीफिंग के बाद प्रशिक्षक अगले चरण की भूमिका बांधते हुए (परिचय में दिए गए दूसरे सत्र के संक्षिप्त ब्योरे के आधार पर) अवकाश कार्य पर आएगा। इस अवकाश कार्य की समीक्षा दूसरे चरण की कार्यशाला के पहले सत्र में की जानी है।

अवकाश कार्य 1

सभी प्रतिभागियों को अपने घर, परिवार, मोहल्ला, कस्बा, गांव, और इर्द-गिर्द के समाज में रोजमर्रा के अनुभवों के आधार पर यह विश्लेषण करना है कि समाज में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और न्याय के मूल्य कैसे काम करते हैं। इसके लिए कोई विशेष कार्य नहीं करना है। केवल अपने रोजमर्रा के अनुभवों, घटनाओं, उन घटनाओं पर सामजिक प्रतिक्रियाओं और हादसों से खुद को अद्यतन रखते हुए दर्ज करते जाना है कि मूल्यों की स्थिति समाज में कैसी है और किन परिस्थितियों में ये चारों मूल्य काम करते या नहीं करते हैं।

इस अभ्यास को व्यक्तिगत स्तर पर किया जाना है और इसकी प्रस्तुति लिखित स्वरूप में होनी है। संदर्भ और सुविधा के लिए कुछ सवाल नीचे दिए जा रहे हैं जिनके इर्द-गिर्द जवाब खोजे जा सकते हैं-

1. संवैधानिक मूल्य क्या समाज में दिखाई देते हैं?
2. अगर हां, तो कहां और किन परिस्थितियों में? अपने अनुभव से उदाहरण दें। यदि नहीं, तो इसका भी उदाहरण दें।
3. आम लोग कैसे इन मूल्यों को अपने जीवन में बरतते हैं या नहीं बरतते हैं, अनुभव से उदाहरण दें।
4. संवैधानिक मूल्यों की पालना में क्या बाधाएं हैं? सोदाहरण बताएं।

सभी प्रतिभागियों को अगले चरण के पहले सत्र में इस पर प्रस्तुति देनी है और चर्चा करनी है।

इस अवकाश कार्य के साथ प्रशिक्षक पहले चरण के अंत की औपचारिक घोषणा करते हुए सभी के भविष्य की शुभकामनाएं प्रेषित करेगा।

दूसरा चरण

वत्स! तुम इतिहास की धरोहर हो

सामाजिक इतिहास से संवैधानिक मूल्यों तक

सत्र 9

मेरा समाज

कहां गए मूल्य?

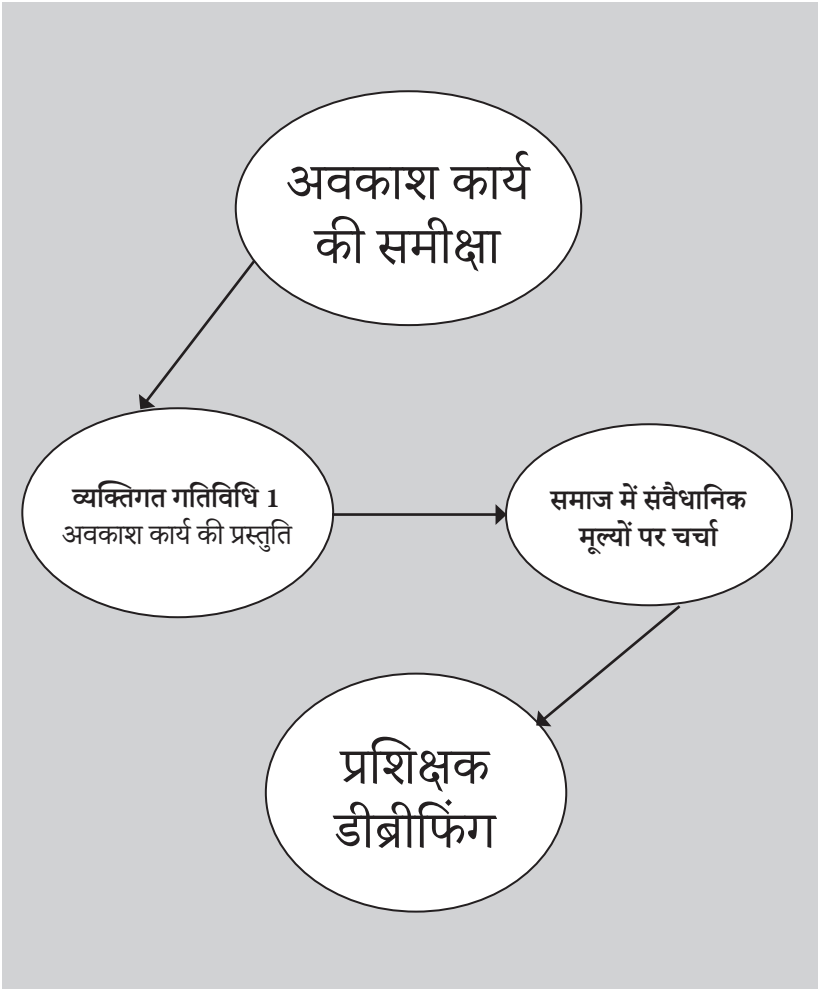

सत्र संचालन

नए चरण में प्रशिक्षक सभी प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए कार्यशाला की औपचारिक शुरुआत करेगा। सत्र की शुरुआत से पहले प्रशिक्षक प्रतिभागियों को कार्यशाला संबंधित व्यवस्थाओं, जैसे खाने का समय, परिसर के नियम तथा सत्रों के समय की जानकारी देगा।

पिछले चरण के अंतिम सत्र में व्यवस्था पर आए फीडबैक के आधार पर जरूरत के अनुसार सभी प्रतिभागियों की सहमति से व्यवस्थापक समूह बनाए जाएंगे। ये समूह कुछ ऐसे हो सकते हैं-

1. सत्रों की कार्रवाइयों के दैनिक मिनट्स लेने के लिए दो प्रतिभागियों का समूह। यह समूह रोजाना सत्र के अंत में दिन भर की कार्रवाई को चार्ट पेपर पर बिंदुवार लिखकर प्रशिक्षण सभागार में लगा देगा ताकि अगली सुबह सभी प्रतिभागी उसे देख सकें।
2. दूसरा समूह दो प्रतिभागियों का समयपालन के लिए बनाया जा सकता है। इनकी जिम्मेदारी खाने, नाश्ते और सत्रारम्भ पर सभी प्रतिभगियों को आगाह करने की होगी ताकि सत्रों में विलम्ब न होने पाए।
3. जरूरत के हिसाब से प्रतिभागियों के और समूह बनाकर उन्हें जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं।

इसके बाद प्रशिक्षक प्रतिभागी समूह से बीते हुए समय में उनके अनुभवों और काम पर अनौपचारिक चर्चा करते हुए पिछले चरण के सीखे बिंदुओं के आलोक में चर्चा को आकार देगा। फिर उन प्रतिभागियों को लिखित अवकाश कार्य तैयार करने और बाकी को उसे पढ़कर संशोधित-परिवर्द्धित करने की मोहलत देगा, ताकि औपचारिक प्रस्तुति शुरू की जा सके। इसके लिए आधे से पौन घंटे का समय दिया जा सकता है।

गतिविधि 1

जब सभी प्रतिभागी संतोषजनक ढंग से अपने अवकाश कार्य को लिखित रूप में तैयार कर चुके हों, तब एक-एक कर के उनसे उसे सबके समक्ष प्रस्तुत करने को कहा जाएगा।

प्रशिक्षक ध्यान दें

इस प्रस्तुति के दौरान प्रशिक्षक को अपने विवेक से हर एक प्रस्तुति से निकले महत्वपूर्ण बिंदुओं को सबके सामने बोर्ड पर दर्ज करते जाना होगा। ऐसा दो श्रेणियां बनाकर किया जा सकता है। समाज में संवैधानिक मूल्यों के काम करने की-

1. अनुकूल परिस्थितियां
2. प्रतिकूल परिस्थितियां

इन दो परिस्थितियों को बिंदुवार एकत्रित करने के बाद इस विषय पर समूह चर्चा करवाई जा सकती है।

हमारा मुख्य उद्देश्य इस गतिविधि और चर्चा को करने का यह है कि मूल्यों के काम करने की प्रतिकूल परिस्थितियों को समाज की ऐतिहासिक बनावट की रोशनी में समझा जा सके। इसलिए प्रशिक्षक को अपनी डीब्रीफिंग में संवैधानिक मूल्यों के बनने बिगड़ने की ऐतिहासिकता पर बात को ले जाना होगा ताकि अगले सत्रों की जमीन तैयार हो सके।

उदाहरण के लिए, कोई प्रतिभागी सहज ही अपना अनुभव सुना सकता है कि जब हम मूल्य की बात करने जाते हैं तो समाज में लोग पूछते हैं कि इसमें उनका क्या फायदा है। घर परिवार में भी लोग फायदे की बात करते हैं। लोग हर चीज में फायदा देखते हैं। अच्छाई में, मूल्यों में उन्हें अपना फायदा नहीं दिखता। यानी, **समाज के मानस में बसा फायदे का सवाल मूल्यों के लिए प्रतिकूल हालात पैदा करता है।**

इस तरह के उदाहरण को हमें उसकी ऐतिहासिकता तक ले जाने और समझाने की जरूरत है। मसलन, फायदे वाला मानस आता कहां से है। क्या समाज में लोग हमेशा से हर काम फायदे को देख कर करते रहे हैं? यह सवल पूछा जा सकता है। इस पर जवाब लिए जा सकते हैं। हो सकता है कुछ लोग धार्मिक कामों का उदाहरण दें, जैसे सड़क पर प्याऊ लगवाना धर्मार्थ काम था जिसमें लोग फायदा नहीं देखते थे। इस पर प्रतिवाद भी आ सकता है कि लोग अपना स्वर्ग सुधारने के लिए ऐसे धर्मार्थ काम करते थे। फिर बात धर्म के भीतर लोभ और भय के रिश्ते तक जा सकती है, कि ऐसे करो तो स्वर्ग मिलेगा और नहीं करोगे तो नर्क। संगठित धर्म के भीतर लोभ और भय का यह रिश्ता फायदे पर ही केंद्रित था। इसी तरह, समूचा पूंजीवाद फायदे की प्रणाली है। फायदा नहीं होगा तो कोई व्यापार क्यों करेगा। यानी संगठित धर्म और पूंजी दोनों के केंद्र में फायदा है। इन्हीं दोनों ने पिछले दो सौ साल में समाज को गढ़ने का काम किया है। इसीलिए आम आदमी का दिमाग फायदे से चलता है।

जब तक हम अपने समाज का इतिहास नहीं समझेंगे, तब तक आदमी के दिमाग की बनावट और उसकी चिंतन प्रक्रिया को भी नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए वर्तमान में हस्तक्षेप करने के लिए समाज के इतिहास को जानना जरूरी है।

प्रशिक्षक डीब्रीफिंग

प्रशिक्षक चर्चाओं के आधार पर बिंदुवार समीक्षा करते हुए आगामी सत्रों के महत्व को बताएगा। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, आगामी सत्र प्रतिभागियों में इतिहासबोध को विकसित करने पर केंद्रित हैं। चूंकि सभी प्रतिभागी अलग-अलग उम्र के हैं और सभी का इतिहासबोध भी उसी के हिसाब से अलग-अलग है, तो सबको एक सम पर लाने के लिए इतिहास में जाना बहुत आवश्यक है ताकि समूह में वस्तुगत ज्ञान के बीच कोई फांक न रह जाए, कोई गैर-बराबरी न रह जाए।

जैसा कि हमने अब तक जाना है, स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुत्व के चारों संवैधानिक मूल्यों की एक प्राचीनता और ऐतिहासिकता है। यही चारों सार्वभौमिक मानवीय मूल्य भी हैं। यही शिक्षा हमें सारे धर्म दर्शन भी देते हैं। यही एक आदर्श समाज बनाने के मूल्य भी

हैं। पांच हजार साल की यात्रा है इन मूल्यों की हमारे समाज में, लेकिन अलग-अलग देशों के आधुनिक राष्ट्र-राज्य बनने के बाद ही ये मूल्य संहिताबद्ध होकर देशों के संविधान का हिस्सा बने।

यानी, सार्वभौमिकता से इन मूल्यों ने राष्ट्रीयता तक की लंबी यात्रा संपन्न की है। यह यात्रा बहुत उथल-पुथल भरी रही है। बीच-बीच में ऐसे अनेक मौके आए हैं इस दुनिया में जब इन मूल्यों को या तो नकार दिया गया या फिर इनके हक में लड़ाइयां हुईं। पूरी दुनिया के इतिहास को देखें, तो दरअसल इन मूल्यों के हक में या विरोध में होने वाली जंग में इस दुनिया को समेटा जा सकता है। इसलिए हमें अतीत को समझना जरूरी है कि कैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक घटनाएं मूल्यों को बनाती-बिगाड़ती हैं। मूल्यों के बनने-बिगड़ने की यह ऐतिहासिक प्रक्रिया व्यक्तिगत नहीं, सामूहिक होती है। अलग-अलग घटनाओं से लोग साथ आते हैं, समूह बनाते हैं या समूह बिखर जाते हैं। यह दोनों ढंग से काम करता है।

समाज में मौजूद परिस्थितियां लोगों के एकीकरण में सहायक होती हैं। परिस्थितियां और कारण लोगों को जब एक साथ लाते हैं, तो लोग अपनी-अपनी परिस्थितियों से निकलने के लिए अलग-अलग तरह की कार्रवाइयां करते हैं। ऐसी सकारात्मक सामूहिक कार्रवाइयों से आंदोलन जन्म लेते हैं। जैसे हमारी आजादी का आंदोलन, जिसने अंतत: अपना लक्ष्य प्राप्त किया। आजादी के आंदोलन में लोग जिन मूल्यों के चलते साथ आए और इस आंदोलन से जिन मूल्यों की स्थापना समाज में हुई, उन्हीं को भारतीय राज्य के निर्माण के लिए संविधान में महत्ता दी गई। ये मूल्य हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के सबक की तरह हैं।

आगामी सत्रों में हम बीते दो सौ वर्षों पर रोशनी डालेंगे और समाज के बनने-बिगड़ने के साथ मूल्यों की विकास-यात्रा को समझने की कोशिश करेंगे। अगले छह सत्र इसी पर केंद्रित हैं और तकरीबन सभी का खाका एक जैसा है, सिवाय कालखंड के। हम अलग-अलग कालखंडों को अलग-अलग सत्रों में देखेंगे और समझेंगे। इसकी शुरुआत हम आजादी के आंदोलन पर एक गतिविधि से करेंगे।

सत्र 10 - 15

इतिहासबोध के तीन आयाम

छह सत्रों का खाका

सत्र 10

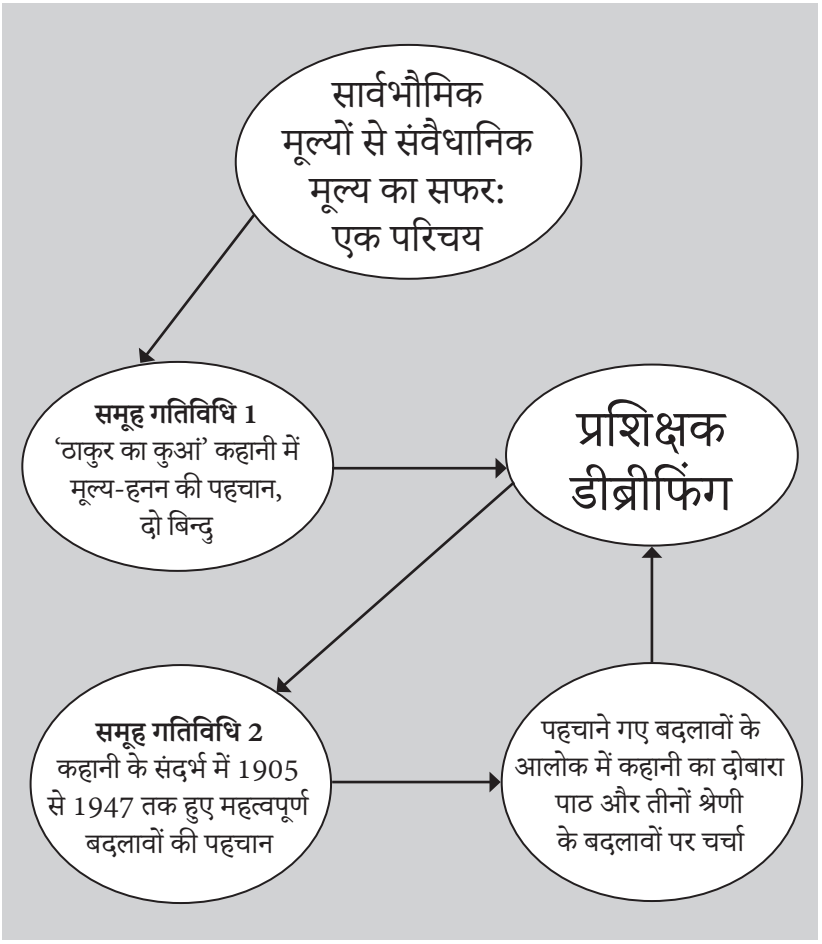

सत्र संचालन

हमने अपने अनुभवों और अवकाश कार्य से यह जाना कि संवधिान में वर्णित मूल्य हमारे लिए आदर्श हैं जो ज्यादातर रोजमर्रा के जीवन में सहज देखने को नहीं मिलते। इसीलिए संविधान बनाने वालों ने इन मूल्यों को प्राप्त करने का आदर्श रखा था। सवाल उठता है कि यदि ये मूल्य हमारे भीतर ही हैं और हमारे अपने अनुभवों व अनुभूतियों से ही सृजित होते हैं, तो ये समाज में क्यों नहीं दिखते?

इसके लिए यह समझना जरूरी है कि समाज को चलाने वाली ताकतें कौन सी हैं। केवल व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह ही समाज को संचालित नहीं करता है। हर समाज की अपनी एक ऐतिहासिक बुनावट होती है। उस ऐतिहासिक बुनावट के हिसाब से समाज का मनोविज्ञान काम करता है। हर समाज को समझना तो इतना आसान नहीं है, लेकिन हम भारतीय समाज पर खुद को केंद्रित कर के कम से कम अपने समाज की बेहतर समझ जरूर कायम कर सकते हैं। हमारे अगले छह सत्र इसी को समर्पित होंगे।

भारतीय समाज की खासियत यह है कि यह समाज समूह/समुदाय आधारित समाज रहा है। इसलिए यह सामाजिक मूल्यों को प्राथमिक मानता है। यहां व्यक्तिगत कुछ भी नहीं रहा है।

इसे ऐसे भी समझ सकते है- जिस तरह समूह से सामूहिक/सामाजिक मूल्य पैदा होते हैं वैसे ही सामूहिक मूल्यों से राष्ट्रीय आंदोलन (1905 से 1947) पैदा हुआ जिसने संवैधानिक मूल्यों की पुष्टि की और सार्वभौमिक मूल्यों को संविधान की प्रस्तावना में जगह दिलवा दी।

आजादी की लड़ाई के बाद राष्ट्र निर्माताओं ने आजादी की लड़ाई की सभी अच्छाइयों को एक जगह स्थापित किया। समाज में अच्छे मूल्य स्थापित करने की जो लड़ाई चली, वही संविधान के तौर पर हमारे सामने है, लेकिन इन मूल्यों को टिकाए रखने के लिए संविधान और मूल्यों पर काम करना पड़ता है। यदि काम नहीं करेंगे तो मूल्य टूट जाते हैं, समूह बिखर जाते हैं, संविधान नाकाम हो जाता है और राष्ट्र विफल हो जाते हैं।

सार्वभौमिक मूल्यों के संवैधानिक मूल्य बनने की यात्रा को समझने के लिए हम एक छोटा सा अभ्यास करेंगे, जिसके माध्यम से हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि समूह कैसे और क्यों बनते हैं, उन्हें एक मंजिल तक कैसे पंहुचाया जाता है और इनसे सबक कैसे लिया जाता है।

गतिविधि 1

प्रशिक्षक सभी प्रतिभागियों को प्रेमचंद की लिखी कहानी 'ठाकुर का कुआं' बांटेगा (सत्र 10, गतिविधि 1 का अनुलग्नक देखें)।

दी गई कहानी को पढ़कर निम्न बिंदु छांटिए-

- सामाजिक बुराइयां।
- संवैधानिक मूल्यों की पहचान (चाहे जिस भी रूप में वे आ रहे हों, पुष्टि या हनन दोनों के स्तर पर)।

प्रशिक्षक ध्यान दें

प्रशिक्षक इस अभ्यास कार्य के लिए प्रतिभागियों को छोटे समूहों में बांटेगा (पांच से आठ के बीच)। प्रशिक्षक यह स्पष्ट करेगा कि यह कहानी 1932 में छपी थी, इसलिए इस कहानी को उसी दौर के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए। इस अभ्यास कार्य के लिए एक घंटे का समय निर्धारित किया जा सकता है।

नियत समय के बाद समूहों की प्रस्तुति होगी। उसमें जो बिंदु निकल कर आएंगे, उन्हें प्रशिक्षक बोर्ड पर लिखेगा।

उदाहरण के लिए, कुछ ऐसे बिंदु निकल कर आ सकते हैं-

- जातिवाद
- गरिमापूर्ण जीवन का अभाव
- सामाजिक-धार्मिक अन्याय
- लैंगिक शोषण
- सामंतवाद
- बेगारी
- शैक्षणिक असमानता
- संसाधनों का असमान बंटवारा

प्रशिक्षक ये बिंदु प्रतिभागियों को नोट करने को कहेगा क्योंकि इन बिंदुओं की जरूरत अगले अभ्यास में पड़ने वाली है।

गतिविधि 2

प्रशिक्षक 1905-1947 के बीच के इतिहास की कुछ झलकियों की एक सूची प्रतिभागी समूहों में बांटेगा (सत्र 10 गतिविधि 2 का अनुलग्नक देखें)। पिछले अभ्यास में कहानी में पहचाने गए तत्वों के अनुकूल इस घटनाक्रम सूची में से वे घटनाएं छांटनी होंगी, जो सामाजिक बदलाव की प्रक्रिया को दर्शाती हैं।

इस अभ्यास के लिए पौन घंटे का समय दिया जाएगा, हालांकि कहानी के हिसाब से घटनाओं पर चर्चा करने और घटनाक्रम को छांटने की पूरी प्रक्रिया में उससे ज्यादा समय लग सकता है। प्रशिक्षक प्रतिभागियों को इस गतिविधि का महत्व समझाते हुए कहेगा कि अगले सत्र से शुरू कर के पांच कालखंडों में एक के बाद एक चूंकि यही काम करना है, इसलिए प्रक्रिया को समझने के लिए यह अभ्यास बहुत आवश्यक है। इस अभ्यास के आरंभ में प्रतिभागियों को भ्रम होगा, इसलिए प्रशिक्षक को लगातार उनका सहयोग करना होगा।

नियत समय के बाद समूहों की प्रस्तुति होगी। उसके बिंदु समूहवार प्रशिक्षक नोट करेगा।

उदाहरण के लिए, एक ऐसा खाका बनकर आ सकता है-

कहानी के तत्व	समकालीन ऐतिहासिक घटनाएं
छुआछूत	1932 हरिजन संघ की स्थापनाए 1917 नायकर का जाति विरोधी आंदोलन
महिला शोषण/यौन हिंसा	1927 विमेन कांग्रेस
भ्रष्टाचार	1934 जमीदारों को खुश करने की कोशिश
बेगारी	1922 मजदूरों की हड़ताल, 1925 मजदूर-किसान पार्टी की स्थापना
जातिगत और सामाजिक उत्पीड़न	1914 का भील विद्रोह
गुलामी	1919 का रोलेट एक्ट

प्रशिक्षक को यह बताना होगा कि इस अभ्यास के माध्यम से हम एक ही कालखंड में रचे जा रहे साहित्य और समाज में हो रहे बदलाव की सुसंगतता को स्थापित कर रहे हैं। इससे यह समझ में आता है कि समाज में व्यापक स्तर पर जिन मूल्यों के लिए लड़ाई चलती है, व्यक्ति (रचनाकार, कलाकार, समाजकर्मी) की चेतना भी उन्हीं मूल्यों के इर्द-गिर्द सोचती और रचती है।

प्रशिक्षक डीब्रीफिंग

प्रतिभागियों ने जिन घटनाओं को छांट कर निकाला है, अगर ध्यान से देखें तो ये घटनाएं तीन तरह की हैं- या तो वे प्राथमिक रूप से राजनीतिक घटनाएं हैं, जैसे सामाजिक-राजनीतिक प्रश्न पर आंदोलन, विद्रोह, आदि; या फिर वे मूलत: आर्थिक परिघटनाएं हैं, जैसे जमींदारों के हित की नीतियां, मजदूरों-किसानों का एकजुट होना, हड़ताल करना; या फिर संस्थानिक घटनाएं हैं, जैसे मजदूर-किसान पार्टी का बनना, विमेन कांग्रेस का बनना, हरिजन संघ की स्थापना, और रोलेट एक्ट का आना, जो दरअसल कानून अनुपालक संस्था के विकास से जुड़ी बात है।

हमारे समाज में मौजूद प्रवृत्तियों, अन्यायों, असमानताओं, अप्रिय चीजों की जन प्रतिक्रिया में या फिर राज करने वालों की ओर से समाज पर नियंत्रण के लिए जो अहम घटनाक्रम होते हैं, वे इन्हीं तीन श्रेणियों में बांटे जा सकते हैं- राजनीतिक घटनाएं, आर्थिक घटनाएं और संस्थानिक घटनाएं। वैसे, सांस्कृतिक घटनाएं भी होती हैं, लेकिन उनकी पहचान उतनी स्पष्ट नहीं होती। जैसे, प्रगतिशील लेखक संघ और इप्टा का गठन सांस्कृतिक घटना मानी जा सकती है, लेकिन दरअसल ये संस्थानिक की श्रेणी में आएंगी क्योंकि यहां लोकतांत्रिक संस्था का गठन हो रहा है जिसका कार्यभार सांस्कृतिक है।

हर दौर में समाज के मूल्य ऐसी ही घटनाओं के दबाव में बनते-बिगड़ते हैं। यानी, समाज

और व्यक्ति के मूल्यों को राजनीति, आर्थिक और संस्थागत प्रक्रियाएं मिलकर तय करती हैं। यदि हमें अपने समय की इन तीनों प्रक्रियाओं की साफ-साफ पहचान हो, तो हमें अपने दौर के मूल्यों की पहचान स्पष्ट हो सकेगी। फिर हम ये भी जान पाएंगे कि मूल्यों में व्यापक बदलाव के लिए राजनीतिक, आर्थिक और संस्थाओं के मोर्चे पर क्या-क्या किया जाना चाहिए।

आगामी पांच सत्रों में हम अलग-अलग कालखंड के ऐतिहासिक घटनाक्रम को इन्हीं तीन आयामों में बांट कर देखेंगे और हर दौर में होने वाले राजनीतिक, आर्थिक और संस्थानिक बदलावों के दबाव में मूल्यों के बनने-बिगड़ने को पहचानने की कोशिश करेंगे।

सत्र 11

रेनेसां से गदर तक 1679-1857

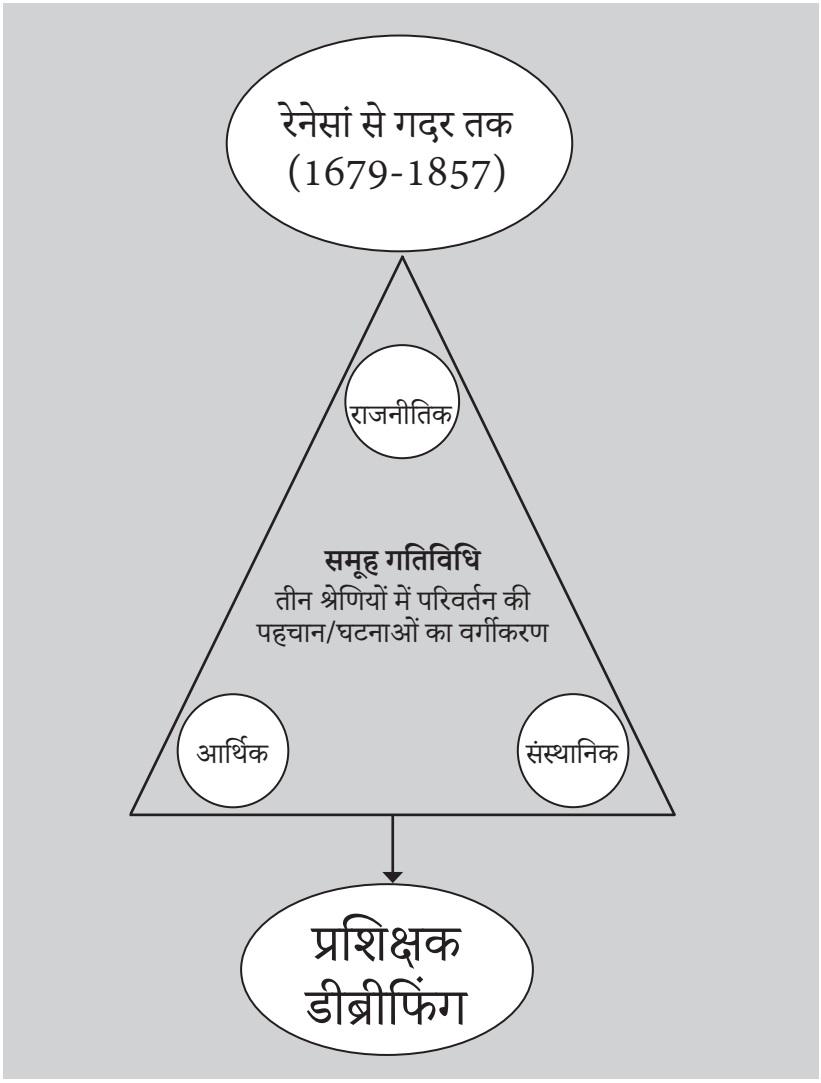

सत्र संचालन

पिछले सत्र के सीखे प्रमुख सबक को बिंदुवार दुहराने के बाद प्रशिक्षक प्रतिभागियों को सीधे गतिविधि के लिए रेनेसां से गदर तक यानी करीब डेढ़ सौ साल की ऐतिहासिक झलकियों की एक सूची देगा ('सत्र 11 की गतिविधि' का अनुलग्नतक देखें)।

गतिविधि 1

इस गतिविधि के लिए प्रतिभागियों के तीन बड़े समूह (आठ से दस के बीच) बनाने हैं। प्रत्येक समूह को दी गई सूची के घटनाक्रम को तीन श्रेणियों में विभाजित करना है-

- राजनीतिक घटनाक्रम
- आर्थिक घटनाक्रम
- संस्थानिक घटनाक्रम

एक चार्ट पेपर पर हर समूह को तीन खाने बनाकर घटनाओं को तीन श्रेणियों में दर्ज करना है। इस अभ्यास के लिए एक घंटे का समय दिया जा सकता है।

समय पूरा होने के बाद हर समूह को अपनी प्रस्तुति देनी है और चार्ट पेपर को बोर्ड पर सबके अवलोकन के लिए टांग देना है।

प्रशिक्षक ध्यान दें

प्रशिक्षक को तीनों चार्ट पेपर में समान परिणामों और भिन्न परिणामों को अलग-अलग रंग के मार्कर से चिह्नित करना है। फिर बोर्ड पर उन घटनाओं को दर्ज कर देना है जिनके बारे में समूहों की राय अलग है।

एक-एक कर के उन घटनाओं पर समूहों के बीच चर्चा करवानी है कि क्या सोचकर उन्होंने उक्त घटना को उक्त श्रेणी में डाला। प्रत्येक समूह, श्रेणी चयन के लिए अपने-अपने तर्क देगा। इस तरह बहस खुलेगी और आगे बढ़ेगी।

कुछ ऐसी घटनाएं सामने आ सकती हैं जिन पर विवाद हो कि वे आर्थिक हैं, राजनीतिक हैं या संस्थानिक। ऐसे विवाद वाले मामलों को अलग से बोर्ड पर लिख देना है। उन पर भी चर्चा करनी है।

प्रशिक्षक के लिए यह अनिवार्य नहीं है कि वह हर एक विवादित प्रविष्टि का अंतिम जवाब अपनी ओर से बतावे। ज्यादा जरूरी यह है कि समूह एक-दूसरे के तर्कों का सम्मान करते हुए परस्पर समझदारी से मामले को हल कर लें या अपने-अपने चयन के साथ ही कायम रहें। ऐसे मामलों में इतिहास तय करता है कि कोई घटना अपने समय में मूलत: आर्थिक थी, संस्थानिक थी या राजनीतिक। जरूरी नहीं है कि हर घटना का मूल चरित्र उसी वक्त स्पष्ट हो जाए। इतिहास के परिणामों में झांकने से ज्यादा समझ में आता है कि कौन सी घटना का असल चरित्र क्या था।

इसलिए विवादित घटनाओं पर चर्चा को विराम देने के लिए आज की तारीख में घटनाओं

के दीर्घ परिणाम को जांचें और फिर उन पर अंतिम फैसला लें।

प्रशिक्षक डीब्रीफिंग

सभी बिंदुओं पर चर्चा करने के बाद प्रशिक्षक समूचे कालखंड की मुख्य प्रवृत्तियों पर अपनी टिप्पणी करेगा।

प्रस्तुत कालखंड (रेनेसां से गदर तक) की पृष्ठभूमि पर भी संक्षेप में प्रकाश डालना होगा।

लोकतंत्र और गणराज्य के सिद्धांतों पर प्रकाश डालते हुए यह बताया जा सकता है कि प्लेटो के पास गणराज्य का विचार था, लेकिन उनका विचार प्रतिनिधित्व केंद्रित था। प्लेटो के गणतंत्र में महिलाओं की कोई जगह नहीं थी। रोमन सभ्यता को बहुत सभ्य माना जाता था, लेकिन यह ज्ञात है कि गुलामी से शुरू होकर रोमन सभ्यता में क्रूर विशेषताएं भी निहित थीं। अभिजात्यों के मनोरंजन के लिए गुलामों की जानलेवा लड़ाई, जानवरों से लड़ने के लिए उन्हें मजबूर किया जाना, आदि शामिल था। कुलीनों ने दिखाया कि रोमन सभ्यता में सार्वभौमिक मानवीय मूल्य मौजूद नहीं थे।

उस समय सार्वभौमिक मूल्य, जैसे समानता का विचार भारत में मौजूद था। इसके समर्थन में बुद्ध का उदाहरण दिया जा सकता है, जिन्होंने जातिवाद या जातिवादी प्रथाओं के खिलाफ शिक्षा दी। बुद्ध ने ईसा से पहले जाति-विरोधी विचारों का नेतृत्व किया था। उन्होंने तथाकथित निम्न जाति के लोगों से अपील की। वह यह संदेश भी फैला रहे थे कि मृत्यु के बाद पुनर्जन्म नहीं होता है।

यहीं से इस बात को उठाया जा सकता है कि सभी धर्म शोषणकारी और अन्यायपूर्ण मौजूदा प्रणालियों के विरोध के रूप में उभरे हैं। ईसाई धर्म यहूदी धर्म के अपमानजनक नियमों की थीसिस के रूप में उभरा और इस्लाम खानाबदोश, झगड़ालू अरब जनजातियों के बीच प्रतिरोध के तौर पर उभरा। इस्लाम ने सबसे पहला संविधान दुनिया को दिया जिसे मदीना कांस्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। सिख धर्म का भी उदाहरण है जो बहुदेववाद की अवधारणा और जाति-आधारित भेदभावपूर्ण प्रथाओं के खिलाफ उभरा।

इस तरह हम पाते हैं कि सार्वभौमिक मूल्यों की पहली उपज धर्मों में हुई। इसीलिए धर्म आधारित लड़ाइयां दुनिया में सबसे पुरानी हैं जो आज तक जारी हैं। इस मामले में भारत हमेशा से ही विभिन्न संस्कृतियों के विलय और आत्मसात किए जाने का स्थान रहा है। इसने लोगों को प्रत्येक समूह की अच्छी प्रथाओं को अपनाने और एक शांतिपूर्ण समाज का नेतृत्व करने का अवसर प्रदान किया।

रेनेसां और औद्योगिक क्रांति के बाद हुए भारत के औपनिवेशीकरण ने यहां सत्ता की गति में बदलाव किया। बाद में सांप्रदायिक विभाजन ने भारतीय समाज की समन्वयवादी विशिष्टता से छेड़छाड़ की। 1857 का गदर और उसके बाद की कहानी इसी सांप्रदायिक विभाजन की कहानी है।

सत्र 12

गदर से आजादी तक (1857-1947)

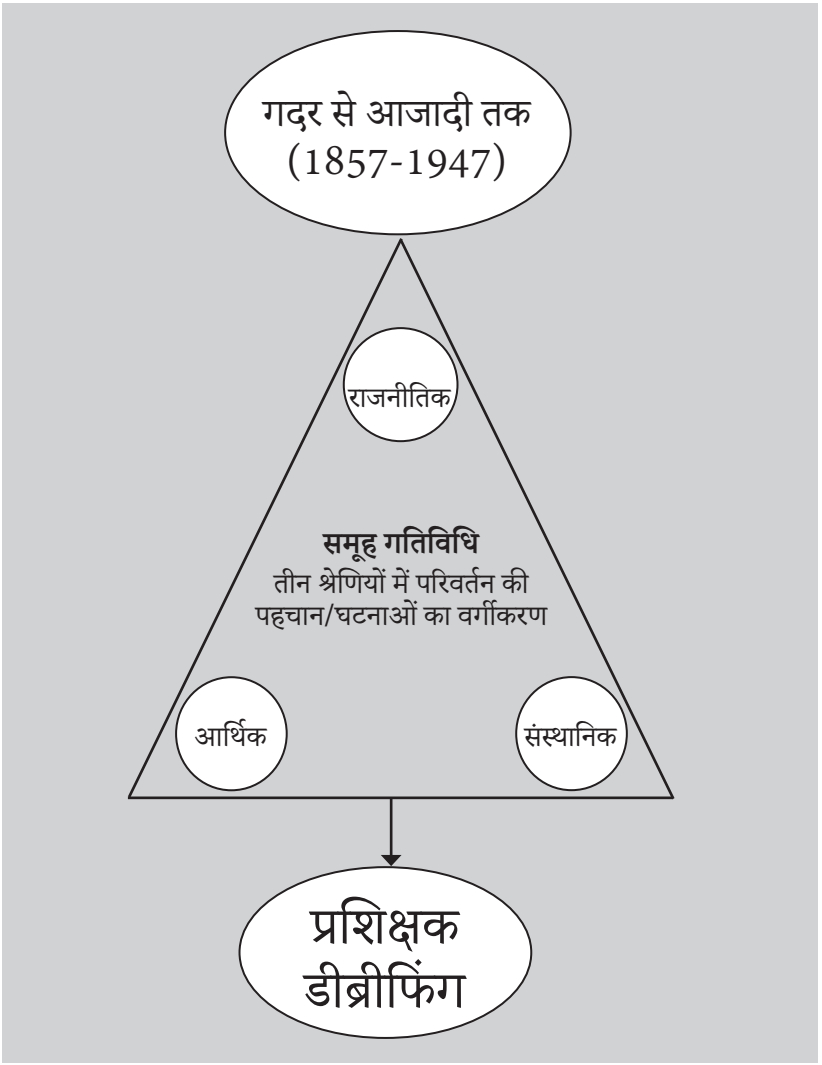

सत्र संचालन

पिछले सत्र में रेनेसां से गदर तक के कालखंड के प्रमुख बिंदु दुहराने के बाद प्रशिक्षक प्रतिभागियों को गतिविधि के लिए गदर से स्वतंत्रता तक यानी करीब सौ साल की ऐतिहासिक झलकियों की एक सूची देगा ('सत्र 12 की गतिविधि' का अनुलग्नक देखें)।

गतिविधि 1

इस गतिविधि के लिए प्रतिभागियों के तीन बड़े समूह बनाने हैं या फिर उन्हीं पुराने समूहों में अभ्यास कार्य दे देना है। प्रत्यक समूह को दी गई सूची के घटनाक्रम को तीन श्रेणियों में विभाजित करना है-

- राजनीतिक घटनाक्रम
- आर्थिक घटनाक्रम
- संस्थानिक घटनाक्रम

एक चार्ट पेपर पर हर समूह को तीन खाने बनाकर घटनाओं को तीन श्रेणियों में दर्ज करना है। इस अभ्यास के लिए एक घंटे का समय दिया जा सकता है।

समय पूरा होने के बाद हर समूह को अपनी प्रस्तुति देनी है और चार्ट पेपर को बोर्ड पर सबके अवलोकन के लिए टांग देना है।

प्रशिक्षक ध्यान दें

प्रशिक्षक को तीनों चार्ट पेपर में समान परिणामों और भिन्न परिणामों को अलग-अलग रंग के मार्कर से चिह्नित करना है। फिर बोर्ड पर उन घटनाओं को दर्ज कर देना है जिनके बारे में समूहों की राय अलग है।

एक-एक कर के उन घटनाओं पर समूहों के बीच चर्चा करवानी है कि क्या सोचकर उन्होंने उक्त घटना को उक्त श्रेणी में डाला। प्रत्येक समूह, श्रेणी चयन के लिए अपने-अपने तर्क देगा। इस तरह बहस खुलेगी और आगे बढ़ेगी।

कुछ ऐसी घटनाएं सामने आ सकती हैं जिन पर विवाद हो कि वे आर्थिक हैं, राजनीतिक हैं या संस्थानिक। ऐसे विवाद वाले मामलों को अलग से बोर्ड पर लिख देना है। उन पर भी चर्चा करनी है।

प्रशिक्षक के लिए यह अनिवार्य नहीं है कि वह हर एक विवादित प्रविष्टि का अंतिम जवाब अपनी ओर से बतावे। ज्यादा जरूरी यह है कि समूह एक-दूसरे के तर्कों का सम्मान करते हुए परस्पर समझदारी से मामले को हल कर लें या अपने-अपने चयन के साथ ही कायम रहें। ऐसे मामलों में इतिहास तय करता है कि कोई घटना अपने समय में मूलत: आर्थिक थी, संस्थानिक थी या राजनीतिक। जरूरी नहीं है कि हर घटना का मूल चरित्र उसी वक्त स्पष्ट हो जाए। इतिहास के परिणामों में झांकने से ज्यादा समझ में आता है कि कौन सी घटना का असल चरित्र क्या था।

इसलिए विवादित घटनाओं पर चर्चा को विराम देने के लिए आज की तारीख में घटनाओं के दीर्घ परिणाम को जांचें और फिर उन पर अंतिम फैसला लें।

प्रशिक्षक डीब्रीफिंग

प्रशिक्षक कुछ अहम बिंदुओं पर विस्तृत टिप्पणी कर सकता है। उदाहरण के लिए ये घटनाएं हैं-

- बंकिम चंद्र चटर्जी का आनंद मठ
- कांग्रेस की स्थापना
- गांधी की देश वापसी
- मुस्लिम लीग की स्थापना
- हिंदू महासभा का गठन
- 1905 का बंगाल विभाजन
- राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना
- प्रेस एक्ट
- स्थायी बंदोबस्ती
- प्रथम विश्व युद्ध
- बॉम्बे प्लान
- हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग का साथ चुनाव लड़ना
- देश विभाजन
- भारत में सत्ता हस्तांतरण

शुरुआत यहां से की जा सकती है कि अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह से सबक सीखा था। इस विद्रोह के नेताओं और हिंदू राजाओं ने मुग़ल बादशाह बहादुरशाह जफर से नेतृत्व का आग्रह किया, जिसे बहादुरशाह जफर ने स्वीकार कर लिया। विद्रोह में हिंदू और मुसलमानों ने कंधे से कंधा मिला कर संघर्ष किया।

इसी एकता को तोड़ने के लिए लॉर्ड कर्जन की नियुक्ति विशेष रूप से की गई थी, जिसकी परिणति बंगाल विभाजन के रूप में हुई। अंग्रेजों द्वारा की जा रही सांप्रदायिक राजनीति के परिणामस्वरूप 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हुआ और इसके प्रतिवाद स्वंरूप 1908 में पंजाब में हिंदू महासभा का गठन हुआ बाद में पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1915 में हिंदू सभा को अखिल भारतीय हिंदू महासभा का स्वरूप दिया। 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गठन हुआ। इन घटनाओं को राजनीतिक घटनाक्रम के रूप में देखा गया। ब्रिटिश शासन द्वारा चलाई जाने वाली सांप्रदायिक राजनीति भारत के भविष्य में स्थायी घाव की तरह सामने आई।

मौजूदा समय में जब भारत के ऐतिहासिक सह-अस्तित्व और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के खिलाफ सांप्रदायिक ध्रुवीकरण किया जा रहा है, भारत की साझा और सहिष्णु संस्कृति के अतीत के

बारे में जानना और लोगों को इससे शिक्षित कराना प्रतिभागियों की जिम्मेदारी है। अतीत को जानने से हमें भारत की साझा संस्कृति, ऐतिहासिक साक्ष्यों और तथ्यों के माध्यम से विभाजनकारी ताकतों को समझने और उनका मुकाबला करने के लिए शक्ति मिलती है।

इस प्रक्रिया में प्राचीन काल से भारतीय समाज में विद्यमान समानताओं की पहचान करना भी आवश्यक है। ऋग्वेद से शुरू होकर बुद्ध का दर्शन, अशोक के साम्राज्य का विस्तार, शकों, हूणों, मुगलों का प्रवेश और भारतीय उपमहाद्वीप के राज्यों से प्रतिरोध, मुगलों का हिंदू राजाओं को स्वीकार करना, 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह, सहिष्णुता, परोपकार, करुणा, सहमति, साझा मूल्य थे। देश में पहले से मौजूद विभिन्न धर्मों के कई समान मूल्य न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की आधुनिक अवधारणाओं में भी प्रतिबिंबित होते हैं जो यूरोपीय पुनर्जागरण के दौरान उभरे और बाद में भारतीय संविधान की भावना बन गए।

आजादी के बाद संविधान निर्माण, संविधान सभा की बहसें और आगे के कुछ दशकों तक चली राजनीति पर हम अगले सत्र में अभ्यास करेंगे।

सत्र 13

आजादी से इमरजेंसी तक (1857-1947)

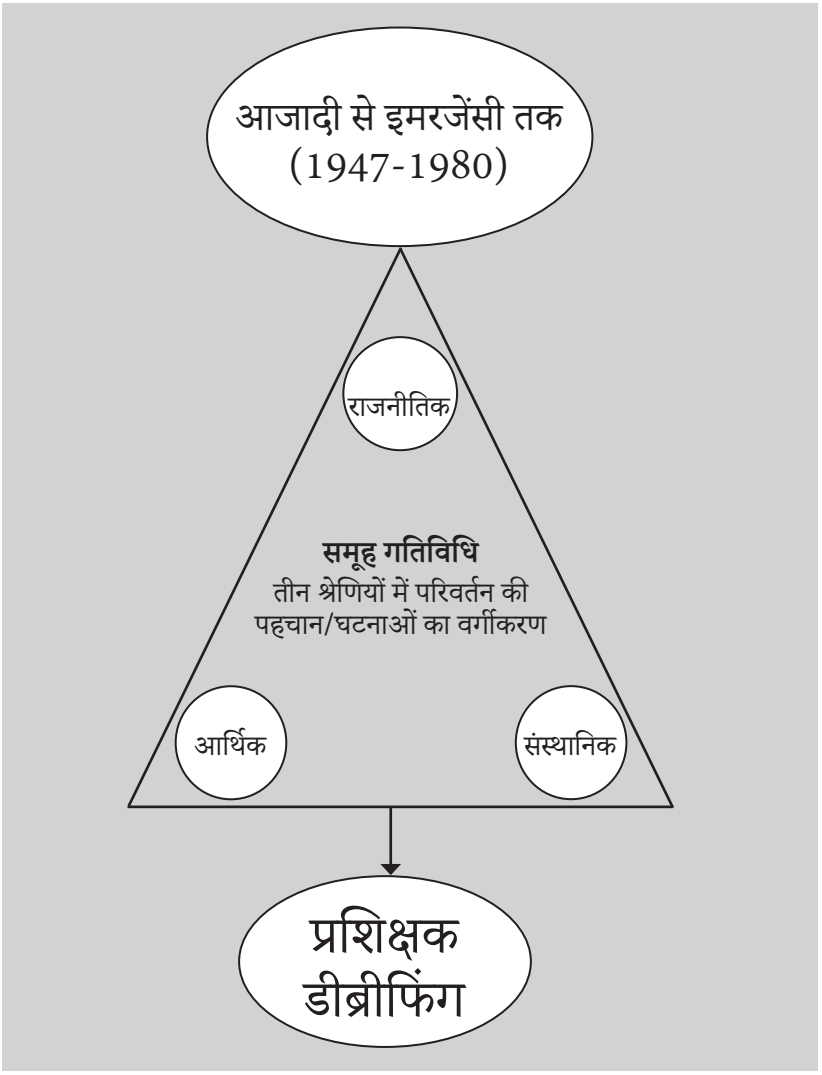

सत्र संचालन

पिछले सत्र में गदर से आजादी तक के कालखंड के प्रमुख बिंदु दुहराने के बाद प्रशिक्षक प्रतिभागियों को गतिविधि के लिए स्वतंत्रता से इमरजेंसी तक यानी करीब तीन दशक की ऐतिहासिक झलकियों की एक सूची देगा ('सत्र 13 की गतिविधि' का अनुलग्नक देखें)।

गतिविधि 1

इस गतिविधि के लिए प्रतिभागियों के तीन बड़े समूह बनाने हैं या फिर उन्हीं पुराने समूहों में अभ्यास कार्य दे देना है। प्रत्ये क समूह को दी गई सूची के घटनाक्रम को तीन श्रेणियों में विभाजित करना है:

- राजनीतिक घटनाक्रम
- आर्थिक घटनाक्रम
- संस्थानिक घटनाक्रम

एक चार्ट पेपर पर हर समूह को तीन खाने बनाकर घटनाओं को तीन श्रेणियों में दर्ज करना है। इस अभ्यास के लिए एक घंटे का समय दिया जा सकता है।

समय पूरा होने के बाद हर समूह को अपनी प्रस्तुति देनी है और चार्ट पेपर को बोर्ड पर सबके अवलोकन के लिए टांग देना है।

प्रशिक्षक ध्यान दें

प्रशिक्षक को तीनों चार्ट पेपर में समान परिणामों और भिन्न परिणामों को अलग-अलग रंग के मार्कर से चिह्नित करना है। फिर बोर्ड पर उन घटनाओं को दर्ज कर देना है जिनके बारे में समूहों की राय अलग है।

एक-एक कर के उन घटनाओं पर समूहों के बीच चर्चा करवानी है कि क्या सोचकर उन्होंने उक्त घटना को उक्त श्रेणी में डाला। प्रत्येक समूह श्रेणी चयन के लिए अपने-अपने तर्क देगा। इस तरह बहस खुलेगी और आगे बढ़ेगी।

कुछ ऐसी घटनाएं सामने आ सकती हैं जिन पर विवाद हो कि वे आर्थिक हैं, राजनीतिक हैं या संस्थानिक । ऐसे विवाद वाले मामलों को अलग से बोर्ड पर लिख देना है। उन पर भी चर्चा करनी है।

प्रशिक्षक के लिए यह अनिवार्य नहीं है कि वह हर एक विवादित प्रविष्टि का अंतिम जवाब अपनी ओर से बतावे। ज्यादा जरूरी यह है कि समूह एक-दूसरे के तर्कों का सम्मान करते हुए परस्पर समझदारी से मामले को हल कर लें या अपने-अपने चयन के साथ ही कायम रहें। ऐसे मामलों में इतिहास तय करता है कि कोई घटना अपने समय में मूलत: आर्थिक थी, संस्थानिक थी या राजनीतिक। जरूरी नहीं है कि हर घटना का मूल चरित्र उसी वक्त स्पष्ट हो जाए। इतिहास के परिणामों में झांकने से ज्यादा समझ में आता है कि कौन सी घटना का असल चरित्र क्या था।

इसलिए विवादित घटनाओं पर चर्चा को विराम देने के लिए आज की तारीख में घटनाओं के दीर्घ परिणाम को जांचें और फिर उन पर अंतिम फैसला लें।

प्रशिक्षक डीब्रीफिंग

चूंकि समीक्षाधीन अवधि 1948 से 1980 के बीच की है, तो कुछ घटनाओं पर विस्तार से चर्चा की जा सकती है-

- गांधी की हत्या
- संविधान सभा की बहसें
- नक्सलबाड़ी का विद्रोह
- भारत-चीन और भारत-पाकिस्तान युद्ध
- राज्यों का पुनर्गठन और नागरिक राष्ट्रवाद से समावेशी राष्ट्रवाद तक संक्रमण
- इमरजेंसी
- जनसंघ का गठन
- इंदिरा गांधी की वापसी

संविधान सभा की बहसों में मोटे तौर से सेकुलर और सोशलिस्ट पर हुई बहस और इन्हें न जोड़े जाने के तर्क-वितर्क को सामने रखा जाना चाहिए। आखिर क्या परिस्थितियां रहीं कि तीन दशक बाद इंदिरा गांधी को ये दोनों शब्द संविधान में जोड़ने पड़े।

इस संदर्भ में खासकर सेकुलरिज्म यानी पंथनिरपेक्षता के विशिष्ट भारतीय संदर्भ पर प्रकाश डालना जरूरी है। इसके लिए नागरिक राष्ट्रवाद की नेहरूवादी नीति से शुरुआत की जा सकती है। संक्षेप में इस संक्रमण को निम्नतर ढंग से समझाया जा सकता है।

यूरोप में बरसों चले धर्म युद्धों ने उसकी बहुलता और विविधता को नष्ट करके जिस तरीके का एकरंगा समाज गढ़ा, उसमें समुदाय नहीं बचे। बहुलता नष्ट हो गई। वहां राष्ट्र-राज्य के बनने के पीछे राज्य और चर्च के बीच की दूरी कायम करने की मजबूरी रही। इसीलिए वहां हुई उन्नीसवीं और बीसवीं सदी की महान क्रांतियों के बावजूद परिघटनाओं के केंद्र में व्यक्ति रहे, समुदाय नहीं, क्योंकि वहां समुदाय था ही नहीं। यही वजह है कि वहां समुदाय यानी कम्युनिटी को सिद्धांत में कृत्रिम रूप से गढ़ना पड़ा, जिसे कम्यूनन कहा गया। कह सकते हैं कि यूरोपीय समुदाय की अवधारणा एक राजनीतिक समुदाय की है। वहां राष्ट्र-राज्य की विचारधारा में पैकेज के तौर पर समुदाय का विचार आया। इसीलिए वहां व्यक्ति की महत्ता हमेशा रही। अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव इस उदाहरण का संगठित और व्यवस्थित उत्कर्ष है।

यूरोप के उलट, भारत सहित मोटे तौर से तमाम उपनिवेशिक देशों में विविधताओं का टोटा कभी नहीं था। यहां कभी धर्म युद्ध नहीं हुए क्योंकि यहां राज्य और धर्म को अलग करने का कोई सवाल ही नहीं था। सवाल इसलिए नहीं था क्योंकि जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं,

वह यूरोपीय चर्च की तरह संगठित और एकाश्म नहीं था। ईसाइयत और इस्लाम जैसे अब्राहमिक धर्म तो बहुत बाद में यहां आए। हिंदू या सनातन धर्म, पंथों का एक समुच्चय था। यहां कोई पोप नहीं था। शंकराचार्य भी एक नहीं था, एकाधिक थे। सारी धाराएं बरसों से परस्पर तनावों के बावजूद सह-अस्तित्व में थीं। जब अंग्रेज आए और 1857 के बाद उनकी कंपनी धीरे-धीरे राज में तब्दील होने लगी, तो उसकी आंच सबने अपने-अपने ढंग से महसूस की। सामुदायिक हितों के हिसाब से मोर्चेबंदी शुरू हुई। कुछ एकताएं बनीं, तो कुछ दरारें भी पैदा हुईं। संघर्ष हुआ। हमारे यहां इसे राष्ट्रीय आंदोलन इसलिए कहते हैं क्योंकि राष्ट्र-राज्य बनने से पहले राष्ट्र की जो भी मानसिक-मनोवैज्ञानिक परिकल्पनाएं रहीं (जिसे हम राष्ट्रवाद कहते हैं, जो सैयद इरफान हबीब के अनुसार भारत में ही कम से कम 14 किस्म के हैं), सबने माना कि हर समुदाय, समूह, समाज से लोगों ने संघर्ष में भागीदारी की थी। उपनिवेश-विरोध, स्वराज, आदि ने सबको एक सूत्र में बांध दिया था। ठीक इसी के बरअक्स देश दो हिस्सों में बंटा भी, जो 1857 के बाद पैदा हुई दरारों की परिणति था।

यह राष्ट्र-राज्य बनने के पूर्व की पहली विडंबना रही। ठीक उसी समय देश धार्मिक आधार पर बंटा, जब देश एक होकर लड़कर आजाद हुआ। यानी, तमाम समूह जिन पहचानों पर आधारित थे उनमें एक पहचान- धार्मिक पहचान सर्वोपरि हो गई। एक पहचान के सर्वोपरि होने के चलते बाकी पहचानें पार्श्व में चली गईं। सर्वोच्च पहचान से खुद को जोड़ने और अपने पहचाने जाने की एक नकली बाध्यता पैदा हुई।

जब राष्ट्र-राज्य बनाने की बारी आई, तो यह काम यूरोप जितना सरल नहीं था। कई गुना ज्यादा जटिल था। राष्ट्र-राज्य का मतलब होता है सब कुछ जोड़जाड़ कर 'एक' में पिरोना। चौदह किस्म के राष्ट्रवादों में से कौन सी धारा को भारतीय राष्ट्र-राज्य का वैचारिक आधार बनाया जाए, संविधान सभा की केंद्रीय बहस यही थी। हिंदू-मुस्लिम धार्मिक विभाजन के बावजूद चूंकि समाज मोटे तौर पर पंथों और समुदायों में बंटा था, लिहाजा हर समुदाय को एक करने वाला वह न्यूनतम तत्व क्या हो जिस पर सहमति बने, यह जानना आसान काम नहीं था। दूसरी ओर, हिंदू धार्मिक पहचान के आधार पर भी एकीकरण संभव नहीं था क्योंकि लोकतांत्रिक गणराज्य बनाना था, धार्मिक नहीं। इसके लिए नागरिक राष्ट्रवाद (सिविक नेशनलिज्म) का सरल नुस्खा अपना लिया गया। मायने, जो जैसा है वैसा रहे अपनी-अपनी पहचानों और आस्थाओं के साथ, बस इस राज्य का नागरिक हो जाए।

यह सरल तो था, लेकिन इसे टिका पाना लंबे समय तक मुमकिन नहीं हुआ क्योंकि समाज तो पहले से बंटा हुआ था और समुदायों के बीच व समुदायों के भीतर प्रभुत्व/वर्चस्व की प्रवृत्तियां भी मौजूद थीं। आजाद मुल्क होने के नाते ये प्रवृत्तियां अब और जोर मार रही थीं। जब भाषाई पहचानों ने जोर मारना शुरू किया और भाषाई क्षेत्र बनाए जाने की मांग उठी, तो नेहरू का नागरिक राष्ट्रवाद फेल हो गया। सबके आग्रहों को सुनना और समावेशित करना राज्य की मजबूरी बन गई। भाषा के आधार पर नए राज्य अंतत: बने। इस प्रक्रिया में राज्य की यह समझदारी पैदा हुई कि समावेश ही असल नुस्खा है जो सबको बिना जोर-जब्र के एक रहने को तैयार कर सकता है। इस समावेशी राष्ट्रवाद में दो बातें अंतर्निहित

थीं- पहली, समूहों, समुदायों, पंथों, संप्रदायों के बीच की वर्चस्ववादी प्रवृत्तियों और दूसरे, उनके भीतर की वर्चस्ववादी प्रवृत्तियों, दोनों से लड़ना राज्य की जिम्मेदारी होगी और राज्य इन सब से एक सैद्धांतिक दूरी बनाकर चलेगा, साथ ही ऐतिहासिक रूप से वंचित व कमजोर के लिए कुछ रियायतें भी देगा।

साठ के दशक में राष्ट्र-राज्य के ठोस तजुर्बों से आत्मसात किया गया यही समावेशी राष्ट्रवाद सत्तर के दशक में पंथनिरपेक्षता के रूप में संविधान के भीतर साकार होता है। यह एक ऐसा नुक्ता था, जो सुनिश्चित करता था कि भारतीय राष्ट्र-राज्य की अवधारणा और निर्माण का मूल आधार पंथ हैं, पंथ आधारित समुदाय हैं। यह विशिष्ट भारतीय सेकुलरिज्म था, जो हमारे ऐतिहासिक अनुभव से उपजा था। याद रखा जाना चाहिए कि इसके दो तत्व थे- समुदायों के भीतर पहचान आधारित वर्चस्वी के खिलाफ संघर्ष और समुदायों के बीच वर्चस्व के खिलाफ संघर्ष। यानी, भारतीय पंथनिरपेक्षता दो काम एक साथ कर रही थी- एक, समूहों के भीतर सुधार और दूसरे, उनके बीच में सौहार्द-निर्माण। जाहिर है, समूहों के भीतर वर्चस्व के दो मोटे आधार थे जातिगत और लैंगिक भेदभाव, इसलिए जाति और लिंग का प्रश्न हमारे यहां सेकुलरिज्म का अंश होने के नाते राज्य और समुदायों की जिम्मेदारी था।

अस्सी का दशक आते-आते वोट की राजनीति के चलते पंथनिरपेक्षता के सुधार वाले आयाम को राजनीतिक दलों ने एकदम से दरकिनार कर दिया। इसके बजाय, इन दलों ने समुदायों के भीतर जाति और लिंग के प्रश्न को जस का तस कायम रखते हुए समुदायों के उन सबसे प्रतिगामी व रूढ़ तत्वों के साथ अपने रिश्ते बनाए, जो खुद सामुदायिक सुधारों के विरोधी थे। इससे इन दलों को वोट लेने में आसानी हुई। जाहिर है, चूंकि आजादी के वक्त ही सबसे बड़ी पहचान धर्म की बन चुकी थी, तो राजनीतिक दलों ने धार्मिक समुदायों को सबसे पहले साधा। उसके बाद जातिगत समुदायों को साधा। उसके बाद जातीयताओं की बारी आई। इस तरह भारतीय सेकुलरिज्म दो धर्मों के बीच का सवाल बनकर रह गया। अब तो कोई यह बात भी नहीं करता कि जातिगत और लैंगिक भेदभाव का सवाल सेकुलरिज्म का सवाल है।

समीक्षित अवधि में हमारे लिए यही सवाल सबसे अहम है, आखिर कैसे सेकुलरिज्म के विशिष्ट भारतीय अर्थ की बहाली की जाए और हम सब अपने-अपने समुदायों के भीतर वर्चस्व और प्रभुत्व वाली प्रवृत्तियों के खिलाफ संघर्ष करने के लिए पहले अपने समुदायों के भीतर संवाद के माध्यम से कैसे अपनी स्वीकार्यता बनाएं।

आगामी सत्र में हम और आगे के तीन दशकों पर चर्चा करेंगे।

सत्र 14

आर्थिक मंदी की वापसी (1981-2009)

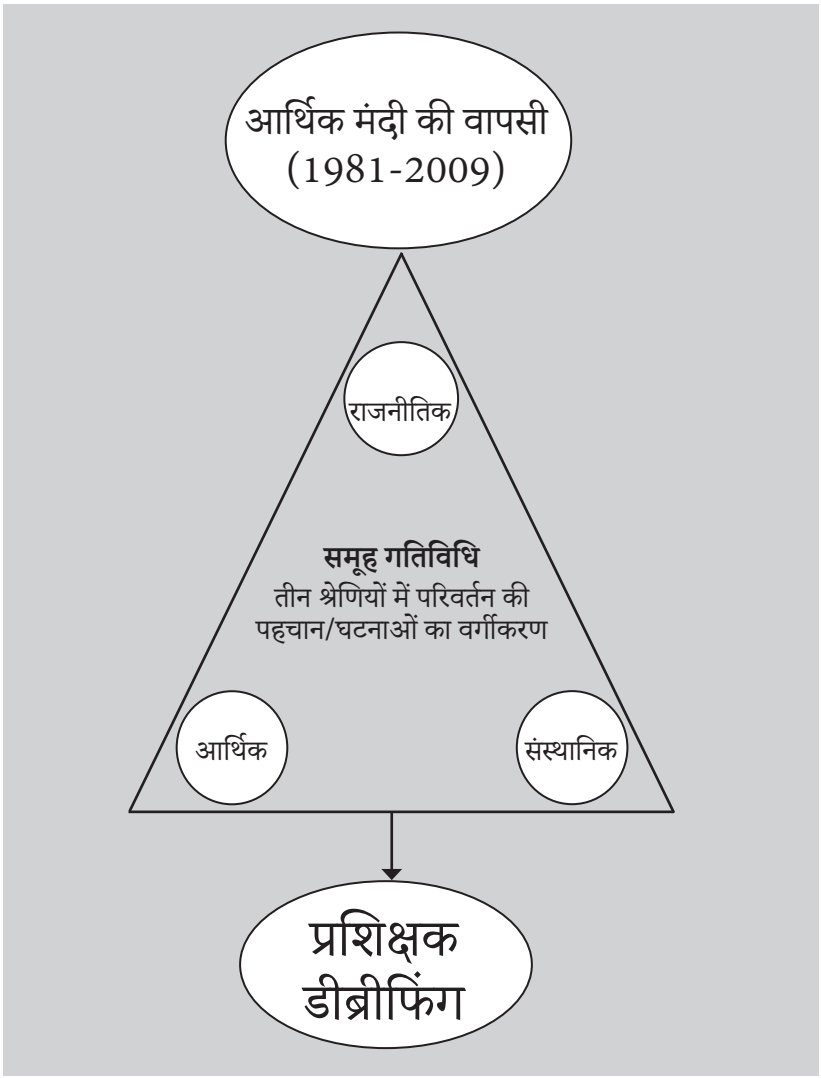

सत्र संचालन

पिछले सत्र में आजादी से इमरजेंसी तक के कालखंड के प्रमुख बिंदु दुहराने के बाद प्रशिक्षक प्रतिभागियों को गतिविधि के लिए 1981 से 2009 यानी करीब तीन दशक की ऐतिहासिक झलकियों की एक सूची देगा ('सत्र 14 की गतिविधि' का अनुलग्नक देखें)।

गतिविधि 1

इस गतिविधि के लिए प्रतिभागियों के तीन बड़े समूह बनाने हैं या फिर उन्हीं पुराने समूहों में अभ्यास कार्य दे देना है। प्रत्येक समूह को दी गई सूची के घटनाक्रम को तीन श्रेणियों में विभाजित करना है-

- राजनीतिक घटनाक्रम
- आर्थिक घटनाक्रम
- संस्थानिक घटनाक्रम

एक चार्ट पेपर पर हर समूह को तीन खाने बनाकर घटनाओं को तीन श्रेणियों में दर्ज करना है। इस अभ्यास के लिए एक घंटे का समय दिया जा सकता है।

समय पूरा होने के बाद हर समूह को अपनी प्रस्तुति देनी है और चार्ट पेपर को बोर्ड पर सबके अवलोकन के लिए टांग देना है।

प्रशिक्षक ध्यान दें

प्रशिक्षक को तीनों चार्ट पेपर में समान परिणामों और भिन्न परिणामों को अलग-अलग रंग के मार्कर से चिह्नित करना है। फिर बोर्ड पर उन घटनाओं को दर्ज कर देना है जिनके बारे में समूहों की राय अलग है।

एक-एक कर के उन घटनाओं पर समूहों के बीच चर्चा करवानी है कि क्या सोच कर उन्होंने उक्त घटना को उक्त श्रेणी में डाला। प्रत्येक समूह, श्रेणी चयन के लिए अपने-अपने तर्क देगा। इस तरह बहस खुलेगी और आगे बढ़ेगी।

कुछ ऐसी घटनाएं सामने आ सकती हैं जिन पर विवाद हो कि वे आर्थिक हैं, राजनीतिक हैं या संस्थानिक । ऐसे विवाद वाले मामलों को अलग से बोर्ड पर लिख देना है। उन पर भी चर्चा करनी है।

प्रशिक्षक के लिए यह अनिवार्य नहीं है कि वह हर एक विवादित प्रविष्टि का अंतिम जवाब अपनी ओर से बतावे। ज्यादा जरूरी यह है कि समूह एक-दूसरे के तर्कों का सम्मान करते हुए परस्पर समझदारी से मामले को हल कर लें या अपने-अपने चयन के साथ ही कायम रहें। ऐसे मामलों में इतिहास तय करता है कि कोई घटना अपने समय में मूलत: आर्थिक थी, संस्थानिक थी या राजनीतिक। जरूरी नहीं है कि हर घटना का मूल चरित्र उसी वक्त स्पष्टत हो जाए। इतिहास के परिणामों में झांकने से ज्यादा समझ में आता है कि कौन सी घटना का असल चरित्र क्या था।

इसलिए विवादित घटनाओं पर चर्चा को विराम देने के लिए आज की तारीख में घटनाओं के दीर्घ परिणाम को जांचें और फिर उन पर अंतिम फैसला लें।

प्रशिक्षक डीब्रीफिंग

1981 से 2009 के बीच की कुछ प्रमुख घटनाओं पर चर्चा को विस्तार दिया जा सकता है और इस दौर की मुख्य प्रवृत्तियों को गिनवाते हुए समेटा जा सकता है-

- मीनाक्षीपुरम का धर्म परिवर्तन और राम मंदिर आंदोलन
- खालिस्तान आंदोलन, सिख-विरोधी दंगे और इंदिरा गांधी की हत्या
- बाबरी विध्वंस
- उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण
- शाह बानो केस
- मंडल-कमंडल की राजनीति और भाजपा का राजनीतिक उभार
- इंटरनेट/समाचार चैनलों का आना
- भारत-अमेरिका परमाणु सहयोग
- वैश्विक आर्थिक मंदी

चूंकि ये तीन दशक राजनीति में धर्म और पहचानों के प्रमुख हो जाने और अर्थव्यवस्था के वैश्विक हो जाने का दौर रहे, इसलिए आर्थिक और सांप्रदायिक कारकों को साथ लेकर चलना होगा ताकि यह समझाया जा सके कि उदारीकरण और बाबरी विध्वंस के साथ मंडल की राजनीति के संयोग के निहितार्थ क्या हैं।

जब अर्थव्यवस्था को खोले जाने के लिए मनमोहन सिंह और नरसिंहा राव दलीलें दे रहे थे, उस दौर की संसद की बहसों को देखिए। हम पाते हैं कि उदारवाद का विरोध कम्युनिस्ट पार्टियां और भाजपा समान रूप से कर रहे थे। दोनों के विरोध के पीछे तर्क पद्धति अलग-अलग भले रही हो, लेकिन अर्थव्यवस्था को खोले जाने के कांग्रेसी फैसले के खिलाफ बाकी सभी थे। ठीक इन्हीं बहसों के बीच बाबरी का ध्वंस हुआ और कम्युनिस्टों के सामने सांप्रदायिकता की नई चुनौती आ खड़ी हुई। भाजपा अब भी उदारवाद के खिलाफ लड़ रही थी, लेकिन वामपंथी दलों को अब चुनना था कि उदारवाद प्राथमिक शत्रु है या हिंदू सांप्रदायिकता। यह कैच-22 वाली स्थिति थी और उस वक्त तक इस देश के वामपंथ में यह समझदारी विकसित नहीं हुई थी कि साम्राज्यवादी पूंजी को कट्टर धार्मिकता से कोई परहेज नहीं होता, बल्कि वह धार्मिकता को बढ़ावा ही देती है। इस बिलकुल नई परिस्थिति से निपटने के लिए वामपंथियों ने सांप्रदायिकता को अपना प्राथमिक शत्रु माना और उसे रोकने के लिए उदारवाद के विरोध को मौन तिलांजलि दे दी ताकि कांग्रेस सत्ता में बनी रहे, भाजपा न आने पाए। उन्हें नहीं पता था कि ढाई दशक बाद यही विदेशी पूंजी कांग्रेस का सफ़ाया कर के भाजपा को सत्ता में ले आएगी।

हिंदू सांप्रदायिकता को प्राथमिक शत्रु मानने में दिक्कत नहीं थी। उसका विकल्प इस देश में कांग्रेस और वाम नहीं दे पाया। विकल्प के तौर पर गंगा-जमुनी की रट लगायी जाती रही जबकि बाबरी विध्वंस के महज छह साल बाद 1998 में पहली बार सत्ता में आई एनडीए ने सबसे पहला हमला इसी संस्कृति पर बोला और पाठ्यक्रमों से लेकर लोकतांत्रिक संस्थाओं तक में अपना धार्मिक एजेंडा लागू करना शुरू कर दिया। इस एजेंडे को लागू करने में उसे खास दिक्कत भी नहीं हुई क्योंकि घर-घर में राम को पहुंचाने का काम दूरदर्शन के माध्यम से कांग्रेस ने ही तो सबसे पहले किया था। यह नहीं भूला जाना चाहिए कि जिस गाय को लेकर 2014 के बाद पूरा देश जला है, वह कभी अपने बछड़े के साथ नेहरू के दौर में कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिह्न हुआ करती थी।

कहने का आशय यह है कि इस देश में हिंदुओं की पार्टी तो शुरू से कांग्रेस ही थी, लेकिन उसने हिंदू धर्म यानी सनातन धर्म के मूल्यों से कोई छेड़छाड़ नहीं की जबकि भाजपा ने अपने मातृ संगठन आरएसएस के एजेंडे पर चलते हुए हिंदू धर्म को अपनी राजनीति का खूंटा बना लिया और अभय मुद्रा वाले राम-हनुमान तथा औघड़ मुद्रा वाले शिव को आक्रामक दंडदाताओं में तब्दील कर डाला। कांग्रेस के पास इसकी कोई काट नहीं थी। वाम ने तो कभी माना ही नहीं कि धर्म की राजनीति को वर्ग-संघर्ष के अलावा किसी और चीज़ से टक्कर दी जा सकती है। बाकी समाजवादी, लोहियावादी और दूसरे अन्य किस्मो के सामाजिक न्यायवादी सत्ता में हिस्सेदारी की राजनीति तक सिमट कर अपनी विश्वसनीयता गंवा बैठे।

2009 की आर्थिक मंदी ने कांग्रेस की सहमति आधारित शासन पद्धति को अप्रासंगिक बना डाला। अब दुनिया के नियंताओं को पूंजीवाद बचाने के लिए झटपट आक्रामक फैसले लेने वाले प्रबंधक चाहिए थे। तीन दशक में भाजपा और संघ खुद को कांग्रेस के विकल्प के तौर पर स्थापित कर चुके थे। बस उसके ताबूत में आखिरी कील ठोकी जानी बाकी थी। दुनिया के पूंजीवादी नियंता भाजपा और आरएसएस का स्वागत करने को तैयार बैठे थे।

आगे की कहानी राष्ट्र-निर्माण की भारतीय राज्य की मूल विचारधारा में अचानक आए विक्षेप की कहानी है।

सत्र 15

मंदी से अब तक (2010-2023)

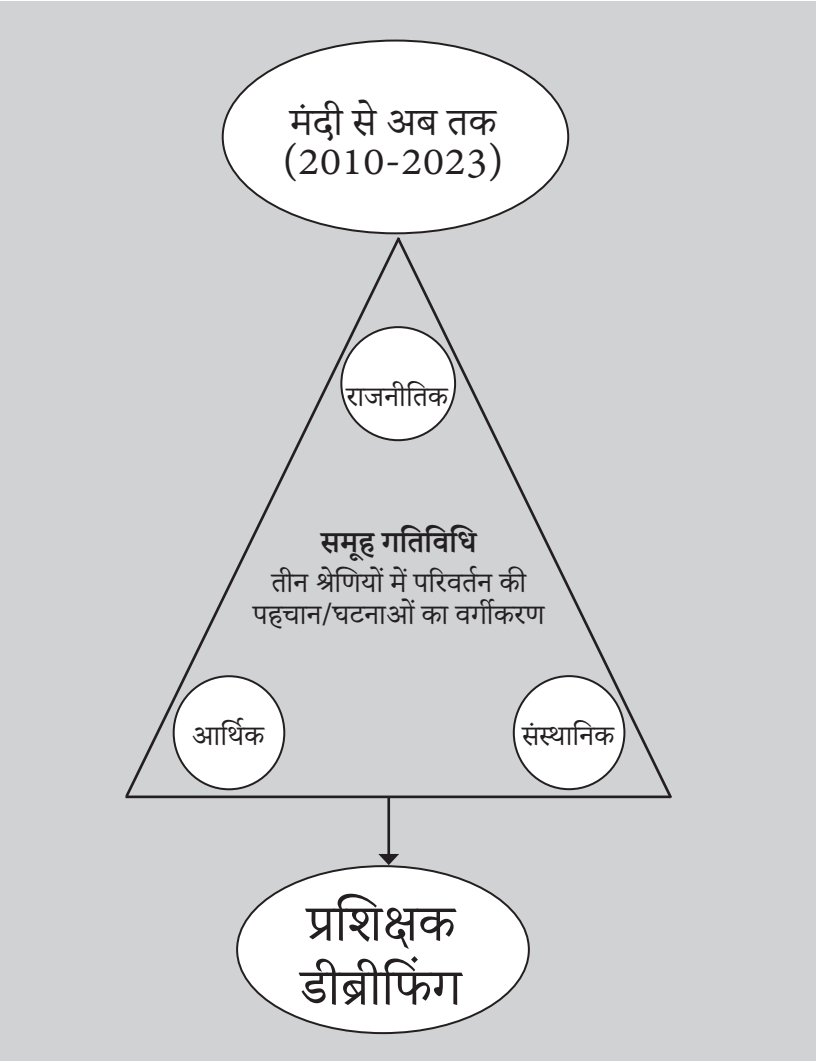

सत्र संचालन

पिछले सत्र में इमरजेंसी के बाद से लेकर आर्थिक मंदी के कालखंड तक के प्रमुख पड़ाव याद दिलाने के बाद प्रशिक्षक प्रतिभागियों को गतिविधि के लिए 2010 से लेकर वर्तमान तक यानी करीब डेढ़ दशक की ऐतिहासिक झलकियों की एक सूची देगा ('सत्र 15 की गतिविधि' का अनुलग्नक देखें)।

गतिविधि 1

इस गतिविधि के लिए प्रतिभागियों के तीन बड़े समूह बनाने हैं या फिर उन्हीं पुराने समूहों में अभ्यास कार्य दे देना है। प्रत्येक समूह को दी गई सूची के घटनाक्रम को तीन श्रेणियों में विभाजित करना है:

- राजनीतिक घटनाक्रम
- आर्थिक घटनाक्रम
- संस्थानिक घटनाक्रम

एक चार्ट पेपर पर हर समूह को तीन खाने बनाकर घटनाओं को तीन श्रेणियों में दर्ज करना है। इस अभ्यास के लिए एक घंटे का समय दिया जा सकता है।

समय पूरा होने के बाद हर समूह को अपनी प्रस्तुति देनी है और चार्ट पेपर को बोर्ड पर सबके अवलोकन के लिए टांग देना है।

प्रशिक्षक ध्यान दें

प्रशिक्षक को तीनों चार्ट पेपर में समान परिणामों और भिन्न परिणामों को अलग-अलग रंग के मार्कर से चिह्नित करना है। फिर बोर्ड पर उन घटनाओं को दर्ज कर देना है जिनके बारे में समूहों की राय अलग है।

एक-एक कर के उन घटनाओं पर समूहों के बीच चर्चा करवानी है कि क्या सोचकर उन्होंने उक्त घटना को उक्त श्रेणी में डाला। प्रत्येक समूह श्रेणी चयन के लिए अपने-अपने तर्क देगा। इस तरह बहस खुलेगी और आगे बढ़ेगी।

कुछ ऐसी घटनाएं सामने आ सकती हैं जिन पर विवाद हो कि वे आर्थिक हैं, राजनीतिक हैं या संस्थानिक । ऐसे विवाद वाले मामलों को अलग से बोर्ड पर लिख देना है। उन पर भी चर्चा करनी है।

प्रशिक्षक के लिए यह अनिवार्य नहीं है कि वह हर एक विवादित प्रविष्टि का अंतिम जवाब अपनी ओर से बतावे। ज्यादा जरूरी यह है कि समूह एक-दूसरे के तर्कों का सम्मान करते हुए परस्पर समझदारी से मामले को हल कर लें या अपने-अपने चयन के साथ ही कायम रहें। ऐसे मामलों में इतिहास तय करता है कि कोई घटना अपने समय में मूलत: आर्थिक थी, संस्थानिक थी या राजनीतिक। जरूरी नहीं है कि हर घटना का मूल चरित्र उसी वक्त

स्पष्ट हो जाए। इतिहास के परिणामों में झांकने से ज्यादा समझ में आता है कि कौन सी घटना का असल चरित्र क्या था।

इसलिए विवादित घटनाओं पर चर्चा को विराम देने के लिए आज की तारीख में घटनाओं के दीर्घ परिणाम को जांचें और फिर उन पर अंतिम फैसला लें।

प्रशिक्षक डीब्रीफिंग

आर्थिक मंदी के बाद दुनिया की शक्ल बुनियादी रूप से बदल गई। भारत में भी सत्ता परिवर्तन हुआ लेकिन यह सामान्य नहीं था।

पिछले चार दशक में राजनीतिक दलों द्वारा रूढ़ धार्मिक तत्वों को वोट के लिए साधने से चूंकि समकालीन राजनीति की शक्ल बनी है, इसलिए समकालीन राजनीतिक विमर्श भी इसी हिसाब से बंट चुका है। यह प्रक्रिया 2014 में अपनी स्वाभाविक परिणति पर पहुंची, जब समावेशी राष्ट्रवाद की परंपरा महज एक चुनाव से एक झटके में खत्म हो गई। सत्ता में भारी बहुमत से आई भारतीय जनता पार्टी ने खुलकर धार्मिक राष्ट्रवाद को राज्य की विचारधारा बना दिया। 1998 के बाद दो बार अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार धार्मिक राष्ट्रवाद को इसलिए लागू नहीं कर पाई थी क्योंकि भाजपा को स्पष्ट बहुमत नहीं था। उस समय कुछ साल के लिए ही सही, राज्य की आधिकारिक विचारधारा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद रही, जिसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी विचारधारा बतलाता है। 2014 में जाकर आम लोगों और मतदाताओं के समक्ष यह स्पष्ट हुआ कि आरएसएस का 'सांस्कृतिक' दरअसल 'धार्मिक' का आवरण है। इस समझदारी ने आरएसएस और मोदी की स्वीकार्यता को बढ़ाने का काम किया।

यही वह मौका था जब भारत के नागरिक समाज को अमेरिका जैसे प्रेसिडेंशियल चुनाव भारत में आने को लेकर चिंता सताने लगी थी। 2014 के लोकसभा चुनाव की बिसात को जिस भव्य पैमाने पर नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व के इर्द-गिर्द सजाया गया, वह समुदाय आधारित समावेशी राष्ट्रवाद से शायद दूसरा विक्षेप था। पहला विक्षेप इंदिरा गांधी की वापसी में 1980 में दिखा था, लेकिन तब सत्ताधारी पार्टी और विचारधारा वही थी जो आजादी के बाद से चली आ रही थी इसलिए राष्ट्र-राज्य की विचारधारा के संदर्भ में फर्क महसूस नहीं हुआ था। अबकी यह अहसास प्रबल था।

समावेशी राष्ट्रवाद से धार्मिक राष्ट्रवाद में विक्षेप ही भारतीय राष्ट्र-राज्य की दूसरी और सबसे अहम विडंबना है, जहां से असामान्यताएं सामान्य होना शुरू हो जाती हैं और सामान्यताओं को असामान्य करार देने पर आम सहमति का निर्माण शुरू होता है। अगले सत्र में वर्तमान स्थितियों पर विचार करेंगे।

सत्र 16

नागरिक अधिकारों का सिकुड़ता दायरा और राज्य के हमले

सत्र का खाका

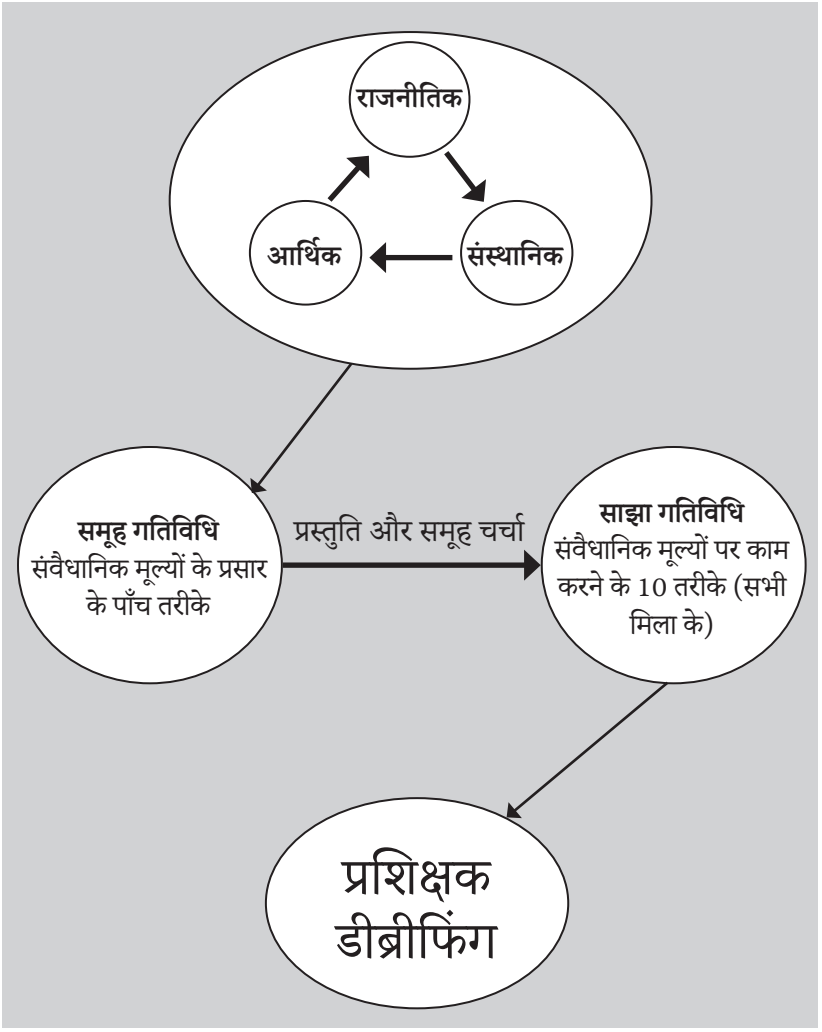

सत्र संचालन

प्रशिक्षक पिछले सत्रों के अभ्यासों की याद दिलाते हुए प्रतिभागियों के साथ वर्तमान दौर की घटनाओं को राजनीतिक, आर्थिक और संस्थानिक बदलाव की तीन श्रेणियों में देखते हुए चर्चा की शुरुआत करेगा।

इसके लिए मौजूदा दौर की राजनीतिक घटनाओं, आर्थिक घटनाओं और संस्थानिक घटनाओं पर बात करते हुए उनके आपसी संबंध को खंगाला जा सकता है और तीनों समानांतर प्रक्रियाओं के बीच मूल्यों की हालत पर बात की जा सकती है। इसके लिए सूत्र के तौर पर वर्तमान स्थितियों को पूंजीवाद और लोकतंत्र के बीच रिश्ते के रूप में परिभाषित किया जाना बेहतर होगा।

यहां सवाल वही पुराना है कि स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुत्व के मूल्य इतना स्वाभाविक और सर्वग्राही होने से बावजूद लागू क्यों नहीं हो पाते हैं। पूंजीवाद और संवैधानिक मूल्यों के रिश्ते पर अगर हम नजर रखेंगे, तो आपको लगेगा कि आज की तारीख में गणतंत्र को हम जिस रूप में चाहते हैं वह आज के पूंजीवाद की जरूरतें पूरा नहीं करता है। पूंजीवाद 2001 की घटना को उदाहरण बना के हर जगह डेमोक्रेसी के पर कतरने में लगा हुआ है। सारे सुधार फेल हो जाने के बावजूद सरकारों को मजबूर किया जा रहा है कि वे उसे लागू करते रहें। इससे एक बात साफ हो जाती है कि गणतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने और उसे बचाए रखने की जिम्मेदारी सभी चक्रों से लौट कर हम भारत के लोगों तक ही पहुंचती है। जनता सोचेगी, चाहेगी, तो यह बचेगा। अगर वह नहीं चाहेगी, कोशिश नहीं करेगी तो पूंजीवाद जिस तरह के लोकतंत्र को चाहता है वैसा ही होगा।

इसीलिए आज लोकतंत्र में राजनीतिक, आर्थिकी और संस्थानिक प्रक्रियाएं तीनों मिलकर अभिव्यक्ति और संवाद के दायरे को संकुचित करती जा रही हैं। जैसा कि हमने पहले सीखा, चूंकि अभिव्यक्ति और संवाद किसी भी लोकतांत्रिक राष्ट्र के निर्माण में सबसे बुनियादी चीजें हैं, तो सबसे गहरा हमला इसी पर हो रहा है। इसे हम आज राज्य का प्रवक्ता बन चुके मीडिया प्रतिष्ठानों और पत्रकारों पर हमलों के रूप में देख सकते हैं। इसे आप संवैधानिक अधिकारों की मांग करने वाले समूहों और कार्यकर्ताओं पर दमन के रूप में देख सकते हैं।

प्रतिभागियों के साथ इस चर्चा को इस सवाल तक लेकर आएं कि **नागरिक अधिकारों के सिकुड़ते दायरे में संवैधानिक मूल्यों का प्रसार कैसे किया जा सकता है?**

गतिविधि 1

सभी प्रतिभागियों के छोटे समूह बनाकर उन्हें इस सवाल पर पांच जवाब लिखने को दें:

सवाल: वर्तमान स्थितियों में संवैधानिक मूल्यों का प्रसार कैसे किया जाय?

इस गतिविधि के लिए पौन घंटे का समय हर समूह को दिया जा सकता है। प्रत्येक समूह उसके बाद अपनी प्रस्तुति करेगा। प्रशिक्षक हर समूह के बिंदुओं को बोर्ड पर लिखेगा।

गतिविधि 2

अब सभी समूहों से कहें कि वे साथ बैठकर अपने-अपने जवाबों को मिलाकर प्राथमिकता के आधार पर कुल दस बिंदु निकाल कर ले आएं, कि वर्तमान स्थितियों में संवैधानिक मूल्यों का प्रसार कैसे किया जाय।

इन दसों बिंदुओं को बोर्ड पर प्रशिक्षक लिख दे।

प्रशिक्षक ध्यान दें

उदाहरण के रूप में कुछ बिंदु ऐसे निकल कर आ सकते हैं:

- परिस्थिति का ठोस आकलन
- समान विचारधारा वाले लोगों की गोलबंदी
- क्षमता के अनुसार कार्यों (जिम्मेदारी) का वितरण
- लोगों से जीवन्त सम्बन्ध विकसित करना
- सूचना प्रसारित करने के नए तरीके
- जनता को जागरूक करना
- पहचान छुपाकर दीवार लेखन और संवाद के माध्यम से सरकार के निर्णय का विरोध करना
- सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, फासीवाद विरोधी संगठनों से संवाद स्थापित करने के तरीके ईजाद करना, नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए संवाद/नारे/पर्चे/दीवार लेखन/सांस्कृतिक गतिविधियों का सामाजिक/राजनीतिक इस्तेमाल
- तकनीक में ओपेन सोर्स मंचों का इस्तेमाल
- जोखिम प्रबंधन की रणनीति तैयार करना

प्रशिक्षक इन बिंदुओं पर प्रतिभागियों के बीच सहमति निर्माण के उद्देश्य से संक्षिप्त चर्चा करवाएगा ओर यह सवाल उठाएगा कि यदि आप सब ने इन बिंदुओं को मिलकर पहचाना है, तो क्या आप वाकई संवैधानिक मूल्यों पर अपने समुदायों में इन तरीकों से काम कर रहे हैं?

अगर हां, तो अब तक के क्या परिणाम हैं और अगर नहीं, तो क्यों। इस पर सबकी राय लेने के बाद प्रशिक्षक अंतिम टिप्पणी करेगा।

प्रशिक्षक डीब्रीफिंग

इस चरण में हमने यह समझने की कोशिश की है कि कैसे हर दौर में मूल्य राजनीतिक, आर्थिक ओर संस्थानिक घटनाक्रमों से प्रभावित होते हैं। हम सब ने यह भी माना कि मौजूदा दौर संवैधानिक मूल्यों के लिहाज से बहुत संवेदनशील है और इन मूल्यों पर काम करना बहुत मुश्किल है। इसके बावजूद हमने खुद ऐसे दस तरीके खोज निकाले जिन पर

काम किया जा सकता है।

अब सवाल उठता है कि इस सत्र में निकले निष्कर्षों को अपने समुदाय के बीच कैसे लागू करें। आप इस कार्यशाला से जब अपने-अपने क्षेत्र, संगठन, कार्यस्थल और समुदाय में जाएं तो ये दस बिंदु गांठ बांध लें। इन्हीं बिंदुओं पर आप अगले सत्र तक संवैधानिक मूल्यों के प्रसार का काम करें और अपने अनुभवों को एकत्रित करें। यह अभ्यास समूह में भी हो सकता है और व्यक्तिगत भी। यह प्रतिभागियों के चुनाव पर निर्भर करेगा कि आप संयुक्त रूप से किसी समुदाय/क्षेत्र में काम करना चाहेंगे या अकेले।

इसी काम के आधार पर हम अगले चरण और सत्र में बात को आगे बढ़ाएंगे और आप सब की समीक्षा करेंगे। साथ ही आपके सुझाए तरीकों की व्यावहारिकता और सफलता पर भी बात करेंगे।

सत्र 17

कार्यशाला के दूसरे चरण का मूल्यांकन और अवकाश कार्य

सत्र का खाका

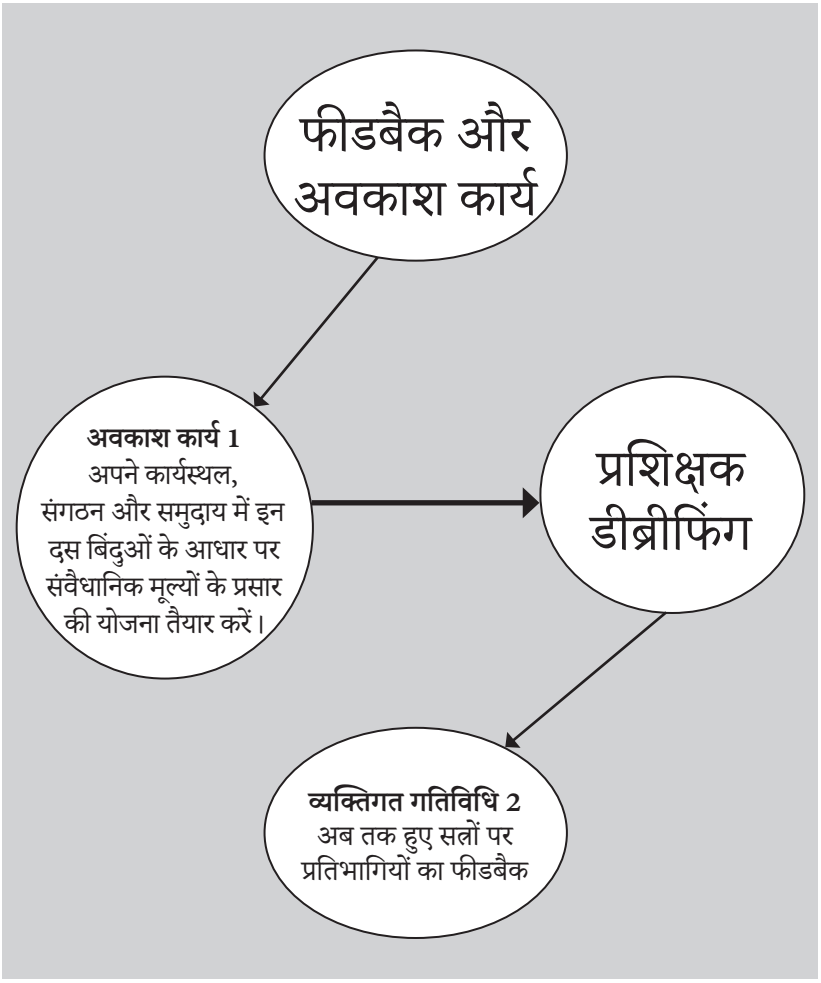

सत्र संचालन

प्रशिक्षक पिछले अभ्यास की याद दिलाते हुए प्रतिभागियों के साथ कल की चर्चा में निकले दसों बिंदुओं को साझा करते हुए चर्चा की शुरुआत करेगा।

प्रतिभागियों के साथ इस चर्चा को इस सवाल तक लेकर आएं कि नागरिक अधिकारों के सिकुड़ते दायरे में संवैधानिक मूल्यों का प्रसार कैसे किया जा सकता है? कल की चर्चा में निकले दसों बिंदुओं को बोर्ड पर प्रशिक्षक लिख दे।

गतिविधि 1

अब सभी प्रतिभागियों से कहें कि वे व्यक्तिगत स्तर पर कल के अभ्यास से निकले दस बिंदुओं के आधार पर वर्तमान स्थितियों में संवैधानिक मूल्यों का प्रसार कैसे कैसे करेंगे।

सवाल : अपने कार्यस्थल, संगठन और समुदाय में इन दस बिंदुओं के आधार पर संवैधानिक मूल्यों के प्रसार की योजना तैयार करें।

प्रशिक्षक डीब्रीफिंग, अवकाश कार्य और फीडबैक

इस चरण में हमने यह समझने की कोशिश की है कि कैसे हर दौर में मूल्य राजनीतिक, आर्थिक और संस्थानिक घटनाक्रमों से प्रभावित होते हैं। हम सब ने यह भी माना कि मौजूदा दौर संवैधानिक मूल्यों के लिहाज से बहुत संवेदनशील है और इन मूल्यों पर काम करना बहुत मुश्किल है। इसके बावजूद हमने खुद ऐसे दस तरीके खोज निकाले जिन पर काम किया जा सकता है।

इस सत्र में निकले निष्कर्षों को अब अपने समुदाय अब लागू करें। आप इस कार्यशाला से जब अपने-अपने क्षेत्र, संगठन, कार्यस्थल और समुदाय में जाएं तो ये दस बिंदु गांठ बांध लें। इन्हीं बिंदुओं पर आप अगले सत्र तक संवैधानिक मूल्यों के प्रसार का काम करें और अपने अनुभवों को एकत्रित करें। यह अभ्यास समूह में भी हो सकता है और व्यक्तिगत भी। यह प्रतिभागियों के चुनाव पर निर्भर करेगा कि आप संयुक्त रूप से किसी समुदाय/क्षेत्र में काम करना चाहेंगे या अकेले।

इसी काम के आधार पर हम अगले चरण और सत्र में बात को आगे बढ़ाएंगे और आप सब की समीक्षा करेंगे। साथ ही आपके सुझाए तरीकों की व्यावहारिकता और सफलता पर भी बात करेंगे।

गतिविधि 2

अवकाश कार्य की योजना तैयार हो जाने के उपरांत प्रशिक्षक कार्यशाला के इस दूसरे चरण पर प्रतिभागियों को अपना फीडबैक देने के लिए कहें। प्रतिभागियों द्वारा फीडबैक निम्न दो सवालों पर लिखित रूप में सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है:

1. प्रशिक्षक और कार्यशाला संयोजकों के बारे में बिंदुवार फीडबैक।

2. प्रशिक्षण कार्यशाला के इंतजाम, परिसर और अन्य सुविधा/असुविधा पर बिंदुवार फीडबैक।

प्रशिक्षक ध्यान दें

दोनों सवालों पर प्रस्तुतियों के दौरान प्रशिक्षक को दो खाने बोर्ड पर बनाकर बिंदु नोट करते जाने होंगे। उसके बाद साझा और विशिष्ट बिंदुओं की पहचान करनी होगी। तकनीकी इंतजामात और परिसर से संबंधित फीडबैक को दुरुस्त करने के तरीकों पर बात होगी और प्रतिभागियों को आश्वस्त किया जाएगा कि अगले चरण में इसे लागू किया जाएगा। इसलिए इन बिंदुओं को अगले चरण के सत्र प्रारंभ तक संजो कर रखा जाना होगा। इसके अलावा, प्रशिक्षक और कार्यशाला संयोजकों के बारे में फीडबैक को भी गंभीरता से लेते हुए अगले चरण के सत्रों की तैयारी के दौरान समाहित करना होगा।

इसके बाद प्रशिक्षक इस चरण के अंत की औपचारिक घोषणा करेगा।

तीसरा चरण

सफर का मुकाम

संवैधानिक मूल्य प्रशिक्षण के सैद्धांतिक और व्यावहारिक सबक

सत्र 18

मैंने क्या किया?

सत्र का खाका

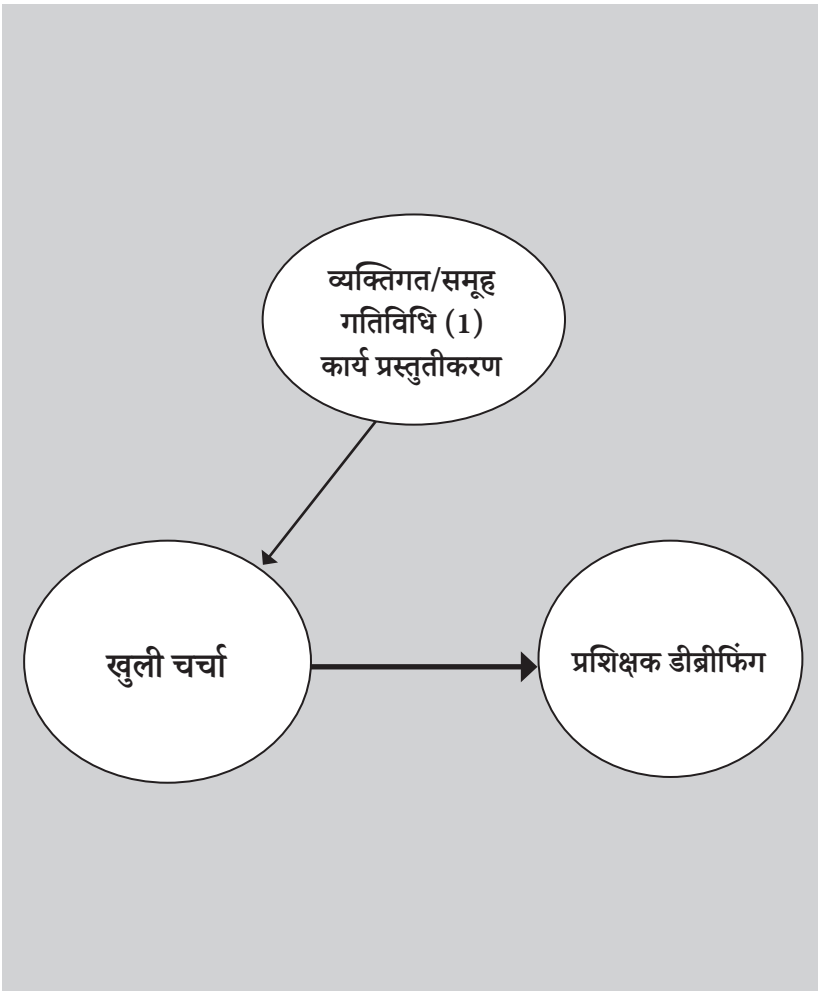

सत्र संचालन

नए चरण में प्रशिक्षक सभी प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए कार्यशाला की औपचारिक शुरुआत करेगा। सत्र की शुरुआत से पहले प्रशिक्षक प्रतिभागियों को कार्यशाला संबंधित व्यवस्थाओं, जैसे खाने का समय, परिसर के नियम तथा सत्रों के समय की जानकारी देगा। पिछले चरण के अंतिम सत्र में व्यवस्था पर आए फीडबैक के आधार पर जरूरत के अनुसार सभी प्रतिभागियों की सहमति से व्यवस्थापक समूह बनाए जाएंगे।

इसके बाद प्रशिक्षक बीते समय में प्रतिभागियों के जीवन-अनुभवों और अवकाश कार्य पर अनौपचारिक चर्चा करेगा। चर्चा का उद्देश्य यह होगा कि यदि कुछ प्रतिभागी पिछले चरण के अंत में दिए गए काम पर अपने अनुभवों को नहीं लिख पाए हैं तो वे उसे पूरा कर लें ताकि औपचारिक प्रस्तुति दे सकें। इस चर्चा का एक और उद्देश्य प्रतिभागियों की स्मृति को ताजा करना है ताकि लिखने में अगर उनसे कुछ छूट गया हो तो वे उसे जोड़ लें।

इसके बाद औपचारिक प्रस्तुति गतिविधि की शुरुआत की जाएगी।

गतिविधि 1

संवैधानिक मूल्यों पर पिछले चरण में निकाले गए निष्कर्षों के आधार पर समूह/समुदाय/क्षेत्र/संगठन में काम करने के अनुभवों की प्रस्तुति।

प्रशिक्षक ध्यान दें

प्रशिक्षक इन अनुभवों के कुछ ऐसे जरूरी बिंदु बोर्ड पर नोट करता जाएगा जो उसे आगे की चर्चा के लिए अनुकूल जान पड़ते हों। विशेष रूप से, काम में आने वाली बाधाओं को नोट करना जरूरी है।

प्रस्तुतियों के बाद नोट किए गए बिंदुओं पर प्रतिभागी चर्चा करेंगे और एक-दूसरे को बताएंगे कि उन्होंने अपने स्तर पर दिक्कतों का सामना कैसे किया। प्रशिक्षक इस चर्चा में मॉडरेटर की भूमिका तक खुद को सीमित रखेगा ताकि सवाल-जवाब और तर्क प्रतिभागियों की ओर से ही आएं। कुछ जरूरी जान पड़ने पर प्रशिक्षक उसे अपनी नोटबुक में दर्ज कर सकता है।

प्रतिभागियों की संख्या यदि ज्यादा हुई, तो प्रस्तुति में वक्त लग सकता है। हो सकता है यह गतिविधि एक से ज्यादा सत्रावधि तक खिंच जाए, इसलिए प्रशिक्षक को धैर्य के साथ सबको सुनना जरूरी होगा और चर्चा को पटरी पर बनाए रखना होगा।

प्रशिक्षक डीब्रीफिंग

डीब्रीफिंग में प्रस्तुति और चर्चा के दौरान प्रशिक्षक के लिए नोट्स काम आएंगे। इस डीब्रीफिंग का उद्देश्य है प्रतिभागियों के व्यक्तित्व और समझदारी में हुए विकास एक आकलन करते हुए कमजोर बिंदुओं को स्वस्थ तरीके से संबोधित करना, ताकि बचे-खुचे

भ्रम भी दूर हो जाएं। यह डीब्रीफिंग प्रस्तुतियों पर ही निर्भर करेगी, इसलिए पहले से इसका कोई खाका संभव नहीं है लेकिन उद्देश्य स्पष्ट है, कि प्रशिक्षक इसके माध्यम से प्रतिभागियों में शुरू से लेकर अब तक आए बदलावों को लक्षित करेगा। इन बदलावों की पहचान अगले सत्र में काम आएगी।

सत्र 19

कदमों के निशान

सत्र का खाका

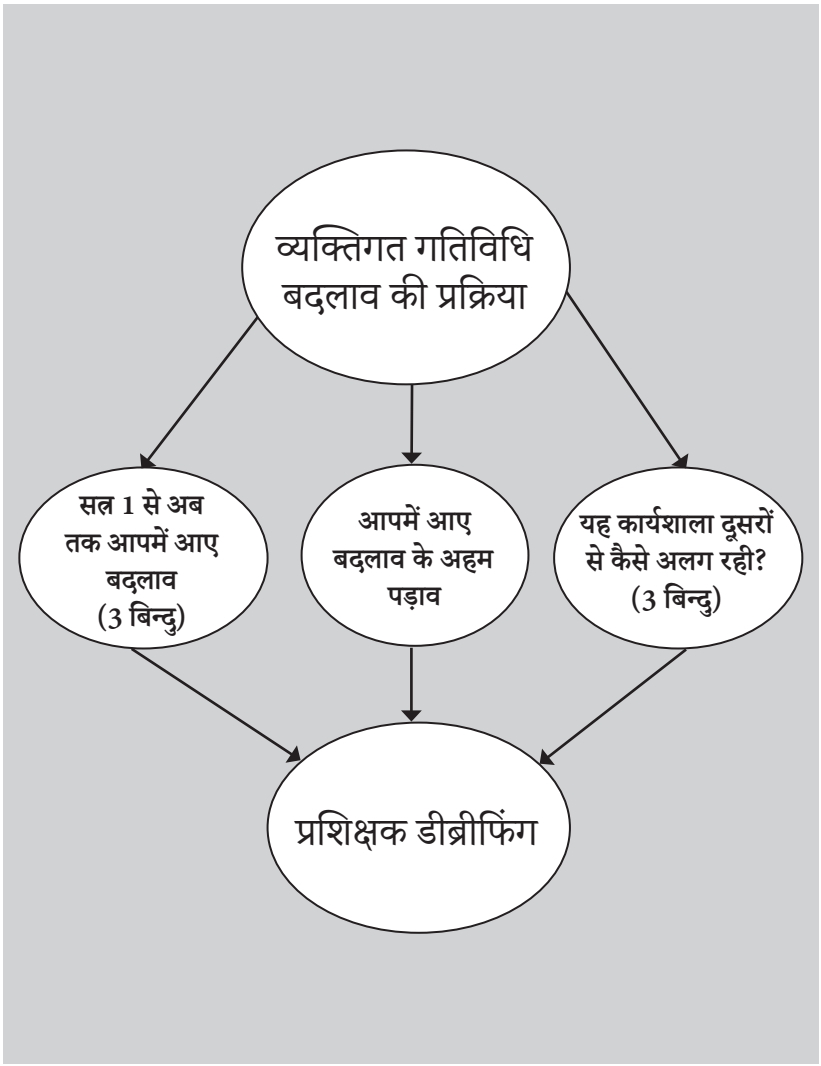

सत्र संचालन

प्रशिक्षक पिछले सत्र में प्रस्तुत किए गए प्रतिभागियों के अनुभवों के आधार पर उम्मीद जताएगा कि कार्यशाला के पहले सत्र से लेकर फील्ड में काम करने और अब वापस आने तक उन्होंने अपने-अपने भीतर कुछ बदलाव महसूस किए होंगे। इस सत्र में हम उन्हीं बदलावों पर बात करेंगे। इसके लिए हम तीन सवाल आपसे करेंगे।

गतिविधि

सवाल 1: सत्र 1 से अब तक आपमें आए बदलावों के तीन बिंदु लिखें।

सवाल 2: आपमें आए उपर्युक्त बदलावों के अहम पड़ाव क्या रहे?

सवाल 3: यह कार्यशाला दूसरी कार्यशालाओं से अलग कैसे रही? तीन बिंदु लिखें।

प्रशिक्षक ध्यान दें

यह गतिविधि व्यक्तिगत होगी। सभी को कम से कम एक घंटे का समय दिया जाना चाहिए। उसके बाद हर प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति देगा। प्रशिक्षक पहले और दूसरे सवाल पर सभी के जवाबों का मिलान पिछले सत्र में लिए अपने नोट्स से करेगा और किसी तरह की विसंगति दिखने पर उसे चर्चा के लिए नोट कर लेगा। इसके अलावा, प्रशिक्षक तीसरे सवाल पर समान जवाबों को एक ओर लिखेगा और अलग जवाबों को दूसरी ओर लिखेगा।

प्रशिक्षक डीब्रीफिंग

इस डीब्रीफिंग के दो उद्देश्य हैं। पहला, सवाल संख्या 2 पर फोकस कर के इस बात को रेखांकित करना कि प्रतिभागी जहां था वहां से वर्तमान स्थिति तक कैसे पहुंचा, यह सवाल सबसे महत्वपूर्ण है।)

'कैसे' का जवाब व्यक्ति की आंतरिक प्रेरणा से जुड़ा होता है। अगर व्यक्ति अपने बदलाव की प्रक्रिया या दिशा को सही-सही पहचान पा रहा है, इसका मतलब है कि उसने सीखे हुए को आत्मसात कर लिया है।

'क्या" करना है, ये तो सभी को पता है। "कैसे" करना है, यह सबका निजी मामला है। "क्यों" का मामला दार्शनिक है। "कैसे" का सवाल स्वयं के विवेक पर निर्भर करता है। स्वविवेक या प्रेरणा की समस्या हो तो इस पर अलग से बातचीत की जा सकती है।

संवैधानिक मूल्य को आत्मसात करना इस प्रशिक्षण का उद्देश्य है, लेकिन यह मूल्य अगर आपका अपना नहीं होगा, आपके अपने अनुभव से नहीं निकलेगा, तो "क्यों" का मामला बाहरी हो जाएगा। यह मूल्य जब अपना होगा तभी वह अंतस्थ होगा। आन्तरिक मूल्य "क्यों" का जवाब देता है और उसकी प्रेरणा हमें 'कैसे' की ओर ले जाती है। इसलिए बदलाव की प्रक्रिया और पड़ावों की समझ सबसे जरूरी चीज है। इसे कोई बता नहीं सकता, आपको खुद इसे खोजना होगा।

यह इसलिए सबसे जरूरी है क्योंकि अगर आप खुद समझ गए कि यहां तक कैसे पहुंचे हैं, तो दूसरों को भी उन्हीं पड़ावों से गुजार पाएंगे। चूंकि आपको समाज में इन मूल्यों पर काम करना है, तो अपने बदलाव के पड़ाव पर आपकी नजर साफ रहनी चाहिए।

(इस डीब्रीफिंग का दूसरा उद्देश्य सवाल संख्या 3 पर आए जवाबों को मूल्यों के संदर्भ में विश्लेषित करना है। यह काम अगले सत्र में होगा, इसलिए इस सवाल के जवाबों को नोट कर के रख लिया जाना चाहिए।)

सत्र 20

कैसे की पहेली

सत्र का खाका

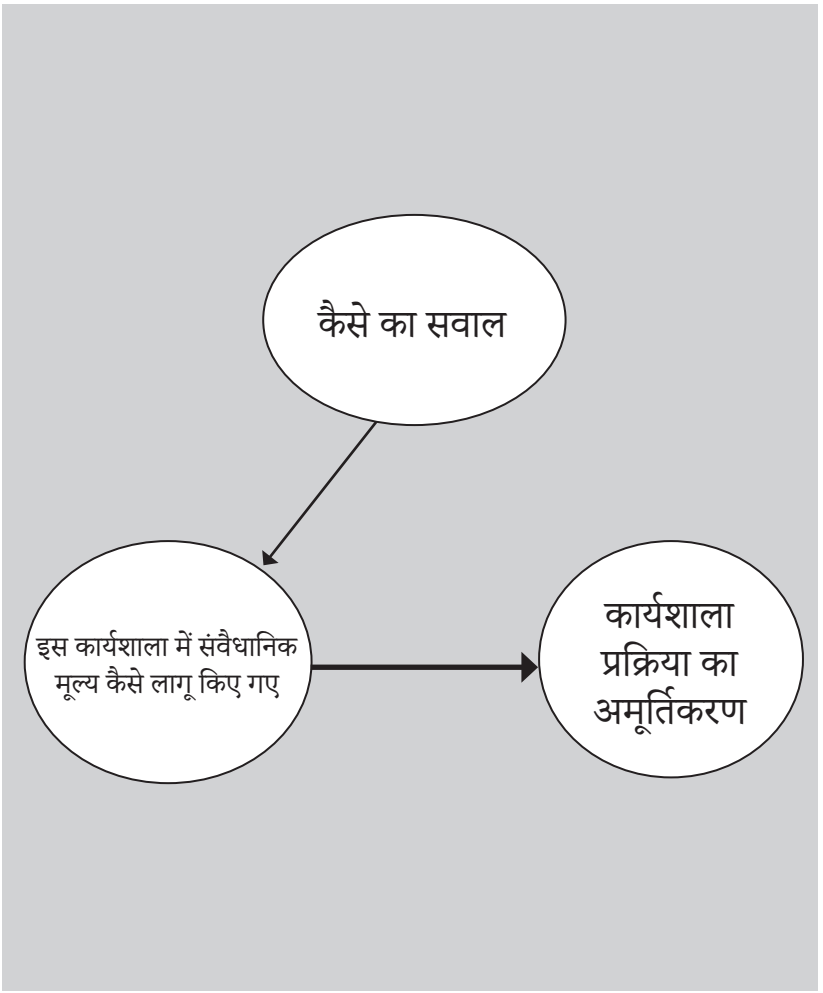

सत्र संचालन

पिछले सत्र में आई प्रतिक्रियाओं की चर्चा करते हुए प्रशिक्षक इस बात का स्वागत करेगा कि पहले सत्र से लेकर अब तक सभी प्रतिभागियों में कुछ न कुछ बदलाव अवश्य आया है, जैसा कि सभी ने कहा भी है। यह बदलाव चूंकि मूल्यों के स्तर पर घटा है, तो एक अहम सवाल उठता है कि क्या मूल्य-शिक्षण केवल किसी कार्यशाला या प्रशिक्षक से सध जाने जितना आसान काम है? अगर ऐसा ही है तो फिर हम सब लोग समाज और समुदाय में चल कर कार्यशालाएं लगा सकते हैं और लोगों में संवैधानिक मूल्यों को प्रसारित कर सकते हैं?

इसके उलट, प्रतिभागियों ने खुद स्वीकार किया है कि मूल्यों के आधार पर सहज संवाद करना ही आज बहुत कठिन हो चला है। उसके तरीके भी खोज कर सबने निकाले। हम सबकी उन पर सहमति भी थी और हमने उन्हें समाज में आजमाने का काम भी किया। फिर प्रश्न उठता है कि उन तरीकों को अपनाए बगैर एक कार्यशाला में आने भर से आप सब के भीतर मूल्यगत बदलाव कैसे आ गया? या तो आप मुंह देखकर ऐसा कह रहे हैं या फिर इस 'कैसे' का जवाब कहीं और है।

इस परिप्रेक्ष्य में प्रतिभागियों को खुलकर अपनी बात रखने का अवसर दें। चर्चा को और स्पष्ट बनाने के लिए उन्हें दो सवाल दें, जो पिछले सत्र के सवालों का ही विस्तार है:

- पहली कार्यशाला से लेकर इस कार्यशाला तक में क्या फर्क आया है और यह फर्क क्यों आया है?
- इस कार्यशाला और दूसरे संस्थानों द्वारा आयोजित कार्यशालाओं में क्या फर्क देखते हैं और यह फर्क क्यों देखते हैं?

प्रतिभागियों की कुछ संभावित प्रतिक्रियाएं ऐसी हो सकती हैं:

- कार्यशाला में माहौल बहुत अच्छा था किसी प्रकार की कोई बंदिश नहीं थी। कोई आदेश निर्देश न होने के बावजूद भी समयबद्धता आदि में स्वतः अनुशासन बना रहा।
- सीखने सिखाने की जो पद्धति/विधि थी वह बहुत ही सरल तथा रोचक थी।
- कार्यशाला की प्रक्रिया नजदीकियां बढ़ाने में बहुत मददगार रही। अपने ही अनुभवों से हम सीख रहे थे। बातों एवं मुद्दों की स्पष्टता में प्रशिक्षक का अच्छा योगदान रहा।
- प्रशिक्षक समूह के साथ प्रतिभागियों के रिश्ते एकदम मित्रवत बन गये थे। कहीं कोई भेदभाव नजर नहीं आ रहा था।
- समूह में बातचीत करने का पूरा अवसर था।
- अन्य कार्यशालाओं की तुलना में इस कार्यशाला में ट्रेनर और प्रतिभागी के बीच फासला नहीं दिखता है।
- अन्य कार्यशालाएं परिणाम केंद्रित होती हैं जबकि यह कार्यशाला प्रक्रिया केंद्रित रही है।

- अन्य कार्यशालाओं में संवाद एकतरफा होता है जहां ज्यादातर ट्रेनर बोलते हैं तथा प्रतिभागी सुनते हैं। इस कार्यशाला में प्रतिभागियों को बोलने का मौका मिला जबकि ट्रेनर सुनने तथा दिशा देने का काम करते हैं।

डीब्रीफिंग

कार्यशाला की संरचना और प्रशिक्षण प्रक्रिया का अमूर्तिकरण

इन्हीं बिंदुओं पर बात को आगे बढ़ाते हुए प्रशिक्षक बताएगा कि प्रतिभागियों की जो भी राय है, वह अपने आप नहीं बनी। इसके लिए पूर्व स्थितियां उन्हें दी गईं। जैसे, शुरुआती सत्रों में बाल्टी और गेंद वाले खेल में पूर्व स्थिति ही समानता और न्याय के खिलाफ थी। तब हमने बात की थी जो कोई पूर्व स्थितियों का नियंता होता है, वही तय करता है कि मूल्य लागू होंगे या नहीं। यह संरचना का मसला है।

यदि आप सब की दी हुई प्रतिक्रियाओं को संवैधानिक मूल्यों के खांचे में डाल कर देखा जाए, तो हम पाएंगे कि पहली कार्यशाला से लेकर अंतिम सत्र तक कार्यशाला परिसर और सभागार तक में संचालन की संरचना और पूर्व स्थितियों ने समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय के मूल्यों को सचेत ढंग से स्थापित करने का काम किया है, भले ही यह प्रक्रिया इतनी सहज रही हो कि प्रतिभागियों की नजर से छूट गई हो।

प्रतिभागी समूह का चरित्र, प्रशिक्षकों का उनके साथ रिश्ता, प्रतिभागियों के बीच आपसी रिश्ते, प्रतिभागियों को उपलब्ध समय, सवाल पूछने की आजादी और अपनी राय रखने के समान अवसर, ये सब तत्व मिलकर एक विशिष्ट माहौल का निर्माण करते हैं। सीखने-सिखाने की यह संरचना उस उपयोगी अवस्था को पैदा करती है जहां प्रतिभागी समूह मुख्यतः अपने अनुभवों के आधार पर नई अंतर्दृष्टि का निर्माण करते हैं। साथ ही, यदि अलग-अलग उम्र और तजुर्बे वाले प्रतिभागियों के ज्ञानाधार को भी समान करने का प्रयास किया गया हो, तो यह सबको सम पर लाने का काम करता है।

इस तरह अलग-अलग पहचानों वाले व्यक्तियों का एक समूह सामूहिक स्तर पर एक चरण से दूसरे चरण पर पहुंचता है। हर अगले चरण के साथ समूह और मजबूत होता जाता है, उसमें बंधुत्व की भावना सशक्त होती जाती है, मतभेद मिलवत होते जाते हैं और सब एक साथ बौद्धिक व भावनात्मक प्रगति करते हैं। ऐसी एक कार्यशाला में प्रशिक्षकों की ओर से हर चरण में बराबरी, न्याय, बंधुत्व और स्वतंत्रता का मूल्य कायम रहे, यह ध्यान सचेत रूप से रखा जाता है। यही कारण है कि आपको यह कार्यशाला दूसरी कार्यशालाओं से अलग लगी है।

इसका अर्थ यह है कि महज कार्यशालाओं से संवैधानिक मूल्य नहीं जगाए जा सकते हैं बल्कि कार्यशालाओं को खुद में संवैधानिक मूल्यों को अपने भीतर स्थापित कर के दिखाना होगा, तभी इच्छित परिणाम आएंगे। यही बात व्यक्तियों पर लागू होती है। हम और आप भी किसी के साथ संवाद में उसका दिल दिमाग बदल सकते हैं, उसके भीतर सुप्त पड़े मूल्यों को जगा सकते हैं, लेकिन उसकी बुनियादी शर्त यह है कि पहले हम खुद जागृत हों।

इस लिहाज से देखें, तो संवैधानिक मूल्यों को जगाना ओर फैलाना जितना कठिन दिखता है उतना ही आसान काम भी है। यह हो इसलिए नहीं पाता क्योंकि हम मूल्यों को अपने जीवन में उतारे बगैर दूसरे को शिक्षा देने निकल पड़ते हैं। दूसरे को एकतरफा शिक्षा देना अपने आप में ही बराबरी के मूल्य का हनन है, इसलिए किसी के सिखाने से कभी बराबरी नहीं आ सकती। यही बात हर एक मूल्य पर लागू होती है।

यह कोई आध्यात्मिक बात नहीं है। इसका अर्थ यह मत समझ लीजिएगा कि जब तक अपने भीतर मूल्यों को नहीं उतारेंगे तब तक लोगों के बीच में नहीं जाना है। यह समझदारी गड़बड़ है। इसका एक दिलचस्प उदाहरण देखिए। एक साधु हिमालय में बरसों रह कर नीचे कुंभ के मेले में आते हैं। उनके बारे में ख्यात है कि उन्होंने काम, क्रोध, मोह, लोभ पर विजय प्राप्त कर ली है। वे खुद ऐसी बातें करते हैं। कुंभ के मेले की भीड़ में एक आदमी का पांव उनके पांव पर पड़ जाता है। अचानक वे आगबबूला हो उठते हैं और चिल्लाते हैं- जानता नहीं मूर्ख, मैं कौन हूं? और वे उस साधारण आदमी को शाप देने लग जाते हैं। क्रोध पर विजय पाने का पूरा पाखंड यहीं चकनाचूर हो जाता है।

अकेले में किसी को मोक्ष नहीं मिलता। समाज में ही मिलता है। अगर साधु बाबा अकेले जंगल में बरसों रहे और किसी का पैर उनके पैर पर पड़ा ही नहीं, तो इस बात की परीक्षा की स्थिति ही कहां बन पाई कि उनका क्रोध बचा है या चला गया? वो तो समाज में आने पर उसका इम्तिहान होगा।

ठीक इसी तरह, आपने मूल्य आत्मसात किए हैं या नहीं, उसका इम्तिहान उस समाज में होना है जो मूल्यों का विरोधी है। इसीलिए, मूल्यों को आत्मसात करने और खुद को जागृत करने की बात आध्यात्मिक नहीं, विशुद्ध व्यावहारिक है।

आप समाज में जाएंगे, तो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया एक साथ चलेगी। सीखने के लिए आपको विनम्र होना होगा। सिखाने के लिए भी आपको श्रेष्ठता का भाव छोड़ना होगा। यही द्वन्द्वात्मक प्रक्रिया है- सिद्धांत से व्यवहार और वापस व्यवहार से सिद्धांत की।

इस कार्यशाला में आपने सैद्धांतिक बातें बहुत सीखीं और उसे व्यवहार में लागू कर के भी देखा। व्यवहार से जो आपकी धारणा बनी, उसके हिसाब से आप अपने सिद्धांत को नई रोशनी में समझेंगे। फिर उस नई समझ को लेकर व्यवहार में जाएंगे और अपने समाजकर्म को परिमार्जित करेंगे। यही प्रक्रिया यदि निरंतर चली तो एक दिन व्यवहार और सिद्धांत का फासला मिट जाएगा।

हमारे तमाम महान लोगों ने यही किया। गांधी इस मामले में सर्वकालिक उदाहरण हैं। गांधी और मदर टेरेसा जैसे लोग सामाजिक व्यवहार में जाकर महात्मा बनते हैं, महात्मा पैदा नहीं होते। यहां तक कि बुद्ध भी घर में बैठे महात्मा नहीं बन गए, बाहर निकले और जीवन के वास्तविक दृश्यों का उन्होंने अनुभव किया। यह अपनी-अपनी संवेदन क्षमता का मामला होता है कि कोई एक ही अनुभव में सिद्ध हो जाता है, तो किसी को आजीवन अनुभव से गुजरना पड़ता है। दोनों किस्म के मनुष्य हालांकि एक ही निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, जिसे बुद्ध ने बताया है- अप्प दीपो भव। अपने दीप खुद बनो।

अपने दीप आप इसलिए बन सकते हैं क्योंकि प्रकाश आपके भीतर सुप्त पड़ा है। जब यह प्रकाश जागृत होगा, तो दूसरों को भी रोशन करेगा। इस प्रकाश के जागृत होने के लिए जरूरी है कि मन की सुराही पर समाज की रगड़ लगे, जैसे अलादीन का चिराग घिसने पर जिन्न निकलता था। बिना घिसे तो साबुन भी झाग नहीं छोड़ता। फिर ये तो मन है, जिसके ऊपर सभ्यताओं की पांच हजार साल पुरानी परत चढ़ी हुई है। इसे घिसना होगा और घिसने की परिस्थितियों में लेकर जाना होगा।

इस कार्यशाला की पूरी डिजाइन को हमने जिस तरह रगड़-घिस कर तैयार किया, इसके बावजूद हर क्षण पर हमें मूल्यों को लेकर सचेत रहना पड़ा। आप जब समाज में, समुदाय में संवैधानिक मूल्यों पर काम करने जाएंगे, तो यह कार्यशाला आपके लिए एक प्रारूप का काम करेगी, कि कैसे दूसरों के साथ संवाद और संपर्क में उनकी स्वतंत्रता, समानता, न्याय और परस्पर बंधुत्व को सुनिश्चित किया जाए- कुछ इस सूक्ष्म ढंग से कि उन्हें इसका अहसास भी न हो और आपकी सहज स्वीकार्यता कायम हो जाए।

जैसा कि हमने शुरुआत में सीखा था, संवाद से संलग्नता और संलग्नता से स्वीकार्यता, यही वह मंत्र है जो हमें मूल्यों के प्रसार में कामयाब बनाएगा।

आगले चार दिन हम समुदाय में जा कर क्या करेंगे और उसका मॉडल क्या हों, इसी पर विचार करेंगे। कुछ अभ्यासों के माध्यमों से इस पर समझ बनाने की कोशिश की जाएगी।

सत्र 21

आगे का रास्ता

सत्र का खाका

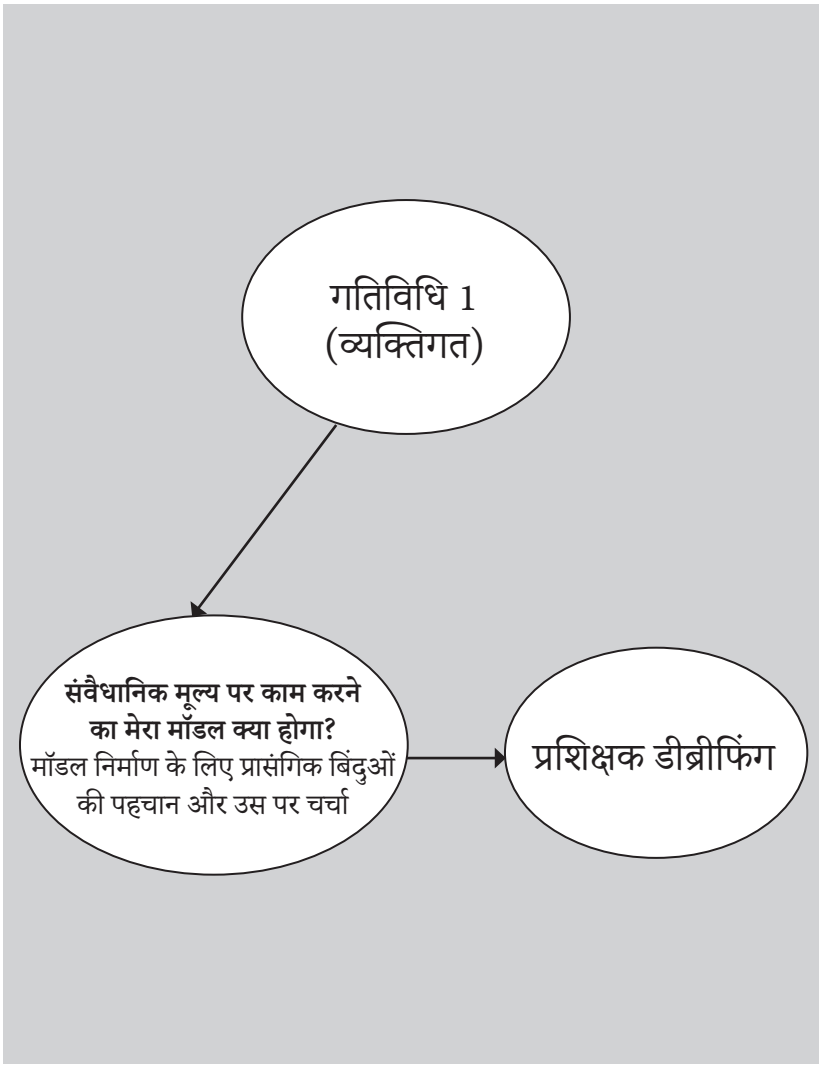

सत्र संचालन

इस सत्र में प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए प्रशिक्षक सबसे पहले यह सूचना देगा कि आगे के चार दिन हम 'क्या करें' पर विचार करेंगे। इस विचार को हमें अब तक किए गए दो अवकाश कार्यों और सीखे गए बिंदुओं के आलोक में गढ़ना होगा।

जैसा कि हमने पिछले सत्र में जाना, इस कार्यशाला में जिस तरीके से संवैधानिक मूल्यों को लागू किया गया वह प्रक्रिया अब सबके सामने है। हमने उस प्रक्रिया का सरलीकरण कर के उसके चरण भी देख लिए और अपने-अपने स्तर पर उन पड़ावों की पहचान भी कर ली कि हम में कहां बदलाव आया है। अब बिलकुल यही काम हमें यहां से बाहर जाकर अपने-अपने फील्ड में करना है।

स्वाभाविक है, हम अपने फील्ड में नए सिरे से जाएंगे तो पहला सवाल मन में यही आएगा कि 'क्या करें?' इसको हल करने के लिए सभी प्रतिभागियों को यह प्रस्ताव दिया जाता है कि वे संवैधानिक मूल्यों के प्रसार के लिए अपना एक विशिष्ट मॉडल बनाएं। यह काम समय लेने वाला है, इसलिए इस पर हाथ लगाने के पहले जरूरी है कि हम पहले चरण और दूसरे चरण के अवकाश कार्यों पर अपनी-अपनी प्रस्तुतियों को एक बार देखकर दुहरा लें और फिर खुद से कुछ सवाल पूछें।

प्रशिक्षक ध्यान दें

यहां पर प्रशिक्षक सभी प्रतिभागियों से एक बार स्पष्ट कर लेगा कि उन्हें अभ्यास समझ में आया है या नहीं। मॉडल बनाने का मतलब क्या है, इसे समझाएगा। मॉडल का मतलब है कि शैक्षिणिक हस्तक्षेप से पहले उसके विभिन्न चरणों, रूपों, संसाधनों, माध्यमों, तरीकों, उद्देश्यों एवं संदर्भ तथा विषय-वस्तु आदि को व्यवस्थित स्वरूप देना। उसके बाद प्रशिक्षक दोनों अवकाश कार्यों के प्रस्तुतीकरण का चार्ट सबके सामने लगा देगा ताकि उनमें दिए गए सवालों को सब दोबारा याद कर लें।

गतिविधि 1

दोनों अवकाश कार्यों के सवाल निम्न थे-

पहली अवकाश गतिविधि

1. संवैधानिक मूल्य क्या समाज में दिखाई देते हैं?
2. अगर हां, तो कहां और किन परिस्थितियों में? अपने अनुभव से उदाहरण दें। यदि नहीं, तो इसका भी उदाहरण दें।
3. आम लोग कैसे इन मूल्यों को अपने जीवन में बरतते हैं या नहीं बरतते हैं, अनुभव से उदाहरण दें।
4. संवैधानिक मूल्यों की पालना में क्या बाधाएं हैं?

दूसरी अवकाश गतिविधि

- अपने कार्यस्थल, संगठन और समुदाय में (सत्र 16 में निकले) दस बिंदुओं के आधार पर संवैधानिक मूल्यों के प्रसार की योजना तैयार करें।

चूंकि दोनों अवकाश गतिविधियों के प्रतिभागियों के जवाब आगामी गतिविधि में काम आने वाले हैं, तो सभी प्रतिभागियों से ध्यान से अपनी प्रस्तुतियां याद करने को कहें और उनके आलोक में निम्न बिंदुओं की पहचान करने का अभ्यास दें -

1. मेरा फील्ड (समुदाय/संगठन/समूह/कार्यस्थल) क्या है?
2. क्या वह ग्रामीण/शहरी/कस्बाई है?
3. मेरे प्रतिभागी कौन होंगे (सामाजिक प्रोफाइल)?
4. मेरे प्रतिभागी ऐसे किसी प्रशिक्षण को कितना वक्त दे सकेंगे?
5. मेरे प्रतिभागियों के लिए किस माध्यम से प्रशिक्षण उपयुक्त रहेगा या मैं किस माध्यम से प्रशिक्षण देना चाहूंगा (औपचारिक कार्यशाला/गीत/लेखन/नाटक/परचा/आंदोलन या अन्य कोई और)
6. मेरा प्रशिक्षण स्थल कैसा है?
7. मेरे प्रतिभागियों का शैक्षणिक स्तर क्या है?
8. मेरे पास पाठ्य सामग्री/सहायक सामग्री के संसाधनों की स्थिति क्या है?
9. क्या मेरा प्रशिक्षण आवासीय होगा?
10. मेरे प्रतिभागी क्या एक ही जगह के होंगे या अलग स्थानों के? क्या उनके आने जाने के लिए संसाधन का खर्च मैं दे पाऊंगा?

ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनसे प्रशिक्षण का चरित्र उभर कर आएगा और हर प्रतिभागी एक प्रशिक्षक की नजर से देखने का अभ्यास कर सकेगा, कि फील्ड में उसके प्रशिक्षण की पूर्वस्थितियां क्या हैं।

पहली अवकाश गतिविधि के जवाब, दूसरी अवकाश गतिविधि के दस आधार बिंदु और ऊपर पूछे गए सवालों के जवाब मिलकर हर प्रतिभागी के प्रशिक्षण मॉडल का आधार तैयार करेंगे।

प्रशिक्षक इन तीनों के संबंध को जितना विस्तार से समझा सकेगा प्रतिभागियों को उतनी आसानी होगी।

ऊपर दिए गए सवालों के जवाबों की पहचान करने, उन्हें लिखने के लिए कम से कम एक घंटे का समय दिया जाना चाहिए।

जब सबके बिंदु तैयार हो जाएं, तब सदन के सामने रखकर उन पर सामूहिक चर्चा की जानी चाहिए ताकि किसी किस्म का कोई भ्रम न रहे और हर प्रतिभागी को अपने फील्ड की विशिष्ट स्थितियों का पता चल जाए।

प्रशिक्षक ध्यान दें

प्रशिक्षक समूह चर्चा के दौरान प्रतिभागियों को उनकी फील्ड की विशिष्ट स्थितियों पर रोशनी डालते हुए विभिन्न गतिविधियों के मॉडल बनाने की आवश्यकता एवं इसे बनाने की विधि पर जानकारी दें। किसी भी मॉडल बनाने के मुख्य चरण इस प्रकार हो सकते हैं-

- सीखने-सिखाने की आवश्यकता- समुदाय की पृष्ठभूमि एवं परिस्थिति
- आवश्यकताओं की प्राथमिकता तय करना
- आवश्यकताओं को चरणबद्ध करना
- उद्देश्यों का निरूपण
- विषय-वस्तु का निर्धारण- कितना और कितनी गहराई में, विषय का फोकस कहां होगा। (विषय वस्तु का निर्धारण करते समय ध्यान रखना चाहिए कि हमारी विषय वस्तु से सीखने वाले के बौद्धिक विकास के साथ-साथ उनके आचरण में अपेक्षित परिवर्तन का सूत्रपात भी कर सकें। साथ ही अपनी अवस्था में परिवर्तन में अपनी भूमिका बखूबी निभाने की क्षमता भी विकसित कर सकें)
- विषय वस्तु की क्रमबद्धता
- विधियों का चुनाव

किसी भी गतिविधि का मॉडल बनाते समय हमें उपरोक्त क्रमबद्धता को ध्यान में रखना होता है। इसके बाद प्रशिक्षक पिछले सत्र के आधार पर प्रतिभागियों को एक अभ्यास देगा।

सवाल: संवैधानिक मूल्यों के प्रसार के लिए अपना मॉडल तैयार करें। यह व्यक्तिगत अभ्यास होगा।

इस मॉडल के निर्माण के लिए प्रतिभागियों को अगली सुबह तक का समय दिया जाना चाहिए।

प्रशिक्षक डीब्रीफिंग

प्रशिक्षक इस सत्र के अंत में प्रतिभागियों को उनके मॉडल तैयार करने संबंधी जिज्ञासाओं पर बात करेगा और इस बात से आश्वस्त करेगा कि यह गतिविधि इसलिए की जा रही है ताकि वे समाज में जाएं तो उनके पास एक आजमाये हुए नुस्खे के आधार पर कुछ हाथ में रहे ताकि वे अपने सेटअप में उसे लागू कर सकें। प्रशिक्षक बताएगा कि अगली सुबह से हर प्रतिभागी के मॉडल की प्रस्तुति होगी और उस पर खुली चर्चा होगी।

सत्र 22

मेरा मॉडल

सत्र का खाका

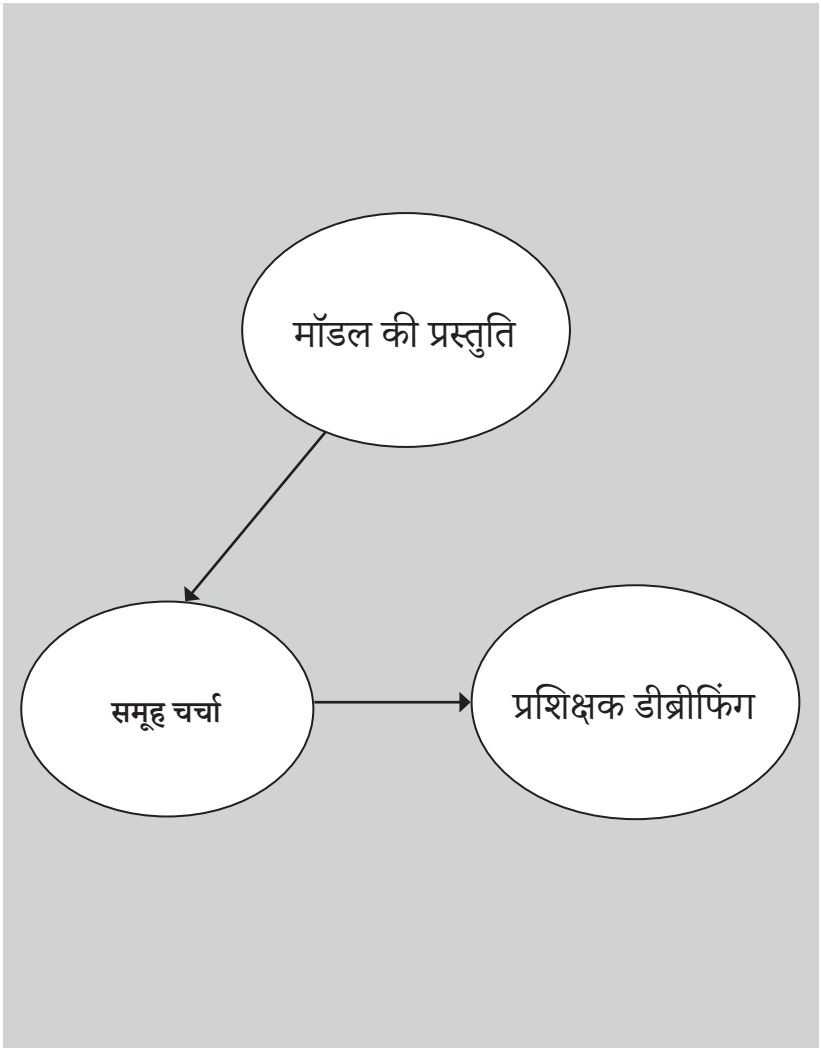

सत्र संचालन

सत्र की शुरुआत प्रतिभागियों के प्रस्तुतीकरण से होगी।

प्रशिक्षक सभी की अनिवार्य उपस्थिति को कहेगा ताकि अपने मॉडल निर्माण में किसी प्रतिभागी को कोई दिक्कत आ रही हो तो वह दूसरे की प्रस्तुति से संकेत लेते हुए अपने प्रारूप में बदलाव कर सके।

प्रशिक्षक ध्यान दें

हर प्रतिभागी को अपनी प्रस्तुति को लिखित रूप में जमा करवाना होगा। प्रशिक्षक हर एक प्रस्तुति पर अपना नोट लेगा जिसके आधार पर डीब्रीफिंग होनी है। अगर एक दिन के पूरे सत्र में प्रस्तुतियां पूरी नहीं हो पाती हैं तो वे दूसरे दिन भी जारी रहेंगी।

प्रशिक्षक डीब्रीफिंग

डीब्रीफिंग प्रस्तुतियों के दौरान लिए गए नोट्स के आधार पर की जाएगी। यदि प्रस्तुतियां बाकी हों, तो डीब्रीफिंग में बचे हुए प्रतिभागियों से अनुरोध किया जाएगा कि वे दिन की कार्यवाही से निकले बिंदुओं के आधार पर अपने मॉडल को और बेहतर बनाने की कोशिश करें।

अगर शाम तक सभी प्रतिभागियों की प्रस्तुति हो जाती हैं तो प्रशिक्षक डीब्रीफिंग के दौरान प्रतिभागियों का उन गतिविधियों पर भी ध्यान दिलवाए जहां सीखना सिखाना प्रशिक्षण कक्ष के बाहर की प्रक्रियाओं पर निर्भर है। यह गतिविधियां कई तरह की हो सकती हैं। जैसे नुक्कड़ नाटक का आयोजन, सभा बुलाना, गीत मंडली द्वारा जन जागृति, साइकिल यात्रा, फिल्म फेस्टिवल, विचार गोष्ठी, प्रदर्शनी, जन सभाएं इत्यादि। अगर ये बिंदु प्रतिभागियों के प्रस्तुतीकरण के दौरान न उभरे हों तो आप अपनी ओर से इन बिंदुओं पर सुझाव दें।

चर्चा के दौरान उन गतिविधियों की सूची बनाएं जो मॉडल में शामिल की गई है। यहां चर्चा इस बात पर बढ़ाई जानी चाहिए की विभिन्न गतिविधियों में कहां तक तालमेल है और उनके आयोजन के दौरान कौन-कौन सी विषय वस्तु को समाहित किया जाएगा। गतिविधियां कितने दिनों की है, कितने गांवों में इन गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा, विभिन्न गतिविधियां कितने अंतराल पर आयोजित की जाएगी, क्या इन गतिविधियों में गांव के सभी लोगों (महिला, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग, युवा) को शामिल किया जाएगा; जैसे प्रश्नों पर प्रतिभागियों का ध्यान आकर्षित करें।

इससे आगे की चर्चा में प्रतिभागियों को यह स्पष्ट करें कि कैसे इन गतिविधियों के आयोजन के दौरान भी सीखने-सिखाने की प्रक्रिया अनवरत रूप से चलती है। उदाहरण के लिए कैसे नुक्कड़ नाटक, गीत मंडली, अभियान, प्रदर्शनी इत्यादि के आयोजन से भी सभी लोगों की सीखने-सिखाने और विश्लेषण की क्षमता बढ़ती रहती हैं।

इसके बाद इन गतिविधियों के आयोजनकर्ता के विभिन्न भूमिकाओं पर चर्चा करें और सहभागियों को यह समझाने में मदद करें कि कैसे इन प्रक्रियाओं के दौरान वे एक प्रशिक्षक की भूमिका अदा कर सकते हैं।

सत्र 23

हमारा मॉडल

सत्र का खाका

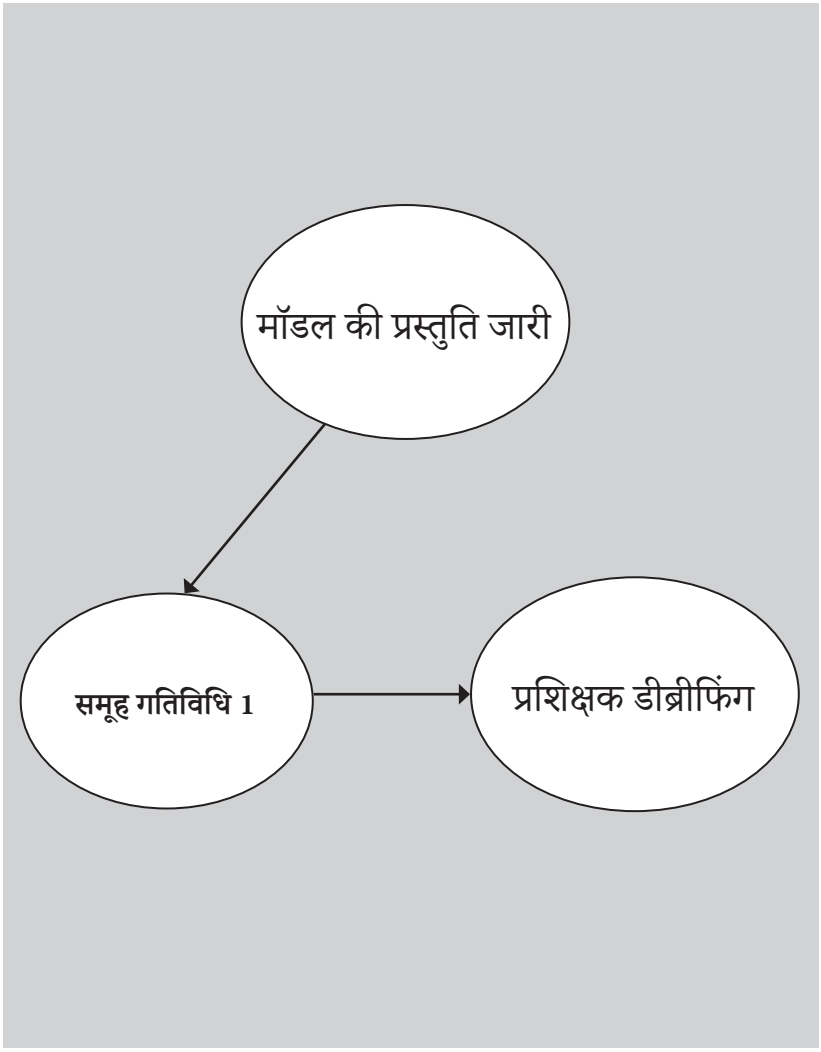

सत्र संचालन

पिछले सत्र की प्रस्तुतियां यदि शेष हों तो उन्हें प्रशिक्षक जारी रखेगा, उसके बाद अगली गतिविधि पर आएगा। अगर पिछले दिन ही सारी प्रस्तुतियां पूरी हो गई हों तो प्रशिक्षक अगली गतिविधि पर आएगा।

समूह गतिविधि 1

सवाल: विधा आधारित समूहों में मॉडल तैयार करना।

प्रशिक्षक ध्यान दें

प्रशिक्षक सभी प्रस्तुतियों में से एक माध्यम वाली प्रस्तुतियां एकत्रित कर लेगा।

जैसे, यदि पांच प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण कार्यशाला के माध्यम से मॉडल बनाया है तो वह उन मॉडलों को एक साथ रखेगा। यदि तीन प्रतिभागियों ने नाटक के माध्यम से प्रशिक्षण मॉडल बनाया है तो उन्हें एक साथ रखेगा। इस तरह विधा आधारित प्रशिक्षण मॉडल को एक साथ लिया जाएगा।

इसके बाद इन चुने गए मॉडलों को तैयार करने वाले प्रतिभागियों के समूह बनाए जाएंगे।

मान लिया कि पांच प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण कार्यशाला चलाने का मॉडल बनाया है, तो उन पांच को मिलाकर एक समूह बना दिया जाएगा।

उसी तरह, अगर तीन ने गीतों के माध्यम से प्रशिक्षण देने का मॉडल बनाया है तो उन तीनों का समूह बना दिया जाएगा।

इस तरह प्रतिभागियों में विधा आधारित समूह तैयार किए जाएंगे।

सामूहिक मॉडल

प्रशिक्षक समूह निर्माण के पीछे कारण बताएगा कि एक ही विधा के प्रतिभागियों को अब अपने-अपने मॉडल को मिलाकर एक साझा मॉडल तैयार करना है। इस तरह हमारे पास विधा केंद्रित अलग-अलग मॉडल होंगे। निश्चित रूप से इन मॉडलों को मिलाकर एक साझा मॉडल बनाने में प्रशिक्षण स्थल, प्रतिभागियों की प्रकृति आदि को लेकर अंतर हो सकता है लेकिन यह समूह के विवेक पर है कि वह कैसे इस अंतर को पाटता है और न्यूनतम साझा सहमति पर पहुंचकर एक ऐसे मॉडल का निर्माण करता है जो समूह के सभी सदस्यों के बराबर काम आ सके।

इस प्रक्रिया में अपनी दिक्कतें सुलझाने के लिए सभी समूह एक दूसरे से परामर्श भी कर सकते हैं।

इसके बाद प्रशिक्षक सभी समूहों को घंटे भर के लिए विचार करने का समय देगा।

वापस हॉल में आने पर इस गतिविधि पर प्रशिक्षक सबके बीच में चर्चा करेगा, प्रतिभागियों

की दिक्कतों पर बात करेगा और उन्हें सामूहिक मॉडल के अंतिम प्रारूप बनाने का पूरा समय देगा।

ये मॉडल लिखित रूप में अगली सुबह सभा के समक्ष प्रस्तुत होने चाहिए।

प्रशिक्षक डीब्रीफिंग

अगर पिछले दिन की प्रस्तुतियां शेष रही हों तो सभी प्रस्तुतियों के आधार पर यह डीब्रीफिंग होगी।

इसके अलावा, व्यक्ति से समूह तक जाने के तर्क को स्थापित करते हुए इसी कार्यशाला से उदाहरण लिया जा सकता है कि जब अलग-अलग पृष्ठभूमि से आने वाले इतने सारे प्रतिभागियों पर एक मॉडल काम कर सकता है तो समाज में अलग-अलग प्रतिभागियों को ध्यान में रखकर एक मॉडल क्यों नहीं बनाया जा सकता।

प्रशिक्षक एक बार फिर इस कार्यशाला में अपनाई गई प्रक्रिया को दुहराएगा, कि कैसे सभी प्रतिभागियों के बीच बराबरी लाने के लिए कौन कौन से चरण अपनाए गए थे और कैसे एक न्यूनतम साझा प्रारूप के आधार पर प्रशिक्षण चलाया गया। बिलकुल उसी तर्ज पर प्रतिभागी समूहों को अपने-अपने मॉडल को मिलाकर एक साझा मॉडल देना है।

इस गतिविधि के लिए अगली सुबह तक का समय दिया जाना चाहिए।

सत्र 24

सबका मॉडल

सत्र का खाका

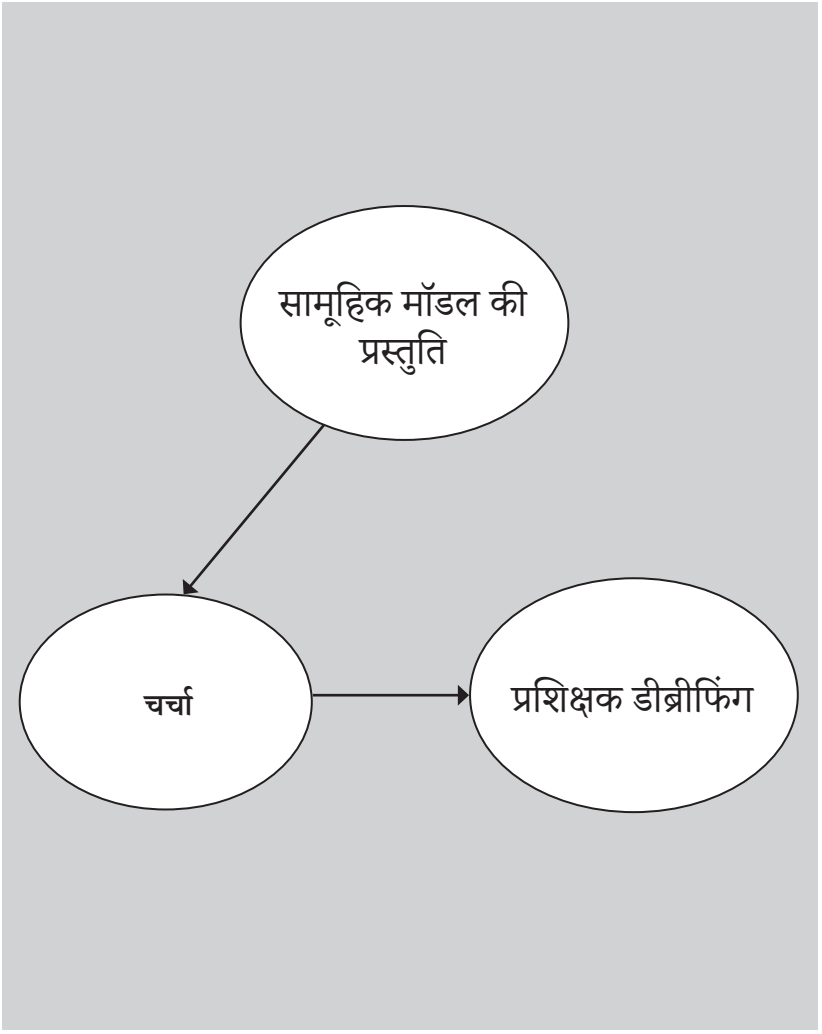

सत्र संचालन

सत्र की शुरुआत सामूहिक मॉडलों की प्रस्तुति से होगी। प्रत्येक मॉडल पर समूह में चर्चा होगी।

प्रशिक्षक हर सामूहिक मॉडल पर अपने नोट लेगा।

प्रस्तुतियां खत्म हो जाने के बाद खुली चर्चा होगी जिसमें इस बात पर विचार किया जाएगा कि क्या विधा और माध्यम से इतर समाज के लिए मूल्य प्रशिक्षण के एक साझे मॉडल की कोई गुंजाइश है।

डीब्रीफिंग

डीब्रीफिंग समूह प्रस्तुति और चर्चा के आधार पर होगी। चूंकि कई समूह कार्यशाला चलाने का मॉडल भी प्रस्तुति कर रहे होंगे इसलिए अच्छा होगा उन समूहों कि प्रस्तुति के बिंदुओं को दो श्रेणियों में विभाजित करें-

1. प्रशिक्षण मॉडल में सभी आवश्यकताओं का ध्यान रखा गया है या नहीं। क्या विषय वस्तु समुदाय की आवश्यकताओं के अनुरूप है।
2. प्रशिक्षण मॉडल की चरणबद्धता, प्रक्रिया और उसके अनुसार चुनी गई पद्धति कितनी उपयुक्त है।

पहले बिंदु पर चर्चा करते समय प्रतिभागियों का ध्यान इस तरफ ले कर आवें कि क्या यह प्रशिक्षण मॉडल हमारे समुदाय की सीखने की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। विभिन्न पद्धतियां कहां तक समुदाय के सदस्यों के सीखने में मददगार हो सकती है।

दूसरे बिंदु पर चर्चा करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें-

- क्या समूह/समूहों ने मॉडल चरणबद्ध तरीके से तैयार किया हैं कहीं कोई चरण छूट तो नहीं गया है।
- क्या प्रशिक्षण मॉडल चरण आधार पर तैयार किया गया हैं या लंबी अवधि का एक ही कार्यक्रम बनाया गया।
- विषय वस्तु की क्रमबद्धता कहां तक उपयुक्त है।
- विभिन्न विषय हेतु दी गई समय सीमा कहां तक पर्याप्त और तर्कसंगत हैं।
- प्रशिक्षण स्थानीय स्तर पर आयोजित किया जाएगा या कहीं बाहर।

जहां तक संभव हो प्रशिक्षक प्रस्तुत मॉडलों में जो भी त्रुटियां हों उन्हें अपनी तरफ से सुझाव दे कर ठीक करवा दें।

इसके बाद प्रशिक्षक कार्यशाला के समापन की औपचारिक घोषणा करते हुए प्रतिभागियों से कहेगा कि आपने जिन मॉडलों को अंतिम रूप दिया है, उन्हें यहाँ से जाने के बाद अपने समुदाय के बीच इस्तेमाल करते रहना है।

अनुलग्नक

1. सत्रवार अभ्यास सामग्री

सत्र 10 - गतिविधि 1

अभ्यास सामग्री

ठाकुर का कुआँ

प्रेमचंद

जोखू ने लोटा मुँह से लगाया तो पानी में सख्त बदबू आई। गंगी से बोला- यह कैसा पानी है? मारे बास के पिया नहीं जाता। गला सूखा जा रहा है और तू सड़ा पानी पिलाए देती है !

गंगी प्रतिदिन शाम पानी भर लिया करती थी। कुआँ दूर था, बार-बार जाना मुश्किल था। कल वह पानी लाई, तो उसमें बू बिलकुल न थी, आज पानी में बदबू कैसी ! लोटा नाक से लगाया, तो सचमुच बदबू थी। ज़रुर कोई जानवर कुएँ में गिरकर मर गया होगा, मगर दूसरा पानी आवे कहाँ से? ठाकुर के कुएँ पर कौन चढ़ने देगा? दूर से लोग डाँट बताएँगे। साहू का कुआँ गाँव के उस सिरे पर है, परंतु वहाँ भी कौन पानी भरने देगा? कोई तीसरा कुआँ गाँव में है नहीं।

जोखू कई दिन से बीमार है। कुछ देर तक तो प्यास रोके चुप पड़ा रहा, फिर बोला-अब तो मारे प्यास के रहा नहीं जाता। ला, थोड़ा पानी नाक बंद करके पी लूँ।

गंगी ने पानी न दिया। ख़राब पानी से बीमारी बढ़ जाएगी इतना जानती थी, परंतु यह न जानती थी कि पानी को उबाल देने से उसकी ख़राबी जाती रहती हैं। बोली- यह पानी कैसे पिओगे? न जाने कौन जानवर मरा है। कुएँ से मैं दूसरा पानी लाए देती हूँ।

जोखू ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा-पानी कहाँ से लाएँगे?

ठाकुर और साहू के दो कुएँ तो हैं। क्या एक लोटा पानी न भरने देंगे?

'हाथ-पाँव तुड़वा आएगी और कुछ न होगा। बैठ चुपके से। ब्रह्म-देवता आशीर्वाद देंगे, ठाकुर लाठी मारेगें, साहूजी एक के पाँच लेंगे। ग़रीबों का दर्द कौन समझता है! हम तो मर भी जाते है, तो कोई दुआर पर झाँकने नहीं आता, कंधा देना तो बड़ी बात है। ऐसे लोग कुएँ से पानी भरने देंगे?'

इन शब्दों में कड़वा सत्य था। गंगी क्या जवाब देती, किंतु उसने वह बदबूदार पानी पीने को न दिया।

रात के नौ बजे थे। थके-माँदे मजदूर तो सो चुके थे, ठाकुर के दरवाजे पर दस-पाँच बेफ़िक्रे जमा थे। मैदानी बहादुरी का तो अब न जमाना रहा है, न मौका। कानूनी बहादुरी की बातें हो रही थीं। कितनी होशियारी से ठाकुर ने थानेदार को एक ख़ास मुकदमें में रिश्वत दी और साफ़ निकल गये। कितनी अक्लमंदी से एक मार्के के मुकदमें की नक़ल ले आए। नाजिर

और मोहतमिम, सभी कहते थे, नक़ल नहीं मिल सकती। कोई पचास माँगता, कोई सौ। यहाँ बेपैसे-कौड़ी नकल उड़ा दी। काम करने का ढंग चाहिए।

इसी समय गंगी कुएँ से पानी लेने पहुँची।

कुप्पी की धुँधली रोशनी कुएँ पर आ रही थी। गंगी जगत की आड़ में बैठी मौके का इंतज़ार करने लगी। इस कुएँ का पानी सारा गाँव पीता है। किसी के लिए रोक नहीं, सिर्फ़ ये बदनसीब नहीं भर सकते।

गंगी का विद्रोही दिल रिवाजी पाबंदियों और मज़बूरियों पर चोटें करने लगा—हम क्यों नीच हैं और ये लोग क्यों ऊँच हैं? इसलिए कि ये लोग गले में तागा डाल लेते हैं? यहाँ तो जितने है, एक-से-एक छँटे हैं। चोरी ये करें, जाल-फ़रेब ये करें, झूठे मुकदमें ये करें। अभी इस ठाकुर ने तो उस दिन बेचारे गड़रिए की भेड़ चुरा ली थी और बाद में मारकर खा गया। इन्हीं पंडित के घर में तो बारहों मास जुआ होता है। यही साहू जी तो घी में तेल मिलाकर बेचते हैं। काम करा लेते हैं, मजूरी देते नानी मरती है। किस-किस बात में हमसे ऊँचे हैं, हम गली-गली चिल्लाते नहीं कि हम ऊँचे हैं, हम ऊँचे हैं। कभी गाँव में आ जाती हूँ, तो रस-भरी आँख से देखने लगते हैं। जैसे सबकी छाती पर साँप लोटने लगता है, परंतु घमंड यह कि हम ऊँचे हैं!

कुएँ पर किसी के आने की आहट हुई। गंगी की छाती धक-धक करने लगी। कहीं देख लें तो गजब हो जाए। एक लात भी तो नीचे न पड़े। उसने घड़ा और रस्सी उठा ली और झुककर चलती हुई एक वृक्ष के अंधेरे साये मे जा खड़ी हुई। कब इन लोगों को दया आती है किसी पर ! बेचारे महँगू को इतना मारा कि महीनों लहू थूकता रहा। इसीलिए तो कि उसने बेगार न दी थी। इस पर ये लोग ऊँचे बनते हैं?

कुएँ पर स्त्रियाँ पानी भरने आई थी। इनमें बात हो रही थी।

'खाना खाने चले और हुक्म हुआ कि ताजा पानी भर लाओ। घड़े के लिए पैसे नहीं हैं।'

'हम लोगों को आराम से बैठे देखकर जैसे मरदों को जलन होती है।'

'हाँ, यह तो न हुआ कि कलसिया उठाकर भर लाते। बस, हुकुम चला दिया कि ताजा पानी लाओ, जैसे हम लौंडियाँ ही तो हैं।'

'लौडिंयाँ नहीं तो और क्या हो तुम? रोटी-कपड़ा नहीं पातीं? दस-पाँच रुपए भी छीन-झपटकर ले ही लेती हो। और लौडियाँ कैसी होती हैं!'

'मत लजाओ, दीदी! छिन-भर आराम करने को जी तरसकर रह जाता है। इतना काम किसी दूसरे के घर कर देती, तो इससे कहीं आराम से रहती। ऊपर से वह एहसान मानता! यहाँ काम करते-करते मर जाओ; पर किसी का मुँह ही सीधा नहीं होता।'

दोनों पानी भरकर चली गई, तो गंगी वृक्ष की छाया से निकली और कुएँ की जगत के पास आई। बेफ़िक्रे चले गऐ थे। ठाकुर भी दरवाज़ा बंद कर अंदर आँगन में सोने जा रहे थे। गंगी ने क्षणिक सुख की साँस ली। किसी तरह मैदान तो साफ़ हुआ। अमृत चुरा लाने के लिए जो राजकुमार किसी जमाने में गया था, वह भी शायद इतनी सावधानी के साथ और

समझ-बूझकर न गया हो। गंगी दबे पाँव कुएँ की जगत पर चढ़ी, विजय का ऐसा अनुभव उसे पहले कभी न हुआ था।

उसने रस्सी का फंदा घड़े में डाला। दायें-बायें चौकन्नी दृष्टि से देखा जैसे कोई सिपाही रात को शत्रु के किले में सुराख़ कर रहा हो। अगर इस समय वह पकड़ ली गई, तो फिर उसके लिए माफ़ी या रियायत की रत्ती-भर उम्मीद नहीं। अंत मे देवताओं को याद करके उसने कलेजा मजबूत किया और घड़ा कुएँ में डाल दिया।

घड़े ने पानी में गोता लगाया, बहुत ही आहिस्ता। ज़रा भी आवाज़ न हुई। गंगी ने दो-चार हाथ जल्दी-जल्दी मारे। घड़ा कुएँ के मुँह तक आ पहुँचा। कोई बड़ा शहज़ोर पहलवान भी इतनी तेज़ी से न खींच सकता था।

गंगी झुकी कि घड़े को पकड़कर जगत पर रखे कि एकाएक ठाकुर साहब का दरवाज़ा खुल गया। शेर का मुँह इससे अधिक भयानक न होगा।

गंगी के हाथ से रस्सी छूट गई। रस्सी के साथ घड़ा धड़ाम से पानी में गिरा और कई क्षण तक पानी में हिलकोरे की आवाजें सुनाई देती रहीं।

ठाकुर कौन है, कौन है? पुकारते हुए कुएँ की तरफ़ आ रहे थे और गंगी जगत से कूदकर भागी जा रही थी।

घर पहुँचकर देखा कि जोखू लोटा मुँह से लगाए वही मैला-गंदा पानी पी रहा है।

सत्र 10, गतिविधि 2

अभ्यास सामग्री

1905-1947 तक का घटनाक्रम

1905	:	20 जुलाई 1905 को लार्ड कर्जन ने बंगाल को दो भागों में विभाजित करने का आदेश जारी किया; अ) पूर्वी बंगाल और असम ब) शेष बंगाल
	:	स्वदेशी आंदोलन में बंगाल के छात्रों की भूमिका बढ़ी तथा महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना शुरू किया।
	:	प्रसिद्ध बैरिस्टर अब्दुल रसूल, लियाकत हुसैन और व्यवसायी गजनवी सहित अनेक मुसलमानों की भूमिका रही मगर आमतौर पर उच्च वर्गीय मुसलमान तटस्थ रहे।
	:	ढाका के नबाव व अन्य लोगों को अधिकारियों ने बढ़ावा दिया। (भारत सरकार ने नबाव को 14 लाख रूपये का कर्ज दिया था)।
	:	आंदोलन बंगाल के किसानों को प्रभावित न कर सका और न ही अपने साथ ला सका।
	:	आंदोलन शहरों और प्रान्तों के उच्च और मध्य वर्ग तक ही सीमित रहा।
	:	बंग भंग विरोधी आंदोलन का नेतृत्व जल्द ही बिपिन चन्द पाल और अरविन्द घोष के हाथों चला गया।
	:	विनायक दामोदर सावरकर ने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था स्थापित की।
1905	:	206 सूती मिलें खुल गयीं थीं। इनमें करीब 1 लाख 96 हजार लोग कार्यरत थे।
	:	समाचार पत्रों द्वारा क्रांतिकारी आतंकवाद का प्रचार महाराष्ट्र में काल के प्रकाशन से शुरू।
1906	:	मुस्लिम लीग का गठन।
	:	कोयला खान उद्योग में करीब 1 लाख लोगों को रोजगार प्राप्त था।
	:	बरिसाल में बंगाल प्रांतीय सम्मेलन के शांति प्रिय प्रतिनिधियों पर हमला।

1906-9 : बंगाल की अदालतों में 550 राजनीतिक मुकदमें आए।

: ढाका के नबाव और नबाव मोहसिनउल मुल्क के नेतृत्व में आल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना (दिसम्बर, 1906 में) हुई।

: अनुशीलन द्वारा साप्ताहिक 'जुगांतर' का प्रकाशन।

1907 : लाला लाजपतराय और अजीत सिंह को पंजाब की नहरी बस्तियों में दंगों के बाद निर्वासित कर दिया गया।

1908 : अलीपुर मुकदमें में क्रांतिकारियों को फांसी। इस खबर ने हिन्दुस्तान के अतिरिक्त इंग्लैण्ड में रह रहे भारतीयों को भी आक्रोशित कर दिया।

1908-10 : दमनकारी प्रेस कानून बनाया गया।

: 1905 में और 1913 में किसानों ने सामूहिक रूप से जागीरदार की खेती करने से इंकार कर दिया और पड़ोसी क्षेत्रों में जाने का प्रयास किया।

: मेवाड़ में महत्वपूर्ण किसान आंदोलन।

: किसान आंदोलन ने दो क्षेत्रों में सीधे और ठोस रूप से गांधीवाद के उदय में योगदान दिया। ये क्षेत्र थे- उत्तर पश्चिम बिहार का चम्पारन और गुजरात के खेड़ा क्षेत्र में। चम्पारन में 1860 से तिनकठिया व्यवस्था का छुटपुट विरोध होता रहा था। इस व्यवस्था के अन्तर्गत यूरोपीय प्लान्टर रामनगर, बेतिया और मधुबन के जमींदारों से जमीन का पट्टा ले लेते थे और किसानों को बाध्य करते थे कि वे अपनी जमीन के कुछ भाग में नील की खेती करें। इसके लिए उन्हें मजदूरी भी नहीं दी जाती थी। जब 1900 के लगभग कृत्रिम रंगों की प्रतिस्पर्धा के कारण नील के व्यापार में मंदी आने लगी तो इन प्लान्टरों ने यह भार भी किसानों पर डालने का प्रयास किया। नील उगाने की बाध्यता से मुक्ति के बदले उन्होंने लगान वृद्धि अथवा एकमुश्त मुआवजा की मांग की। 1905 से 1908 के बीच मोतीहारी बेतिया क्षेत्र में इसका कड़ा विरोध हुआ।

: 19वीं सदी के उत्तरार्द्ध में हुए किसान विद्रोहों में 1855 का संथाल विद्रोह और 1875 का दक्कन विद्रोह सबसे महत्वपूर्ण थे। लेकिन 1914-1918 के पहले विश्व युद्ध के बाद और खास तौर से विश्वव्यापी अर्थसंकट (ग्रेट डिप्रेशन 1929-33) के अंतिम दशक के बाद से किसानों का असंतोष अभूतपूर्व तेजी के साथ बढ़ा।

1908 : मदनलाल ढींगरा ने इम्पीरियल इंस्टीट्यूट इंग्लैण्ड के जहांगीर हाल में वायली को गोली मार कर हिन्दुस्तानी क्रांतिकारियों को दी जाने वाली सजा का बदला लिया।

1909 : भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर उदारवादियों का बोलबाला था।

: कानून की परिधि में संवैधानिक आंदोलन और धीरे-धीरे व्यवस्थित रानजैतिक प्रगति।

: जन मांगों को याचिकाओं, सभाओं, प्रस्तावों और भाषणों के जरिए अधिकारियों तक पहुंचाया जाए।

: उदारवादियों को साथ रखने की दृष्टि से इंडियन कौंसिल एक्ट के जरिए संवैधानिक रियायतों की घोषणा की। इसे 1909 का मार्ले मिन्टो सुधार भी कहा गया, जो अत्यन्त सीमित था। 1892 के इंडियन कौंसिल एक्ट के जरिए विधान परिषदों में भारतीय प्रतिनिधि लेने के कार्यक्रम को विस्तार दिया गया। अब केंद्रीय विधान परिषद में अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों के एक अल्पमत को तथा प्रांतीय विधान परिषदों में अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों के बहुमत को शामिल किया गया। यह परिषदें केवल सलाहकार संस्थाएं थी। इनके पास कोई ठोस अधिकार नहीं थे। कांग्रेस के नरमपंथी नेताओं ने अंग्रेज सरकार के साथ अपनी एकता व्यक्त करते हुए इन सुधारों का लाभ उठाया। 1910 में नये वायसराय के आने पर कांग्रेस नेताओं ने अपनी वफादारी भरी भावनाएं व्यक्त की।

: मार्ले मिण्टो सुधार में इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउन्सिल के 68 सदस्यों में से 36 ऑफिसर और पांच नामजद गैर अफसर थे।

: 27 सदस्यों में से 6 बडे जमींदारों तथा 2 ब्रिटिश पूंजीपतियों के प्रतिनिधि

: सुधारों में सभी मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्रों में रखा गया।

1911 : सरकार ने बंग भंग को संशोधित करने की घोषणा की।

: पश्चिमी और पूर्वी बंगाल एक करने और बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रान्तों के निर्माण की घोषणा की।

: तुर्की और इटली की लड़ाई

: हिंदुस्तान में ख़िलाफ़त आंदोलन

1913 : अमरीका तथा कनाडा में रहने वाले भारतीय क्रांतिकारियों ने गदर पार्टी की स्थापना की। पार्टी के सदस्य किसान और सैनिक थे। लाला हरदयाल इसके प्रमुख नेताओं में से एक थे।

मैक्सिको, जापान, फिलीपीन्स, मलाया, सिंगापुर, थाईलैण्ड, इण्डोचीन और पूर्व तथा दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में पार्टी के सक्रिय सदस्य थे।

: जैसा कि 19वीं सदी में हुआ था कि भारत में अनेक भागों में आदिवासी विद्रोह एक स्थाई तत्व बने रहे, जो कि दक्षिणी आन्ध्र प्रदेश में हुए। 1913 में फोरेस्ट कमेटी द्वारा वन संरक्षण एवं राजस्व की दृष्टि से प्रतिबन्धों को कड़ा करने का परिणाम यह हुआ कि असहयोग आंदोलन के दौरान कुडप्पा में वन सत्याग्रह हुआ। 1910 में जगदलपुर में विद्रोह हुआ।

1914 : उड़ीसा की सामन्तवादी रियासत दसपल्ला में अक्टूबर में खोंड (आदिवासी) विद्रोह हुआ। इस विद्रोह का आरम्भ उत्तराधिकार विवाद से ही हुआ कि अंग्रेजों को हटा कर खोंडों का अपना राज्य होगा।

: खोंड विद्रोह की अफवाह ने मुण्डों के पड़ोसी छोटा नागपुर क्षेत्र के उरावों के बीच भी विद्रोह भड़का दिया। यहां जात्रा भगत ने आंदोलन का आरम्भ किया। 1920 के पश्चात उरावों के इस आंदोलन ने गांधीवादी राष्ट्रवाद के साथ महत्वपूर्ण सम्पर्क स्थापित किए।

: दक्षिणी राजस्थान में गोविन्द गुरू ने समाज सुधार का आंदोलन चलाया जिसने बांसवाड़ा, सुण्ड और मेवाड़ से लगी हुई डूंगरपुर रियासतों के भीलों में जागृति फैलाई। 1913 के अंत तक भील राज्य स्थापित करने की बात कही जाने लगी।

: भारत की कुल बैंक जमा के 70 प्रतिशत से अधिक पर विदेशी बैंकों का अधिकार था।

: जून में प्रथम विश्व युद्ध की शुरूआत।

: हिन्दुस्तान में रजिस्टर्ड ज्वाइन्ट स्टाक कम्पनियां 2552 से 2789 तक हो गयीं।

: युद्धकालीन दौर में किसानों और औद्योगिक सेठों के बीच खाई बढ़ रही थी।

: पैसे की पूंजी का एकत्रीकरण बड़ी तेजी के साथ हुआ, पर पूंजी का पुर्नउत्पादन में सही इस्तेमाल नहीं हुआ।

: प्रथम विश्व युद्ध के बाद विकास को दो रूपों में देख सकते हैं:

अ) विश्व पूंजीवादी व्यवस्था में ब्रिटिश एकाधिकार में गिरावट

ब) हिन्दुस्तानी बुर्जुआ वर्ग और साम्राज्यवाद में तनाव

: जो 1910 में बम्बई में मजदूरों के हित के लिए एक संस्था बनी थी जिसका नाम कामगार हित वर्द्धक संस्था थी। इस संस्था का उद्देश्य मालिकों के बीच उत्पन्न विवाद हल करने के लिए सरकार के समक्ष याचिकाएं पेश करना था। 1914 से पहले मजदूर आंदोलन का विस्तार केवल यूरोपीय और आंग्ल भारतीय रेल कर्मचारियों तथा सरकारी कर्मचारियों के ऊपरी तबके तक सीमित था।

1915 : दो होमरूल लीग की स्थापना।

: हिन्दू महासभा स्थापित।

1915 : क्रांतिकारियों द्वारा 21 फरवरी को पंजाब में बगावत तय हुई। यह विद्रोह गदर पार्टी वालों ने तय किया था। गदर पार्टी के नेताओं ने सेना और किसानों के बीच क्रांतिकारी विचारों को फैलाने का काम किया।

: गांधीजी भारत लौटे।

1916 : अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना।

: दोनों धड़ों का संयुक्त भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन

: कांग्रेस और आल इंडिया मुस्लिम लीग ने मतभेद भुलाए और एक तरह की राजनीतिक मांगें रखीं।

1917 : सोवियत क्रांति।

: मयूरभंज में संथालों ने और मणिपुर में थोडोई कुकियों ने विद्रोह किया।

: अक्टूबर में बिहार में दंगे हुए। दंगों में लगभग 50 हजार की भीड़ ने शाहाबाद में 24, गया में 28 और पटना में दो गांवों में आक्रमण किया। इसका तात्कालिक कार्य गौरक्षा का मुद्दा था किन्तु अफवाह उड़ गई कि अंग्रेजों का शासन समाप्त हो चुका है। यह भी कहा गया कि उच्च जातियों के भूस्वामी जानबूझ कर दंगों को भड़का रहे थे ताकि स्थानीय नेतागीरी बनाये रखें। इन दंगों को भड़काने में सनातन धर्म सभा के गोरक्षा प्रचार एवं आर्य समाजियों के आंदोलन की भूमिका रही।

: राष्ट्रीयता समर्थक मद्रास प्रेसीडेन्सी एसोसिएशन की स्थापना। यह गैर ब्राह्मणों की एसोसिएशन थी। इसने अलग प्रतिनिधित्व की मांग की। आगे चलकर 1920 के दशक में तमिलनाडु में आई-वी- रामास्वामी नायकर के नेतृत्व में एक जुझारू ब्राह्मणवाद विरोधी एवं जाति विरोधी आंदोलन विकसित हुआ।

: सी-आर- रेड्डी, जो मद्रास के एक गैर ब्राह्मण राजनीतिज्ञ थे, ने ब्राह्मण विरोधी मंच पर रियासत के सर्वप्रथम राजनैतिक संगठन प्रजा मित्र मंडली की स्थापना की। यह संगठन मात्र शहरी व्यवसायिक गुट बन कर ही रह गया, जो वैयक्तिक संपर्क के बल पर ही दरबार की राजनीति प्रभावित करने का प्रयास करता था।

: 20 अगस्त को भारत सचिव मोंटेग्यू ने संवैधानिक सुधारों की घोषणा की।

: सत्याग्रह संबंधी पहला प्रयोग बिहार के चम्पारन जिले में नील खेती के अत्याचार के विरूद्ध हुआ।

1918 : सुधारों की परिणिति। 1918 की मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट और 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में हुई।

: अहमदाबाद के मजदूरों और मिल मालिकों के झगड़े में गांधीजी ने हस्तक्षेप किया और आमरण अनशन किया।

1919 : 1918 के बाद विभिन्न प्रशासनिक सेवाओं का भारतीयकरण किया गया।

: रॉलेट एक्ट लागू किया गया।

: फरवरी में गांधीजी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह सभा की स्थापना की।

: 13 अप्रैल को लोकप्रिय नेताओं डॉ. सैफुद्दीन किचलू और डॉ. सत्यपाल की गिरफ्तारी पर विरोध प्रकट करने पर अमृतसर (पंजाब) के जलियांवाला बाग में जनरल डायर द्वारा बर्बरता पूर्वक मासूम लोगों पर गोलियां चलाईं गईं।

1919-22 : नवम्बर में आल इंडिया खिलाफत कांग्रेस दिल्ली में हुई।

: इस दौर में जब साम्राज्यवाद के खिलाफ अवामी रोष उफन रहा था उस वक्त हिंदुस्तानी बुर्जुआ वर्ग बना।

: मजदूरों ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ हड़ताल की और वह राष्ट्रीय संघर्ष की अगली कतार में आ खड़े हुए।

: हिंदुस्तानी बुर्जुआ वर्ग ब्रिटिश पूंजी का हिस्सेदार होने लगा

: ब्रिटिश भी अपनी प्रशासनिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हिंदुस्तानियों की भागीदारी लेने लगे थे।

: 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या मोंटेग्यू डिक्लरेशन में कहा गया कि ''सत्ताधारियों की इच्छा'' है कि हिंदुस्तानियों का प्रशासन की

हर शाखा में जुड़ाव हो और धीरे-धीरे स्वशासन संस्थाओं का विकास किया जाय, जिससे आगे चल कर ब्रिटिश साम्राज्य का अंतरिम हिस्सा बनकर यह हिंदुस्तान सरकार को चलाएं।

1920 : अगस्त में खिलाफत कमेटी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया।

: दिसम्बर में नागपुर में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन, कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन जिसके तहत प्रांतीय कांग्रेस समितियों को भाषाई क्षेत्रों के आधार पर पुनर्गठित किया गया। कांग्रेस सदस्यता सभी पुरूष स्त्रियों के लिए खोल दी गई, जिनकी उम्र 21 वर्ष से अधिक हो।

: अकाली आंदोलन का उदय।

: 30 अक्टूबर को बम्बई में आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना।

1921 : अकालियों के नेतृत्व में जनता ने महन्तों और उनकी मददगार सरकार के खिलाफ एक शक्तिशाली आंदोलन छेड़ा।

: कांग्रेस सदस्यता की उम्र को घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया।

: जुलाई में आल इंडिया खिलाफत कमेटी ने प्रस्ताव पास कर घोषित किया कि किसी भी मुसलमान को ब्रिटिश फौज में काम नहीं करना चाहिए।

: नवम्बर में ब्रिटिश राज सिंहासन के उत्तराधिकारी प्रिंस ऑफ वेल्स के सामने भारत के दौरे के क्रम में विशाल प्रदर्शन हुए।

: चेम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना (यहां राजाओं और ब्रिटिश हित मिलकर कार्य करते थे)।

1921 : असहयोग और खिलाफत आंदोलन

1922 : अकालियों ने सरकार को एक नया सिख गुरूद्वारा एक्ट पास करने के लिए मजबूर कर दिया। 1925 में इस एक्ट में संशोधन हुआ।

: दिसंबर में मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी बनाई।

: गांधीजी ने फरवरी में घोषण की कि 7 दिनों में राजनैतिक बंदियों को न छोड़ा गया तो देशभर में करबंदी सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो जाएगा।

: उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के चौरी-चौरा गांव में 3000 किसानों के जुलूस पर गोलियां चलाई गईं। क्रुद्ध भीड़ ने थाने पर हमला किया।

: 12 फरवरी को कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने गुजरात के बारदौली में प्रस्ताव पास कर उन सभी कार्यों को बंद कर दिया जिनके फलस्वरूप कानूनों को तोड़ा जा सकता था।

: अलीगढ़ जामिया मिलिया इस्लामिया, बिहार विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ और गुजरात विद्यापीठ का जन्म हुआ।

1923 : साम्प्रदायिक दंगों का भड़कना- 1923 से 1927 के बीच कलकत्ता, ढाका, पटना, रावलपिंडी, दिल्ली, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, इलाहाबाद इत्यादि में फैला।

1924 : गांधीजी ने मोहम्मद अली के दिल्ली मकान में साम्प्रदायिक दंगों के खिलाफ अनशन किया।

: मुजफ्फर अहमद और श्रीपत अमृत डांगे गिरफ्तार हुए। उन पर कम्युनिस्ट प्रचार का अभियोग लगाया गया।

: हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना। यह एक सशक्त क्रांति आयोजित करने के लिए बनी थी।

1925 : कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना।

: देश के विभिन्न भागों मे मजदूर और किसान पार्टियों की स्थापना। मार्क्सवादी धारा का प्रचार।

: गुजरात में किसानों ने भूराजस्व बढ़ाने के सरकारी प्रयासों का विरोध किया।

: बारदौली सत्याग्रह।

: आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के नेतृत्व में ट्रेड यूनियन आंदोलन का विकास।

: काकोरी षडयंत्र का मुकदमा। इस मुकदमें से हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन संस्था पर चोट करने की कोशिश की गई।

: के-वी- हेडगेवार द्वारा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना।

1926 : कलकत्ता में दंगे।

1927 : आल इंडिया वीमेन कांग्रेस का उदय।

: नवम्बर में साइमन कमीशन भारत आया और भारतीय संवैधानिक आयोग लागू।

: दूसरा असहयोग आंदोलन।

: विद्यार्थी यूथ लीग की स्थापना।

: आल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कांफ्रेंस की स्थापना।

: बम्बई के मजदूर और किसानों ने मिनीमम लैण्ड होल्डिंग एक्ट को वापस करवाया।

1928 : अगस्त में छात्रों का पहला अखिल बंगाल सम्मेलन हुआ जिसकी अध्यक्षता नेहरू ने की।

: अनेक हड़तालें हुईं।

: खड्गपुर के रेलवे वर्कशाप में 2 महीने लम्बी हड़ताल चली।

: साउथ इंडियन रेलवे मजदूरों की हड़ताल।

: जमशेदपुर में टाटा आयरन स्टील कम्पनी की हड़ताल।

: बम्बई की कपड़ा मिलों में हड़ताल। जिसमें 150000 मजदूर पांच महीने से अधिक हड़ताल पर रहे। इस हड़ताल में कम्युनिस्टों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

: हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का चंद्रशेखर आजाद ने नाम बदल कर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया।

: साइमन कमीशन के विरोध में प्रदर्शन में लाला लाजपतराय पर पुलिस हमले का बदला लेने के उद्देश्य से एच एस आर ए द्वारा साँडर्स का वध।

1929 : 8 अप्रैल को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेम्बली में बम फेंका। वे पब्लिक सेफ्टी बिल पास किए जाने का विरोध कर रहे थे।

: नेहरू को ऐतिहासिक लाहौर कन्वेन्शन का अध्यक्ष बनाया गया।

: 31 दिसम्बर को स्वतंत्रता के नवगृहित तिरंगे झण्डे को फहराया गया।

: बम्बई में आम हड़ताल।

1929-33 : संयुक्त राज्य अमरीका में आर्थिक संकट का दौर।

: 1929 के अंत में आने वाले विश्वव्यापी मंदी ने भारत को दो रूपों में प्रभावित किया:

अ) कीमतों में, विशेष रूप से कृषि उत्पादों की कीमतों में तीव्र गिरावट लाकर।

ब) सम्पूर्ण निर्यात पर आधारित औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में गम्भीर संकट उत्पन्न करके।

1930 : 12 मार्च को गांधीजी की दांडी यात्रा।

: दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू

: नमक कानून तोड़ा गया

: लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन। यह भारतीय नेताओं को साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा के लिए बुलाया गया था।

: ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के विद्यार्थी रहमत अली चौधरी ने सर्वप्रथम ''पाकिस्तान'' शब्द का उल्लेख किया।

: पाकिस्तान की प्रथम मांग मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन में की।

1931 : मार्च में इर्विन-गांधी समझौता।

: 23 मार्च को क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरू को फॉसी दी गयी।

: कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित।

: वामपंथियों और अनेक कांग्रेसी नेताओं ने गांधी इर्विन समझौते का विरोध किया।

1932 : गांधीजी ने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की।

: अम्बेडकर ने आल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस फेडरेशन की स्थापना की।

: आल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन की स्थापना अनुसूचित जाति के अन्य नेताओं ने की।

1933 : मई में सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया गया। 1934 मई में आंदोलन को वापिस ले लिया गया।

: 1932 से 1934 के दौरान बिरला बार-बार गांधीजी और सरकार के बीच मध्यस्थता का प्रयास करते रहे।

: 1932-33 में बम्बई के कपड़ा उद्योगपतियों को स्पष्ट रूप से कमजोर पड़ गए लंकाशायर की तुलना में जापानी मोटे कपड़े के थानों की प्रतिस्पर्धा की चिंता अधिक थी और इसी कारण अक्टूबर 1933 का कुख्यात 'लीज मोदी' समझौता हुआ था। जिसके अंतर्गत बम्बई के उद्योगपति लंकाशायर के इस वायदे के बदले कि वह अधिक मात्रा में भारतीय कपास खरीदेगा, ब्रिटिश कपड़े के आयात को वरीयता देने को सहमत हो गए थे।

: 14 नवम्बर 1934 को बिरला ने नाटकीय ढंग से ठाकुरदास को चेतावनी दी ''मेरे विचार से लंकाशायर के मुंह आदमी का खून लग गया है और अब वह लीज मोदी समझौते से संतुष्ट नहीं होगा।''

: 1919-33 का दौर एक आर्थिक संकट का दौर भी कहा जा सकता है। इसमें सम्पूर्ण हिंदुस्तानी सामाजिक-आर्थिक ढांचे को हिला कर रख दिया। (विश्व की पूंजीवादी व्यवस्था के ढांचागत संबंधों के कारण)।

: फिक्की के अध्यक्ष ने खुलकर उद्योगपतियों को बुलाकर कहा कि जो 'स्वराज के लिए लड़ रहे हैं उनके हाथों को मजबूत करो।'

: हिंदुस्तानी सेठों, बुर्जुआ वर्ग, जमींदारों, ने अपने अनुसार संवैधानिक और संस्थात्मक विकास किया।

: राष्ट्रवादी आंदोलन में हिंदुस्तानी बुर्जुआ वर्ग ने अपनी पैठ बनाई, संगठन और आंदोलन को अपनी जरूरत के अनुसार ढाला।

: फरवरी 1930 के दौरान कांग्रेस कमेटी की साबरमती की मीटिंग में सारी ताकत गांधीजी और उनके सहयोगियों को दे दी गयी कि वे प्रचार का नियंत्रण एवं अगुआई करें। ताकि असहयोग आंदोलन सुचारू रूप से चल सके। खास कर उन लोगों को साथ रख कर, जो अहिंसा में विश्वास रखते हों। यह प्रस्ताव यह ध्यान में रख कर किया गया कि वामपंथी देश में मजदूरों, किसानों ओर नौजवानों को लेकर समानान्तर सरकार चलाने की मांग कर रहे थे।

1934 : सरकार ने कांग्रेस पर से बंदिश हटा ली।

: इसी समय ब्रिटिश ताकतें जमींदारों और हिंदुस्तानी बुर्जुआ वर्ग को खुश करने की कोशिश कर रही थी जिससे जन आंदोलन दबाया जा सके।

: सरकार ने जुलाई के महीने में कम्युनिस्ट पार्टी को नाजायज़ करार कर दिया।

: ब्रिटिश सरकार के दबाव से देश में नकदी फसलें उगाई गयीं। फलस्वरूप चीनी और कपड़े की मिलें स्थापित की गईं। 1934-35 में 32 चीनी की मिलें चीनी का उत्पादन कर रही थीं।

: हिंदुस्तानी पूंजीपति मुनाफे और उत्पादन बढ़ाने की होड़ व एकाधिकार बनाने की होड़ में लगा था। इससे छोटे-छोटे उद्यागों को आघात पहुंचा।

: आर्थिक संकट में बढ़ोत्तरी -

अ) कामगारों की पगार में कमी

ब) कच्चे माल की कीमतों में कमी

स) मुक्त पूंजी का एकत्रीकरण

1935 : गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ।

: ब्रिटिश हिंदुस्तान में गवर्नमेंट इंडिया एक्ट लागू करके प्रतिक्रियावादी ताकतों को बढ़ावा देना चाह रही थी। जैसे काउन्सिल ऑफ स्टेट्स में

260 सीटों में से 104 प्रिंसेस के लिए थीं। फेडरल असेम्बली में 375 में से 125 प्रिंसेस के लिए थीं। यानी कुल जनसंख्या में से 24 प्रतिशत प्रिंसली राज्यों की जनसंख्या थी।

: ब्रिटिश हितों को बरकरार रखने के लिए गवर्नर जनरल को खास अधिकार दिए गए जिसमें ब्रिटिश वित्तीय पूंजी के वाणिज्यिक और लागत के हितों को सुरक्षा प्रदान की गई। यानी हिंदुस्तान में ब्रिटिश सरकार के वित्तीय पूंजीवादी तरीके को बचाकर रखा जाय।

: एक्ट का संघीय भाग लागू नहीं हुआ।

: अखिल भारतीय संघ की स्थापना।

: प्रांतीय स्वायत्तता के आधार पर प्रान्तों के लिए सरकार की नई प्रणाली की व्यवस्था थी।

: लखनऊ में आल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन की स्थापना और छात्र आंदोलन का संगठित संघर्ष।

1935-39 : राष्ट्रवादी आंदोलन और कांग्रेस नई दिशा की ओर मुड़े।

: 1935 में साउथ इंडियन फेडरेशन ऑफ पीजेन्ट एन्ड एग्रीकल्चरल लेबर की स्थापना की गई जिसके महासचिव एनजी रंगा और संयुक्त सचिव ईएमएस नम्बूदरीपाद थे।

1936 : अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना।

: नेहरू ने कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन भाषण में समाजवाद को लक्ष्य के रूप में स्वीकार करने को कहा।

: प्रगतिशील लेखक संघ की कानपुर में स्थापना।

1937 : भारत की कुल बैंक जमा के 70 प्रतिशत से भी अधिक पर विदेशी बैंकों का 1914 के दौरान जो अधिकार था अब उनका हिस्सा घटकर 57 प्रतिशत हो गया।

: जापान ने चीन पर हमला किया और कांग्रेस ने तब प्रस्ताव दिया कि चीनी जनता के साथ सहानुभूति और जापानी वस्तुओं का बहिष्कार करें।

1939 : मात्र 7 इंजीनियरिंग कालेज खुले थे। जिनमें 2217 विद्यार्थी अध्ययनरत थे।

: ब्रिटिश आयातित वस्तुओं को साम्राज्यीय वरीयता (इम्पीरियल प्रीफरेंसेस्) की प्रणाली के अन्तर्गत विशेष रियायतें दी गईं।

: 15 से 21 अगस्त को हिटलर और सोवियत संघ में संधि हुई कि वह एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे।

: द्वितीय विश्व युद्ध शुरू।

: युद्ध के दौरान भोजन हेतु खाद्य सामग्री की मांग बढ़ी। इसका भार पूरी तरह भारत को झेलना पड़ा। इसी समय हिंदुस्तान में अकाल पड़ा। खास कर उन प्रान्तों में जो आयातित अनाज की खपत कर रहे थे। इस अकाल को बढ़ाने में युद्ध की भूमिका मुख्यत: रही। वहीं उपनिवेशीय ब्रिटिश ताकतों व हिंदुस्तानी व्यापारी व सूदखोरों की भूमिका कम न थी।

: ब्रिटिश नीति थी कि हिंदुस्तान की औद्योगिक उन्नति को रोके रखें।

: युद्ध के दौरान हथियारों की मांग के रहते हिंदुस्तान में लौह इस्पात उद्योग का विकास हुआ। वहीं अल्मूनियम उद्योग का भी आरम्भ हुआ। यही समय था जबकि केमिकल उद्योग ने भी अपनी पैठ बनाई। सीमेंट उद्योग का विकास भी इसी समय हुआ।

: इस सबके चलते देशी बुर्जुआ (पूंजीपति) वर्ग ने कपास, चीनी, चाय, कोयला, सीमेंट, स्टील और इंजीनियरिंग क्षेत्रों से काफी कमाई की।

: हिंदुस्तानी पूंजी उद्योगों में लगाई गई।

: इंडियन ज्वाइंट स्टाक बैंक के डिपाजिट में बढ़ोत्तरी।

: बैंक पूंजी का एकत्रीकरण और औद्योगिक पूंजी के साथ उसका मेल।

1940 : गांधी का व्यक्तिगत सत्याग्रह का आह्वान।

: मार्च में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में अपनाए जाने वाले पाकिस्तान नारे को अंतिम रूप से अंग्रेजों का प्रोत्साहन रहा।

1941 : कांग्रेस का दक्षिणपंथी प्रभुत्व वाला हाई कमान बार-बार यही प्रयास कर रहा था कि अंग्रेजों से किसी प्रकार समझौता हो जाए। बाद में उन्होंने अनिच्छापूर्वक आंदोलन चलाने की अनुमति दी। जिसकी सबसे बड़ी विशेषता उनका दबा स्वर और सीमित स्वरूप था। जबकि पूरा वामपंथ युद्ध विरोधी और सरकार विरोधी कदम उठाना चाहता था। कांग्रेस वर्किंग कमेटी बार-बार स्पष्ट रूप में कहती रही कि वह युद्ध में अंग्रेजों का पूर्ण समर्थन करने को तैयार है बशर्ते वे उनकी दो मांगें स्वीकार करें। मांगें थीं, युद्ध पश्चात स्वतंत्रता देने का वादा और केंद्र में तुरन्त राष्ट्रीय सरकार की स्थापना।

1942 : क्रिप्स मिशन भारत में आया।

: 8 अगस्त को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने बम्बई में भारत छोड़ो प्रस्ताव रखा।

: देश में आंदोलनों की लहर।

: भारत छोड़ो आंदोलन में कम्युनिस्टों द्वारा हिस्सा न लेने का निश्चय।

: 23 जून को रास बिहारी बोस ने टोकियो में ''इंडियन इंडिपेंडेन्स लीग'' की बागडोर सम्भाली।

1942-45 : भारत छोड़ो आंदोलन।

: 1942 में मार्च के प्रथम सप्ताह में क्रिप्स ने युद्धकालीन मंत्रिमंडल को इस बात के लिए तैयार कर लिया कि ऐसा प्रारूप घोषित कर दिया जाय कि जिसमें अलहदगी के अधिकार की प्रांतीय विधायिकाओं द्वारा चुनी हुई संविधान निर्मात्री सभाओं की और प्रान्तों को इसमें सम्मिलित न होने के अधिकार की तथा रजवाड़ों को अपने प्रतिनिधि भेजने के अधिकार सहित भारत को डोमीनियन स्टेट दिए जाने की बात हो।

: 1943 में कांग्रेस फॉसीवाद विरोधी रवैया अपना रही थी। (जबकि अंग्रेज स्पेन, आस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया को फासिस्टों के हाथों बेच रहे थे)। पहली मई, 14 जुलाई और 8 अगस्त को इलाहाबाद, वर्धा और बम्बई के प्रस्तावों में रूस और चीन के प्रति सहानुभूति प्रकट की गई और मित्र देशों के प्रति समर्थन व्यक्त किया गया था। यहां अपने 'करो या मरो' भाषण में गांधीजी ने कहा था कि 'मैं रूस या चीन की हार का कारण नहीं बनना चाहता'।

: जुलाई 1945 में सुभाष बोस ने ''आजाद हिंद फौज'' एवं ''इंडियन इंडिपेन्डेंस लीग'' की बागडोर संभाली और 21 अक्टूबर को सिंगापुर में अस्थाई सरकार की स्थापना की।

: 1941 में जून में सोवियत संघ पर नाजी का आक्रमण।

: 1944-45 में अमरीका ने भारत द्वारा किए जाने वाले आयातों के सबसे बड़े स्रोत के रूप में ब्रिटेन का स्थान ले लिया।

: अप्रेल 1945 में यूरोप में युद्ध खत्म हो जाने के बाद भारत स्वतंत्रता संघर्ष के नए चरण में शामिल।

: देश व्यापी आंदोलन और हड़तालों का प्रदर्शन।

: आजाद हिंद फौज के बंदियों की रिहाई हेतु कलकत्ता में प्रदर्शन।

: ग्रीष्म में बिरला और टाटा के नेतृत्व में एक भारतीय प्रतिनिधि मंडल ब्रिटेन और अमरीका गया और इसी वर्ष बिरला एवं एनफील्ड के बीच 'हिंदुस्तान मोटर्स' की स्थापना के लिए और टाटा एवं इम्पीरियल केमीकल्स के बीच समझौते हुए। साथ ही भारतीय बुर्जुआ नेता इस बात के लिए भी तैयार थे कि भारी उद्योगों, ऊर्जा, सिंचाई आदि क्षेत्रों में, जिनमें आरम्भ में बहुत कम लाभ होने की आशा थी सरकारी पूंजी निवेश किया जाय।

: जनवरी 1944 में भारत के अग्रणी उद्योगपतियों 'जिनमें टाटा, बिरला, पी- ठाकुरदास, श्रीराम और कस्तूर भाई लालभाई सम्मिलित थे' ने बम्बई योजना की रूपरेखा बनाई। जिनमें 15 वर्षों के अंदर बुनियादी उद्योगों के तीव्र विकास के माध्यम से प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय को दुगुना करने की परिकल्पना की गई।

: 1943 तक असम, सिंध, बंगाल और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में लीग के मंत्रिमंडल का गठन हो चुका था।

: 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद सरकार और आजाद हिंद फौज की स्थापना की घोषणा की गयी।

: नवम्बर में अंग्रेजों द्वारा आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर मुकदमें चलाए गए, फलस्वरूप देशभर में भारी प्रदर्शन हुए। शीत काल में ब्रिटिश भारतीय सेना में असंतोष की लहर कदाचित इसी कारण फैली। इसकी परिणिति फरवरी 1946 में बम्बई में नौसेना की हड़ताल में हुई।

1943 : मुस्लिम लीग के करांची अधिवेशन में ''विभाजन करो और जाओ'' का नारा दिया।

1945 : सोवियत रूस (लाल सेना) की नाजी जर्मनी पर विजय।

1946 : कैबिनेट मिशन सत्ता हस्तांतरण हेतु भारत आया।

: डाक तार कर्मचारियों की हड़ताल। रेल कर्मचारियों की हड़ताल। उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, हैदराबाद, मालावार, महाराष्ट्र में जमीन के लिए और ऊंचे लगान के लिए संघर्ष। स्कूल और कालेजों में हड़ताल।

: 1946-47 में पूर्वी बंगाल के नोआखाली, बिहार संयुक्त प्रांत के गढ़मुक्तेश्वर इत्यादि जगहों मे सांप्रदायिक दंगे हुए। इसी दौरान कई किसान विद्रोह भी हुए।

: कांग्रेस और लीग की मिलीजुली सरकार की अव्यवहारिकता ने देश के विभाजन के बारे में लोगों को सोचने के लिए मजबूर कर दिया। ऐसा सोचने वालों में जल्द ही नेहरू और पटेल भी सम्मिलित हो गए।

: हिंदू महासभा ने पश्चिम बंगाल में एक अलग हिंदू प्रांत बनाये जाने की संभावना का पता लगाने के लिए एक समिति की स्थापना की।

: 10 मार्च 1947 को नेहरू ने निजी बातचीत में वेवेल से कहा कि ''सबसे अच्छी तो कैबीनेट मिशन योजना ही थी यदि वह लागू की जा सकती, लेकिन अब एकमात्र वास्तविक विकल्प पंजाब और बंगाल का विभाजन ही है। 3 महीने बाद कांग्रेस अध्यक्ष कृपलानी ने

विभाजन ही है। 3 महीने बाद कांग्रेस अध्यक्ष कृपलानी ने माउन्टबेटन को सूचित किया "लड़ाई करने से अच्छा हम यही समझते हैं कि हम उन्हें पाकिस्तान लेने दें, शर्त यह है कि आज पंजाब और बंगाल का न्याय पूर्ण बंटवारा होने दें।"

: सितम्बर 1946 में बंगाल की क्रांति किसान सभा में तिभागा सम्बंधी फ्लाउड कमीशन की सिफारिश को लागू करवाने के लिए जन संघर्ष का आह्वान किया। सिफारिश यह थी कि जोतदारों से लगान पर ली गयी जमीन पर काम करने वाले बटाईदारों को फसल का आधा या उससे भी कम हिस्सा मिलने के स्थान पर दो तिहाई हिस्सा दिया जाय। (कम्युनिस्ट कार्यकर्ता जिनमें जुझारू शहरी विद्यार्थी भी थे, गांवों में गए और उन्होने बटाईदारों को संगठित किया)।

: 1946 और 1951 के बीच तेलंगाना आधुनिक भारतीय इतिहास के सबसे बडे कृषक छापामार युद्ध का साक्षी रहा। इसने 3 हजार गांवों को प्रभावित किया। इसकी आबादी 30 लाख थी और जो 16 लाख वर्ग मील के क्षेत्र में फैले हुए थे।

: जुलाई 1944 में अमरीका के न्यू हैम्पशायर के ब्रेटनहुड गांव में 44 देशों के प्रतिनिधियों का सम्मेलन हुआ और परिणामस्वरूप विश्व बैंक व अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष का जन्म हुआ।

: भारत को विश्व बैंक द्वारा कर्जा दिए जाने की शुरूआत 1948 में हुई जब भारतीय रेलों के लिए 34 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण देना तय हुआ।

: बैंक द्वारा ऋण का प्रथम दशक 1949-59 में भारत को कुल 611 मिलियन अमरीकी डालर के 20 ऋण दिए गए।

: 16 मई 1946 को कैबीनेट मिशन की घोषणा हुई और संवैधानिक प्रस्ताव आगे बढाया गया।

: 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार बनी।

: 1946-47 में रजवाड़ों की जनता में एक नई लहर उठी जिनमें हर जगह राजनैतिक अधिकारों की संविधान सभा में निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मांग की जा रही थी।

: उच्च वर्ग के नेतृत्व और जबरन प्रतिक्रियावादी शक्तियों के प्रतीक राजाओं को महत्व देकर तथा इनके साथ गठबंधन के आधार पर भारत में इसी समझौते को बढ़ावा देने के पीछे उद्देश्य यह था कि जनता की उभरती हुई ताकतों को रोका जा सके और ब्रिटिश हितों की

रक्षा की जा सके तथा इस प्रकार भारत की स्थिति को स्थिरता प्रदान करने के साथ उसे एक सैनिक अड्डे के रूप में रखा जा सके, जो ब्रिटेन की अन्तर्राष्ट्रीय नीति के संदर्भ में भारत को ब्रिटिश साम्राज्यवाद का सहयोगी बना दे। भारतीय नेताओं के साथ ब्रिटिश साम्राज्यवादी अपनी बातचीत चलाने के साथ-साथ अन्तर्राष्ट्रीय नीति में घोर प्रतिक्रियावादी, जनतंत्र विरोधी और सोवियत विरोधी रूख अपना रहे थे।

1947 : मार्च 1947 लार्ड माउंटबेटन वायसराय बना।

: 5 मई को पटेल ने नरेशों को आश्वासन दिया कि 'कांग्रेस रजवाड़ों की दुश्मन नहीं है, बल्कि वह चाहती है कि रजवाड़े और उनकी प्रजा उनके अंतर्गत समृद्धि, संतोष और सुख पाएं।'

: 3 जून को घोषणा हुई कि भारत और पाकिस्तान स्वतंत्र हो जाएंगे।

: 15 अगस्त 1947 प्रथम स्वतंत्रता दिवस।

: जूनागढ़ (प्रिंसली स्टेट्स) भारतीय संघ में शामिल हुआ।

: 14 अगस्त को पाकिस्तान बना

: नेहरू प्रधानमंत्री और लार्ड माउंटबेटन गवर्नर जनरल बनें।

सत्र 11, गतिविधि 1

अभ्यास सामग्री

औद्योगिक क्रांति से 1857 तक का घटनाक्रम

1679	:	ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति।
1600-	:	ईस्ट इंडिया कम्पनी एक व्यापारिक निगम की भूमिका निभा रही थी।
1757	:	हिंदुस्तान में जमीन से जुड़े सवाल शुरू से ही हल नहीं हुए।
	:	बर्तानिया के आने से हिंदुस्तान में वाणिज्य और मनी लैण्डिंग पूंजी का विकास हुआ।
	:	प्लासी की लड़ाई।
1763-80	:	सन्यासी विद्रोह चला, जिसका नेतृत्व धार्मिक मठवासियों एवं बेदखल ज़मीदारों ने किया। विस्थापित किसानों की भागीदारी इस विद्रोह में बड़ी संख्या में हुई।
18वीं सदी (मध्य)	:	ब्रिटिश सूती कपड़ा उद्योग नई और उन्नत तकनीक के आधार पर विकसित होने लगा।
1758-65	:	अंग्रेजों ने भारत से 60 लाख पौंड इंग्लैण्ड भेजा।
1765	:	कम्पनी ने बंगाल की दीवानी हासिल की और बंगाल के राजस्व पर अधिकार कर लिया।
1765-70	:	कम्पनी ने लगभग 40 लाख पौंड की रकम की वस्तुएं बंगाल से भेजी जो बंगाल के राजस्व का 33% था।
1765-72	:	हिंदुस्तानी अधिकारियों को पहले की तरह ही काम करने दिया गया, पर ब्रिटिश गवर्नर और अधिकारियों का व्यापक नियंत्रण रहा। हिंदुस्तानियों के पास जिम्मेदारियां तो थीं पर अधिकार नहीं थे। इस दौर तक द्वयात्मक शासन रहा।
	:	बंगाल के संसाधन कम्पनी के हाथ में आ गए।
1766-72	:	चौरी विद्रोह बंगाल और बिहार के पांच जिलों में।

1767 : ब्रिटिश संसद ने कानून पास कर कम्पनी को ब्रिटिश खजाने में हर साल 4 लाख पौंड देने के लिए मजबूर किया।

: मुक्त व्यापार के समर्थक एडम स्मिथ ने ईस्ट इंडिया कम्पनी के विशेषाधिकारों पर हमला किया।

1773 : कम्पनी के मामलों के सिलसिले में पहला महत्वपूर्ण कानून रेग्यूलेटिंग एक्ट लागू हुआ। इस एक्ट ने कम्पनी के निदेशक मंडल (कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स) के गठन में परिवर्तन किए और उनकी गतिविधियों पर नजर रखने का अधिकार ब्रिटिश सरकार को दे दिया।

: हिंदुस्तान में बंगाल सरकार का संचालन गवर्नर जनरल और उसकी काउन्सिल को सौंपा गया।

: रेग्यूलेटिंग एक्ट के अनुसार कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की।

1784 : पिट का इंडिया एक्ट कानून लागू हुआ। इस एक्ट में कम्पनी के मामलों और भारत में उनके प्रशासन पर ब्रिटिश सरकार को सर्वोपरि नियंत्रण का अधिकार दिया।

1786 : गवर्नर जनरल को सुरक्षा, शांति या भारत में साम्राज्य के हितों से संबंधित महत्वपूर्ण मामलों में अपनी काउन्सिल के निर्णय को न मानने का अधिकार दिया गया।

1791 : वाराणसी में हिंदू कानून और दर्शन के अध्ययन के लिए संस्कृत कालेज स्थापित।

1793 : न्यायिक संगठन (दीवानी और फौजदारी) व्यवस्था को स्थाई बना दिया।

1793 : स्थाई बंदोबस्त बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वाराणसी में लागू। इसके अनुसार जमींदारों और राजस्व वसूल करने वालों को भू:स्वामी बना दिया गया। स्वामित्व के अधिकार को पैतृक और हस्तांतरणीय बना दिया गया। किसानों से उनके भूमि संबंधी परंपरागत अधिकारों को छीन लिया गया।

इसके तहत-

: हिंदुस्तान का बंदिशों के तहत औद्योगिक विकास-

अ) औद्योगिक विकास ब्रिटिश पूंजी के नियंत्रण में ही होगा।

ब) हिंदुस्तानी उद्योग बर्तानवी उद्योगों के साथ बराबरी में धन्धा नहीं कर सकते।

स) बर्तानवी उत्पादकों के लिए हिंदुस्तानी बाजार में कोई दखलंदाजी नहीं करेगा।

य) उत्पादन के तरीकों (मशीनों) को उत्पादित करने वाले उद्योगों का विकास नहीं किया जाएगा।

: बर्तानिया ने भारत में तकनीकी खेती को प्रोत्साहित किया।

: हिंदुस्तान में ब्रिटेन द्वारा नियुक्त प्रिंस और जमींदार लोग उनके एजेंट की तरह काम करने लगे। यही बढ़ती हुई देशी वाणिज्यिक और मनी लेंडिंग (ब्याज पर धन देना) पूंजी पर भी कुंडली मारे बैठे थे।

1793-1816 : दूसरा चौरी विद्रोह।

1804-17 : उड़ीसा के जमींदारों का विद्रोह।

19 वीं सदी (आरम्भ) : दक्षिण पश्चिम भारत (मद्रास, बम्बई) में रैयतवारी बंदोबस्त लागू हुआ।

: गंगा की घाटी उत्तर पश्चिम प्रान्तों, मध्य भारत के हिस्सों और पंजाब में जमींदारी बंदोबस्त का संशोधित रूप महालवारी बंदोबस्त लागू किया गया।

1800 : कलकत्ता में फोर्ट विलियम कालेज की स्थापना।

1805 : बिलासपुर के राजपूतों का विद्रोह।

1813 : ब्रिटिश कपड़े का आयात 1 करोड़, 10 लाख पौंड मूल्य का था। जो कि 1856 में बढ़कर 63 करोड़ पौंड मूल्य का हो गया।

: भारत के दरवाजे विदेशी वस्तुओं के लिए खोल दिए गए। उसके बावजूद भी भारतीय दस्तकारी उत्पादनों पर ब्रिटेन में प्रवेश करने पर भारी शुल्क देना होता था।

: चार्टर एक्ट के अनुसार भारत में कम्पनी के व्यापार के अधिकारों को खत्म कर दिया गया तथा भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार समस्त ब्रिटिश व्यापारियों को दे दिया गया। मगर चाय व चीनी का व्यापार केवल कम्पनी के लिए ही सुरक्षित रखा गया।

1814-17 : अलीगढ़ के तालुकदारों का विद्रोह

1820 : बंगाल में पहली बार कोयला खान का इस्तेमाल।

(दूसरी बार कोयला खान 1854 में खुली।)

1820-37 : कोलों का आदिवासी विद्रोह।

1824	:	पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाटों का विद्रोह।
1824-29	:	किट्टूर विद्रोह।
1829	:	ब्रह्म समाज की स्थापना (धार्मिक संस्था)।
1831	:	सुझाव दिया गया कि मद्रास में रेलवे का निर्माण हो।
	:	विलियम बेंटिक ने अपील कर प्रांतीय अदालतों तथा क्षेत्रीय न्यायालयों को खत्म कर दिया।
1833	:	चार्टर एक्ट ने चाय और चीनी के व्यापार पर कम्पनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया।
	:	चार्टर एक्ट ने कानून बनाने के सारे अख्तियार कौंसिल की सहमति से गवर्नर जनरल को दे दिए।
	:	लार्ड मैकाले ने भारतीय कानूनों को संहिताबद्ध करने के लिए एक विधि आयोग (ला कमीशन) नियुक्त किया।
	:	पहले प्रांतीय सरकारों को जो काफी स्वायत्त थी अब उनके कानून पास करने के अधिकार को ले लिया गया।
1834	:	भारत में भाप के इंजनों वाली रेलगाड़ियों को चलाने का प्रस्ताव इंग्लैण्ड में रखा गया। प्रस्ताव को इंग्लैण्ड के रेलवे प्रोत्साहकों, पूंजीपतियों, भारत के साथ व्यापार करने वाले व्यापारिक प्रतिष्ठानों तथा वस्त्र निर्माताओं का समर्थन मिला। तय हुआ कि भारतीय रेलवे का निर्माण और संचालन निजी कम्पनियां करेंगीं, जिन्हें भारत सरकार ने अपनी पूंजी पर कम से कम 5 प्रतिशत मुनाफा देने की गारण्टी दी।
1835	:	भारत सरकार ने निर्णय लिया कि पाश्चात्य विज्ञानों तथा साहित्य को केवल अंग्रेजी भाषा के माध्यम से पढ़ाया जाएगा।
	:	लार्ड मैकाले का मत था कि भारतीय भाषायें इतनी विकसित नहीं हैं कि इस उद्देश्य को पूरा कर सकें।
1836-54	:	मोपला किसानों का केरल में विद्रोह।
1837	:	लैन्ड होल्डर सोसाइटी की स्थापना। ये बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जमींदारों की संस्था थी।
	:	सूखा जनित अकाल।
1838	:	भारत का पहला राजनैतिक संगठन (लैंड होल्डर्स एसोसिएशन) बंगाल में बना।
1839	:	ग्रांड ट्रंक रोड कलकत्ता से दिल्ली तक का काम शुरू।

1840	:	लार्ड एटनबरो, हाउस ऑफ लार्डस की सेलेक्ट कमेटी के अध्यक्ष ने माना कि ''भारत से अब अपेक्षा है कि वह ब्रिटेन को थोड़े मूल्य में सैनिक सामानों के अलावा हर साल 20-30 लाख पौंड के बीच रकम भेजे।"
1841	:	सतारा विद्रोह।
1842	:	जबलपुर के बुन्देलों का विद्रोह।
1843	:	बंगाल ब्रिटिश इंडिया की स्थापना।
1848	:	स्टूडेंट्स लिटरेरी एंड साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना।
1849	:	महाराष्ट्र में परमहंस मंडली की स्थापना।
1850	:	असम, बंगाल, हिमाचल तथा दक्षिण भारत में चाय उद्योग का विकास।
19वीं सदी	:	नील, चाय और काफी उद्योग विकसित।
के पूर्वार्द्ध	:	कैमिकल रंग के आविष्कार से नील उद्योग को धक्का लगा।
की अन्य	:	ब्रिटेन में सूत की कमी।
विशेषताएं	:	हिंदुस्तान में सूत का उत्पादन बढ़ा और कच्चे माल का मुख्य निर्यातक बना।
1851	:	ज्योतिबाफुले और उनकी पत्नी ने बालिका विद्यालय खोला। इसमें जगन्नाथ सेठ और भाऊदाजी ने मदद की।
	:	इस समय लैंड होल्डर सोसाइटी और ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी दोनों संस्थाओं का विलय हुआ। फलस्वरूप 1852 में ब्रिटिश- इंडिया एसोसिएशन की स्थापना हुई।
1853	:	बम्बई से थाणा तक पहली रेलवे लाइन यातायात के लिए खोली गई।
	:	लार्ड डलहौजी ने रेलवे लाइनों का जाल बिछाने का प्रस्ताव रखा। जिसके तहत देश के विभिन्न अन्दरूनी भागों को बड़े बंदरगाहों के साथ जोड़ा गया।
	:	पहली टेलीग्राफ लाइन कलकत्ता से आगरा तक चालू हुई।
	:	लार्ड डलहौजी ने डाक टिकट प्रारम्भ किया।
	:	अब तक नागरिक सेवा की सारी नियुक्तियां ईस्ट इंडिया कम्पनी के निदेशक करते रहे।
	:	पहली कपड़ा मिल, कावसजी नानाभाई ने बम्बई में शुरू की।

1854	:	शैक्षणिक विज्ञप्ति (एजूकेशनल डिस्पेच) का विकास हुआ।
1854-1901	:	इस दौरान कुल मिला कर 2 करोड़, 88 लाख, 25 हजार से अधिक लोग अकाल में मरे। (1877, 1878, 1889, 1892, 1897, 1900 में भीषण सूखा जनित अकाल।
1855	:	विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में आवाज उठाई।
1855-56	:	संथालों का आदिवासी विद्रोह।
1855	:	पहली जूट मिल रिश्रा (बंगाल) में स्थापित।
1856	:	43 लाख पौंड मूल्य का कपास, 8 लाख पौंड मूल्य का कपड़ा, 29 लाख पौंड मूल्य का अनाज, 17 लाख पौंड मूल्य की नील, 7 लाख, 70 हजार पौंड मूल्य का कच्चा रेशम निर्यात किया गया।
	:	प्रतिबंध के बावजूद भारत से चीन अफीम भेजी गई।
1856	:	उच्च जातियों का पहला कानूनी हिन्दू विधवा पुनर्विवाह कलकत्ता में 7 दिसम्बर को ईश्वर चंद विद्यासागर की देख-रेख में हुआ।
1857	:	शक्तिशाली महा-विद्रोह उत्तर और मध्य भारत में भड़का। इसकी शुरूआत कम्पनी के सेना के भारतीय सैनिकों की बगावत से हुई। किसानों, दस्तकारों और सैनिकों ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई।
	:	भारत में कम्पनी की फौज में 3 लाख, 11 हजार, 4 सौ सैनिक थे, जिसमें 2 लाख, 65 हजार,9 सौ भारतीय थे। अफसर सभी अंग्रेज थे।
	:	कलकत्ता, बम्बई व मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। प्रान्तों में शिक्षा विभाग स्थापित हुए।
	:	कलकत्ता, बम्बई व मद्रास में केवल तीन ही मेडिकल कालेज थे और एक इंजीनियरिंग कालेज रूड़की में था।

सत्र 12, गतिविधि 1

अभ्यास सामग्री

1858 से 1947 तक का घटनाक्रम

1858	:	इंडिया एक्ट लागू। फलस्वरूप- शिक्षित भारतीयों और ब्रिटिश भारत के प्रशासन के बीच खाई बढ़ी। जो भारत की सत्ता पहले कम्पनी निदेशकों और बोर्ड ऑफ कन्ट्रोल के हाथों में थी, अब उस सत्ता के इस्तेमाल का अधिकार भारत मंत्री (सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया) को दे दिया गया। भारत मंत्री की कौंसिल को इंडिया कौंसिल कहा जाता था। कौंसिल भारत मंत्री को सलाह देती थी। भारत मंत्री कौंसिल की सलाह को रद्द भी कर सकता था।
1859	:	नील उत्पादन के विरूद्ध बंगाल एवं बिहार में किसानों का विद्रोह।
1860-61	:	पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहला अकाल पड़ा। जिसमें 2 लाख लोगों की जानें गईं।
1861	:	इंडियन कौंसिल एक्ट, कानून बनाने के उद्देश्य से गवर्नर जनरल की कौंसिल का विस्तार किया गया। इसे इम्पीरियल लेजिसलेटिव कौंसिल कहा गया।
1863	:	कलकत्ता में मोहम्डन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना।
1865	:	कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में उच्च न्यायालय स्थापित किए गए।
	:	अधिनियम (कोडीफिकेशन) तथा पुराने कानूनों को संहिताबद्ध करने की प्रक्रियाओं के द्वारा अंग्रेजों ने कानूनों की एक नई प्रणाली स्थापित की।
1865-66	:	उड़ीसा, बंगाल, बिहार और मद्रास में अकाल पड़ा।
1866	:	दादाभाई नौरोजी ने लंदन में ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की।
1866-68	:	दरभंगा एवं चंपारन में नील की खेती के विरूद्ध किसान विद्रोह।
1867-97	:	तिलक ने महाराष्ट्र में करबन्दी अभियान आरम्भ किया।

1867-70	:	उत्तर प्रदेश, पंजाब और बम्बई में अकाल पड़ा, जहां 14 लाख से अधिक लोग मारे गए।
	:	इसी दौरान जापान का शक्तिशाली रूप में उदय।
1869	:	साल के अंत तक 4 हजार मील लम्बा रेल मार्ग बना।
	:	कौंसिल को पूरी तरह भारत मंत्री (ब्रिटिश शासन) के अधीन कर दिया गया।
1870	:	केन्द्रीय और प्रांतीय वित्त को अलग अलग किया गया।
1870	:	बुद्धिजीवी वर्ग हिंदुस्तानी बुर्जुआ वर्ग के प्रतिनिधि की तरह उभरा।
	:	धार्मिक पुनर्रूत्थानवादी संगठनों और समाज सुधारक संगठनों का उभरना।
	:	आर्य समाज की स्थापना।
	:	एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना।
	:	इसी समय स्वयं स्फूर्त सामंत विरोधी और साम्राज्यवाद विरोधी विद्रोह देशभर में हुए।
	:	आल इंडिया नेशनल कांफ्रेंस एक मंच के रूप में उभरा।
1874	:	वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू।
1875	:	आर्य समाज ने उत्तर भारत में हिंदू धर्म सुधार सभा की स्थापना की।
	:	अलीगढ़ में मोहम्डन एंग्लो ओरिन्टल कालेज खुला। इसके साथ ही सैयद अहमद खान के सुधारवादी आंदोलन की प्रक्रिया शुरू।
	:	पूना और अहमद नगर में लगान की ऊंची दर के विरूद्ध किसानों का जबरदस्त विद्रोह।
1876	:	बंगाल में सुरेन्द्र नाथ और आनन्द मोहन बोस के नेतृत्व में जुलाई में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई।
1876-78	:	मद्रास, मैसूर, हैदराबाद, महाराष्ट्र, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब में अकाल पड़ा।
1877	:	शाही दरबार दिल्ली में लगा। इस समय देश में अकाल पड़ा हुआ था।
1878	:	आर्म्स एक्ट लागू।
	:	सरकार ने नए विनियमों की घोषणा की।
	:	इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई।

: वर्नाक्यूलर एक्ट के तहत भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों की स्वतंत्रता पर सख्त प्रतिबंध।

: वर्नाक्यूलर एक्ट को रद्द कर दिया गया।

1879 : भारत में 59 सूती कपड़ा मिलें थीं। जिसमें करीब 43 हजार लोग कार्यरत थे।

: महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के के नेतृत्व में अल्पजीवी सशस्त्र विद्रोह।

1880 : वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट वापस लिया गया।

: इस साल के बाद रेलवे का निर्माण निजी उद्यमियों और राजकीय एजेंसी के जरिए हुआ।

1881 : मद्रास महाजन सभा की स्थापना।

19वीं सदी

(उत्तरार्द्ध) : जस्टिस रानाडे और अन्य साथियों ने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की।

: राष्ट्रवादी समाचार पत्रों का प्रकाशन

: ब्रिटिश लेखकों ने दावा किया कि ''अतीत में भारतीय अपने ऊपर शासन करने योग्य नहीं थे। हिन्दू और मुसलमाल लड़ते रहते थे।''

1882 : 20 जूट मिलें थीं। जो अधिकतर बंगाल में थीं। यहां करीब 20 हजार लोग काम करते थे।

1882-89 : बाम्बे एसोसिएशन ऑफ टैक्सटाइल वर्कर्स गठित हुआ।

: इसी बीच मजदूरों की 25 बड़ी बड़ी हड़तालें हुईं।

: किसानों के आंदोलन ने जोर पकड़ा, जो लम्बे अरसे से भूमि कर कम करने की मांग कर रहे थे और परमानेंट सेटिलमेंट (स्थाई बन्दोवस्त) की मांग कर रहे थे। इस आंदोलन को हिन्दुस्तानी सेठों ने अपने हितों के स्वरूप ढ़ाला।

1883-85 : इंडियन एसोसिएशन ने रेंट बिल को लेकर रैयतों के हित की दृष्टि से जनप्रदर्शन कराया।

1883 और

1889-90 : जैसोर (बंगाल) में किसानों का विद्रोह।

1885 : भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। सम्पूर्ण भारत के पैमाने पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की प्रथम संगठित अभिव्यक्ति।

: बम्बई प्रेसीडेंसी एसोसिएशन बनी।

: इस एसोसिएशन का मुख्य काम महत्वपूर्ण प्रशासनिक और विधायी कदमों की आलोचना करना था।

: अन्ततः हिन्दुस्तानी उद्योगपतियों, सेठों, सामन्ती रईसों और अंग्रेजी पूंजीपतियों/उद्योगपतियों की 'पूंजी' के बीच प्रतियोगिता बढ़ी।

: हिन्दुस्तानी सेठों, सामंतों और साम्राज्यवादी शक्तियों में आपसी द्वन्द्व पैदा हुआ। फलस्वरूप बढ़ती हुई अंग्रेजी पूंजी का विरोध और हिन्दुस्तानी बुर्जुआ वर्ग के स्वतंत्र आर्थिक हितों का विकास।

: हिन्दुस्तानी सेठों, उद्योगपतियों, नेताओं की समझ थी कि तीन तरीके से आर्थिक शोषण हो रहा है- वित्त, उद्योग और वाणिज्य।

: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शुरूआती दौर उदारवादी था।

अ) जन आंदोलन से अलग रहें।

ब) ब्रिटिश सत्ता की तारीफ। बहुत हुआ तो सरकार की कर नीति की आलोचना, हिन्दुस्तान पर थोपे गए युद्ध की भर्त्सना, सिविल सर्विस परीक्षाओं की नीति की आलोचना आदि तक ही थी।

: लीडरशिप की अधिक प्राथमिकताएं उद्योग और वाणिज्य में रहीं।

: आर्थिक शोषण को देखते हुए हिन्दुस्तानियों ने राष्ट्रीय पुनरूत्थान (नेशनल री जनरेशन) का विस्तृत कार्यक्रम विरोध स्वरूप चलाया। पर यही लीडरशिप में जिस आर्थिक न्याय और बराबरी के लिए संघर्ष चलाया वहीं यह भी कोशिश थी कि यह न्याय और बराबरी 'वर्गों'/ अमीरों और गरीबों के बीच न हो, मात्र 'राष्ट्र' तक ही रहे।

: मोपला विद्रोह, मालाबार में उच्च वर्ग के हिन्दुओं (नंबूदरी और नायर जमींदारों) के खिलाफ मुस्लिम बटाईदारों एवं काश्तकारों ने किया था। यह 1919 तक अलग अलग वक्त में हुआ। विद्रोह के रोष का कारण कृषि व्यवस्था ही थी। इसी तरह बंगाल में पबना में भी दंगे हुए।

1885-92 : लेजिसलेटिव काउन्सिलों के विस्तार और सुधार की मांग।

1886 : इंडियन एसोसिएशन का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ विलयन हो गया।

: राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादाभाई नौरोजी की अध्यक्षता में।

: मद्रास में थ्योसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय बनाया गया।

1889 : भयंकर सूखा जनित अकाल पड़ा।

1890 : कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रथम महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने कांग्रेस के अधिवेशन को सम्बोधित किया।

: कांग्रेस में बिपिन चंद पाल, अरविन्द घोष तथा लाला लाजपत राय जैसे गरमदली नेताओं द्वारा नरमदलियों को चुनौती।

1892 : ब्रिटिश सरकार ने इंडियन काउन्सिल एक्ट पास किया। इम्पीरियल लेजिसलेटिव काउन्सिल और प्रांतीय काउन्सिलों के सदस्यों की संख्या बढ़ा दी।

: सार्वजनिक कोष पर भारतीय नियंत्रण की मांग।

: सूखा जनित अकाल।

: सार्वजनिक दबाव में आकर सरकार ने पुरानी व्यवस्था में संशोधन करके नया भारतीय विधान परिषद विधेयक पास किया। विधेयक ने गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि की लेकिन उनमें से कुछ सदस्यों का चुनाव परोक्ष रूप में होना था। सदस्यों को बजट पर बोलने पर अधिकार तो था लेकिन उन्हें उस पर मत देने का अधिकार नहीं था।

1893 : पारम्परिक धार्मिक गणपति समारोह/शिवाजी समारोह का आरम्भ।

1895 : मराठा (अंग्रेजी) और केसरी (मराठी) समाचार पत्रों की स्थापना।

: मुंडाओं का आदिवासी विद्रोह।

1896 : स्वदेशी अभियान के तहत सार्वजनिक रूप से पक्षपातपूर्ण कर नीति की घोषणा करते ही विरोध में विदेशी वस्त्रों को जलाया गया।

: इटली की फौज की इथोपिया के हाथों हार।

: रामकृष्ण मिशन की स्थापना।

1896-97 : सूखा पड़ा। इसके फलस्परूप 1899-1900 में देशभर में अकाल पड़ा।

: इसमें 90 लाख लोगों की जानें गयीं।

1897 : बम्बई सरकार ने बाल गंगाधर तिलक और अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया और उन पर उनके लेखों और भाषणों के द्वारा राजद्रोह फैलाने के जुर्म में मुकदमा चलाया गया।

: पूना शहर प्लेग की चपेट में।

: चापेकर बन्धुओं ने पूना में ब्रिटिश अफसरों (कमिश्नर रैण्ड तथा एक अन्य अफसर एवरेस्ट) की हत्या की।

20वीं सदी के शुरूआत के समय की आम परिस्थितियां : इस सदी में स्थिति यह थी कि एक भारतीय को उपलब्ध भोजन की मात्रा में 1911 और 1941 के बीच 30 वर्षों के दौरान 29 प्रतिशत तक की कमी।

: 20वीं सदी के प्रारम्भिक दौर में ही देशी औद्योगिक सेठों ने अपनी स्थिति को मजबूत किया और उक्त निवेश की व्यवस्था के आधार पर सवाल उठाना शुरू किया। इस तरह स्वदेशी आंदोलन को मदद पहुंचाई। (अपने हित साधते हुए)।

: स्वदेशी आंदोलन ने हिन्दुस्तानी पूंजीपतियों/सेठों आदि का इन क्षेत्रों में धन्धा बढ़ाया- बड़े स्तर की फैक्टरियों आदि में जैसे-

अ) 1907 में टाटा आयरन स्टील मिल, 1910 में टाटा हाइड्रोइलैक्ट्रिक कम्पनी,1912 में टाटा ने काठियावाड़ में सीमेंट कम्पनी स्थापित की।

ब) वाणिज्य बैंक और बीमा कम्पनियां खुलीं और निजी लागत ने जोर पकड़ा- 1906 में बैंक ऑफ इंडिया, 1907 में इंडियन बैंक, 1911 में सेन्ट्रल बैंक, 1913 में बैंक ऑफ मैसूर खुला।

: इन सब प्रक्रियाओं ने हिन्दुस्तानी सेठों/पूंजीपतियों में बाजार को लेकर आपस में ही द्वन्द पैदा कर दिया।

: बढ़ती हुई खगोलीय पूंजीवादी व्यवस्था हिन्दुस्तानी अर्थव्यवस्था पर मुसीबत की तरह गिर पड़ी।

अ) इसने बैंक संकट को पैदा कर दिया।

ब) घरेलू बाजार (खासकर हथकरघा) में गिरावट आई।

: युद्ध होने के कारण हिन्दुस्तानी सेठों/पूंजीपतियों को मुनाफा कमाने का अच्छा मौका मिला।

: हिन्दुस्तानी मिल मालिकों के सूती कपड़े की मांग बढ़ गयी।

: आर्मी, नौसेना से जुड़े व्यवसायों (इंजीनियरिंग) की शुरूआत।

: मध्य 20वीं सदी के दौर में ही अमरीका और जर्मनी ने भी हिन्दुस्तानी बाजार में घुसपैठ शुरू कर दी।

: पूंजीगत सम्बंधों ने पकड़ बनायी और उपभोक्ता वस्तुओं का विकास।

: धार्मिक सुधार आंदोलन हुए।

: सोशल कांफ्रेंस, सर्वेन्ट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी तथा ईसाई धर्म प्रचारकों (मिशनरीज) ने भी समाज सुधार कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

: समाज सुधार आंदोलन मुख्यत निम्नलिखित मुद्दों में सुधार की बात कर रहा था-

अ) नारी मुक्ति और उनको समान अधिकार देना

ब) जातीय रूढ़ियों को हटाना।

स) छुआछूत का उन्मूलन इत्यादि।

: दक्षिणपंथी राष्ट्रवादी आंदोलनकारियों ने प्राचीनकाल/अतीत की महानता की दुहाई दी। प्राचीन भारतीय समाज को भारत के इतिहास का स्वर्ण युग बताया गया।

1900 भारत : लार्ड कर्जन ने भारत मंत्री को लिखा कि ''कांग्रेस धराशायी होने के लिए लडखड़ा रही है। मैं जब तक हूं तब तक मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि मैं उनके शांतिपूर्ण निधन में सहायता दूं।''

: सांप्रदायिक फूट डालकर ब्रिटेन ने फूट डालो शासन करो की नीति को आगे बढ़ाया।

: भयंकर सूखा जनित अकाल।

1902 : हरिद्वार के निकट गुरूकुल की स्थापना।

: बंगाल में क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन का गठन।

1903-8 : सरकारी सर्वेक्षण, जिसका शीर्षक था 'एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बंगाल', अंडर एन्ड्रयू फ्रेजर इसमें औद्योगिक असंतोष को उन पांच वर्षों की अवधि का महत्वपूर्ण लक्षण बताया गया।

: 1905 में कलकत्ता में ट्रामों की हड़ताल हुई।

: 16 अक्टूबर को पटसन कारखानों एवं रेलवे कार्यशालाओं में हड़ताल। शीघ्र ही पहला वास्तविक श्रमिक संघ बना।

: सरकारी छापाखानों की उग्र हड़ताल के बीच 21 अक्टूबर को प्रिंटर्स यूनियन की स्थापना हुई।

: जुलाई 1906 में ईस्ट इंडियन रेलवे क्लर्कों की हड़ताल के फलस्वरूप रेलवे मैन्स यूनियन की स्थापना। आसनसोल, रानीगंज और जमालपुर में सभाओं के माध्यम से कुलियों को भी इसमें सम्मिलित करने के प्रयास किए गए।

: 1905 से 1908 के बीच पटसन कारखानों में प्रायः हड़तालें होती रहीं, जिनसे विभिन्न समयों में 37 में से 18 कारखानें प्रभावित हुए।

: स्वदेशी आंदोलनों का सम्पर्क मुख्यरूप से क्लर्कों और अधिक से अधिक बंगाली जूट मिलों के मजदूरों तक ही था।

: 1908 की गर्मियों के बाद श्रमिक आंदोलन में राष्ट्रवादियों की रूचि अचानक कम हुई और फिर पूर्णतः समाप्त हो गई। यह रूचि 1919 और 1922 के पहले फिर से उत्पन्न नहीं हुई।

1904 : इंडियन आफीशियल सीक्रेट एक्ट (प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध)।

: इंडियन यूनीवर्सिटीज एक्ट

: राष्ट्रीय शिक्षा परिषद के अंतर्गत समानान्तर विश्वविद्यालय बनाने की योजना थी किन्तु किसी भी कालेज को स्वयं से सम्बद्ध करने में असफल रहा।

: 4 दिसम्बर को गृह सचिव ने सरकारी नोट लिखा कि 'संयुक्त बंगाल शक्ति है, विभाजित बंगाल में भिन्न दिशाओं में खींचातानी की प्रवृत्ति होगी....उद्देश्य यह कि अपने शासन के विरोधियों के एक सुदृढ़ समूह को कमजोर बनाना है।'

1905 : 20 जुलाई 1905 को लार्ड कर्जन ने बंगाल को दो भागों में विभाजित करने का आदेश जारी किया-

अ) पूर्वी बंगाल और असम ब) शेष बंगाल

: स्वदेशी आंदोलन में बंगाल के छात्रों की भूमिका बढ़ी तथा महिलाओं ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेना शुरू किया।

: प्रसिद्ध बैरिस्टर अब्दुल रसूल, लियाकत हुसैन और व्यवसायी गजनवी सहित अनेक मुसलमानों की भूमिका रही मगर आमतौर पर उच्च वर्गीय मुसलमान तटस्थ रहे।

: ढाका के नबाव व अन्य लोगों को अधिकारियों ने बढ़ावा दिया। (भारत सरकार ने नबाव को 14 लाख रूपये का कर्ज दिया था)।

: आंदोलन बंगाल के किसानों को प्रभावित न कर सका और न ही अपने साथ ला सका।

: आंदोलन शहरों और प्रान्तों के उच्च और मध्य वर्ग तक ही सीमित रहा।

: बंग भंग विरोधी आंदोलन का नेतृत्व जल्द ही बिपिन चन्द पाल और अरविन्द घोष के हाथों चला गया।

: विनायक दामोदर सावरकर ने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था स्थापित की।

1905 : 206 सूती मिलें खुल गयीं थीं। इनमें करीब 1 लाख, 96 हजार लोग कार्यरत थे।

: समाचार पत्रों द्वारा क्रांतिकारी आतंकवाद का प्रचार महाराष्ट्र में काल के प्रकाशन से शुरू।

1906	:	मुस्लिम लीग का गठन।
	:	कोयला खान उद्योग में करीब 1 लाख लोगों को रोजगार प्राप्त था।
	:	बरिसाल में बंगाल प्रांतीय सम्मेलन के शांति प्रिय प्रतिनिधियों पर हमला।
1906-9	:	बंगाल की अदालतों में 550 राजनीतिक मुकदमें आए।
	:	ढाका के नबाव और नबाव मोहसिनउल मुल्क के नेतृत्व में आल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना (दिसम्बर, 1906 में) हुई।
	:	अनुशीलन द्वारा साप्ताहिक 'जुगांतर' का प्रकाशन।
1907	:	लाला लाजपतराय और अजीत सिंह को पंजाब की नहरी बस्तियों में दंगों के बाद निर्वासित कर दिया गया।
1908	:	अलीपुर मुकदमें में क्रांतिकारियों को फासी। इस खबर ने हिन्दुस्तान के अतिरिक्त इंग्लैण्ड में रह रहे भारतीयों को भी आक्रोशित कर दिया।
1908	:	पंजाब में हिन्द सभा का गठन।
1908-10	:	दमनकारी प्रेस कानून बनाया गया।
	:	1905 में और 1913 में किसानों ने सामूहिक रूप से जागीरदार की खेती करने से इन्कार कर दिया और पडोसी क्षेत्रों में जाने का प्रयास किया।
	:	मेवाड़ में महत्वपूर्ण किसान आंदोलन।
	:	किसान आंदोलन ने दो क्षेत्रों में सीधे और ठोस रूप से गांधीवाद के उदय में योगदान दिया। ये क्षेत्र थे- उत्तर पश्चिम बिहार का चम्पारन और गुजरात के खेड़ा क्षेत्र में। चम्पारन में 1860 से तिनकठिया व्यवस्था का छुटपुट विरोध होता रहा था। इस व्यवस्था के अन्तर्गत यूरोपीय प्लान्टर रामनगर, बेतिया और मधुबन के जमींदारों से जमीन का पट्टे ले लेते थे और किसानों को बाध्य करते थे कि वे अपनी जमीन के कुछ भाग में नील की खेती करें। इसके लिए उन्हें मजदूरी भी नहीं दी जाती थी। जब 1900 के लगभग कृत्रिम रंगों की प्रतिस्पर्धा के कारण नील के व्यापार में मंदी आने लगी तो इन प्लान्टरों ने यह भार भी किसानों पर डालने का प्रयास किया। नील उगाने की बाध्यता से मुक्ति के बदले उन्होंने लगान वृद्धि अथवा एकमुश्त मुआवजा की मांग की। 1905 से 1908 के बीच मोतीहारी, बेतिया क्षेत्र में इसका कड़ा विरोध हुआ।

: 19वीं सदी के उत्तरार्द्ध में हुए किसान विद्रोहों में 1855 का संथाल विद्रोह और 1875 का दक्कन विद्रोह सबसे महत्वपूर्ण थे। लेकिन 1914-1918 के पहले विश्व युद्ध के बाद और खास तौर से विश्वव्यापी अर्थ संकट (ग्रेट डिप्रेशन 1929-33) के अंतिम दशक के बाद से किसानों का असंतोष अभूतपूर्व तेजी के साथ बढ़ा।

1908 : मदनलाल ढींगरा ने इम्पीरियल इंस्टीट्यूट इंग्लैण्ड के जहांगीर हाल में वायली को गोली मार कर हिन्दुस्तानी क्रांतिकारियों को दी जाने वाली सजा का बदला लिया।

1909 : भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर उदारवादियों का बोलबाला था।

: कानून की परिधि में संवैधानिक आंदोलन और धीरे-धीरे व्यवस्थित रानजैतिक प्रगति।

: जन मांगों को याचिकाओं, सभाओं, प्रस्तावों और भाषणों के जरिए अधिकारियों तक पहुंचाया जाए।

: उदारवादियों को साथ रखने की दृष्टि से इंडियन कौंसिल एक्ट के जरिए संवैधानिक रियायतों की घोषणा की। इसे 1909 का मार्ले मिन्टो सुधार भी कहा गया, जो अत्यन्त सीमित था। 1892 के इंडियन कौंसिल एक्ट के जरिए विधान परिषदों में भारतीय प्रतिनिधि लेने के कार्यक्रम को विस्तार दिया गया। अब केंद्रीय विधान परिषद में अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों के एक अल्पमत को तथा प्रांतीय विधान परिषदों में अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों के बहुमत को शामिल किया गया। यह परिषदें केवल सलाहकार संस्थाएं थीं। इनके पास कोई ठोस अधिकार नहीं थे। कांग्रेस के नरमपंथी नेताओं ने अंग्रेज सरकार के साथ अपनी एकता व्यक्त करते हुए इन सुधारों का लाभ उठाया। 1910 में नये वायसराय के आने पर कांग्रेस नेताओं ने अपनी वफादारी भरी भावनाएं व्यक्त कीं।

: मार्ले मिण्टो सुधार में इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउन्सिल के 68 सदस्यों में से 36 ऑफिसर और पांच नामज़द गैर अफसर थे।

: 27 सदस्यों में से 6 बडे जमींदारों तथा 2 ब्रिटिश पूंजीपतियों के प्रतिनिधि

: सुधारों में सभी मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्रों में रखा गया।

1911 : सरकार ने बंग भंग को संशोधित करने की घोषणा की।

: पश्चिमी और पूर्वी बंगाल एक करने और बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रान्तों के निर्माण की घोषणा की।

: तुर्की और इटली की लड़ाई

: हिंदुस्तान में खिलाफत आंदोलन

1913 : अमरीका तथा कनाडा में रहने वाले भारतीय क्रांतिकारियों ने गदर पार्टी की स्थापना की। पार्टी के सदस्य किसान और सैनिक थे। लाला हरदयाल इसके प्रमुख नेताओं में से एक थे। मैक्सिको, जापान, फिलीपीन्स, मलाया, सिंगापुर, थाईलैण्ड, इण्डोचीन और पूर्व तथा दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में पार्टी के सक्रिय सदस्य थे।

: जैसा कि 19वीं सदी में हुआ था कि भारत में अनेक भागों में आदिवासी विद्रोह एक स्थाई तत्व बने रहे, जो कि दक्षिणी आन्ध्र प्रदेश में हुए। 1913 में फोरेस्ट कमेटी द्वारा वन संरक्षण एवं राजस्व की दृष्टि से प्रतिबन्धों को कड़ा करने का परिणाम यह हुआ कि असहयोग आंदोलन के दौरान कुडप्पा में वन सत्याग्रह हुआ। 1910 में जगदलपुर में विद्रोह हुआ।

1914 : उड़ीसा की सामन्तवादी रियासत दसपल्ला में अक्टूबर में खोंड (आदिवासी) विद्रोह हुआ। इस विद्रोह का आरम्भ उत्तराधिकार विवाद से ही हुआ कि अंग्रेजों को हटा कर खोंडों का अपना राज्य होगा।

: खोंड विद्रोह की अफवाह ने मुण्डों के पड़ोसी छोटा नागपुर क्षेत्र के उरावों के बीच भी विद्रोह भड़का दिया। यहां जात्रा भगत ने आंदोलन का आरम्भ किया। 1920 के पश्चात उरावों के इस आंदोलन ने गांधीवादी राष्ट्रवाद के साथ महत्वपूर्ण सम्पर्क स्थापित किए।

: दक्षिणी राजस्थान में गोविन्द गुरू ने समाज सुधार का आंदोलन चलाया जिसने बांसवाड़ा, सुण्ड और मेवाड़ से लगी हुई डूंगरपुर रियासतों के भीलों में जागृति फैलाई। 1913 के अंत तक भील राज्य स्थापित करने की बात कही जाने लगी।

: भारत की कुल बैंक जमा के 70 प्रतिशत से अधिक पर विदेशी बैंकों का अधिकार था।

: जून में प्रथम विश्व युद्ध की शुरूआत।

: हिन्दुस्तान में रजिस्टर्ड ज्वाइन्ट स्टाक कम्पनियां 2552 से 2789 तक हो गयीं।

: युद्धकालीन दौर में किसानों और औद्योगिक सेठों के बीच खाई बढ़ रही थी।

: पैसे की पूंजी का एकत्रीकरण बड़ी तेजी के साथ हुआ, पर पूंजी का पुर्नउत्पादन में सही इस्तेमाल नहीं हुआ।

: प्रथम विश्व युद्ध के बाद विकास को दो रूपों में देख सकते हैं-

अ) विश्व पूंजीवादी व्यवस्था में ब्रिटिश एकाधिकार में गिरावट

ब) हिन्दुस्तानी बुर्जुआ वर्ग और साम्राज्यवाद में तनाव

: जो 1910 में बम्बई में मजदूरों के हित के लिए एक संस्था बनी थी जिसका नाम कामगार हित वर्द्धक संस्था थी। इस संस्था का उद्देश्य मालिकों के बीच उत्पन्न विवाद हल करने के लिए सरकार के समक्ष याचिकाएं पेश करना था। 1914 से पहले मजदूर आंदोलन का विस्तार केवल यूरोपीय और आंग्ल भारतीय रेल कर्मचारियों तथा सरकारी कर्मचारियों के ऊपरी तबके तक सीमित था।

1915 : दो होमरूल लीग की स्थापना।

: अखिल भारतीय हिन्दू महासभा स्थापित।

1915 : क्रांतिकारियों द्वारा 21 फरवरी को पंजाब में बगावत तय हुई। यह विद्रोह गदर पार्टी वालों ने तय किया था। गदर पार्टी के नेताओं ने सेना और किसानों के बीच क्रांतिकारी विचारों को फैलाने का काम किया।

: गांधीजी भारत लौटे।

1916 : अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना।

: दोनों धड़ों का संयुक्त भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन

: कांग्रेस और आल इंडिया मुस्लिम लीग ने मतभेद भुलाए और एक तरह की राजनीतिक मांगें रखीं।

1917 : सोवियत क्रांति।

: मयूरभंज में संथालों ने और मणिपुर में थोडोई कुकियों ने विद्रोह किया।

: अक्टूबर में बिहार में दंगे हुए। दंगों में लगभग 50 हजार की भीड़ ने शाहाबाद में 24, गया में 28 और पटना में दो गांवों में आक्रमण किया। इसका तात्कालिक कार्य गौरक्षा का मुद्दा था किन्तु अफवाह उड़ गई कि अंग्रेजों का शासन समाप्त हो चुका है। यह भी कहा गया कि उच्च जातियों के भूस्वामी जानबूझ कर दंगों को भड़का रहे थे ताकि स्थानीय नेतागीरी बनाये रखें। इन दंगों को भड़काने में सनातन धर्म सभा के गोरक्षा प्रचार एवं आर्य समाजियों के आंदोलन की भूमिका रही।

: राष्ट्रीयता समर्थक मद्रास प्रेसीडेन्सी एसोसिएशन की स्थापना। यह गैर ब्राह्मणों की एसोसिएशन थी। इसने अलग प्रतिनिधित्व की मांग की। आगे चलकर 1920 के दशक में तमिलनाडु में आई वी रामास्वामी नायकर के नेतृत्व में एक जुझारू ब्राह्मणवाद विरोधी एवं जाति विरोधी आंदोलन विकसित हुआ।

: सीआर रेड्डी, जो मद्रास के एक गैर ब्राह्मण राजनीतिज्ञ थे, ने ब्राह्मण विरोधी मंच पर रियासत के सर्वप्रथम राजनैतिक संगठन प्रजा मित्र मंडली की स्थापना की। यह संगठन मात्र शहरी व्यवसायिक गुट बन कर ही रह गया, जो वैयक्तिक संपर्क के बल पर ही दरबार की राजनीति प्रभावित करने का प्रयास करता था।

: 20 अगस्त को भारत सचिव मोंटेग्यू ने संवैधानिक सुधारों की घोषणा की।

: सत्याग्रह संबंधी पहला प्रयोग बिहार के चम्पारन जिले में नील खेती के अत्याचार के विरूद्ध हुआ।

1918 : सुधारों की परिणिति। 1918 की मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट और 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में हुई।

: अहमदाबाद के मजदूरों और मिल मालिकों के झगड़े में गांधीजी ने हस्तक्षेप किया और आमरण अनशन किया।

1919 : 1918 के बाद विभिन्न प्रशासनिक सेवाओं का भारतीयकरण किया गया।

: रॉलेट एक्ट लागू किया गया।

: फरवरी में गांधीजी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह सभा की स्थापना की।

: 13 अप्रैल को लोकप्रिय नेताओं डॉ. सैफुद्दीन किचलू और डॉ. सत्यपाल की गिरफ्तारी पर विरोध प्रकट करने पर अमृतसर (पंजाब) के जलियांवाला बाग में जनरल डायर द्वारा बर्बरतापूर्वक मासूम लोगों पर गोलियां चलाईं गईं।

1919-22 : नवम्बर में आल इंडिया खिलाफत कांग्रेस दिल्ली में हुई।

: इस दौर में जब साम्राज्यवाद के खिलाफ अवामी रोष उफन रहा था उस वक्त हिंदुस्तानी बुर्जुआ वर्ग बना।

: मजदूरों ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ हड़ताल की और वह राष्ट्रीय संघर्ष की अगली कतार में आ खडे हुए।

: हिंदुस्तानी बुर्जुआ वर्ग ब्रिटिश पूंजी का हिस्सेदार होने लगा।

: ब्रिटिश भी अपनी प्रशासनिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हिंदुस्तानियों की भागीदारी लेने लगे थे।

: 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या मोंटेग्यू डिक्लरेशन में कहा गया कि सत्ताधारियों की इच्छा है कि हिंदुस्तानियों का प्रशासन की हर शाखा में जुडाव हो और धीरे-धीरे स्वशासन संस्थाओं का विकास किया जाय, जिससे आगे चल कर ब्रिटिश साम्राज्य का अंतरिम हिस्सा बनकर यह हिंदुस्तान सरकार को चलाएं।

1920 : अगस्त में खिलाफत कमेटी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया।

: दिसम्बर में नागपुर में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन जिसके तहत प्रांतीय कांग्रेस समितियों को भाषाई क्षेत्रों के आधार पर पुनर्गठित किया गया। कांग्रेस सदस्यता सभी पुरूष स्त्रियों के लिए खोल दी गई, जिनकी उम्र 21 वर्ष से अधिक हो।

: अकाली आंदोलन का उदय।

: 30 अक्टूबर को बम्बई में आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना।

1921 : अकालियों के नेतृत्व में जनता ने महन्तों और उनकी मददगार सरकार के खिलाफ एक शक्तिशाली आंदोलन छेड़ा।

: कांग्रेस सदस्यता की उम्र को घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया।

: जुलाई में आल इंडिया खिलाफत कमेटी ने प्रस्ताव पास कर घोषित किया कि किसी भी मुसलमान को ब्रिटिश फौज में काम नहीं करना चाहिए।

: नवम्बर में ब्रिटिश राज सिंहासन के उत्तराधिकारी प्रिंस ऑफ वेल्स के सामने भारत के दौरे के क्रम में विशाल प्रदर्शन हुए।

: चेम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना (यहां राजाओं और ब्रिटिश हित मिलकर कार्य करते थे)।

1921-22 : असहयोग और खिलाफत आंदोलन ।

1922 : अकालियों ने सरकार को एक नया सिख गुरूद्वारा एक्ट पास करने के लिए मजबूर कर दिया। 1925 में इस एक्ट में संशोधन हुआ।

: दिसंबर में मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस : खिलाफत स्वराज पार्टी बनाई।

: गांधीजी ने फरवरी में घोषण कि 7 दिनों में राजनैतिक बंदियों को न छोड़ा गया तो देशभर में करबंदी सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो जाएगा।

: उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के चौरी-चौरा गांव में 3000 किसानों के जुलूस पर गोलियां चलाई गईं। क्रुद्ध भीड़ ने थाने पर हमला किया।

: 12 फरवरी को कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने गुजरात के बारदौली में प्रस्ताव पास कर उन सभी कार्यों को बंद कर दिया जिनके फलस्वरूप कानूनों को तोड़ा जा सकता था।

: अलीगढ़ जामिया मिलिया इस्लामिया, बिहार विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ और गुजरात विद्यापीठ का जन्म हुआ।

1923	:	साम्प्रदायिक दंगों का भड़कना- 1923 से 1927 के बीच कलकत्ता, ढाका, पटना, रावलपिंडी, दिल्ली, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, इलाहाबाद इत्यादि में फैला।
1924	:	गांधीजी ने मोहम्मद अली के दिल्ली मकान में साम्प्रदायिक दंगों के खिलाफ अनशन किया। मुजफ्फर अहमद और श्रीपात अमृत डांगे गिरफ्तार हुए। उन पर कम्युनिस्ट प्रचार का अभियोग लगाया गया।
	:	हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना। यह एक सशक्त क्रांति आयोजित करने के लिए बनी थी।
1925	:	कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना।
	:	देश के विभिन्न भागों मे मजदूर और किसान पार्टियों की स्थापना। मार्क्सवादी धारा का प्रचार।
	:	गुजरात में किसानों ने भू-राजस्व बढ़ाने के सरकारी प्रयासों का विरोध किया।
	:	बारदौली सत्याग्रह।
	:	आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के नेतृत्व में ट्रेड यूनियन आंदोलन का विकास।
	:	काकोरी षडयंत्र का मुकदमा। इस मुकदमें से हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन संस्था पर चोट करने की कोशिश की गई।
	:	केवी हेडगेवार द्वारा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना।
1926	:	कलकत्ता में दंगे।
1927	:	आल इंडिया वीमेन कांग्रेस का उदय।
	:	नवम्बर में साइमन कमीशन भारत आया और भारतीय संवैधानिक आयोग लागू।
	:	दूसरा असहयोग आंदोलन।
	:	युवा छात्र लीगों की स्थापना।
	:	आल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कांफ्रेंस की स्थापना।
	:	बम्बई के मजदूर और किसानों ने मिनीमम लैण्ड होल्डिंग एक्ट को वापस करवाया।
1928	:	अगस्त में छात्रों का पहला अखिल बंगाल सम्मेलन हुआ जिसकी अध्यक्षता नेहरू ने की।
	:	अनेक हड़तालें हुईं।

: खड्गपुर के रेलवे वर्कशाप में 2 महीने लम्बी हड़ताल चली।

: साउथ इंडियन रेलवे मजदूरों की हड़ताल।

: जमशेदपुर में टाटा आयरन स्टील कम्पनी की हड़ताल।

: बम्बई की कपड़ा मिलों में हड़ताल। जिसमें 150000 मजदूर पांच महीने से अधिक हड़ताल पर रहे। इस हड़ताल में कम्युनिस्टों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

: हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का चंद्रशेखर आजाद ने नाम बदल कर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया।

: साइमन कमीशन के विरोध में प्रदर्शन में लाला लाजपतराय पर पुलिस हमले का बदला लेने के उद्देश्य से एचएसआरए द्वारा साँडर्स का वध।

1929 : 8 अप्रैल को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेम्बली में बम फेंका। वे पब्लिक सेफ्टी बिल पास किए जाने का विरोध कर रहे थे।

: नेहरू को ऐतिहासिक लाहौर कन्वेन्शन का अध्यक्ष बनाया गया।

: 31 दिसम्बर को स्वतंत्रता के नवगृहित तिरंगे झण्डे को फहराया गया।

: बम्बई में आम हड़ताल।

1929-33 : संयुक्त राज्य अमरीका में आर्थिक संकट का दौर।

: 1929 के अंत में आने वाले विश्वव्यापी मंदी ने भारत को दो रूपों में प्रभावित किया-

अ) कीमतों में, विशेष रूप से कृषि उत्पादों की कीमतों में तीव्र गिरावट लाकर।

ब) सम्पूर्ण निर्यात पर आधारित औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में गम्भीर संकट उत्पन्न करके।

1930 : 12 मार्च को गांधीजी की दांडी यात्रा।

: दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू

: नमक कानून तोड़ा गया

: लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन। यह भारतीय नेताओं को साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा के लिए बुलाया गया था।

: ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के विद्यार्थी रहमत अली चौधरी ने सर्वप्रथम ''पाकिस्तान'' शब्द का उल्लेख किया।

: पाकिस्तान की प्रथम मांग मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन में की।

1931 : मार्च में इर्विन-गांधी समझौता।

: 23 मार्च को क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव ओर राजगुरू को फॉसी दी गयी।

: कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित।

: वामपंथियों और अनेक कांग्रेसी नेताओं ने गांधी इर्विन समझौते का विरोध किया।

1932 : गांधीजी ने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की।

: अम्बेडकर ने आल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस फेडरेशन की स्थापना की।

: आल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन की स्थापना अनुसूचित जाति के अन्य नेताओं ने की।

1933 : मई में सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया गया। 1934 मई में आंदोलन को वापिस ले लिया गया।

: 1932 से 1934 के दौरान बिरला बार-बार गांधीजी और सरकार के बीच मध्यस्थता का प्रयास करते रहे।

: 1932-33 में बम्बई के कपड़ा उद्योगपतियों को स्पष्ट रूप से कमजोर पड़ गए लंकाशायर की तुलना में जापानी मोटे कपड़े के थानों की प्रतिस्पर्धा की चिंता अधिक थी और इसी कारण अक्टूबर 1933 का कुख्यात 'लीज मोदी' समझौता हुआ था। जिसके अंतर्गत बम्बई के उद्योगपति लंकाशायर के इस वायदे के बदले कि वह अधिक माल्रा में भारतीय कपास खरीदेगा, ब्रिटिश कपड़े के आयात को वरीयता देने को सहमत हो गए थे।

: 14 नवम्बर 1934 को बिरला ने नाटकीय ढंग से ठाकुरदास को चेतावनी दी ''मेरे विचार से लंकाशायर के मुंह आदमी का खून लग गया है और अब वह लीज मोदी समझौते से संतुष्ट नहीं होगा।''

: 1919-33 का दौर एक आर्थिक संकट का दौर भी कहा जा सकता है। इसमें सम्पूर्ण हिंदुस्तानी सामाजिक आर्थिक ढांचे को हिला कर रख दिया। (विश्व की पूंजीवादी व्यवस्था के ढांचागत संबंधों के कारण)।

: फिक्की के अध्यक्ष ने खुलकर उद्योगपतियों को बुलाकर कहा कि जो 'स्वराज के लिए लड़ रहे हैं उनके हाथों को मजबूत करो।'

: हिंदुस्तानी सेठों, बुर्जुआ वर्ग, जमींदारों, ने अपने अनुसार संवैधानिक और संस्थात्मक विकास किया।

: राष्ट्रवादी आंदोलन में हिंदुस्तानी बुर्जुआ वर्ग ने अपनी पैठ बनाई और संगठन और आंदोलन को अपनी जरूरत के अनुसार ढाला।

: फरवरी 1930 के दौरान कांग्रेस कमेटी की साबरमती की मीटिंग में सारी ताकत गांधीजी और उनके सहयोगियों को दे दी गयी कि वे प्रचार का नियंत्रण एवं अगुआई करें। ताकि असहयोग आंदोलन सुचारू रूप से चल सके। खास कर उन लोगों को साथ रख कर, जो अहिंसा में विश्वास रखते हों। यह प्रस्ताव यह ध्यान में रख कर किया गया कि वामपंथी देश में मजदूरों, किसानों ओर नौजवानों को लेकर समानान्तर सरकार चलाने की मांग कर रहा थे।

1934 : सरकार ने कांग्रेस पर से बंदिश हटा ली।

: इसी समय ब्रिटिश ताकतें जमींदारों और हिंदुस्तानी बुर्जुआ वर्ग को खुश करने की कोशिश कर रही थी जिससे जन आंदोलन दबाया जा सके।

: सरकार ने जुलाई के महीने में कम्युनिस्ट पार्टी को नाजायज़ करार कर दिया।

: ब्रिटिश सरकार के दबाव से देश में नकदी फसलें उगाई गयीं। फलस्वरूप चीनी और कपड़े की मिलें स्थापित की गईं। 1934-35 में 32 चीनी की मिलें चीनी का उत्पादन कर रही थीं।

: हिंदुस्तानी पूंजीपति मुनाफे और उत्पादन बढ़ाने की होड़ व एकाधिकार बनाने की होड में लगा था। इससे छोटे-छोटे उद्यागों को आघात पहुंचा।

: आर्थिक संकट में बढ़ोत्तरी-

अ) कामगारों की पगार में कमी

ब) कच्चे माल की कीमतों में कमी

स) मुक्त पूंजी का एकत्रीकरण

1935 : गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ।

: ब्रिटिश हिंदुस्तान में गवर्नमेंट इंडिया एक्ट लागू करके प्रतिक्रियावादी ताकतों को बढ़ावा देना चाह रही थी। जैसे काउन्सिल ऑफ स्टेट्स में 260 सीटों में से 104 प्रिंसेस के लिए थीं। फेडरल असेम्बली में 375 में से 125 प्रिंसेस के लिए थीं। यानी कुल जनसंख्या में से 24 प्रतिशत प्रिंसली राज्यों की जनसंख्या थी।

: ब्रिटिश हितों को बरकरार रखने के लिए गवर्नर जनरल को खास अधिकार दिए गए जिसमें ब्रिटिश वित्तीय पूंजी के वाणिज्यिक और

लागत के हितों को सुरक्षा प्रदान की गई। यानी 'हिंदुस्तान में ब्रिटिश सरकार के वित्तीय पूंजीवादी तरीके को बचाकर रखा जाय।'

: एक्ट का संघीय भाग लागू नहीं हुआ।

: अखिल भारतीय संघ की स्थापना।

: प्रांतीय स्वायत्तता के आधार पर प्रान्तों के लिए सरकार की नई प्रणाली की व्यवस्था थी।

: लखनऊ में आल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन की स्थापना और छात्र आंदोलन का संगठित संघर्ष।

1935-39 : राष्ट्रवादी आंदोलन और कांग्रेस नई दिशा की ओर मुड़े।

1935 में साउथ इंडियन फेडरेशन ऑफ पीजेन्ट एन्ड एग्रीकल्चरल लेबर की स्थापना की गई जिसके महासचिव एनजी रंगा और संयुक्त सचिव ई एम एस नम्बूदरीपाद थे।

1936 : अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना।

: नेहरू ने कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन भाषण में समाजवाद को लक्ष्य के रूप में स्वीकार करने को कहा।

: प्रगतिशील लेखक संघ की कानपुर में स्थापना।

1937 : भारत की कुल बैंक जमा के 70 प्रतिशत से भी अधिक पर विदेशी बैंकों का 1914 के दौरान जो अधिकार था अब उनका हिस्सा घटकर 57 प्रतिशत हो गया।

: जापान ने चीन पर हमला किया और कांग्रेस ने तब प्रस्ताव दिया कि 'चीनी जनता के साथ सहानुभूति और जापानी वस्तुओं का बहिष्कार करें।

: आल इंडिया फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया एन्ड इंडियन स्टेट्स लाया गया।

1939 : मात्र 7 इंजीनियरिंग कालेज खुले थे। जिनमें 2217 विद्यार्थी अध्ययनरत थे।

: ब्रिटिश आयातित वस्तुओं को साम्राज्यीय वरीयता (इम्पीरियल प्रीफरेंसेस) की प्रणाली के अन्तर्गत विशेष रियायतें दी गईं।

: 15 से 21 अगस्त को हिटलर और सोवियत संघ में संधि हुई कि वह एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे।

: द्वितीय विश्व युद्ध।

: युद्ध के दौरान भोजन हेतु खाद्य सामग्री की मांग बढ़ी। इसका भार पूरी तरह भारत को झेलना पड़ा। इसी समय हिंदुस्तान में अकाल पड़ा। खास कर उन प्रान्तों में जो आयातित अनाज की खपत कर रहे थे। इस अकाल को बढ़ाने में युद्ध की भूमिका मुख्यत: रही। वहीं उपनिवेशीय ब्रिटिश ताकतों व हिंदुस्तानी व्यापारी व सूदखोरों की भूमिका कम न थी।

: ब्रिटिश नीति थी कि हिंदुस्तान की औद्योगिक उन्नति को रोके रखें।

: युद्ध के दौरान हथियारों की मांग के रहते हिंदुस्तान में लौह इस्पात उद्योग का विकास हुआ। वहीं अल्मूनियम उद्योग का भी आरम्भ हुआ। यही समय था जबकि कैमिकल उद्योग ने भी अपनी पैठ बनाई। इसी समय सीमेंट उद्योग का विकास भी इसी समय हुआ।

: इस सबके चलते देशी बुर्जुआ (पूंजीपति) वर्ग ने कपास, चीनी, चाय, कोयला, सीमेंट, स्टील और इंजीनियरिंग क्षेत्रों से काफी कमाई की।

: हिंदुस्तानी पूंजी उद्योगों में लगाई गई।

: इंडियन ज्वाइंट स्टाक बैंक के डिपाजिट में बढ़ोतरी।

: बैंक पूंजी का एकत्रीकरण और औद्योगिक पूंजी के साथ उसका मेल।

1940 : गांधी का व्यक्तिगत सत्याग्रह का आह्वान।

: मार्च में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में अपनाए जाने वाले पाकिस्तान नारे को अंतिम रूप से अंग्रेजों का प्रोत्साहन रहा।

1941-42 : कांग्रेस का दक्षिणपंथी प्रभुत्व वाला हाई कमान बार-बार यही प्रयास कर रहा था कि अंग्रेजों से किसी प्रकार समझौता हो जाए। बाद में उन्होंने अनिच्छापूर्वक आंदोलन चलाने की अनुमति दी। जिसकी सबसे बडी विशेषता उनका दबा स्वर और सीमित स्वरूप था। जबकि पूरा वामपंथ युद्ध विरोधी और सरकार विरोधी कदम उठाना चाहता था। कांग्रेस वर्किंग कमेटी बार-बार स्पष्ट रूप में कहती रही कि वह युद्ध में अंग्रेजों का पूर्ण समर्थन करने को तैयार है बशर्ते वे उनकी दो मांगें स्वीकार करें। मांगें थीं, युद्ध पश्चात स्वतंत्रता देने का वादा और केंद्र में तुरन्त राष्ट्रीय सरकार की स्थापना।

1942 : क्रिप्स मिशन भारत में आया।

: 8 अगस्त को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने बम्बई में भारत छोड़ो प्रस्ताव रखा।

: देश में आंदोलनों की लहर।

: भारत छोड़ो आंदोलन में कम्युनिस्टों द्वारा हिस्सा न लेने का निश्चय।

: 23 जून को रास बिहारी बोस ने टोकियो में ''इंडियन इंडिपेंडेन्स लीग'' की बागडोर सम्भाली।

1942-45 : भारत छोड़ो आंदोलन।

: 1942 में मार्च के प्रथम सप्ताह में क्रिप्स ने युद्धकालीन मंत्रिमंडल को इस बात के लिए तैयार कर लिया कि ऐसा प्रारूप घोषित कर दिया जाय कि जिसमें अलहदगी के अधिकार की प्रांतीय विधायिकाओं द्वारा चुनी हुई संविधान निर्मात्री सभाओं की और प्रान्तों को इसमें सम्मिलित न होने के अधिकार की तथा रजवाड़ों को अपने प्रतिनिधि भेजने के अधिकार सहित भारत को डोमीनियन स्टेट दिए जाने की बात हो।

: 1943 में कांग्रेस फॉसीवाद विरोधी रवैया अपना रही थी। (जबकि अंग्रेज स्पेन, आस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया को फासिस्टों के हाथों बेच रहे थे)। पहली मई, 14 जुलाई और 8 अगस्त को इलाहाबाद, वर्धा और बम्बई के प्रस्तावों में रूस और चीन के प्रति सहानुभूति प्रकट की गई और मित्र देशों के प्रति समर्थन व्यक्त किया गया था। यहां अपने 'करो या मरो' भाषण में गांधीजी ने कहा था कि 'मैं रूस या चीन की हार का कारण नहीं बनना चाहता।'

: जुलाई 1945 में सुभाष बोस ने ''आजाद हिंद फौज'' एवं ''इंडियन इंडिपेन्डेंस लीग'' की बागडोर संभाली और 21 अक्टूबर को सिंगापुर में अस्थाई सरकार की स्थापना की।

: 1941 में जून में सोवियत संघ पर नाजी का आक्रमण।

: 1944-45 में अमरीका ने भारत द्वारा किए जाने वाले आयातों के सबसे बड़े स्रोत के रूप में ब्रिटेन का स्थान ले लिया।

: 1945 में यूरोप में अप्रैल युद्ध खत्म हो जाने के बाद भारत स्वतंत्रता संघर्ष के नए चरण में शामिल।

: देश व्यापी आंदोलन और हड़तालों का प्रदर्शन।

: आजाद हिंद फौज के बंदियों की रिहाई हेतु कलकत्ता में प्रदर्शन।

: ग्रीष्म में बिरला और टाटा के नेतृत्व में एक भारतीय प्रतिनिधि मंडल ब्रिटेन और अमरीका गया और इसी वर्ष बिरला एवं एनफील्ड के बीच 'हिंदुस्तान मोटर्स' की स्थापना के लिए और टाटा एवं इम्पीरियल केमीकल्स के बीच समझौते हुए। साथ ही भारतीय बुर्जुआ नेता इस बात के लिए भी तैयार थे कि भारी उद्योगों, ऊर्जा, सिंचाई आदि क्षेत्रों में, जिनमें आरम्भ में बहुत कम लाभ होने की आशा थी सरकारी पूंजी निवेश किया जाय।

: जनवरी 1944 में भारत के अग्रणी उद्योगपतियों 'जिनमें टाटा, बिरला, पी- ठाकुरदास, श्रीराम और कस्तूर भाई लालभाई सम्मिलित थे' ने बम्बई योजना की रूपरेखा बनाई। जिनमें 15 वर्षों के अंदर बुनियादी उद्योगों के तीव्र विकास के माध्यम से प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय को दुगुना करने की परिकल्पना की गई।

: 1943 तक असम, सिंध, बंगाल और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में लीग के मंत्रिमंडल का गठन हो चुका था।

: 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद सरकार और आजाद हिंद फौज की स्थापना की घोषणा की गयी।

: नवम्बर में अंग्रेजों द्वारा आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर मुकदमें चलाए गए, फलस्वरूप देशभर में भारी प्रदर्शन हुए। शीत काल में ब्रिटिश भारतीय सेना में असंतोष की लहर कदाचित इसी कारण फैली। इसकी परिणिति फरवरी 1946 में बम्बई में नौसेना की हड़ताल में हुई।

1943 : मुस्लिम लीग के करांची अधिवेशन में ''विभाजन करो और जाओ'' का नारा दिया।

1945 : सोवियत रूस (लाल सेना) की नाजी जर्मनी पर विजय।

1946 : कैबिनेट मिशन सत्ता हस्तांतरण हेतु भारत आया।

: डाक तार कर्मचारियों की हड़ताल। रेल कर्मचारियों की हड़ताल उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, हैदराबाद, मालावार, महाराष्ट्र में जमीन के लिए और ऊंचे लगान के लिए संघर्ष। स्कूल और कालेजों में हड़ताल।

: 1946-47 में पूर्वी बंगाल के नौआखाली, बिहार संयुक्त प्रांत के गढ़मुक्तेश्वर इत्यादि जगहों मे सांप्रदायिक दंगे हुए। इसी दौरान कई किसान विद्रोह भी हुए।

: कांग्रेस और लीग की मिलीजुली सरकार की अव्यवहारिकता ने देश के विभाजन के बारे में लोगों को सोचने के लिए मजबूर कर दिया। ऐसा सोचने वालों में जल्द ही नेहरू और पटेल भी सम्मिलित हो गए।

: हिंदू महासभा ने पश्चिम बंगाल में एक अलग हिंदू प्रांत बनाये जाने की संभावना का पता लगाने के लिए एक समिति की स्थापना की।

: 10 मार्च 1947 को नेहरू ने निजी बातचीत में वेवेल से कहा कि ''सबसे अच्छी तो केबीनेट मिशन योजना ही थी यदि वह लागू की जा सकती, लेकिन अब एकमत्र वास्तविक विकल्प पंजाब और बंगाल का विभाजन ही है। 3 महीने बाद कांग्रेस अध्यक्ष कृपलानी ने माउन्टबेटन

को सूचित किया लड़ाई करने से अच्छा हम यही समझते हैं कि हम उन्हें पाकिस्तान लेने दें, शर्त यह है कि आज पंजाब और बंगाल का न्याय पूर्ण बंटवारा होने दें।

: सितम्बर 1946 में बंगाल की क्रांति किसान सभा में तिभागा सम्बंधी फ्लाउड कमीशन की सिफारिश को लागू करवाने के लिए जन संघर्ष का आह्वान किया। सिफारिश यह थी कि जोतदारों से लगान पर ली गयी जमीन पर काम करने वाले बटाईदारों को फसल का आधा या उससे भी कम हिस्सा मिलने के स्थान पर दो तिहाई हिस्सा दिया जाय। (कम्युनिस्ट कार्यकर्ता जिनमें जुझारू शहरी विद्यार्थी भी थे, गांवों में गए और उन्होने बटाईदारों को संगठित किया)।

: 1946 और 1951 के बीच तेलंगाना आधुनिक भारतीय इतिहास के सबसे बडे कृषक छापामार युद्ध का साक्षी रहा। इसने 3 हजार गांवों को प्रभावित किया। इसकी आबादी 30 लाख थी और जो 16 लाख वर्ग मील के क्षेत्रा में फैले हुए थे।

: जुलाई 1944 में अमरीका के न्यू हैम्पशायर के ब्रेटनहुड गांव में 44 देशों के प्रतिनिधियों का सम्मेलन हुआ और परिणामस्वरूप विश्व बैंक व अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष का जन्म हुआ।

: भारत को विश्व बैंक द्वारा कर्जा दिए जाने की शुरूआत 1948 में हुई जब भारतीय रेलों के लिए 34 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण देना तय हुआ।

: बैंक द्वारा ऋण का प्रथम दशक 1949-59 में भारत को कुल 611 मिलियन अमरीकी डालर के 20 ऋण दिए गए।

: 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन की घोषणा हुई और संवैधानिक प्रस्ताव आगे बढ़ाया गया।

: 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार बनी।

: 1946-47 में रजवाड़ों की जनता में एक नई लहर उठी जिनमें हर जगह राजनैतिक अधिकारों की संविधान सभा में निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मांग की जा रही थी।

: उच्च वर्ग के नेतृत्व और जबरन प्रतिक्रियावादी शक्तियों के प्रतीक राजाओं को महत्व देकर तथा इनके साथ गठबंधन के आधार पर भारत में इसी समझौते को बढ़ावा देने के पीछे उद्देश्य यह था कि जनता की उभरती हुई ताकतों को रोका जा सके और ब्रिटिश हितों की रक्षा की जा सके तथा इस प्रकार भारत की स्थिति को स्थिरता प्रदान करने के साथ उसे एक सैनिक अड्डे के रूप में रखा जा सके, जो ब्रिटेन की अन्तर्राष्ट्रीय नीति के संदर्भ में भारत को ब्रिटिश साम्राज्यवाद का

सहयोगी बना दे। भारतीय नेताओं के साथ ब्रिटिश साम्राज्यवादी अपनी बातचीत चलाने के साथ-साथ अन्तर्राष्ट्रीय नीति में घोर प्रतिक्रियावादी, जनतंत्र विरोधी और सोवियत विरोधी रूख अपना रहे थे।

1947 : मार्च 1947 लार्ड माउंटबेटन वायसराय बना।

: 5 मई को पटेल ने नरेशों को आश्वासन दिया कि कांग्रेस रजवाड़ों की दुश्मन नहीं है, बल्कि वह चाहती है कि रजवाड़े और उनकी प्रजा उनके अंतर्गत समृद्धि, संतोष और सुख पाएं।

: 3 जून को घोषणा हुई कि भारत और पाकिस्तान स्वतंत्र हो जाएंगे।

: 15 अगस्त 1947 प्रथम स्वतंत्रता दिवस।

: जूनागढ़ (प्रिंसली स्टेट्स) भारतीय संघ में शामिल हुआ।

: 14 अगस्त को पाकिस्तान बना

: नेहरू प्रधानमंत्री और लार्ड माउंटबेटन गवर्नर जनरल बनें।

सत्र 13, गतिविधि 1

अभ्यास सामग्री

1948 से 1980 तक का घटनाक्रम

1948	:	30 जनवरी को गांधीजी की हत्या।
		इंडियन आर्मी ने निजाम के विरूद्ध कार्यवाही करके हैदराबाद (प्रिंसली स्टेट्स) को भारतीय संघ में शामिल कर लिया।
	:	महाराजा कश्मीर ने पाकिस्तान के हमले के डर से भारत से सहायता मांगी और फिर कश्मीर (प्रिंसली स्टेट) को भारत में शामिल करने को कहा।
	:	20 फरवरी को अंग्रेजों के भारत छोड़ने की घोषणा।
1950	:	26 जनवरी को एक लोकतांत्रिक संविधान की घोषणा की गई।
15 मार्च 1950	:	नेहरु की अध्यक्षता में योजना आयोग का गठन किया गया।
16 मई 1951	:	अभिव्यक्ति की आजादी पर रोक लगाने के लिए प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरु ने संसद में पहला संविधान सशोधन का प्रस्ताव रखा।
1951	:	18 अगस्त 1951 में आईआईटी की स्थापना खड़गपुर में हुई।
	:	21 अक्टूबर 1951 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने राजनैतिक पार्टी जनसंघ का गठन किया।
	:	25 अक्टूबर को देश में पहला आम चुनाव।
6 अगस्त 1952	:	आर्थिक आयोजन के लिए राज्यों और योजना आयोग के बीच सहयोग का वातावरण तैयार करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय विकास परिषद् (NDC) का गठन किया गया।
1955	:	सोवियत रूस की मदद से छत्तीसगढ़ के दुर्ग में भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना।
1 मई 1956	:	आर्थिक अपराधों और विदेशी मुद्रा कानूनों के उलंघन की जाँच के लिए प्रर्वतन निदेशालय (ईडी) की स्थापना की गयी।
14 अक्टूबर 1956	:	भीमराव अम्बेडकर ने अपने 5 लाख समर्थकों के साथ नागपुर में बौध धर्म अपनाया।

15 दिसम्बर 1959	:	दूरदर्शन की शुरुआत।
प्रथम पंचवर्षीय योजना	:	(1951-56) देश को आत्म निर्भर बनाने के लिए घाटी परियोजना के तहत भाखड़ा नांगल, दामोदर घाटी, हीरा कुण्ड बाँध का निर्माण शुरू किया गया। बिहार के सिन्दरी में उर्वरक कारखाना की स्थापना की गयी।
द्वितीय पंचवर्षीय योजना	:	(1956-61) इस पंचवर्षीय योजना में तीव्र गति से औद्योगिकरण शुरू किया गया जिसके तहत आधारभूत और भारी उद्योग स्थापित किया गया। इस पंचवर्षीय योजना में कृषि से हटकर उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया। सार्वजानिक क्षेत्र में बड़े-बड़े उद्योगों की स्थापना की गयी जिससे घरेलू अर्थव्यवस्था की जरूरतों को पूरा किया जा सके। यह मॉडल बड़े उद्योगों की स्थापना करके मझोले और लघु उद्योगों के आधार तैयार करने के लिए किया गया जिससे ग्रामीण और कुटीर उद्योगों को मजबूती मिल सके।
1957	:	देश में पेट्रोलियम पदार्थों की मांग बढ़ जाने के कारण विशाखापट्टनम में ब्रिटिश कंपनी टैक्स की मदद से तेल कारखाना स्थापित किया।
	:	एटमिक एनर्जी कमीशन की स्थापना की गयी। जिसके अध्यक्ष होमी जहाँगीर भाभा नियुक्त किये गये।
	:	ब्रिटेन के सहयोग से पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना।
	:	जर्मनी के सहयोग से उड़ीसा के राउरकेला शहर में राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना।
तृतीय पंचवर्षीय योजना (1961-66)	:	तृतीय पंचवर्षीय योजना असफल हो गयी। देश को सूखा, अकाल, चीन, पाकिस्तान के साथ युद्ध और प्रधानमन्त्री नेहरु की मौत से जूझना पड़ा। कुछ लोगों का मानना है कि कृषि और उद्योग दोनों पर बल देने से असफल हुयी।
	:	1964 में सोवियत संघ की मदद से बोकारो में स्टील प्लांट की स्थापना हुई। भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर स्टील प्लांट का विस्तार किया गया।
	:	1965-68 में अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए हरित क्रांति शुरू की गयी। कृषि में पुराने ढांचे की जगह नये और तकनीकी ढांचे का प्रयोग किया। जिसके चलते पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खाद्यान्नों में वृद्धि हुई।

20 अक्टूबर 1962	:	चीन का भारत पर पहला हमला। 21 नवम्बर 1962 को चीन द्वारा एकतरफा युद्ध विराम की घोषणा
1 अप्रैल 1963	:	प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने प्रशासन में भ्रष्टाचार की बढ़ती घटनाओं से निपटने के लिए संथानम कमिटी की नियुक्ति की। कमिटी की सिफारिश पर सीबीआई की स्थापना की गयी।
फरवरी 1964	:	संथानम समिति (1962-64 भ्रष्टाचार निवारण समिति) की सिफारिश के आधार पर भारत सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों से संबधित भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग (central vigilance commission) की स्थापना की गयी।
7 नवम्बर 1964	:	अपने अन्तर्विरोध के कारण भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी टूट गयी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ।
23 अगस्त 1965	:	भारत पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता हुआ। जिसमें तय किया गया कि भारत और पाकिस्तान अपनी-अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करेगे और अपने विवाद शांतिपूर्ण तरीके से हल करेगे।
16 जून 1966	:	बाला साहब ठाकरे ने 1966 मे शिव सेना पार्टी का गठन किया।
19 जुलाई 1969	:	देश के 14 बैंको का राष्ट्रीयकरण
22 अप्रैल 1969	:	मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के एक धड़े ने अलग होकर सीपीआई एम एल का गठन किया।
1970	:	दूध की कमी झेल रहे देश में दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए डॉ. वर्गीज कुरियन के नेतृत्व में श्वेत क्रांति शुरू की गयी इस क्रांति को आपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है।
3 दिसम्बर 1971	:	भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध। 16 दिसम्बर को पाकिस्तानी सेना के सम्पर्ण के साथ युद्ध समाप्त।
2 अगस्त 1972	:	भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता जिसमें भारत द्वारा 93 हजार युद्ध बंदियों को रिहा करने का वादा।
18 मई 1974	:	भारत द्वारा राजस्थान के पोखरण में पहला परमाणु परिक्षण।

18 मार्च 1974	:	बिहार के पटना से शुरू हुआ छात्र आंदोलन पूरे राज्य में फ़ैल गया। इस आंदोलन का दमन करने के लिए बिहार पुलिस ने लाठी चार्ज और फायरिंग किया जिसमें 27 छात्र पुलिस की गोली से मारे गये।
19 अप्रैल 1975	:	भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट इसरो द्वारा अन्तरिक्ष में छोड़ा गया।
12 जून 1975	:	इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री इंदिरा गाँधी को अपने संसदीय चुनाव में सरकारी मशीनरी और संसाधनों के दुरूपयोग का दोषी पाया और जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 123/7 के तहत उनकी सांसदी को अवैध घोषित कर दिया। उनकी लोक सभा सदस्यता रद्द कर दी गयी और उन्हें 6 साल तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया।
25 जून 1975	:	दिल्ली के रामलीला मैदान की रैली में जयप्रकाश नारायण ने देशव्यापी आंदोलन की घोषणा किया और सम्पूर्ण क्रांति का आह्वान किया।
25 जून 1975	:	अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए प्रधानमंत्री इंदिरा गाँधी ने 25 जून की रात को आपातकाल घोषित कर दिया 26 जून 1975 की सुबह राष्ट्र के नाम अपने सन्देश में उन्होंने आपातकाल के औचित्य के बारे में कहा कि विदेशियों की मदद से चलने वाला यह आंदोलन देश की सुरक्षा के लिए खतरा है इसलिए आपातकाल लगाया गया।
23 जनवरी 1977	:	जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में कांग्रेस की सभी विरोधी पार्टियों को मिलाकर जनता पार्टी का गठन किया।
24 मार्च 1977	:	गैर कांग्रेसी जनता पार्टी की केंद्र में सरकार।
6 अप्रैल 1980	:	जनता पार्टी से अलग होकर जनसंघ (जिसने अपने को जनता पार्टी में बिलय कर लिया था) ने भारतीय जनता पार्टी का गठन किया।

सत्र 14, गतिविधि 1

अभ्यास सामग्री

1981 से 2009 तक का घटनाक्रम

1981	:	19 जून को भारत ने एप्पल उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया।
	:	16 जुलाई को भारत ने परमाणु परीक्षण किया।
	:	30 जून को असम में राष्ट्रपति शासन लगाया गया।
1982	:	25 जुलाई को ज्ञानी जैल सिंह भारत के 7वें राष्ट्रपति बने।
	:	30 अप्रैल को कलकत्ता में आनंद मार्ग से संबंधित सोलह भिक्षुओं और एक नन को तीन अलग-अलग स्थानों में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा टैक्सियों से बाहर निकाला गया, पीटा गया और फिर आग लगा दी गई।
29 मार्च 1982	:	तेलगू फिल्मो के अभिनेता एनटी रमाराव के नेतृत्व में तेलगू देशम पार्टी का गठन।
फरवरी 1983	:	असम के नेली में हिन्दू मुस्लिम दंगे में 2191 लोग मारे गए।
31 अक्टूबर 1984	:	इंदिरा गाँधी की हत्या के बाद सिख विरोधी दंगे में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार में सरकारी आकड़े के अनुसार 3350 और गैर-सरकारी आंकड़े के अनुसार 8000-17000 लोग मारे गये।
14 अप्रैल 1984	:	भारतीय जाति व्यवस्था के अंतर्गत सबसे नीचे माने जाने वाले अनुसूचित जातियों को एकजुट करने के लिए बहुजन समाज पार्टी गठित की गयी। आजादी के बाद जातिगत आधार पर बनने वाली यह पहली पार्टी थी।
1984	:	23 मई, बछेन्द्री पाल दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट को फ़तह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी।
	:	3 जून को पंजाब में अमृतसर के प्रसिद्ध गुरुद्वारे हरमंदिर साहिब गुरुद्वारे यानी स्वर्ण मंदिर में ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू हुआ। भारत सरकार के आदेश से यह सैनिक अभियान का उद्देश्य जनरैल सिंह भिंडरवाला को खत्म करना था।

: कांग्रेस ने स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे भारी बहुमत से संसदीय चुनाव जीता था। इस चुनाव में 28 सीटें जीतकर तेलुगु देशम सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के तौर पर उभरी।

: 31 अक्टूबर को भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को सिख चरमपंथियों ने उनके घर के बाहर गोलियों से भून दिया था। भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या दो सिख सुरक्षा गार्डों द्वारा की गयी। नई दिल्ली और अन्य शहरों में सिख विरोधी दंगे भड़के हैं और लगभग 10,000 सिख मारे जाते हैं।

: भारत के मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में 3 दिसम्बर सन् 1984 को एक भयानक औद्योगिक दुर्घटना हुई। इसे भोपाल गैस कांड या भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी के कारखाने से एक ज़हरीली गैस का रिसाव हुआ जिससे लगभग 15000 से अधिक लोगों की जान गई तथा बहुत सारे लोग अनेक तरह की शारीरिक अपंगता से लेकर अंधेपन के भी शिकार हुए। भोपाल गैस काण्ड में मिथाइलआइसोसाइनेट (MIC) नामक ज़हरीली गैस का रिसाव हुआ था। जिसका उपयोग कीटनाशक बनाने के लिए किया जाता था। मरने वालों के अनुमान पर विभिन्न स्त्रोतों की अपनी-अपनी राय होने से इसमें भिन्नता मिलती है। फिर भी पहले अधिकारिक तौर पर मरने वालों की संख्या 2259 थी। मध्यप्रदेश की तत्कालीन सरकार ने 3787 लोगों की गैस से मरने वालों के रूप में पुष्टि की थी। अन्य अनुमान बताते हैं कि 8000 लोगों की मौत तो दो सप्ताहों के अंदर हो गई थी और लगभग अन्य 8000 लोग तो रिसी हुई गैस से फैली संबंधित बीमारियों से मारे गये थे। 2006 में सरकार द्वारा दाखिल एक शपथ पत्र में माना गया था कि रिसाव से करीब 558,125 सीधे तौर पर प्रभावित हुए और आंशिक तौर पर प्रभावित होने वालों की संख्या लगभग 38,478 थी। 3900 तो बुरी तरह प्रभावित हुए एवं पूरी तरह अपंगता के शिकार हो गये।

: तीन दिसंबर 1984 की रात यूनियन कार्बाइड के भोपाल प्लांट में जहरीली गैस लीक होने से हुई सैकडों लोगों की मौत के मुख्य आरोपी वारेन एंडरसन की मौत हो चुकी है। इस घटना के 30 साल बाद भी किसी भी कोर्ट में साबित नहीं हो पाया है कि एंडरसन को भारत से भागने में किन लोगों ने मदद की। इस घटना के आरोपियों की गवाही के आधार पर केंद्र सरकार से

लेकर राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री और प्रमुख अफसरों को जिम्मेदार ठहराया जाता रहा है। भोपाल में गैस रिसने के बाद एंडरसन हालात का जायजा लेने भोपाल आया था। इसके बाद उसे भोपाल में गिरफ्तार कर लिया गया। जब इसकी सूचना अमेरिका को लगी तो उसने तत्कालीन सरकार पर दबाव बनाया और एंडरसन को मध्यप्रदेश से सरकारी विमान द्वारा दिल्ली पहुंचाया गया और एयरपोर्ट के अंदर से ही उसे अमेरिका की फ्लाइट में बिठा दिया गया।

(1985 -1990) सातवी पंचवर्षीय योजना : इस पंचवर्षीय योजना में महत्वपूर्ण आर्थिक बदलाव किया गया। इस पंचवर्षीय योजना में सार्वजानिक क्षेत्र में पूंजी निवेश कम करने की शुरुआत हुई। इसी दौरान आयात और निर्यात में भारी असंतुलन भी शुरू हुआ जिससे निपटने के लिए भारत को मुद्राकोष से कर्ज लेना पड़ा। कर्ज के बदले मुद्राकोष ने शर्त रखी कि भारत को अपने आर्थिक नियमों में बदलाव करने पड़ेगे।

1985 : असम के छात्रों ने मिलकर असम गण परिषद का गठन किया।

1985 : 02 अक्टूबर को भारत में दहेज निषेधाज्ञा संशोधन अधिनियम अस्तित्व में आया।

1986 : 26 अप्रैल को चेरनोबिल, यूक्रेनी एसएसआर के पास चेरनोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र को एक भाप विस्फोट का सामना करना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप आग लगी, एक न्यूक्लियोमेडटाउन और 336,000 से अधिक लोगों का निकासी और पुनर्वास यूरोप में हुआ।

: 4 अक्टूबर को भारतीय हेलिकॉप्टर निगम की स्थापना हुई।

: 19 फरवरी को भारत में पहली बार कम्प्यूटरीकृत रेलवे आरक्षण टिकट की शुरूआत हुई।

: 30 जून को मिजोरम भारत का राज्य बना।

1987 : 11 अक्टूबर को भारत की शांति सेना ने श्रीलंका में ऑपरेशन पवन की शुरुआत की। यह अभियान लिट्टे का कब्जा खत्म कर जाफना को मुक्त कराने के लिए छेड़ा गया था।

: 20 फरवरी को मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश भारत के 23वें और 24वें राज्य बने।

: हाशिमपुरा नरसंहार 22 मई, 1987 को मेरठ, उत्तर प्रदेश, भारत में हिंदू-मुस्लिम दंगों के दौरान हुआ था। इस हत्याकांड

		में हाशिमपुरा मुहल्ले के 42 मुस्लिम युवकों को 19 पीएसी के जवानों द्वारा कथित तौर पर गोलबंद किया गया था, जो उन्हें मुराद नगर, गाजियाबाद के पास ट्रक में ले गए जहां उन्हें गोली मार दी गई और उनके शवों को पानी की नहरों में फेंक दिया गया; हालांकि उनमें से पांच गोली लगने के बाद भी बच गए। पर्याप्त सबूतों के अभाव में सभी 16 पीएसी जवानों को 2015 में तीस हजारी कोर्ट ने बरी कर दिया।
	:	30 मई को गोवा भारत का 25 वां राज्य बना।
	:	31 मई को गोवा के भारत का 25 वां राज्य बनने के बाद दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बने रहे। 450 वर्षों से, गोवा और दादरा और नागर हवेली के साथ अरब सागर के तट पर दमन और दीव के तटीय विस्तार पुर्तगाली भारत का हिस्सा थे। गोवा, दमन और दीव को सैन्य विजय द्वारा भारत गणराज्य में शामिल किया गया।
1988	:	15 मार्च को आजादी के बाद पहली बार आठ राजनीतिक दलों ने भारत बंद का आह्वान किया।
11 अक्टूबर 1988	:	कांग्रेस से अलग होकर वीपी सिंह ने जनता दल का गठन किया।
1989	:	29 नवम्बर को तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गाँधी ने इस्तीफा दिया और 2 दिसम्बर को विश्वनाथ प्रताप सिंह भारत के 7वें प्रधानमंत्री बने।
अक्टूबर 1989	:	राम मंदिर के लिए जुलुस निकालते समय भागलपुर में हिन्दू मुस्लिम दंगा हुआ जिसमें 1000 निर्दोष लोग मारे गये।
9 नवम्बर 1989	:	विश्व हिन्दू परिषद् द्वारा अयोध्या में राम मंदिर शिलान्यास।
1990	:	31 मार्च को देश के संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर को मरणोपरांत सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया गया।
	:	भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को संसद के एक अधिनियम के तहत, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र के संवर्द्धन, वित्तपोषण एवं विकास के लिए और साथ ही इसी तरह की गतिविधियों में संलग्न संस्थाओं के कार्यों का समन्वय करने हेतु प्रमुख वित्तीय संस्था के रूप में की गई।

	:	10 अक्टूबर को हैदराबाद-अलीगढ़ में हिंदू-मुस्लिम फसाद, जिससे 140 लोगों की मौत हो गई।
25 सितम्बर 1990	:	लालकृष्ण आडवाणी द्वारा गुजरात के सोमनाथ मंदिर से रथ यात्रा शुरू की गयी।
जुलाई 1991	:	नयी औद्योगिक आर्थिक नीति लागू की गयी।
1991	:	21 मई को तमिलनाडु के श्रीपेरम्बदूर में आत्मघामी बम हमले में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गाँधी की हत्या हुई। श्रीलंका में शांति सेना भेजने से नाराज तमिल विद्रोहियों के संगठन लिट्टे ने राजीव पर आत्मघाती हमला करवाया।
	:	21 जून को पीवी नरसिम्हाराव ने भारत के नौंवे प्रधानमंत्री बनें।
	:	24 जुलाई को पीवी नरसिम्हा राव और उनके वित्त मंत्री मनमोहन सिंह की सरकार ने उन सुधारों की शुरुआत की, जो भारत में चल रहे आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कर रहे थे।
	:	25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन हो गया।
1992	:	01 फरवरी को भोपाल अदालत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने यूनियन कार्बाइड के पूर्व CEO, वारेन एंडरसन (Warren Anderson) को भारतीय कानून के तहत भगोड़ा घोषित किया, जो भोपाल आपदा मामले में उपस्थित नहीं हो सका।
	:	छह दिसंबर को सोलहवीं सदी की बनी बाबरी मस्जिद को कारसेवकों की एक भीड़ ने ढहा दिया जिसे लेकर देश भर में सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया, हिंसा हुई और हज़ारों लोग इस हिंसा की बलि चढ़ गए।
	:	6 दिसम्बर 1992 को कार सेवको द्वारा बाबरी मस्जिद ध्वस्त करने के बाद देशव्यापी दंगे शुरू।
	:	8 अक्टूबर 1992 को राष्ट्रीय लोकदल से अलग होकर मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी का गठन किया।
	:	6 दिसम्बर 1992 को बाबरी मस्जिद गिराए जाने के बाद मुंबई में दिसम्बर 92 से जनवरी 93 के दो महीने चलने वाले हिन्दू मुस्लिम दंगे में 900 लोगों की हत्याएं की गयी।
24 दिसम्बर 1993	:	पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ।

1993	:	12 मार्च को मुंबई में 13 बम धमाके हुए जिसमें 257 लोग मारे गए और 800 लोग घायल हो गए। इस दिन को भारत के इतिहास में ब्लैक फ्राइडे के रूप में जाना जाता है।
12 अक्टूबर 1993	:	राष्ट्रीय मानवधिकार आयोग का गठन, मानवधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अन्तर्गत किया गया।
1994	:	19 नवम्बर को भारतीय फिल्म अभिनेत्री ऐश्वर्या राय ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता।
1995	:	भारत 1 जनवरी 1995 से डब्ल्यूटीओ का सदस्य बन गया।
1996	:	16 मई को अटल बिहारी वाजपेयी भारत के दसवें प्रधानमंत्री बने।
	:	1 जून को एचडी देवगौड़ा भारत के 11वें प्रधानमंत्री बने।
	:	24 दिसम्बर 1996 को पांचवी अनुसूची क्षेत्रों के लिए पेसा कानून का निर्माण।
1996	:	चरण सिंह की पार्टी लोकदल का नाम बदल कर उनके बेटे ने राष्ट्रीय लोक दल कर दिया।
26 दिसम्बर 1997	:	जनता दल से अलग होकर नवीन पटनायक ने बीजू जनता दल का गठन किया।
1997	:	4 अप्रैल को विश्व बैंक ने क्रयशक्ति क्षमता की दृष्टि से भारत को विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश घोषित किया।
	:	20 अप्रैल को श्री इन्द्र कुमार गुजराल भारत के 12वें प्रधानमंत्री बने।
5 जुलाई 1997	:	लालू प्रसाद यादव सहित 17 सांसद और 8 राज्य सभा सांसदो ने मिलकर राष्ट्रीय जनता दल का निर्माण किया जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद बनाये गए।
1 जनवरी 1998	:	कांग्रेस से अलग होकर ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस पार्टी का गठन किया।
जुलाई 1999	:	भारत के पूर्व प्रधानमन्त्री एचडी देवगौड़ा जनता दल से अलग होकर जनता दल सेक्युलर का निर्माण किया।
10 जून 1999	:	शरद पवार, पीए संगमा और तारिक अनवर ने सोनिया गाँधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाये जाने का विरोध विदेशी मूल का होना कहकर किया। तीनों लोगों को कांग्रेस से निष्काषित कर दिया गया। तीनों लोगों ने मिलकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन किया।

1998 : ऑपरेशन शक्ति (पोखरण II) की शुरुआत 11 मई, 1998 को हुई थी, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में एक फ्यूजन और दो विखंडन बमों का विस्फोट हुआ था। इस प्रयोग के बाद भारत एक पूर्ण विकसित परमाणु राज्य बन गया, जिसके परिणामस्वरूप जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित दुनिया की प्रमुख शक्ति द्वारा भारत के खिलाफ कई प्रतिबंध लगाए गए।

: 10 दिसम्बर को भारतीय अर्थशास्त्री और दार्शनिक अमर्त्य सेन को कल्याणकारी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में योगदान देने के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया।

1999 : 19 मार्च को अटल बिहारी वाजपेयी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने।

: भारत और पाकिस्तान के बीच मई से जुलाई 1999 के बीच कश्मीर के करगिल जिले में सशस्त्र संघर्ष हुआ जिसे कारगिल युद्ध के नाम से जनते है। पाकिस्तान की सेना और कश्मीरी उग्रवादियों ने भारत और पाकिस्तान के बीच की नियंत्रण रेखा पार करके भारत की ज़मीन पर कब्ज़ा करने की कोशिश की। पाकिस्तान ने दावा किया कि लड़ने वाले सभी कश्मीरी उग्रवादी हैं, लेकिन युद्ध में बरामद हुए दस्तावेज़ों और पाकिस्तानी नेताओं के बयानों से साबित हुआ कि पाकिस्तान की सेना प्रत्यक्ष रूप में इस युद्ध में शामिल थी। लगभग 30,000 भारतीय सैनिक और करीब 5000 घुसपैठिए इस युद्ध में शामिल थे। भारतीय सेना और वायुसेना ने पाकिस्तान के कब्ज़े वाली जगहों पर हमला किया और धीरे-धीरे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से पाकिस्तान को सीमा पार वापिस जाने को मजबूर किया। यह युद्ध ऊँचाई वाले इलाके पर हुआ और दोनों देशों की सेनाओं को लड़ने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। परमाणु बम बनाने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ यह पहला सशस्त्र संघर्ष था। भारत ने कारगिल युद्ध जीता।

2000 : झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ राज्यों का गठन हुआ।

2001 : 12 जुलाई को भारत और बांग्लादेश (अगरतल्ला और ढाका) के बीच 'मैत्री' बस सेवा प्रारम्भ हुई।

: 13 दिसम्बर को 'भारतीय संसद' पर पांच बंदूकधारियों द्वारा हमला किया गया, जिसके परिणामस्वरूप 12 मौतें हुईं, जिनमें सभी अपराधी भी शामिल थे।

27 फरवरी 2002	:	गोधरा में कार सेवको की ट्रेन बोगी को जला दिया गया जिसके कारण 59 लोग जल गए। उसके बाद गुजरात में भयंकर दंगा शुरू हुआ जिसमें 2000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। जिसमें ज्यादातर मुस्लिम समुदाय के लोग थे।
30 अक्टूबर 2003	:	जनता दल, लोक शक्ति पार्टी और समता पार्टी के नेता शरद यादव, जार्ज फर्नांडिज और नितीश कुमार की पार्टी का विलय करके जनता दल यूनाइटेड बनी।
2005	:	29 अक्टूबर 2005 को देश में आतंकियों द्वारा किये गए सीरियल बम धमाके में 60 लोगों की मौत और 200 से ज्यादा लोग घायल।
12 अक्टूबर 2005	:	सूचना का अधिकार कानून।
	:	केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना की गयी। इसका उद्देश्य उन आवेदकों को सुविधा देना है जो किसी सरकारी विभाग या मंत्रालय से मांगी गयी सूचनाओं से संतुष्ट नहीं है या उन्हें सूचना नहीं दी गयी।
29 दिसम्बर 2006	:	वनाधिकार अधिनियम।
2006	:	44 वर्ष बाद भारत-चीन में 1962 के युद्ध के बाद से बंद पड़े नाथुला दर्रे को खोला गया। यहां से भारत और चीन के बीच व्यापार होता था।
	:	2 जनवरी को ओडिशा के जाजपुर जिले के कलिंगनगर में टाटा स्टील प्लांट के सशस्त्र बलों द्वारा 13 आदिवासियों की हत्या की गयी। यह लोग प्लांट के लिए अधिग्रहित जमीन के बदले रोजगार की मांग कर रहे थे।
2007	:	प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनीं।
	:	भारत के हरियाणा के पानीपत में समझौता एक्सप्रेस ट्रेन पर आतंकवादी बम विस्फोट हुआ, जिसमें 68 लोग मारे गए।
	:	25 अगस्त 2007 को हैदराबाद में दो अलग-अलग जगहों पर बम ब्लास्ट हुए। इन धमाकों के बाद हैदराबाद समेत पूरे भारत में हड़कंप मच गया। इनमें से एक बम धमाका गोकुल चाट में हुआ जबकि दूसरा लुंबिनी पार्क में हुआ था। बम विस्फोट में 42 लोगों की मौत हो गई थी और 50 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे।

: पंजाब के लुधियाना में एक फिल्म थियेटर में बम विस्फोट हुआ, जिससे लगभग छह लोगों की मौत हो गई और कम से कम 30 अन्य घायल हो गए।

: असम के चुंगाजान के पास राजधानी एक्सप्रेस पर बम विस्फोट हुआ, जिसमें 5 यात्रियों की मौत हो गई।

2008 : असम की राजधानी गुवाहाटी और 13 अन्य स्थानों पर श्रेणिबद्ध धमाके हुए। इसमें 66 से अधिक व्यक्तियों की मृत्यु हुई।

: 05 मार्च को भारत ने समुद्र से ज़मीन पर हमला करने वाले 'ब्रह्मोस' मिसाइल का सफल परीक्षण किया

: 26 नवंबर को लश्कर-ए-तैयबा के दस आतंकवादियों ने मुंबई में प्रवेश कर चार दिनों तक गोलीबारी और सिलसिलेवार बम विस्फोट किए। इस हमले में 164 लोग मारे गए और 300 से अधिक घायल हुए। हमलावरों में से एकमात्र अजमल कसाब को पुलिस जिंदा पकड़ पायी।

सत्र 15, गतिविधि 1

अभ्यास सामग्री

2010 से 2023 तक का घटनाक्रम

1 अप्रैल 2010	:	शिक्षा का अधिकार, 6-14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा की गारंटी।
	:	मुंबई में हुए 26/11 हमले के दोषी अजमल आमिर कसाब को 6 मई को मौत की सज़ा सुनाई गई।
2011	:	भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन।
2 अक्टूबर 2012	:	आम आदमी पार्टी का गठन।
16 दिसम्बर 2012	:	निर्भया बलात्कार कांड जिसने पूरे देश को झकझोर दिया।
10 सितम्बर 2013	:	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम।
	:	भारत सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार एक्ट, 2013 अधिसूचित किया गया।
1 जनवरी 2014	:	सरकारी भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए संसद में लोकपाल व लोकायुक्त विधेयक पेश किया गया। संसद के दोनों सदनों में यह विधेयक पास हो गया। 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति ने इस पर अपनी सहमति दे दी और 14 जनवरी को यह लागू हो गया।
	:	31 दिसंबर को मोदी सरकार भूमि अधिग्रहण अध्यादेश ले कर आयी।
अगस्त 2014	:	न्यायपालिका पर पूर्ण नियंत्रण करने के लिए 99वां संविधान संशोधन करके नेशनल जुडिशियल अपाइटमेंट कमीशन (NJAC न्यायिक नियुक्ति आयोग) बनाया गया जिसे अक्टूबर 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया।
1 जनवरी 2015	:	योजना आयोग की जगह नीति आयोग का गठन किया गया।
8 नवम्बर 2016	:	500 और 1000 के नोट बंद किये गये।

30 जून 2017	:	एक राष्ट्र एक कर के तहत वस्तु एवं सेवा कर (GST) लागू किया गया।
2 अप्रैल 1918	:	अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सुरक्षा के लिए बने एससी-एसटी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विरोध में लोकतान्त्रिक तरीके से दलित और आदिवासी समुदाय ने भारत बंद का आह्वान किया। 20 मार्च 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि एससी-एसटी अधिनियम के तहत पब्लिक सर्वेंट की गिरफ्तारी अपायटिंग आथरिटी की मंजूरी के बिना नहीं की जा सकती है आम लोगों को भी वरिष्ट पुलिस अधीकक्ष की मंजूरी के बाद ही इस मामले में गिरफ्तार किया जा सकता है पहले इस कानून के तहत इसका उलंघन करने वाले व्यक्ति को शिकायत के आधार पर तुरंत गिरफ्तार किये जाने का प्रावधान था। इस आंदोलन में 13 आंदोलनकारी मारे गये।
21 फरवरी 2019	:	जंगल में रहने वाले आदिवासियों को जंगल छोड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश जिसमे लगभग 20 लाख आदिवासी को जंगल छोड़ना पड़ता।
5 अगस्त 2019	:	जम्मू कश्मीर से धारा 370 को समाप्त कर दिया गया।
14 सितम्बर 2019	:	उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में एक दलित युवती का चार युवको द्वारा सामूहिक दुष्कर्म किया गया। घटना के दो हप्ते बाद युवती की दिल्ली एम्स में मौत।
	:	भारतीय संसद ने 1967 में गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (Unlawful Activities (Prevention) Act-UAPA) को बनाया था। हालांकि, 2004, 2008, 2012 और 2019 में इस कानून में बदलाव किए गए। लेकिन 2019 के संशोधन में इसमें कठोर प्रावधान जोड़े गए, शुरू से ही यह कानून सवालों के कठघरे में रहा है। विपक्षी दल और मानवाधिकार कार्यकर्ता इसे लोकतंत्र विरोधी बताते हैं तो इसके समर्थक इसे आतंकवाद के खिलाफ, देश की एकजुटता और अखंडता को मजबूती देने वाला बताते हैं। 2019 के संशोधनों में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कानून के तहत सरकार किसी संगठन या संस्थाओं को ही नहीं बल्कि किसी व्यक्ति विशेष को भी आतंकी घोषित कर सकती है।

15 मार्च 2020	:	दलित नेता चंद्रशेखर आजाद रावण ने आजाद समाज पार्टी का निर्माण किया।
2020	:	तीन कृषि कानून संसद से पास हुए जिसके विरोध में पूरे देश के किसानों ने 18 महीनों तक दिल्ली को घेरे रखा अंततः मोदी सरकार ने 29 नवम्बर 2021 को तीनों कृषि कानून वापस लिया।
	:	बिजली अधिनियम 2020 पास किया गया जिससे बिजली उपभोक्ताओ को अधिक बिजली बिल देना पड़ेगा। जिसका विरोध किसान आंदोलन में किया गया।
	:	श्रम कानूनों में भारी बदलाव किया गया जिसमें 8 घंटे कार्य दिवस की जगह 12 घंटे कार्य दिवस करने की योजना है।
	:	शिक्षा नीति में भी बदलाव किया गया जिसमें फीस बढ़ोत्तरी और शिक्षा को कारपोरेट के हवाले करने की योजना है।
	:	भारत सरकार ने केरल में 30 जनवरी को कोरोना वायरस के पहले मामले की पुष्टि की, जब वुहान के एक विश्वविद्यालय में पढ़ रहा छात्र भारत लौटा था। 22 मार्च तक भारत में कोविड-19 के पॉजिटिव मामलों की संख्या 500 तक थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 मार्च को सभी नागरिकों को 22 मार्च रविवार को सुबह 7 से 9 बजे तक 'जनता कर्फ्यू' करने को कहा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था: "जनता कर्फ्यू कोविड-19 के खिलाफ एक लंबी लड़ाई की शुरुआत है"। दूसरी बार राष्ट्र को संबोधित करते हुए, 24 मार्च को, उन्होंने 21 दिनों की अवधि के लिए, उस दिन की मध्यरात्रि से देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की।
5 अगस्त 2020	:	राम मंदिर शिलान्यास।
	:	उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों को केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे ने गाड़ी से रौंद दिया, जिससे तीन किसानों की मौत हो गई।
	:	द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति निर्वाचित हुई, 26 जुलाई को देश में पहली बार एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनीं।
19 मई 2023	:	2016 की नोटबंदी के बाद जारी किये गए 2000 के नोटों को बंद करने की घोषणा।

: 3 मई को मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदायों के बीच जातीय हिंसा भड़की, इस हिंसा में लगभग 200 लोगों की जान गई है और 60,000 से अधिक लोग अपने घरों से विस्थापित हो गए हैं।

: 28 मई को नये संसद भवन का उद्घाटन।

19 सितम्बर 2023 : संसद के विशेष सत्र के दौरान सत्ताईस साल से अटका महिला आरक्षण विधेयक पारित, 2029 से लागू करने का प्रस्ताव।

पठन सामग्री

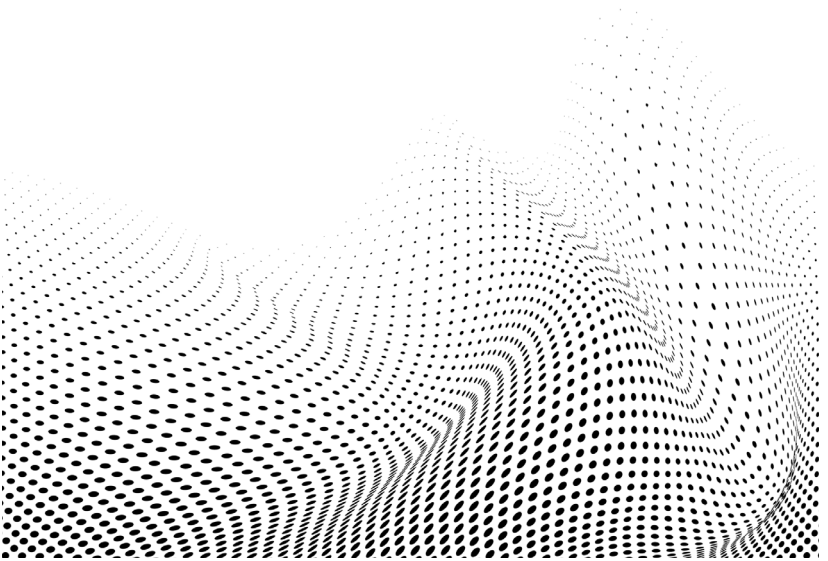

संविधान निर्माण की संक्षिप्त प्रक्रिया

'हम भारत के लोग' अपने संविधान को अंगीकार किए हुए 74 वर्ष पूरे करने जा रहे हैं। 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू कर दिया गया, शेष संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 26 नवंबर को पहले जहां कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था वहीं 2015 से उसे संविधान दिवस के रूप में याद किया जाने लगा है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य लोगों को संविधान, मौलिक अधिकारों, कर्त्तव्यों व संवैधानिक मूल्यों के प्रति जागरूक करना है।

संविधान निर्माण एकाएक हो जाने वाली घटना नहीं थी यह एक लम्बी प्रक्रिया का परिणाम था। संविधान को शताब्दियों तक औपनिवेशिक सरकार के विभिन्न अधिनियमों, चार्टरों, कमीशनों, समकालीन वैश्विक घटनाओं और दुनिया के अनेक संविधानों के श्रेष्ठतम निचोड़ ने प्रभावित किया है।

भारत में अंग्रेजी शासन की स्थापना 18वीं शताब्दी में हुई, 1612 में अंग्रेजों ने व्यापार करने के लिए सूरत में पहली कोठी स्थापित कर ली थी। अंग्रेज व्यापारी भारत से मसाले, नील, बहुमूल्य धातुएं, सूती तथा रेशमी वस्त्र और सजावटी सामान नगदी में खरीद कर उसका व्यापार यूरोपीय देशों में करते थे। भारत से केवल निर्यात होने से अंग्रेज व्यापारियों को ज्यादा नगद खर्च करना पड़ता था क्योंकि आयात की ज्यादा जरूरत नहीं थी। इसलिए अंग्रेज व्यापारी चाहते थे कि भारत में राजनैतिक सत्ता पर कब्जा होने से ऐसी नीतियां बनाई जा सकेगी जिससे विदेशी सामानों का आयात अधिक से अधिक हो और निर्यात होने वाले सामानों पर से शुल्क हटाया जा सके।

1764 में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजो ने बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउदौला और मुगल बादशाह शाह आलम (द्वितीय) की संयुक्त सेना को हराकर पश्चिमी बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बांग्लादेश (संयुक्त बंगाल प्रांत) की दीवानी (भूमि कर वसूलने का अधिकार) प्राप्त कर लिया। इसी के साथ अंग्रेजी शासन के पांव भारत में जम गये। दीवानी प्राप्त होते ही अंग्रेजों ने भूमि कर तेजी से बढ़ाना शुरू किया। 1766-1767 में अंग्रेजों ने बंगाल में 8.17 लाख पौंड की लगान वसूल की थी जो 1793 में बढ़कर 34 लाख पौंड तक पहुंच गई। ब्रिटिश संसद ने 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास किया। इस एक्ट के द्वारा कंपनी के कार्यों को नियमित करने के लिए एक अधिनियम (कानून) बना दिया गया।

1764 में बक्सर के युद्ध से 1857 के विद्रोह तक भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था। भारत में सेना और प्रशासन कंपनी के नियंत्रण में था। कंपनी का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य को बढ़ाना और अधिक से अधिक कर संग्रह करना था। ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश सरकार को कर अदा करती थी। ब्रिटिश संसद समय-समय पर कुछ अधिनियम के माध्यमों से ईस्ट इंडिया कंपनी की निरंकुशता पर नियंत्रण कर रही थी।

1857 में हुए विद्रोह के बाद कंपनी ने जिस बर्बरता पूर्वक विद्रोह का दमन किया उससे

भारतीय जनमानस में आक्रोश पनप रहा था और यह आक्रोश फिर से न शुरू हो जाए उसके लिए अगस्त 1858 में ब्रिटिश संसद ने भारत सरकार अधिनियम 1858 पारित करके भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत के शासन का नियंत्रण ब्रिटिश सम्राट को सौंप दिया। उस समय ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी। उनके द्वारा घोषणा की गई जिसमें- भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों के विस्तार पर रोक लगा दी गई; भारतीय राजाओं की प्रतिष्ठा और अधिकार का सम्मान किया जाएगा; उनके अधीन क्षेत्रों पर किसी तरह का अतिक्रमण नहीं किया जाएगा और भारतीय लोगों के साथ जाति, धर्म, लिंग और वंश के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।

धीरे-धीरे भारतीय हितों को फिर से ब्रिटेन के हितों के अधीन कर दिया गया। 1858 अधिनियम पारित होने के 3 वर्ष बाद भारतीय परिषद अधिनियम 1861 को पारित किया गया। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश संसद को महसूस हुआ कि भारत में शासन चलाने के लिए भारतीयों का सहयोग जरूरी है और शासन में पहली बार भारतीयों को शामिल किया गया।

1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। शुरू में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अंग्रेजों के सहायक के रूप में जाना जाता था। 1915 में गांधी जी के भारत आगमन के बाद कांग्रेस में बदलाव आना शुरू हुआ और 1919 में गांधीजी के कांग्रेस का सचिव बनने के बाद यह जनमानस की संस्था बनी। नये नेतृत्व उभर कर आये पटेल, नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस आदि। कांग्रेस ने राजनैतिक संघर्ष के साथ सामाजिक संघर्ष भी शुरू किया और धीरे-धीरे इसकी पहचान राष्ट्रीय स्तर पर हो गई।

भारत में शुरू हो चुके आजादी आंदोलनों का का दमन करने के लिए ब्रिटिश हुकुमत द्वारा 1919 में रोलेट एक्ट (अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919) लाया गया। जिसमें सरकार के खिलाफ किसी गतिविधि में शामिल होने पर यह अधिनियम लागू होता था। इसके खिलाफ गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया।

1927 में ब्रिटिश संसद ने भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा और संवैधानिक सुधारों के लिए साइमन कमीशन का गठन किया। इस कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं होने के कारण साइमन कमीशन का विरोध किया गया। दिसंबर 1927 के कांग्रेस अधिवेशन में दो निर्णय किये गये- साइमन कमीशन का विरोध और भारत के संविधान का प्रारूप बनाने के लिए संयुक्त सभा का गठन। समिति ने अगस्त 1929 को अपने संविधान के प्रारूप कि रिपोर्ट ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस को सौंप दी, जिसमें 22 अध्याय और 87 अनुच्छेद थे। संविधान के इस प्रारूप में मूलभूत अधिकारों- अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कानून के समक्ष समानता, आजीविका, धर्म और विचार की स्वतंत्रता, निशुल्क शिक्षा के प्रावधान किए गए थे। इस प्रारूप के 19 मौलिक अधिकारों में से 10 मौलिक अधिकार भारतीय संविधान का हिस्सा बने। तीन अधिकार नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किए गए।

19 दिसंबर 1929 को कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का नारा दिया गया और इसकी मांग की गई। 1931 कराची अधिवेशन में भी पूर्ण स्वराज्य की मांग दोहराई गई। इस

अधिवेशन के संकल्प पत्र में कहा गया- संगठन बनाने, व्यवसाय, अभिव्यक्ति, लैंगिक समानता, महिला श्रमिकों को गर्भावस्था में विशेष सुविधा, बाल श्रम का खात्मा, भूमि राजस्व में कमी, मुख्य उद्योग और खनिजों पर राज्य का नियंत्रण किए जाने का प्रावधान किया जाए।

जब यह तय हो गया कि अंग्रेज भारत छोड़ेंगे तब भारत का संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर पूरा हुआ। नागरिकता, निर्वाचन और अंतरिम संसद से संबंधित उपबंधों को तथा अस्थाई और संक्रमणकारी उपबंधों को तुरंत 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया शेष संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारत की भावी व्यवस्था के प्रारूप तैयार करने में अंग्रेजों द्वारा समय-समय पर लाए जा रहे कानूनों के खिलाफ होने वाले संघर्षों ने काफी हद तक मदद किया। अंग्रेजों द्वारा लाये जा रहे कानूनों से भारतीय जनता के अधिकारों को अधिकाधिक संकुचित करने के साथ उनके शोषण और दमन करने के नए-नए हथकंडे अपनाए जा रहे थे। आजादी के संघर्ष में शामिल जनता और नेता इस शोषण, दमन और संपत्ति हरण करने की बारीकियों को भी समझ रहे थे उनके यह अनुभव संविधान निर्माण में बहुत काम आये। उनकी यह समझ व्यापक हुई कि जनता का शोषण, दमन और संपत्ति हरण करने के क्या-क्या उपाय किए जा सकते हैं। उनको शोषित रखने, उनको उत्पीड़ित करने, उनको उनके अधिकारों से वंचित करने के कौन-कौन से हथकंडे अपनाए जा सकते हैं?

स्वतंत्र भारत के नागरिक का शोषण, उत्पीड़न, संपत्ति हरण, दमन, भेदभाव ना हो इसकी संविधान निर्माण में पूरी पूरी व्यवस्था की गई जिसकी घोषणा संविधान की उद्देशिका में सबसे पहले की गई है।

भारत का संवैधानिक विकास

इस्ट इण्डिया कम्पनी के अंतर्गत	ब्रिटिश राज के अंतर्गत
रेगुलेटिंग एक्ट 1773	भारत सरकार अधिनियम, 1858
पिट्स इंडिया एक्ट 1784	भारतीय परिषद अधिनियम, 1861
चार्टर अधिनियम 1813	भारतीय परिषद अधिनियम, 1909
चार्टर अधिनियम 1833	भारत सरकार अधिनियम, 1919
चार्टर अधिनियम 1853	भारत सरकार अधिनियम, 1935
	भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947

भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947

भारत का संविधान बनने के पीछे एक लंबी प्रक्रिया और एक लंबा ऐतिहासिक काल है जिसकी अवधि लगभग 300 वर्ष की है। इस अवधि के बाद भारत का संविधान अस्तित्व में आया। अंग्रेजों से लंबे संघर्ष के बाद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 लागू हुआ जिसमें पूर्ण रूप से उल्लेख कर दिया गया था कि 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान दोनों स्वतंत्र राज्य की स्थापना हो जाएगी, प्रत्येक राज्य में गवर्नर जनरल होगा तथा जब तक दोनों राज्य अपने संविधान का निर्माण नहीं कर लेते हैं तब तक वहां पर भारत सरकार अधिनियम 1935 लागू रहेगा।

संविधान सभा का गठन

दुसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के आते-आते ब्रिटेन आर्थिक संकट में फस चुका था तो वहीं भारतीय स्वतंत्रता का आंदोलन अपने चरम पर था इन बदलती वैश्विक परिस्थितियों में ब्रिटेन ने 1945 में भारत सम्बन्धी अपनी नई नीति की घोषणा की तथा एक संविधान निर्माण करने वाली समिति बनाने का निर्णय लिया। भारत की स्वतंत्रता के प्रश्न का हल निकालने के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक कैबिनेट मिशन को भारत भेजा। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा तथा 16 मई 1946 को अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया। कैबिनेट मिशन के तीन उद्देश्य थे- संविधान सभा का गठन करना; भारत का विभाजन; संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन।

कैबिनेट मिशन की सिफारिश के आधार पर संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 389 निर्धारित की गई, जो निम्न प्रकार थी-

- ब्रिटिश भारत से 292 सदस्य
- चीफ कमिशनरी से 4 सदस्य
- देशी रियासतों से 93 सदस्य

मिशन की सिफारिश पर संविधान सभा के निर्माण के लिए जुलाई 1946 में वयस्क मताधिकार के आधार पर अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव सम्पन्न हुए जिसमें प्रांतीय विधान मंडलों से 296 सदस्य निर्वाचित हुए इनमें कांग्रेस के 208, मुस्लिम लीग के 73 तथा अन्य पार्टियों के 7 एवं निर्दलीय प्रत्याशियों को 8 सीटें मिली।

भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद कुल सदस्यों (389) में से भारत में 299 ही रह गए। जिनमें 229 चुने हुए थे। वहीं 70 मनोनीत थे। जिनमें कुल महिला सदस्यों की संख्या 15, अनुसचित जाति के 26, अनुसूचित जनजाति के 33 सदस्य थे।

संविधान सभा की प्रथम बैठक दिल्ली में 9 दिसंबर 1946 को हुई जिसमें 207 सदस्यों ने भाग लिया एवं सभा के अस्थाई अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। जेबी कृपलानी तत्कालीन राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जिन्होंने डॉ सच्चिदानंद सिन्हा का नाम अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तावित किया एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसे अनुमोदित किया

संविधान सभा के प्रथम अधिवक्ता डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे।

संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई इसमें डॉ राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थाई अध्यक्ष चुना गया एवं संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया और इसी के साथ संविधान के निर्माण का कार्य शुरू हुआ। संविधान सभा के उपाध्यक्ष एच सी मुखर्जी थे।

संविधान के निर्माण हेतु विभिन्न समितियों का गठन किया गया जो कि निम्न प्रकार है-

- संघ शक्ति समिति- पंडित जवाहरलाल नेहरु
- अल्पसंख्यक और मौलिक अधिकार समिति- सरदार वल्लभ भाई पटेल
- संघ संविधान समिति- जवाहर लाल नेहरू
- झंडा समिति- जेबी कृपलानी
- कार्य संचालन समिति- केएम मुंशी
- तदर्थ समिति- एस वर्धा
- प्रांतीय संविधान समिति- सरदार वल्लभ भाई पटेल
- प्रारूप समिति- डॉक्टर भीमराव अंबेडकर
- राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति- डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद

प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ जिसका अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया, जिनका संविधान सभा में चयन पश्चिम बंगाल से हुआ था। इस समिति में 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति के उपाध्यक्ष के एम मुंशी थे। प्रारूप समिति की पहली बैठक 30 अगस्त 1947 को हुई। संविधान के प्रारूप पर 114 दिन बहस हुई। भारत का संविधान 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन के निरंतर परिश्रम के बाद जनता के सामने आया।

संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई जिसमें संविधान सभा के कुल 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति नियुक्त किया गया संविधान सभा में कुल 12 महिलाओं ने भाग लिया लेकिन 8 महिलाओं ने ही संविधान पर हस्ताक्षर किए।

आजादी के बाद संविधान निर्माण प्रक्रिया में संविधान सभा इस बात से पूर्ण रूप से सहमत थी कि अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर किये गए अमानवीय अत्याचार, भेदभाव, जातिवाद, शोषण, उत्पीड़न, धार्मिक दंगे, सम्पत्ति हरण, मनमाने राजस्व कर वसूली आदि ने देश की एकता, आर्थिक दशा, उनकी गरिमा और उनका आपसी विश्वास छिन्न-भिन्न कर दिया है। जिनको वापस लाना संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण और पहली शर्त है। संविधान सभा इस बात को भी समझ रही थी कि अंग्रेजों ने भारतीय जनता के मौलिक अधिकारों का हनन करके ही उन्हें आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से दीन-हीन अवस्था में पंहुचा दिया है। संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किये बिना देश का

नागरिक अपना गरिमामय जीवन नहीं व्यतीत कर सकता है और इसकी सुरक्षा करना राज्य की जिम्मेदारी होगी। आजाद भारत को गरीबी, जतिवाद, छुआछूत, आर्थिक और लैंगिक असमानता, धार्मिक वैमनष्यता इत्यादि विरासत में मिली थी। समाज से यह उम्मीद नहीं थी कि वह स्वत: इस अमानवीय व्यवहारों को त्याग देगा। इसलिए देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की स्थापना के लिए राज्य की भूमिका को जरुरी माना गया। इसको संवैधानिक रूप देना इसलिए भी आवश्यक माना गया कि आने वाली सरकारों की कार्य प्रणाली और राजनैतिक प्रक्रिया में मौलिक आधिकारों की उपेक्षा न हो सके। संविधान सभा के लिए मौलिक अधिकार कितना महत्वपूर्ण था यह इस बात से पता चलता है कि संविधान सभा के संचालन के व्यापक नियम बनाने के बाद जिस विषय पर परामर्श समिति ने सबसे पहली रिपोर्ट पेश की वह विषय मौलिक अधिकार था।

भारतीय संविधान की प्रस्तावना – संवैधानिक मूल्य

भारत का संविधान 'प्रस्तावना' से प्रारंभ होता है। प्रस्तावना में संविधान के आदर्श, उद्देश्य तथा मौलिक नियम अन्तर्निहित अथवा समाहित हैं। संविधान की प्रस्तावना ने, देश के भाग्य को निश्चित, समुचित तथा व्यवस्थित आकार देने में अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। संविधान के प्रावधनों की व्याख्या करने में प्रस्तावना की मार्गदर्शक के रूप में भूमिका महत्वपूर्ण है। जिन मूल्यों ने स्वतंत्रता आंदोलन कि प्रेरणा दी वही मूल्य भारतीय लोकतंत्र के आधार बने तथा इन्हें भारतीय संविधान कि प्रस्तावना में शामिल किया गया। संविधान कि सभी धाराएं इन्हीं मूल्यों को हासिल करने के अनुरूप बनी है। संविधान कि शुरुआत बुनियादी मूल्यों की एक छोटी सी उद्देशिका के साथ होती है। इसे ही संविधान कि प्रस्तावना या उद्देशिका कहते है।

आइये हम अपने संविधान की प्रस्तावना को बहुत सावधानी से पढ़े और उसमें आए संवैधानिक मूल्यों को समझे-

हम, भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण **प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य** बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को:

सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक **न्याय**,

विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की **स्वतंत्रता**,

प्रतिष्ठा और अवसर की **समता**, प्राप्त कराने के लिए,

तथा उन सब में,

व्यक्ति की गरिमा और **राष्ट्र की एकता और अखण्डता** सुनिश्चित कराने वाली, **बंधुता** बढ़ाने के लिए,

दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर 1949 ई॰ (मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत दो हजार छह विक्रमी) को एतद् द्वारा इस **संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।**

संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में

संविधान की प्रस्तावना सभी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय दिलाने का वादा करती है। भारतीय संविधान में दिए गये मौलिक अधिकार इन वादों को व्यावहारिक रूप देते है। यही संवैधानिक मूल्य सरकार के किसी भी कानून और फैसले के मुल्यांकन और परीक्षण का मानक भी तय करते है। इनके सहारे परखा जा सकता है कि कौन कानून, कौन फैसला अच्छा या बुरा है।

संविधान की प्रस्तावना राष्ट्र का विजन (दृष्टिकोण) और मिशन (उद्देश्य) का कथन होता है। यह राष्ट्रीय आदर्श और मूल्य को हासिल करने की प्रणाली की स्थापना करता है। यह वैसा ही है जैसे किसी संस्था में शामिल होने पर संस्था के विजन और मिशन से हम परिचित हो जाते हैं उसी तरह भारत के नागरिक के रूप में हमारी स्वयं की भूमिका को समझने के लिए प्रस्तावना महत्वपूर्ण है।

संविधान की प्रस्तावना में जब यह घोषणा करते हैं कि "**हम भारत के लोग**" तब इसका मायने हैं कि स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुत्व वाले समाज की जिम्मेदारी हम से शुरू होती है। प्रत्येक नागरिक के लिए अपनी व्यक्तिगत जिंदगी, परिवार और उसके आसपास के माहौल में समानता, स्वतंत्रता और न्याय सुनिश्चित करने के लिए सक्रियता से काम करना अनिवार्य है। समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व हमारे प्रमुख संवैधानिक मूल्यों के रूप में स्थापित किए गए हैं, यह मूल्य मूलभूत मानवीय मूल्य है। यह हमें शक्ति प्रदान करते हैं और हमें इंसानियत से गहराई तक जोड़ते हैं। इनके नहीं रहने या इनका उल्लंघन होने पर हम कई मायने में हीनता का अनुभव करते हैं। यह मूल्य बेहद मौलिक है इन्हें हमेशा बनाए रखना होगा क्योंकि आज भी हम अन्याय और असमानता से पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाए हैं। संविधान की प्रस्तावना में इन मूल्यों के होने का मतलब है कि एक राष्ट्र के रूप में हम इन मूल्यों के साथ चलेंगे और इसे हमेशा बनाए रखेंगे। कानून निर्माण और व्यवस्था में हम इन मूल्यों को अंततः स्थापित करेंगे और एक नागरिक के रूप में हम इन्हें अपने और अपने आसपास के लोगों के जीवन में बनाए रखेंगे।

संविधान की प्रस्तावना आजादी की घोषणा करती है जिसे भारत के लोग सभी नागरिकों के लिए सुरक्षित रखना चाहते हैं और यह बुनियादी किस्म की सरकार और राजव्यवस्था की भी घोषणा करती है जिसकी स्थापना की जानी है। जिसमें लैंगिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक गैर बराबरी न हो, धर्म, जाति, गरीबी, लिंग के आधार पर शोषण न हो। बच्चों, महिलाओं, किसानों, मजदूरों, वंचित समुदाय को गरिमामय जीवन जीने का हक मिले। पर्यावरण संरक्षण, संसाधनों का समान बटवारा हो। अंधविश्वास, रूढ़िवादिता से मुक्त होकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा मिले। ऐसी व्यवस्था का निर्माण और माहौल हो जिसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाएं।

आगे बढ़ने से पहले एक बार संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित/उल्लेखित मुख्य शब्दों जैसे- संप्रभु, समाजवाद, पंथनिरपेक्षता, लोकतंत्र, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समानता,

बंधुता, मानवीय गरिमा तथा राष्ट्र की एकता एवं अखण्डता, संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं इत्यादि के अर्थ को समझ लेते हैं-

सम्प्रभु : संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक ''सम्प्रभु, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य'' घोषित किया गया है। सम्प्रभु होने का अर्थ यह है कि भारत को पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता है तथा सर्वोच्च सत्ता इसके पास है। अर्थात् भारत में आन्तरिक तौर पर एक स्वतंत्र सरकार है जो लोगों द्वारा चुनी जाती है तथा बाह्य दृष्टि से पूरी तरह स्वतंत्र है। यह बिना किसी हस्तक्षेप (किसी देश या किसी व्यक्ति द्वारा) अपने बारे में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। साथ ही, देश के अन्दर भी कोई इसकी सत्ता को चुनौती नहीं दे सकता। सम्प्रभुता की यह विशेषता हम लोगों को अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय में एक राष्ट्र की तरह अपना अस्तित्व बनाए रखने का गौरव प्रदान करती है।

समाजवाद : हम लोग यह जानते है कि सामाजिक तथा आर्थिक असमानताएँ भारतीय समाज में अन्तर्निहित हैं। यही कारण है कि समाजवाद को एक संवैधानिक मूल्य माना गया है। इस मूल्य का उद्देश्य सभी तरह की असमानताओं का अन्त करने के लिए सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देना है। हमारा संविधान सभी क्षेत्रों में योजनाबद्ध तथा समन्वित सामाजिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए सरकारों तथा लोगों को निर्देश देता है। यह कुछ हाथों में धन तथा शक्ति के केन्द्रीयकरण को रोकने का निर्देश भी देता है। संविधान के मूल अधिकारों तथा राज्य के नीति निदेशक तत्त्वों के अध्यायों में असमानताओं को दूर करने से सम्बन्धित विशिष्ट प्रावधान हैं। 1976 में **42वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किए जाने से पूर्व यह नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से संविधान में शामिल था। राज्य के नीति निदेशक तत्त्वों के अन्तर्गत किए गए निम्नलिखित प्रावधान समाजवाद के मूल्य को बढ़ावा देते हैं-**

''राज्य विशेषतौर पर, आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा और न केवल व्यक्तियों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले और विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए लोगों के समूहों के बीच भी प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता समाप्त करने का प्रयास करेगा'' **अनुच्छेद 38(2)**

''राज्य अपनी नीति का संचालन विशेष रूप से, यह सुनिश्चित करने के लिए करेगा कि (क) पुरूष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो; (ख) समुदाय की भौतिक सम्पदा का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बंटा हो जिससे सामूहिक हित सर्वोत्तम साधन हो; (ग) आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी केन्द्रीकरण न हो; (घ) पुरूषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो" **(अनुच्छेद 39)**

पंथ निरपेक्षता : पंथ निरपेक्षता का मतलब यह है कि हमारा देश किसी एक धर्म या किसी धार्मिक सोच से निर्देशित नहीं होगा। यह अपने सभी नागरिकों को अपने धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक प्रदान करता है। साथ ही संविधान धर्म पर आधारित किसी भी तरह के भेदभाव पर सख्त रोक लगाता है। पंथनिरपेक्ष शब्द 42

वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में सम्मिलित किया गया तथा **पंथनिरपेक्षता मूल तत्व संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में समाहित है।**

लोकतंत्र : प्रस्तावना लोकतंत्र को एक मूल्य के रूप में दर्शाती है। लोकतंत्र में सरकार अपनी शक्ति लोगों से प्राप्त करती है। जनता देश के शासकों का निर्वाचन करती है तथा निर्वाचित प्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। भारत के लोग इनको सार्वभौम वयस्क मताधिकार की व्यवस्था के द्वारा विभिन्न स्तरों (स्थानीय, विधानसभा एवं लोकसभा) पर शासन में भाग लेने के लिए निर्वाचित करते हैं। यह व्यवस्था ''एक व्यक्ति एक मत'' के रूप में जाना जाता है। लोकतंत्र स्थायित्व और समाज की निरन्तर प्रगति में योगदान करता है तथा शान्तिपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन को भी सुनिश्चित करता है। यह विरोध को स्वीकार करता है तथा सहिष्णुता को प्रोत्साहित करता है। महत्वपूर्ण यह भी है कि लोकतंत्र कानून के शासन, नागरिकों के अधिकारों, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव तथा प्रेस की स्वतंत्रता के सिद्धान्तों पर आधारित है।

गणतंत्र : भारत केवल लोकतांत्रिक देश ही नहीं बल्कि गणतांत्रिक भी है। गणतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक राज्याध्यक्ष, अर्थात राष्ट्रपति का पद वंशानुगत न होकर निर्वाचित है। राजतंत्र में राज्याध्यक्ष का पद वंशानुत होता है। यह मूल्य लोकतंत्र को मजबूत एवं प्रामाणिक बनाता है, जहां भारत का प्रत्येक नागरिक राज्याध्यक्ष के पद पर चुने जाने की समान योग्यता रखता है। इस मूल्य का प्रमुख संदेश राजनीतिक समानता है।

न्याय : कभी-कभी यह महसूस होता कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहने मात्रा से यह सुनिश्चित नहीं होता कि नागरिकों को पूर्णतः न्याय मिलेगा ही। अभी भी कई ऐसे मामले हैं जहां न केवल सामाजिक एवं आर्थिक न्याय, बल्कि राजनीतिक न्याय भी नहीं मिला है। यही कारण है कि संविधान निर्माताओं ने सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय को संवैधानिक मूल्यों का स्थान दिया है। ऐसा करके उन्होंने इस बात पर बल दिया है कि भारतीय नागरिक को दी गई राजनीतिक स्वतंत्रता, सामाजिक, आर्थिक, न्याय पर आधारित एक नई सामाजिक व्यवस्था के निर्माण में सहायक होगी। प्रत्येक नागरिक को न्याय मिलना चाहिए। न्यायपूर्ण एवं समतावादी समाज का आदर्श भारतीय संविधान के प्रमुख मूल्यों में एक है। **राजनीतिक न्याय सहित आर्थिक और सामाजिक न्याय के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नीति निर्देशक तत्व (भाग 4) मौलिक अधिकारों (भाग 3) में विभिन्न प्रावधान किए गए हैं।**

स्वतंत्रता : प्रस्तावना में चिंतन, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था तथ उपासना की स्वतंत्रता को एक केंद्रीय मूल्य के रूप में निर्धारित किया गया है। इन्हें सभी समुदायों के प्रत्येक सदस्य के लिए सुनिश्चित करना है। ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि व्यक्तियों के स्वतंत्र एवं सभ्य अस्तित्व के लिए आवश्यक कुछ न्यूनतम अधिकारों की मौजूदगी के बिना लोकतंत्र के आदर्शो को प्राप्त नहीं किया जा सकता। **प्रस्तावना में वर्णित इन आदर्शों की प्राप्ति के लिए संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों के अंतर्गत प्रावधान किया गया है।**

समानता : अन्य मूल्यों की तरह समानता भी एक महत्वपूर्ण संवैधानिक मूल्य है। संविधान

प्रत्येक नागरिक को उसके सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता सुनिश्चित करता है। एक मनुष्य के रूप में प्रत्येक व्यक्ति का एक सम्मानजनक व्यक्तित्त्व है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि प्रत्येक व्यक्ति इसका पूरी तरह उपभोग कर सके, समाज में तथा देश में हर प्रकार की असमानता पर रोक लगा दी गई है। **इससे संबंधित प्रावधान संविधान के भाग 3 और भाग 4 में उल्लेखित है।**

बंधुता : प्रस्तावना में भारत के लोगों के बीच भाईचारा स्थापित करने के उद्देश्य से बंधुता के मूल्य को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त किया गया है। इसके अभाव में भारत का बहुलवादी समाज विभाजित रहेगा। अतः न्याय, स्वतंत्रता और समानता जैसे आदर्शो को अर्थपूर्ण बनाने के लिए प्रस्तावना में बंधुता को बहुत महत्व दिया है। बंधुता को चरितार्थ करने के लिए समुदाय से छुआछूत का उन्मूलन मात्र पर्याप्त नहीं। यह भी आवश्यक है कि वैसी सभी साम्प्रदायिक, कट्टरपंथी या स्थानीय भेदभाव की भावनाओं को समाप्त कर दिया जाय, जो देश की एकता के मार्ग में बाधक हों।

व्यक्ति की गरिमा : बंधुता को प्रोत्साहित करना व्यक्ति की गरिमा को साकार बनाने के लिए अनिवार्य है प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित किए बिना लोकतंत्र क्रियाशील नहीं हो सकता। यह लोकतांत्रिक शासन की सभी प्रक्रियाओं में प्रत्येक व्यक्ति की समान भागीदारी को सुनिश्चित करती है।

राष्ट्र की एकता और अखण्डता : बंधुता एक अन्य महत्वपूर्ण मूल्य, राष्ट्र की एकता और अखण्डता, को भी बढ़ावा देता है। देश की स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए एकता तथा अखण्डता अनिवार्य है। इसीलिए संविधान देश के सभी निवासियों के बीच एकता पर विशेष बल देता है। भारत के सभी नागरिकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे देश की एकता और अखण्डता की रक्षा अपने कर्त्तव्य के रूप में करें।

प्रस्तावना से दो बाते प्रमुख रूप से निकल कर आती है-

- भारत की राजव्यवस्था संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक एवं गणतांत्रिक वाली व्यवस्था होगी।
- देश के नागरिकों के लिए स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुत्व को सुनिश्चित करना राज्य का दायित्व होगा।

मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व

संविधान सभा की 75 सदस्यीय परामर्श समिति ने मौलिक अधिकारों के निर्धारण के लिए एक मौलिक अधिकारों की उप समिति बनायी जिसके अध्यक्ष सरदार बल्लभ भाई पटेल थे। 29 अप्रैल 1947 को मौलिक अधिकारों की उपसमिति ने अपनी रिपोर्ट संविधान सभा के सामने पेश किया। इस रिपोर्ट को पेश करते हुए **पटेल ने स्पष्ट किया कि लोगों के अधिकार दो रूप में होंगे। पहला न्याय- वह अधिकार जिन्हें अदालत में चुनौती दी जा सकती है और दूसरा गैर न्याय- वह अधिकार जिन्हें अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है।**

मौलिक अधिकारों के पेश करने के बाद उस पर संविधान सभा में काफी तीखी और गंभीर बहस हुई। संविधान सभा के कई सदस्यों का मानना था कि राजनैतिक समानता, आर्थिक समानता के वगैर कभी भी मूर्त रूप धारण नहीं कर सकती तथा व्यक्ति की सच्ची आजादी आर्थिक सुरक्षा तथा स्वतंत्रता के बिना सम्भव नहीं हो सकती। अभावों से घिरे लोग कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकते। डा. पीएस देशमुख ने कहा कि "…..सर्वप्रथम हमारे लोगों में निर्धनता, अज्ञानता और निरक्षरता है। इसके बाद भोजन की कमी, पोषक तत्वों की कमी, सदाचार की कमी, अमानवीय लोभ तथा इसके परिणाम स्वरूप नैतिक, मानसिक, समाजिक, आध्यात्मिक और आर्थिक पतन है। प्रश्न यह है कि यह मौलिक अधिकार इस पतन से कहां तक रक्षा कर सकते हैं और हम इसको कहां तक ऐसा आधार मान सकते हैं कि जिस पर हम चल सकें और इन कठनाइयों को दूर कर सकें, जिससे की निर्धनता न रह सके, अज्ञानता तथा भुखमरी का लोप हो जाय, कुछ लोगों के हाथों में धन का केन्द्रीयकरण न हो। इनमें से किसी बात पर विचार नहीं किया गया है। मैं एक शब्द में कहूंगा इन पर धोखे के रूप में विचार किया गया है।" प्रमथ रंजन ठाकुर ने आर्थिक अधिकारों (रोजगार, समान वेतन, जीवन स्तर में बेहतरी लाने आदि) को नीति निदेशक तत्वों में शामिल किये जाने पर कहा कि "**आर्थिक अधिकारों को भी मौलिक अधिकारों में शामिल किया जाना चाहिए ताकि उन्हें न्याय का अधिकार माना जा सके।**"

संविधान सभा में सबसे ज्यादा बहस इस बात पर हुई कि कौन से अधिकार मौलिक अधिकार की श्रेणी में आयेगें और कौन से अधिकार नीति निदेशक तत्वों (जिनका प्रावधान है लेकिन राज्य बाध्य नहीं है) में शामिल होगे। दूसरा सवाल यह था कि एक तरफ तो मौलिक अधिकार दिये जाने की बात कही जा रही है किन्तु उस पर प्रतिबंध भी लगाये जा रहे हैं। इससे तो राज्य की बाध्यता सीमित या समाप्त हो जाती है। संविधान सभा में अनुच्छेद 13 जिसमें मौलिक अधिकारों की व्याख्या की गयी है उस पर भी गम्भीर बहस हुई सदस्यों ने कहा कि इन अधिकारों पर इतने अधिक प्रतिबंध रख दिये गये हैं कि इनके कारण मौलिक अधिकारों का कोई मूल्य नहीं रह जाता। कृष्णचंद शर्मा का सुझाव था कि **"नीति निर्देशक सिधान्तों के संदर्भ में मेरा सुझाव है कि हम एक ऐसा प्रावधान बनायें कि यदि शासन द्वारा ऐसा कानून बनाया जाय जो इन सिद्धांतों के प्रतिकूल हो तो वह रद्द**

समझा जाय इससे वर्तमान स्थिति में कोई अंतर नहीं होगा। इससे तो केवल क्षेत्राधिकार प्राप्त हो जायेगा। जिसके द्वारा लोग न्यायालय से यह प्रार्थना कर सकेगें कि वह जो कोई कानून लोकहित के प्रतिकूल है जो लोगों को काम और सेवावृत्ति देने में बाधक है उसे वह आमान्य घोषित कर दे। मतलब यदि किसी व्यक्ति को यह महसूस हो कि सरकार द्वारा बनायीं गयी कोई नीति या कानून नीति निर्देशक तत्वों का उल्घंन करता है तो न्यायालय द्वारा उसे रोका जा सकेगा।"

संविधान सभा के सदस्य बी दास ने 30 अगस्त 1947 को कहा कि "मैं समझता हूं सरकार का भुखमरी हटाने, प्रत्येक नागरिक को सामाजिक न्याय प्रदान करने तथा सामाजिक संरक्षण देने का प्रमुख कर्तव्य है। **.....परन्तु करोड़ों देशवासियों को ऐसी कोई आशा नहीं होती कि दो माह बाद जो संविधान स्वीकार होगा वह उनको भुखमरी से मुक्त करेगा, उन्हें सामाजिक न्याय प्रदान करेगा, उनको जीवन यापन के निम्नतम परिणाम तथा स्वास्थ्य के निम्नतम परिणाम तक ले जायेगा। .....मुझे ऐसी कोई बात नहीं मिली जिसनें सरकार या राज्य को बाध्य किया हो कि वह सर्व साधारण की भलाई तथा जनता के हित के लिए अपने पालनीय कर्तव्यों का पालन करे**। स्वतंत्रता के साथ भारतीय राज्य व्यवस्था पर जिम्मेदारी आयी थी कि वे भारत के नागरिकों विशेष तौर पर समाज के वंचित तबकों के मूलभूत अधिकारों की रक्षा करेंगे।''

देश के नागरिक की आर्थिक सुरक्षा और स्वतंत्रता तथा संसाधनों के सामान बंटवारे को मौलिक अधिकारों में शामिल करने की आवश्यकता पर बल देते हुए विश्म्बर दयाल त्रिपाठी ने कहा कि "प्रस्तावित विधान के मुताबिक 10 वर्ष के अन्दर हमारी स्वतंत्र सरकार गांव-गांव में प्रत्येक गरीब के लिए प्राथमिक शिक्षा पूर्ण रूप से सुनिश्चित कर देगी। कोई ऐसा बच्चा हमारे देश में नहीं होगा जिसको शिक्षा पाने का सुयोग प्राप्त न हो सकेगा। मैं इसका स्वागत विशेष रूप से करता हूं। **मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हमनें सब चीज तो शासन विधान में बनाई। बहुत से राष्ट्रीय, अन्तराष्ट्रीय प्रश्नों का हल करने का प्रयास किया, लेकिन हमनें गरीब आदमी के लिए एक शब्द भी न लिखा। सिवाय सदिच्छा के और कोई शब्द हमारे शासन विधान में नहीं मिलता। सिवाय एक बात को छोड़कर उसको वोट देने का अधिकार अवश्य दे दिया गया है। इसके आलवा एक गरीब के लिए कोई बात हमारे शासन विधान में अभी तक नहीं आयी है।** मैं बहुत नम्रता के साथ कहूंगा कि आप इसमें कुछ नियम लाइए जिसमें यह स्पष्ट हो सके कि हमारा जो शासन विधान तैयार होगा और उस पर जब अमल होगा, तो उसमें यह नहीं होगा कि थोड़े से पूंजीपतियों और कुछ थोड़े लोगों का साम्राज्य हो और उनका शासन हो, गरीब आदमी और साधारण जन समूह उसकी दया पर आश्रित रहे। आप ऐसे नियम लायें जिसमें हमारे शासन पर निजी हित के लिए पूंजीपतियों का ऐसे लोगों का जो गरीब आदमियों को हमेशा दबाए रखना चाहते हैं, उन लोगों का प्रभुत्व कायम न हो सके।" **संविधान सभा के सदस्य इस बात से वाकिफ थे और बार-बार यह उल्लेख और तर्क कर रहे थे कि आर्थिक न्याय के बिना भारत एक बेहतर मुल्क नहीं बन पायेगा और उपनिवेशवाद से मुक्त नहीं हो पायेगा।**

डा. आंबेडकर ने आलोचनाओं का जबाब देते हुए कहा कि आलोचकों की राय में मौलिक अधिकार तब तक मौलिक अधिकार नहीं है जब तक कि वे सर्वथा सम्पूर्ण प्रतिबन्ध शुन्य न हो। .....यह कहना गलत है कि मौलिक अधिकार हमेशा सम्पूर्ण प्रतिबन्ध शुन्य होते है और अन्य अधिकार अबाध नहीं होते है। .....चूँकि मौलिक अधिकार राज्य की देन है इसलिए राज्य उसके सम्बन्ध में प्रतिबन्ध नहीं रख सकता ऐसा अर्थ लगाना भूल है।

केंद्र को शक्ति संपन्न बनाने वाले प्रावधानों पर भी महत्वपूर्ण बहस हुई। संविधान सभा के कुछ सदस्यों का मानना था कि औद्योगिक उन्नति और आर्थिक दशाओं के कारण केंद्र सशक्त होगा और उत्तरोत्तर सशक्त होता जायेगा। इसलिए संवैधानिक रूप से शुरू से ही केंद्र को सर्वशंक्ति सम्पन्न बनाना न केवल अनावश्यक है बल्कि संकटापन्न भी है। आवश्यकता से अधिक शक्तिशाली केंद्र निर्दयी हो जाता है और नागरिकों की स्वतंत्रता और उनके विशेषाधिकार का हनन करने लगता है। इन सदस्यों का यह भी मानना था कि सत्ता का केन्द्रीयकरण सत्ता को निरंकुश बना देता है। एक समय ऐसा आता है जब बहुमत निरंकुश सत्ता का सबसे धारदार हथियार बन जाता है। **यदि समाज को साम्प्रदायिकता और पूंजीवाद के दाम्पत्य के बारे में शिक्षित नहीं किया जाय तो सत्ता, सरकार इसका उपयोग करके आजाद मुल्क के नागरिकों को गुलाम बना कर रखती है।**

केंद्र को शक्ति संपन्न बनाने के विषय में के. संतानम का कहना था कि **"मैं नहीं चाहता कि हर चीज के लिए केन्द्रीय सरकार ही उत्तरदायी बनायी जाय। .....मैं ऐसा कोई विधान नहीं चाहता, जिससे प्रांतीय संघ को केंद्र के पास जा कर कहना पड़े कि मैं अपने लोगों की शिक्षा व्यवस्था नहीं कर सकता, मैं उनके लिए सफाई की व्यवस्था नहीं कर सकता, सड़कें सुधारने के लिए, उद्योग धंधे के लिए आरंभिक शिक्षा के लिए हमें दान दीजिये।" केंद्र को अधिक शक्ति संपन्न बनाने का विरोध करते हुए रामनारायण सिंह ने कहा कि "जहां तक मेरा ख्याल है वह यह है कि किसी सरकार को जितने कम अधिकार दिये जाय उतना ही अच्छा होता है। साहब, सारी जिन्दगी सरकार से लड़ने में ही बीती। एक सरकार ख़त्म किया और दूसरी सरकार हम कायम कर रहे हैं और अभी तक जो सरकारें रही उसके प्रति दिल में अच्छा भाव पैदा हो नहीं रहा है। .....सरकार को कितना अधिकार हो इसकी चिंता सबको होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ-साथ यह भी चिंता होनी चाहिए कि सरकार पर जनता का कितना अधिकार रहे।** हमें सबसे अधिक इसी विषय पर सोचना है।" बी दास ने कहा कि "यह विधान संघात्मक राज्य की अपेक्षा एक शक्तिशाली एकात्मक राज्य की अधिक जड़ जमा रहा है। मेरा आशय यही है कि संघों को अधिकार देने की अपेक्षा केंद्र को कपट से बहुत अधिकार दे दिये गए हैं। शक्ति के इस केन्द्रीयकरण से न मालूम भविष्य क्या होगा? परन्तु अपने वर्तमान अनुभव के आधार पर मैं यह कहूंगा कि हमारी वर्तमान सरकार का इतना केन्द्रीयकरण हो गया है और हमारे अधिकारी वर्ग अधिकारों के इतने भूखे हैं कि यदि देश सजग न रहे और जनता अधिक जागरूक न हो तो यह पूरी आशंका है कि न्याय, व्यवस्था, शान्ति और एकता के नाम पर वे आसानी से पथ भ्रष्ट हो सकते है। .....प्रश्न यह है कि हम एक शक्तिशाली केंद्र चाहते

है? किसके विरुद्ध? पाकिस्तान के विरुद्ध, रूस के विरुद्ध या स्वंय भारतवासियों के विरुद्ध।''

संविधान सभा में मौलिक अधिकारों को लेकर हुई तमाम चर्चा और बहस के बाद उसे संवैधानिक रूप से मान्यता दी गयी। संविधान निर्माण में अपनाई गयी प्रक्रिया उसके लिए संविधान सभा में की गयी चर्चा, बहस और आलोचनाओं के बीच 26 नवम्बर 1949 को संविधान सभा में डा. आंबेडकर ने कहा कि "आज इस संविधान की अच्छाईयां गिनाने का कोई खास मतलब नहीं है। **संविधान कितना ही अच्छा हो अगर इसका इस्तेमाल करने वाले लोग बुरे होगें तो यह बुरा साबित होगा। अगर संविधान बुरा है, पर उसको इस्तेमाल करने वाले अच्छे होगें तो संविधान अच्छा संविधान साबित होगा।** जनता और राजनैतिक दलों की भूमिका को संदर्भ में लाये बिना संविधान पर टिप्पणी करना व्यर्थ होगा।"

मौलिक अधिकार उप समिति द्वारा पेश की गयी मौलिक अधिकार की रिपोर्ट पर संविधान सभा में की गयी बहस के बाद मौलिक अधिकार की व्यवस्थित सूची को संविधान सभा ने स्वीकार किया। मौलिक अधिकार का मायने किसी भी व्यक्ति को गरिमामय जीवन जीने के लिए जरुरी संरक्षण और अधिकार मिलना है। लोगों के मौलिक अधिकार को सुनिश्चित करना राज्य की जिम्मेदारी है। राज्य नागरिकों को उसके मौलिक अधिकार उपलब्ध कराने के लिए बाध्य है। अगर राज्य इस दायित्व निर्वहन से पीछे हटता है या किसी व्यक्ति या समुदाय के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह न्यायालय की शरण में जा सकता है। न्यायालय राज्य को आदेश कर सकता है कि राज्य अनिवार्य रूप से व्यक्ति या समुदाय के मौलिक अधिकारों का संरक्षण करे।

मूल संविधान में सात मौलिक अधिकार थे, लेकिन 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा सम्पति के अधिकार (जो अनुच्छेद 31 में शामिल था) को मौलिक अधिकार की सूची से हटा कर अनुच्छेद 300 (a) के अंतर्गत क़ानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12-35 तक में मौलिक अधिकारों का विवरण है। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है जो निम्नलखित है :-

1. समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18 तक)
2. स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19-22 तक)
3. शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23-24 तक)
4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25-28 तक)
5. संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार (अनुच्छेद 29-30 तक)
6. संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32)

समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18)

अनुच्छेद 14 - **कानून के समक्ष समानता**- राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उन पर एक समान रूप से लागू करेगा।

अनुच्छेद 15 - **सामाजिक समानता**- राज्य के द्वारा धर्म, मूलवंश एवं जन्म स्थान आदि

के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जायेगा।

अनुच्छेद 16 - **अवसर की समानता**- राज्य के आधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर की समानता होगी। अपवाद- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग।

अनुच्छेद 17 - **अस्पृश्यता (छुआछूत) का अंत**– अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया है।

अनुच्छेद 18 - **उपाधियों का अंत**- राज्य सेना तथा विद्या संबंधी उपाधियों के अलावा अन्य कोई उपाधियाँ प्रदान नहीं कर सकता। भारत का कोई भी नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा से कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है।

स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19-22)

अनुच्छेद 19 - मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता नागरिकों को दी गई थी बाद में 44वें संविधान संशोधन में सम्पत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया। अब सिर्फ 6 स्वतंत्रताएं है-

19 (a) विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।

19 (b) शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता।

19 (c) संघ बनाने की स्वतंत्रता।

19 (d) देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता।

19 (e) देश के किसी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता।

19 (f) कोई व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता।

अनुच्छेद 20 - अपराधों के लिए दोष सिद्धि के सम्बन्ध में संरक्षण- इसके अंतर्गत तीन तरह की स्वतंत्रता प्राप्त है-

20 (a) किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलेगी।

20 (b) अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी न कि पहले और बाद में बनने वाले कानून के तहत।

20 (c) किसी भी व्यक्ति को स्वंय के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जायेगा।

अनुच्छेद 21 – प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण- किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और वैयक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता।

अनुच्छेद 21 (क) - राज्य 6 से 14 वर्ष के आयु के समस्त बच्चों को नि:शुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा।

अनुच्छेद 22 - अगर किसी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में ले लिया गया है तो उसे

तीन प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गयी है-

1. हिरासत में लेने के कारण बताना होगा।
2. 24 घंटे के अन्दर उसे दण्डाधिकारी के समक्ष पेश किया जायेगा।
3. उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार होगा।

शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23-24)

अनुच्छेद 23 - मनुष्य के क्रय-विक्रय और बेगार पर रोक- इसके अंतर्गत मनुष्य के क्रय विक्रय, बालश्रम, बेगार या जबरदस्ती लिये जाने वाले श्रम पर रोक लगा दी गयी है। इसका उलंघन दण्डनीय अपराध है।

अनुच्छेद 24 - बाल श्रम पर रोक- 14 वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे को कारखानों, खानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम के लिए नियुक्त नहीं किया जा सकता है।

धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25-28)

अनुच्छेद 25 - धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता- कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार-प्रसार कर सकता है।

अनुच्छेद 26 - धार्मिक कार्य के प्रबन्ध की स्वतंत्रता- व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना व पोषण करने, विधि सम्मत सम्पत्ति अर्जन करने, स्वामित्व और प्रशासन का अधिकार।

अनुच्छेद 27 - धार्मिक कार्यों हेतु व्यय की जाने वाली राशि कर मुक्त- राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसा कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसकी आय किसी धर्म विशेष अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गयी हो।

अनुच्छेद 28 - राज्य विधि से पूर्णत: पोषित किसी शिक्षा संस्थान में धार्मिक शिक्षा पर रोक- ऐसे शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थियों को अपने संस्थान में धार्मिक कार्यों में भाग लेने या किसी धर्मोपदेश को बलात सुनने हेतु बाध्य नहीं कर सकते।

संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार (अनुच्छेद 29-30)

अनुच्छेद 29 - **अल्पसंख्यक हितो का सरंक्षण**- कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से नहीं रोका जायेगा।

अनुच्छेद 30 - **शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गो का अधिकार**– कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्था चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने से किसी तरह का भेदभाव नहीं करेगी।

संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32)

संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डा. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा, क्योंकि यह दूसरे मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। इसके तहत मौलिक अधिकार को परवर्तित (कानून द्वारा लागू) करने के लिए समुचित कार्यवाहियों द्वारा सर्वोच न्यायालय या उच्च न्यायालयों में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय को पांच तरह की रिट (आदेश या निर्देश) निकालने की शक्ति प्रदान की गयी है-

1. **बन्दी प्रत्यक्षीकरण**- यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो यह समझाता है कि उसे अवैध रूप से बन्दी बनाया गया है। इसके द्वारा न्यायालय बंदीकरण अधिकारी को आदेश देता है कि वह बन्दी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित स्थान और निश्चित समय के अन्दर उपस्थित करे जिससे न्यायालय बन्दी बनाये जाने के कारणों पर विचार कर सके।
2. **परमादेश**– परमादेश उस समय जारी किये जाते हैं जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजानिक कर्तव्यों का पालन नहीं करता।
3. **प्रतिषेध (मना करना)**- यह आज्ञा पत्र सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालय को जारी करते हुए आदेश दिया जाता है कि इस मामले में अपने यहाँ कार्यवाही न करे क्योंकि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है।
4. **उत्प्रेषण**- इसके अंतर्गत न्यायलयों को यह निर्देश दिया जाता है कि वे अपने पास लम्बित मुकदमों के न्याय के लिए वरिष्ठ न्यायालय को भेजें।
5. **अधिकार पृच्छ**- जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक अधिकार नहीं है। न्यायालय आदेश जारी करता है कि वह किस अधिकार से कार्य कर रहा है। जब तक वह संतोष जनक उत्तर नहीं देता तब तक वह कार्य नहीं कर सकता।

नीति निर्देशक तत्व

संविधान के भाग 3 में दिये गए मौलिक अधिकार के साथ ही भाग 4 में नीति निर्देशिका है जिसमें देश के नागरिकों को ऐसे अधिकार मिले हैं जिसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। नीति निर्देशिका राज्य के लिए निर्देश है कि राज्य ऐसे कार्य करे जो देश के नागरिकों के हित में हो। यह शुद्ध रूप से राजनैतिक और सरकार की नीतियों से संबंधित है। सरकार जो भी नीतियां बनाएगी उससे लोगों को आजीविका के पर्याप्त साधन मुहैया हो, कामगारों को जीवन निर्वाह योग्य मजदूरी की व्यवस्था हो सके, जिससे वह सम्मान पूर्वक अपना जीवन निर्वाह कर सके, कुछ लोगों के हाथों में धन का केन्द्रीयकरण न हो सके, स्वास्थ्य में सुधार हो सके, बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी, विकलांगता में सार्वजनिक साहयता सुनिश्चित हो सके। कार्यपालिका उन नीतियों के अनुरूप नागरिकों के कल्याण के लिए अपनी कार्यवाही करेगी।

संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्व शामिल है। जिसका उद्देश्य नागरिकों में आर्थिक और सामाजिक असमानता को दूर करना और ऐसे समाज की स्थापना करना जिसमें संवैधानिक मूल्यों- स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुत्व को बढ़ावा मिले जिससे राज्य के नागरिक भयमुक्त गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत कर सके। डा. अम्बेडकर ने कहा कि "यह भाग 4 आधुनिक लोकतान्त्रिक राज्य के लिए व्यापक आर्थिक, राजनैतिक तथा समाजिक कार्य की रचना करता है, इसके आभाव में सच्चे लोकतंत्र की स्थापना नहीं की जा सकती है। नीति निर्देशिका में पांच तत्व शामिल है जो निम्न है-

1. आर्थिक नीति से संबंधित।
2. समाजिक तथा शिक्षा से संबंधित।
3. शासन से संबंधित।
4. स्मारक तथा एतिहासिक महत्व से संबंधित।
5. अन्तराष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा से संबंधित।

1. आर्थिक निति से संबंधित- संविधान के अनुच्छेद 39, 41, 42, 43, 46, 47, 48 में आर्थिक नीति संबंधित व्याख्या की गयी है। इसमें राज्य के लिए निर्देश दिया गया है कि राज्य ऐसी आर्थिक नीति की व्यवस्था करेगा जिससे देश के सभी नागरिकों की आर्थिक जरूरते पूरी हो सके और उनका किसी भी प्रकार से आर्थिक शोषण न हो सके।

अनुच्छेद 39

(a) स्त्री-पुरुष दोनों को एक समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था।

(b) देश के सभी नागरिकों (स्त्री और पुरुष) को आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराना। भुखमरी समाप्त करने का प्रयास करना।

(c) सभी को न्याय उपलब्ध कराने की व्यवस्था करना।

(d) संसाधनों का समान रूप से बंटवारा करना जिससे आर्थिक असमानता को दूर किया जा सके।

(e) बच्चों को स्वतंत्रता तथा सम्मान से जीने का अवसर तथा सुविधा उपलब्ध करना।

अनुच्छेद 41 - नागरिकों को उनकी योग्यता के अनुसार कार्य करने का अवसर उपलब्ध करना।

अनुच्छेद 42 - महिलाओं को प्रसूति के समय सुविधा प्रदान करना।

अनुच्छेद 43 - कामगारों (श्रमिकों) को कार्य करने की व्यवस्था करना तथा जीवन यापन के लिए उचित मजदूरी, अवकाश की व्यवस्था उपलब्ध करना जिससे सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के अवसर मिल सके और अपना जीवन स्तर ऊंचा कर सकें।

अनुच्छेद 46 – अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा कमजोर वर्गों की शिक्षा तथा आर्थिक हितों की सुरक्षा करना।

अनुच्छेद 47 - देश के सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना।

अनुच्छेद 48 - जंगल तथा जंगलों में रहने वाले वन्य जीव की रक्षा तथा उनके रख रखाव की व्यवस्था करना। कृषि और पशु पालन की उन्नति के लिए समुचित अवसर उपलब्ध कराना।

2. समाजिक तथा शिक्षा संबंधी – इसमें समाज के कमजोर और वंचित समुदाय को सुरक्षा प्रदान करना तथा उनके बौद्धिक और नैतिक विकास के लिए अवसर उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है।

- राज्य के कमजोर और वंचित समुदाय खास कर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की शिक्षा एवं आर्थिक उन्नति का प्रयास करना।
- राज्य के नागरिकों का जीवन स्तर ऊंचा उठाना, पौष्टिक आहार की व्यवस्था करना तथा मादक पदार्थो के सेवन पर रोक।
- 6-14 वर्ष तक के बच्चों के लिए नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करना।

3. शासन संबंधी– इसके अंतर्गत प्रशासन में सुधार लाना

- राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करेगा तथा ऐसी शक्तियां प्रदान करेगा जिससे उनका विकास हो सके।
- राज्य सभी नागरिकों के लिए समान कानून व्यवस्था करेगा। जिसमें बिना धर्म को आधार बनाए समान कानून की व्यवस्था हो।
- कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग कर निष्पक्ष न्याय की व्यवस्था करना।

4. स्मारक तथा ऐतिहासिक महत्व से संबंधित –

अनुच्छेद 49- राज्य प्राचीन स्मारकों तथा ऐतिहासिक महत्व की वस्तुओं की रक्षा करेगा तथा उसे नष्ट होने या बाहर भेजने से रोकेगा।

5. अन्तराष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा संबधी-

अनुच्छेद 51 (i) राज्य **अंतर्राष्ट्रीय** शान्ति तथा सुरक्षा का विकास करेगा। (ii) विभिन्न राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण तथा सम्मान पूर्ण सम्बन्ध बनाए रखेगा। (iii) **अंतर्राष्ट्रीय** कानून तथा समझौतों के प्रति आदर भाव बढ़ाने का प्रयास करेगा। (iv) **अंतर्राष्ट्रीय** विवादों को मध्यस्थता द्वारा हल करना।

संविधान में देश के नागरिकों को दिये गये मौलिक अधिकारों एवं नीति निर्देशक तत्वों में आर्थिक, राजनैतिक और सामाजिक न्याय तथा बंधुत्व इसका केंद्र है। सभी मौलिक अधिकार संवैधानिक मूल्यों- स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुत्व को हासिल करने का साधन है। देश के सभी नागरिकों को कहीं भी आने जाने, अपनी बात कहने, अपने धर्म को मानने, आजीविका कमाने, मानवीय गरिमा के साथ जीने, अवसरों का समान रूप से बटवारा के द्वारा ही एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है जो गरीबी, भुखमरी,

जातिवाद, धार्मिक द्वेष, अशिक्षा, बेकारी से मुक्त होगा। मौलिक अधिकारों को देने के पीछे संविधान सभा की यही मंशा और भावना थी। इसके लिए राज्य को बाध्य किया गया कि वह इसकी रक्षा करेगा। राज्य अगर नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है तो नागरिक को न्यायालय में जाने का अधिकार भी दिया गया है। जहां न्यायालय राज्य को आदेश/निर्देश दे सकता है।

संविधान में राज्य संचालन के लिए प्रतिनिधियों के चुनाव करने का अधिकार भी देश के नागरिकों को दिया गया है जो जनता के बीच से होगें, जनता के द्वारा चुने होगे और जनता के लिए कार्य करेंगे। इसका मायने ऐसी सरकार या प्रतिनिधि जो जनता की भावनाओं तथा जरूरतों को जानते, समझते और महसूस करते हों। जनता बिना किसी दबाब, भय या लालच में आये अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करेगी। जनता द्वारा चुनी गयी सरकार (प्रतिनिधि) समाज में ऐसा माहौल तैयार करेगी जो देश की जनता के सर्वागीण विकास में सहायक हो। लोगों में एक दूसरे के प्रति स्नेह, करुणा और विश्वास को बढ़ावा दे। लोगों को अपने विचार व्यक्त करने, ऐसी आर्थिक नीतियों को बनाना जिससे संसाधनों का समान रूप से बंटवारा हो, लोगों को आजीविका के साधन उपलब्ध हो और देश में गरीबी, भुखमरी का खात्मा हो। नागरिक के स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा की बेहतर व्यवस्था हो। सरकार ऐसे माहौल और वातावरण को तैयार करे जिसमें धर्म, भाषा और संस्कृति को लेकर जनता के बीच संघर्ष या हिंसा न हो। संविधान में देश के नागरिक और सरकार के बीच इस तरह के अंत: सम्बन्ध और आपसी भूमिका की भावना लोकतंत्र की आत्मा है।

राजतंत्र में जनता के उपर किये जा रहे उत्पीड़न और शोषण के विरुद्ध जो आंदोलन हुए उसमें स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुत्व का नारा ही प्रमुख था। यही नारा लोकतंत्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया और राजतंत्र के शोषण से पूरी दुनिया को मुक्त करने में मदद किया।

सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों को समान अवसर की गारंटी है। यह अधिकार उन रोजगारों कार्यालयों पर लागू होता है जो राज्य के आधीन होते है। आर्थिक रूप से पिछड़े अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, और पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गयी है। नागरिकों को यह अधिकार समानता का अधिकार प्रदान करता है। संविधान द्वारा नागरिकों को दिये गए इस अधिकार के पीछे यह मंशा और भावना है कि राज्य इस तरह की आर्थिक नीतियाँ बनाएगा जिससे सार्वजानिक उद्योगों का विकास हो और देश के नागरिकों को उसकी योग्यता के अनुसार रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सके जिससे कि वह अपना जीवन निर्वाह गरिमापूर्ण तरीके से कर सकें। संविधान में देश के नागरिकों के लिए आर्थिक समानता का जो प्रावधान किया गया है उसको हासिल करने का जो मूल्य अन्तरनिहित है उस मूल्य के वगैर राज्य (सरकार, प्रशासन और न्याय पालिका) नागरिकों को आर्थिक समनाता का अधिकार मुहैया नहीं करा सकती है। यह मूल्य ही वह प्रेरणा स्रोत है जो देशवासियों को सम्मान से जीने का अवसर उपलब्ध करा सकता है। जो संविधान की मूल भावना है।

संवैधानिक मूल्य और मौलिक अधिकारों का अंतर्संबंध

संवैधानिक मूल्यों पर चर्चाओं में बार–बार उस समय भटकाव आता है जब प्रतिभागी मूल्यों के बजाए संवैधानिक अधिकारों की तरफ फिसल जाते हैं। संवैधानिक मूल्य, संवैधानिक अधिकारों को बचाने, संरक्षित करने और उसके हनन को रोकने की पहली शर्त है। जातिवाद, रूढ़िवादिता, छुआछूत और धर्मान्धता समाज के विकास में बाधक है। यह व्यक्ति/समाज/समुदाय को खण्ड–खण्ड में बांट देता है। अगर व्यक्ति/समुदाय/समाज में एकजुटता नहीं है तो इसका मायने है कि समाज से बंधुत्व, समानता का मूल्य नदारत है। यदि परिवार/समाज/देश को एकजुट रखना है और सभी लोगों को एक साथ मिल-जुल कर बिना द्वेष और पूर्वाग्रह के रहना है तो व्यक्ति/समाज में यह विचार ले जाना होगा कि जातिवाद, छुआछूत, रूढ़ीवाद, धर्मान्धता समाज और देश की एकता को तोड़ता है। समाज विकास की प्रक्रिया को बाधित करता है। इसलिए सभी को इन समाजिक बुराइयों को छोड़ना होगा, इसके खिलाफ संघर्ष करना होगा। यही विचार जब व्यक्ति/समाज द्वारा आत्मसात किया जाता है और इसे आगे बढाया जाता है तो यह मूल्य के रूप में प्रतिबिम्बित होता है। भूखे को खाना खिलाना, उसकी मदद करना यह एक मानवीय मूल्य है। लेकिन जब हम यह सोचते हैं कि समाज का कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे और उसके लिए प्रयास करते हैं तो यह संवैधानिक मूल्य है। **देश का कोई नागरिक भूखा न रहे इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 39 (b) में राज्य को निर्देश दिया गया है।**

इसके बरक्स संवैधानिक मूल्यों को लेकर आम जनता में जानकारी का बहुत अभाव है। संवैधानिक मूल्य आम लोगों खासकर ग्रामीण अंचलों में चर्चा का विषय नहीं होता है। मीडिया में खामोशी होती है इसलिए अगर कुछ एक संगठन इस पर काम भी करते हैं तो उनकी चर्चा नहीं होती। प्रोत्साहन की कमी को महसूस किया जा सकता है। शून्य से शुरू करने पर यह मनों के बदलाव का अभियान बन कर रह जाता है जिसका भौतिक रूप तराशना आसान नहीं है। हालांकि आदर्श समाज के निर्माण के लिए संवैधानिक मूल्यों को आत्मसात करते हुए उसे व्यवहार में लाने के सिवा कोई रास्ता नहीं है। आदर्श समाज के निर्माण की प्रक्रिया जितनी सफलता के साथ आगे बढ़ेगी अधिकारों के हनन की घटनाएं उसी अनुपात में कम होंगी और उसके खिलाफ लोगों का उठ खड़ा होना एक स्वभाविक अमल बन जाएगा। इस तरह हम हनन के मामलों में 'निप इन द बड' की तरफ बढ़ते दिखाई देंगे, जहां मानवाधिकार और नागरिक अधिकारों का हनन होगा वहीं पर प्रतिरोध की दीवार स्वतः खड़ी हो जाएगी। यह बदलाव संवैधानिक मूल्यों से लैस समाज से ही संभव होगा।

संवैधानिक अधिकार पूर्णतः संज्ञेय हैं और संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में उनको परिभाषित किया गया है। हालांकि कुछ खास परिस्थितियों में प्रशासनिक कारणों से संवैधानिक अधिकारों को सीमित समय के लिए निलंबित रखा जा सकता है। संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन को प्रशासनिक और न्यायिक स्तर पर आसानी से सम्बोधित किया

सकता है। राजनीतिक स्तर पर भी अधिकारों के उल्लंघन को आसानी से मुद्दा बनाया जा सकता है और बनाया भी जाता है।

संवैधानिक मूल्यों का उल्लंघन अपने आप में संज्ञेय अपराध नहीं है। आमतौर पर अपराधिक घटनाओं के घटित होने पर उसकी तह में संवैधानिक मूल्यों का हनन पाया जाता है। एससीएसटी के मामलों में जातिसूचक सम्बोधन या महिलाओं के साथ छेड़छाड़ में मामलों में घूर कर देखना संज्ञेय अपराध की श्रेणी में लाया गया है। लेकिन आमतौर पर किसी को घूरना, आंख दिखाना, बंधुत्व की भावना के विपरीत व्यवहार करना संज्ञेय अपराध नहीं है। किसी पर इस बात के लिए मुकदमा दर्ज नहीं करवाया जा सकता कि वह अमुक व्यक्ति के साथ अच्छे रिश्ते नहीं रखता। इसके बावजूद संवैधानिक मूल्यों का दायरा बहुत व्यापक है। एक तरफ यह नीचे से समाज को रूढ़िवादी परंपराओं से मुक्त कर वैज्ञानिक चेतना का निर्माण करता है तो दूसरी ओर संविधान संशोधन और कानून निर्माण के मामले में सरकारों का मार्गदर्शन करता है।

संवैधानिक मूल्य ऐसे मार्गदर्शक तत्व हैं जिनकी अनदेखी कभी नहीं की जा सकती। संवैधानिक मूल्यों को आत्मसात करने और व्यवहार में लाए बिना बेहतर समाज के निर्माण की कल्पना ही नहीं की जा सकती। स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुत्व परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। समाज में इन चारों संवैधानिक मूल्यों में से एक को भी कायम किया जाएगा तो अन्य मूल्यों को व्यवहार लाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। अगर जनता संवैधानिक मूल्यों से लैस होगी तो वह परंपराओं के नाम पर, जाति–धर्म के आधार पर दूसरों की आज़ादी को बाधित नहीं करेगी। बराबरी के व्यवहार को प्रोत्साहन मिलगा। अगर समाज में न्याय कायम होगा तो आपसी वैमनस्यता कम होने के साथ ही अवसरों की समानता को बढ़ावा मिलेगा। एक दूसरे से संबंध बेहतर होंगे और बंधुता कायम होगी। समाज में यदि किसी के साथ भी अन्याय होता है तो उस अन्याय से समाज एकजुट होकर गंभीरता से निपटेगा। ऐसे में अधिकारों के हनन का मामला हो या कुछ और समाज स्वतः आंदोलित हो जाएगा। संवैधानिक मूल्यों से लैस समाज अपने प्रतिरोध में मर्यादाओं के प्रति संवेदनशील होगा, हिंसक या विघटनकारी कदम कभी नहीं उठाएगा।

संवैधानिक मूल्यों से लैस समाज ही अधिकारों के लिए संघर्ष कर पाता है। इसके बिना प्रतिरोध कभी भी दरक सकता है, आंदोलन बिखर सकता है। उत्तर प्रदेश के आज़मगढ़ जिले में मंदुरी एयरपोर्ट विस्तारीकरण के लिए भूमि अधिग्रहण के खिलाफ चलने वाला आठ गांवों का आंदोलन एक बड़ी मिसाल है। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण अंचल में चलने वाला अब तक का यह सबसे मज़बूत और लंबा चलने वाला आंदोलन है। पिछड़ों और दलितों की 90% आबादी वाले इन गांवों में शुरू में सवर्ण महिलाओं ने पिछड़ों और दलितों के साथ बैठने से परहेज़ किया। यहां तक कि पिछड़ों और दलितों में जातीय आधार पर दूरी को महसूस किया जा सकता था। इससे निपटने के लिए कुछ संगठनों के कार्यकर्ताओं ने आठो गांवों के अंदर रोज़ अलग–अलग मीटिंग का सिलसिला शुरू किया। पहले साथ बैठाया उसके बाद सामूहिक भोज का आयोजन कर के साथ में खाना खिलवाया। इस तरह भेदभाव

और असमानता की दीवार को तोड़ा, मंचों पर (हर समाज की) महिलाओं को बराबर का अवसर दिया। मेलजोल कायम किया। नतीजा साफ था। प्रशासन की आंदोलनकारियों में फूट डालने की सभी कोशिशें नाकाम हो गयीं। आंदोलित ग्रामवासियों ने हर कठिन समय का डट कर मुकाबला किया। समय बीतने के साथ व्यक्तिगत महत्वकांक्षाओं के चलते बाहर से जाने वाले आंदोलनकारी नेताओं ने आंदोलन पर अपना वर्चस्व कायम करने के लिए जातिवादी भावनाओं को हवा देना शुरू कर दिया। इसमें बह कर गांवों के लोग भी जाति के खांचे में बंटने लगे। नौबत मारपीट की आ गई। लेकिन संवैधानिक मूल्यों से लैस जनता की तादाद ज्यादा निकली और आंदोलन बच गया। यहां इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि संवैधानिक मूल्य विस्थापन के भय से कायम हुआ था। लेकिन इसमें इतनी ताकत आ गई कि आंदोलन को बिखरने से बचा पाए। अगर वास्तव में संवैधानिक मूल्यों को उनकी भावना के अनुरूप आत्मसात किया गया होता तो यह मज़बूती जातीय विष घोलने वालों को पहले ही अलग कर देती। लेकिन यह भी सच्चाई है कि जिस बुनियाद पर भी संवैधानिक मूल्य आए लेकिन आंदोलन को बचा ले गए।

वहीं दूसरी ओर संविधान संशोधन या कानून निर्माण के मामलों सरकारों को संवैधानिक मूल्यों का लिहाज़ रखने की बाध्यता होती है। संविधान का संरक्षक होने के नाते उच्चतम न्यायालय को ऐसे किसी संविधान संशोधन या कानून को रद्द करने का अधिकार प्राप्त है जो संवैधानिक मूल्यों से टकराता हो या जिनमें मूल्यों की अनदेखी की गई हो।

इससे स्पष्ट होता है कि संवैधानिक मूल्यों से लैस समाज सामाजिक–आर्थिक–राजनीतिक स्तर पर बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है। जब ऐसे समाज से निकल कर सार्वजनिक सेवा में युवा जाएगा तो निश्चित ही मनमानी करने के बजाए कानून की पासदारी करेगा जिसके नतीजे में भ्रष्टाचार जैसी लानत तो कम होगी ही कमज़ोरों और हाशिए पर खड़े समाज का उत्पीड़न भी रुकेगा और न्याय पाना आसान हो जाएगा। किसी समाज को बदलने के लिए बहुत लम्बा समय दरकार होता है जिसके लिए बिना रुके और बिना थके चलते रहना होगा।

समुदाय में संवैधानिक मूल्य स्थापित करने में हमारी भूमिका

स्वतंत्रता समानता न्याय और बंधुत्व लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतान्त्रिक समाज का निर्माण उपरोक्त मूल्यों को केंद्र में रख कर ही किया गया। दुनिया के देशों से निरंकुश राजतन्त्र का खात्मा इन्ही मूल्यों को स्थापित करने के लिए किया गया। भारत में औपनिवेशिक शासन के खिलाफ चले लबे संघर्ष में इन्ही मूल्यों के आधार पर समाज निर्माण की प्रेरणा थी। आजादी के बाद संविधान में इन्ही मूल्यों के आधार पर भारतीय समाज के निर्माण की कल्पना की गयी। आजादी के बाद राज्य को जिम्मेदारी दी गयी कि देश के नागरिक के लिए ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करे जिससे देश में स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुत्व कायम किया जा सके। अंग्रेजों के जाने के बाद भारत को आर्थिक और सामाजिक पिछड़ापन विरासत में मिला। इस आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए जो आर्थिक नीतियां अपनाई गयी उन नीतियों ने समाज में तेजी से आर्थिक असमानता को बढ़ा दिया। सरकारों की आर्थिक नीतियों ने केवल आर्थिक असमानता को ही बढ़ावा नहीं दिया बल्कि न्याय और बंधुत्व को भी बाधित किया। विकास के नाम पर देश के नागरिकों की आजीविका (जल, जंगल, जमीन) छीन कर उनके गरिमामय जीवन जीने के मौलिक अधिकार तक छीन लिया। सरकारें अपनी आर्थिक नीतियों और राजनैतिक एजेण्डे को आगे बढाने के लिए दया, ममता और करुणा जैसे संवेदनशील मानवीय मूल्यों को भी तिलांजलि दे दी है। जनवरी 2021 की भयंकर ठण्ड में मध्य प्रदेश के इंदौर में बुजुर्ग भिखारियों, अपाहिजों को कूड़ा ढोने वाले डंपर में भर कर शहर के बाहर वीराने में छोड़ दिया गया। इसमें ऐसे वृद्ध और विकलांग भी थे जो चल भी नहीं पा रहे थे। यह अमानवीय कृत्य राज्य द्वारा इंदौर को स्वच्छ और सुन्दर शहर बनाने के लिए किया गया। यह तो एक उदाहरण है ऐसी घटनाएँ राज्य द्वारा प्रतिदिन की जाती है जहाँ देश का नागरिक इंसान नहीं जानवर समझा जाता है। देश के गरीब, बेरोजगार, निराश्रित नागरिकों के आवास (झोपड़पट्टीयों) को बुलडोजर लगा कर तोड़ दिया जाता है और उन्हें खुले आसमान के नीचे रहने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। बहुसंख्यक सामाज द्वारा अल्पसंख्यक समाज के साथ दुर्व्यहार, उनकी संपत्ति को नष्ट कर दिया जाना, सरे राह घेर कर उनकी हत्या कर देना यह सब एक सामान्य घटना हो गयी। राज्य द्वारा इन अमानवीय घटनाओं के खिलाफ समाज में उच्च निति नैतिकता ले जाने के उपाय की जगह इसमें उसकी बराबर की भागीदारी है।

महात्मा गांधी आजीवन घुटने के ऊपर धोती और साधारण चप्पल पहन कर देश की आजादी के लिए संघर्ष किया उनका कहना था कि हमारे देश की बहुसंख्यक जनता के पास पहनने के लिए कपड़े और चप्पल नहीं है तो हम अच्छे कपड़े और जूते कैसे पहन सकते हैं। गाँधी जी रेल के तीसरे दर्जे में यात्रा करते थे। आज हमारे देश के प्रधानमन्त्री लाखों रूपए का सूट पहनते है और हजारों करोड़ के विमान में यात्रा करते है जब कि देश के नागरिक भीख मांगते है ऐसी जगहों पर रहते है जहाँ पानी और शौचालय की सुविधा तक नहीं है। कही कोई भूख से मर रहा है तो कोई गरीबी के कारण आत्महत्या कर रहा है। देश

की राजधानी दिल्ली में समाज कल्याण विभाग ने एक सर्वे किया। इस सर्वे में दिल्ली में 20719 भिखारियों की पहचान की गयी जिसमें 9541 महिलायें है। इस तरह की समाज में अनगिनत घटनाएं हैं जिनका यहां उल्लेख करने से महत्वपूर्ण यह विचारणीय होगा कि कैसे इन घटनाओं को रोका जाये। इसलिए सवाल है कि-

- इस पर शक्ति लगाईं जाय की इन परिस्थियों को कैसे बदला जाय?
- इस पर विचार किया जाय कि अपने स्वयं के अन्दर संवैधानिक मूल्यों को कैसे आत्मसात किया जाय?
- कैसे परम्परागत सोच, धारणाओं और मानसिकता को बदला जा सकता है?
- कैसे रुढ़िवादी विचार, रीती-रिवाज जो लिंग, जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति के आधार पर गैर-बराबरी होती है, उन्हें बदला जा सकता है?
- कैसे हर जगह (परिवार, समुदाय गाँव, ब्लाक, जिला, राज्य, देश आदि) में बराबरी का माहौल बनाया जा सकता है?
- कैसे गैर-बराबरी की प्रक्रिया को चुनौती दी जा सकती है?

इन सब बिन्दुओं पर विचार विमर्श करके हमें व्यवस्थित कदम उठाने होगें। यह सब परिवर्तन अपने आप नहीं आयंगे। इसके लिए सभी को साझा प्रयास करने की जरुरत है। हर व्यक्ति चाहे वह गाँव में रहता हो या कस्बों, शहरों में, महिला हो या पुरुष, अनपढ़ हो या पढ़े-लिखे, हिन्दू हो या इसाई, संगठन के कार्यकर्ता हो या संस्था के वेतनभोगी कर्मचारी सभी को अपने आप से सवाल करने होंगे कि-

- क्यों समुदाय में सामाजिक गैर-बराबरी है, कोई जाति के नाम पर ऊंचा है तो कोई नीचा है?
- क्यों देश में जाती, धर्म, पहनावा, खान-पान के आधार पर लोगों पर नियंत्रण करने की कोशिशे हो रही हैं?
- क्यों देश में आर्थिक असमानता हो रही है एक तरफ अमीर व्यक्ति और अमीर हो रहे है तो गरीब और गरीब होते जा रहे है?
- क्यों सरकारें संवैधानिक संस्थाओं का राजनितिक लाभ के लिए इस्तेमाल कर रही है, जिससे इन संस्थाओं की निष्पक्षता की छवि खराब हो रही है?

एक जागरूक नागरिक के तौर पर समाज में परिवर्तन के लिए कार्य करने की जिम्मेदारी हम सभी को लेनी होगी। अपने स्वयं, अपने परिवार, अपने समुदाय में बराबरी, न्याय, बंधुत्व, स्वतंत्रता जैसे मूल्यों को स्थापित करने की पहल करनी होगी। हमें स्वयं अपनी सोच को बदलना होगा तथा दूसरों के बारे में अपनी राय को भी बदलना होगा तभी हम एक सकारात्मक बदलाव समाज में ला सकते है।

जब हम समुदाय में इन मूल्यों पर कार्य करने के लिए जाय तो एक बात का ध्यान रखे कि पहचान के आधार पर बने समूहों के इतर भी हमें अपने समूहों का निर्माण कर इन प्रक्रियाओं का संचालन करना चाहिए।

समानता का यह मुद्दा लोगों की धारणाओं, मानसिकता और विचारों से जुड़ा है। इसे समाज के बीच सेवा का कार्य करके या नीति बनवा कर हल नहीं किया जा सकता है। इसके लिए लोगों में बराबरी के मूल्य, भावनाएं और एक दूसरे के प्रति सम्मान/समानता लाने के लिए प्रयास किये जाने जरुरी है।

इसके लिए हमें दो स्तर पर पहल करनी होगी। पहली, विकास योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए समुदाय के बीच गोलबंदी जिसमें विकास के दृष्टिकोण से स्थिति का विश्लेषण करते हुए वैचारिक परिवर्तन लाने होंगे।

दूसरी तरफ, पूरे समाज के साथ काम करके उनकी मानसिकता, धारणाओं को बदल कर समानता, बंधुत्व, न्यायपूर्ण समाज बनाने के प्रयास करने होंगे।

समाज को इस ओर अग्रसर करने के लिए तत्कालीन परिस्थितियों का विश्लेषण करते हुए उसे समाज के सामने लेकर आना और नए मूल्य समाज में स्थापित करने की दिशा में सतत प्रयास करने होंगे। इन प्रयासों के जरिए समाज में परिवर्तन का माहौल बनाया जा सकता है। इन प्रयासों में हमारी क्या भूमिका हो सकती है-

- गैर रुढ़िवादी व्यवहारों को काम में लेने के अवसर प्रदान करना।
- भेदभाव एवं अपमानित करने वाली भाषा को चुनौती देना।
- हिंसा, अन्याय, असमानता जैसे मुद्दों पर युवा वर्ग से चर्चा करना।
- परिवार एवं समुदाय में समानता, बंधुत्व एवं न्यायपूर्ण व्यवहार हो, इस दिशा में बढ़ने के लिए प्रेरित करने वाले साहित्य को बढ़ावा देना।
- परिवार में रुढ़िवादी सोच को चुनौती देना।
- सरकार के गैर संवैधानिक कृत्यों पर सवाल उठाना।

संवैधानिक मूल्यों को समाज में ले जाने के लिए सचेत रूप से पहलकदमी की आवश्यकता है। जिसके माध्यम से हम लोग सामाजिक बदलाव को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके लिए कई तरीको से संवैधानिक मूल्यों के लिए अभियान चलाएं जा सकते हैं। गांवों में जब कोई भी अभियान चलाते हैं तब हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम उन स्थानों का उपयोग करें जहां लोग एक साथ आते हैं। ऐसे स्थानों जैसे कि सार्वजनिक स्थल, हाट (जहां बाजार लगता है), मेले, आंगनबाड़ी, सामुदायिक केंद्र आदि जगहों का इस्तेमाल किया जा सकता है।

अभियानों में विभिन्न लोक संचार के माध्यमों जैसे कि लोकगीत, कथा-कहानियां, कठपुतली कार्यक्रम, नुक्कड़ नाटक, नौटंकी आदि का उपयोग किया जाए। कुछ स्थानीय लोगों को इस कला में नए विषय के साथ तैयार करके सांस्कृतिक जत्थे के रूप में भी सतत रूप से सामाजिक बदलाव की दिशा में काम करने को पारंगत किया जा सकता है। यह कुछ तरीके है जिनके माध्यम से हम लोग सामाजिक बदलाव को आगे बढ़ा सकते हैं-

1. समता सद्भावना संवाद यात्रा

उद्देश्य : निश्चित समय में एक समूह बनाकर निश्चित उद्देश्य के साथ एक क्षेत्र के लोगों

के बीच संबंधित मुद्दों, विषय-वस्तु पर जागरूकता बनाना और परिवर्तन के लिए आह्वान करना।

प्रक्रिया :

- इन यात्राओं को किसी भी स्तर पर आयोजित किया जा सकता है। गांवों में संविधान, संवैधानिक मूल्यों पर चर्चा के लिए यह एक अच्छा तरीका है।
- जिस क्षेत्र में यात्रा निकालना है उस क्षेत्र में काम करने वाले तथा उस क्षेत्र को जानने वाले लोगों का एक दल इसकी तैयारी के लिए गठित करें।
- उस क्षेत्र का भौगोलिक नक्शा, उपलब्ध संसाधनों के बारे में पूरी सूचनाएं एकत्रित करें।
- यात्रा के कुल दिन कितने होंगे, कौन-कौन सहयात्री होंगे, यह तय करें।
- प्रत्येक दिन कितने किलोमीटर की यात्रा की जा सकेगी, यह तय करें।
- जिस क्षेत्र में यात्रा की जाने वाली है उस क्षेत्र की कुल दूरी और एक दिन में तय किए जाने वाले किलोमीटर के अनुसार विभिन्न उप-क्षेत्रों में बांटना।
- प्रत्येक उप-क्षेत्र के लिए एक दल बनाना जिसमें स्थानीय क्षेत्र के लोग होंगे।
- प्रत्येक उप-क्षेत्र का "यात्रा का रास्ता" तय करना, रात्रि में जिस गांव में दल रुकेगा वहां पर आम सभा, सांस्कृतिक कार्यक्रम की योजना बनाना।
- प्रत्येक दिन की योजना बनाना एवं आवश्यक संसाधनों को जुटाना।
- यात्रा से पहले क्षेत्र में सूचना देना। उस क्षेत्र के संपर्क सूत्रों- मुखिया, अध्यापक आदि को भी सूचना देना।
- यात्रा का सतत विवरण स्थानीय समाचार पत्र, पत्रिकाओं में देना।
- यात्रा एक स्थान से निश्चित दिनांक पर प्रारंभ की जाए। हर दल पूरे जोश और उमंग और आवश्यक संसाधनों के साथ यात्रा के लिए प्रस्थान करें।
- गांव-गांव में संवैधानिक मूल्यों पर नारों या पोस्टर के माध्यम से बताया जाए।
- यात्रा में सभी धर्मों के लोगों को जोड़ना जरूरी है क्योंकि इस तरह के आयोजनों के मध्यम से धर्म के प्रति बदलाव जल्दी लाया जा सकता है और सांप्रदायिकता से होने वाले दंगों को रोका जा सकता है।
- गांव में दिन या रात में आम सभा की जाए तथा इसमें सामाजिक गैर-बराबरी पर चर्चा व संवाद किया जाए। इसे बदलने के लिए उन्हें ललकारा जाए। इन आम सभाओं में मनोरंजन के जन माध्यमों का उपयोग करके गीत, ड्रामा, नुक्कड़ नाटक, कठपुतली प्रदर्शन आदि द्वारा विषय वस्तु को बताया जाए।

संदर्भ सामग्री : साधारण रूप से दीवारों पर लिखने के लिए चूना-मिट्टी, नारों की सूची, गीतों की किताबें, पोस्टर-चार्ट आदि।

2. फिल्म फेस्टिवल का आयोजन

संविधान निर्माण, समाज में मौजूद गैर-बराबरी पर कई अच्छी फिल्में बनी हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्री वीडियो फिल्में भी इस विषय पर हैं। कई फिल्मों में इन स्थितियों में बदलाव के तरीके भी बताए गए हैं। कुछ ऐसी ही फिल्मों का चयन करके विभिन्न स्तर पर फिल्मोंत्सव का आयोजन किया जा सकता है।

उद्देश्य : इसके जरिए समाज में व्याप्त सामाजिक गैर-बराबरी के मुद्दों को विभिन्न घटनाक्रम के माध्यम से एक साथ दिखाया जा सकता है। इसके द्वारा एक साथ बहुत से लोगों तक पहुंचा जा सकता है। यह जानकारी को और आगे बढ़ाने को प्रेरित करने का एक अच्छा माध्यम है।

प्रक्रिया :

- फिल्मों का चयन विषय की स्पष्टता और प्रस्तुतीकरण तथा क्या हल या रास्ता दिखा रहे हैं इन सब के आधार पर होना चाहिए। अतः आयोजक दल स्वयं पहले इन सभी फिल्मों को देखें।
- फिल्म एक निश्चित अवधि में दिखाने के लिए तय की जाए। प्रत्येक दिन किसी एक मुद्दे पर एक फिल्म दिखाई जाए। हर फिल्म के बाद खुली चर्चा का आयोजन भी किया जाना चाहिए।
- क्षेत्रीय स्तर पर दो-तीन गांव के बीच में इस तरह तीन-चार दिन लगातार सामाजिक मुद्दों से संबंधित फिल्मों और चर्चा रखने से सामाजिक बदलाव का माहौल बनेगा।

3. विचार गोष्ठी

उद्देश्य : विशेष (व्यवसाय, जाति, लिंग, कार्य-क्षेत्र, भौगोलिक स्थिति आदि के आधार पर तय) समूह के साथ सतत विचार गोष्ठी के माध्यम से संवैधानिक मूल्यों पर जागरूकता बढ़ाना तथा सामूहिक रूप से इस तरह की स्थितियों के खिलाफ आवाज उठाने को प्रेरित करना।

प्रक्रिया :

- यह गोष्टी किसी भी स्तर पर (गांव, शहर, स्थानीय-राष्ट्रीय) आयोजित की जा सकती है। विभिन्न लोगों के साथ संबंधित विषयों पर विचार विमर्श का यह एक उपयुक्त माध्यम है।
- आयोजनकर्ता को विषय व उद्देश्य के अनुरूप सहभागियों और विषय से संबंधित मुख्य वक्ता का चयन करना चाहिए।
- सभी को समय पर पूरी सूचना (विषय, समय, स्थान, वक्ता, कार्यक्रम आदि) पहुंचा दी जानी चाहिए।

- अभियान के संदर्भ में विचार गोष्ठी का आयोजन निश्चित समय अवधि में क्रमानुसार कई विचार गोष्ठियों का आयोजन उस अभियान के हिस्से के रूप में करना चाहिए।
- गोष्ठी के लिए चयनित विषय की जानकारी विशेषज्ञ के द्वारा देने के साथ-साथ पोस्टर, चार्ट, पुस्तिकाओं, फिल्म आदि के द्वारा भी दी जा सकती है।
- गोष्ठी का स्थान व समय लोगों की सुविधानुसार निश्चित किया जाना चाहिए।
- इसके लिए पूर्व तैयारी अच्छी तरह की जानी चाहिए।

4. जन सभाएं

उद्देश्य : आम जनता में संवैधानिक मूल्यों और समाज में गैर-बराबरी के मुद्दों को उठाना। सामाजिक बुराई के रूप में समझ कर इन्हें जड़ से दूर करने के प्रति दृढ़ संकल्प लेने को प्रेरित करना।

प्रक्रिया :

- ये आम सभाएं स्थानीय स्तर (ग्राम या शहर) पर आयोजित की जा सकती हैं। पूरे क्षेत्र में यदि निश्चित सप्ताह में तीन-चार दिन विभिन्न स्थानों पर जनसभाएं आयोजित की जानी चाहिए। इससे पूरे क्षेत्र में विषय से संबंधित चर्चा का माहौल बनेगा व कुछ वैचारिक हलचल नजर आने लगेगी।
- विभिन्न जन माध्यमों से इन जनसभाओं की सूचना का प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए।
- विषय के अनुरूप अच्छे वक्ताओं का चयन करना चाहिए, जिससे प्रभावित होकर व्यक्ति स्वयं के विचारों को परखने और बदलने को प्रेरित हो सकेगा।
- बैठक व्यवस्था, माइक, बिजली आदि व्यवस्था उपयुक्त होनी चाहिए अन्यथा आयोजन का उद्देश्य ही पूर्ण नहीं हो पाएगा।
- प्रेस मीडिया का उपयोग करके पत्र-पत्रिकाओं, टीवी, अखबार आदि में इसके बारे में दिया जाना चाहिए जिससे सभी के पास इसकी जानकारी पहुंच पहुंचाई जा सके।

5. प्रदर्शनी एवं चर्चा

उद्देश्य : चित्र, पोस्टर, चार्ट, मॉडल आदि द्वारा समाज में समता की स्थिति, समाज में गैर-बराबरी, सरकारों के गैर-संवैधानिक कार्य, समाज में बराबरी कायम करने के संवैधानिक प्रावधान आदि मुद्दों के बारे में जागरूकता एवं जानकारी बढ़ाना।

प्रक्रिया :

- यह प्रदर्शनी किसी भी स्तर पर आयोजित की जा सकती है। गांव में सामाजिक

बराबरी की सोच बनाने के लिए, एक साथ संबंधित विषयों को सामने लाने के लिए यह एक अच्छा माध्यम है।

- इसमें प्रदर्शनी की विषय वस्तु तय करके उसे तरह-तरह से (पोस्टर, चार्ट, फोटो, चित्र, मॉडल आदि) प्रदर्शित करने हेतु तैयार करें।
- इसमें स्क्रीन प्रिंटिंग, ड्राइंग के जानकार व ग्राफिक डिजाइनर के जानकारों के साथ मिलकर प्रदर्शनी की सामग्री विकसित कर सकते हैं।
- प्रदर्शनी की विषय वस्तु और उसको दिखाने का तरीका प्रदर्शनी में हिस्सेदार लोगों के अनुसार रखना चाहिए।
- सूचना इस तरह बनाएं कि आसानी से समझी जा सकती हो, यह छोटी, व्यवहारिक और सकारात्मक हो।
- प्रदर्शनी का स्थान लोगों की सुविधा के अनुसार निश्चित किया जाना चाहिए। स्थान ऐसा हो कि वहां एक साथ 50-100 लोग आ सकते हों।
- प्रदर्शनी के साथ-साथ चर्चाओं का आयोजन करने से इस विषय पर गहरी समझ और आगे बढ़ने के कुछ कदम भी बनाए जा सकते हैं।

6. कार्यशालाएं

उद्देश्य : विशेष (व्यवसाय, जाति, लिंग, कार्य-क्षेत्र, भौगोलिक स्थिति आदि के आधार पर तय) समूह के साथ सतत कार्यशालाओं के माध्यम से संवैधानिक मूल्यों पर समझ विकसित करने तथा सामूहिक रूप से समुदाय तक मूल्यों को पहुंचाने के लिए रणनीति तैयार करना।

- **प्रक्रिया :**
- यह कार्यशालाएं किसी भी स्तर पर (गांव, शहर, स्थानीय-राष्ट्रीय) आयोजित की जा सकती है। विभिन्न लोगों के साथ संबंधित विषयों पर साझा समझ विकसित करने का यह एक उपयुक्त माध्यम है।
- आयोजनकर्ता को विषय व उद्देश्य के अनुरूप सहभागियों और विषय से संबंधित मुख्य वक्ता का चयन करना चाहिए।
- सभी को समय पर पूरी सूचना (विषय, समय, स्थान, वक्ता, कार्यक्रम आदि) पहुंचा दी जानी चाहिए।
- कार्यशालाओं का आयोजन निश्चित समय अवधि में क्रमानुसार कई कार्यशालाओं का आयोजन उस अभियान के हिस्से के रूप में करना चाहिए।
- कार्यशाला के लिए चयनित विषय की जानकारी विशेषज्ञ के द्वारा देने के साथ-साथ पोस्टर, चार्ट, पुस्तिकाओं, फिल्म आदि के द्वारा भी दी जा सकती है।
- कार्यशाला का स्थान व समय लोगों की सुविधानुसार निश्चित किया जाना चाहिए।
- इसके लिए पूर्व तैयारी अच्छी तरह की जानी चाहिए।

7. पॉडकास्ट

उद्देश्य : पॉडकास्ट द्वारा समाज में समता की स्थिति, समाज में गैर-बराबरी, सरकारों के गैर-संवैधानिक कार्य, समाज में बराबरी कायम करने के संवैधानिक प्रावधान आदि मुद्दों के बारे में जागरूकता एवं जानकारी बढ़ाना।

प्रक्रिया :

- पॉडकास्ट का कोई नाम होना चाहिए।
- पॉडकास्ट की शुरुआत अभिवादन के साथ होनी चाहिए।
- पॉडकास्ट के शुरुआत में एक निश्चित संगीत होना चाहिए।
- चर्चा में दो से ज्यादा लोग हो।
- बातचीत अनौपचारिक हो।
- चर्चा के लिए एक फॉर्मेट हो।
- आपस में चर्चा एक कहानी जैसी लगे।
- चर्चा की अवधि छोटी होनी चाहिए।
- संगीत का इस्तेमाल इस तरह से हो की वह बातचीत में दखल भी ना दे और चलता भी रहे।
- पॉडकास्ट ऐसा होना चाहिए जो मन में भाव पैदा करे।
- जूम पर चर्चा की जानी चाहिए उसके बाद वाइस का इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

बच्चों और युवाओं के साथ अभियान

आज के बच्चे कल के जिम्मेदार नागरिक बनेंगे। वे जैसा देखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे वैसे ही विचार उनके मानस पटल पर स्थाई रूप से बन जाएंगे। वे स्वयं बड़े होकर फिर वही तो दोहराएंगे, यही तो सदियों से चलता हुआ आ रहा है। अतः यह बहुत महत्वपूर्ण होगा कि बच्चों को भी समाज का नजरिया बदलने में भागीदार बनाया जाए। इससे उनकी अपनी मानसिकता में भी परिवर्तन होगा। शिक्षण संस्थाएं इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। बच्चों एवं युवाओं के साथ अभियान के आम उद्देश्य होंगे।

बच्चों को उनके मौलिक एवं बाल अधिकारों के प्रति प्रारंभ से ही सजग करना। समाज में व्याप्त भेदभाव के खिलाफ बच्चों का मन बनाना। बच्चों एवं युवाओं के साथ अभियान के निम्न तरीके हो सकते हैं-

1. स्टोरी टेलिंग/किस्सागोई

मानवीय मूल्यों, समाज में मौजूद गैर-बराबरी पर कई अच्छी कहानियां लिखी गई हैं। प्रेमचंद, यशपाल, शरदकुमार आदि की कुछ कहानियां इस विषय पर हैं। कई कहानियों में

इन स्थितियों में बदलाव के तरीके भी बताए गए हैं। कुछ ऐसी ही कहानियों का चयन करके विभिन्न स्तर पर स्टोरी टेलिंग के माध्यम से बच्चों के साथ आयोजन किए जा सकते हैं।

उद्देश्य : इसके जरिए समाज में व्याप्त गैर-बराबरी के मुद्दों को विभिन्न घटनाक्रम के माध्यम से एक साथ चर्चा की जा सकती है। इसके द्वारा एक साथ बहुत से बच्चों तक पहुंचा जा सकता है। यह जानकारी को और आगे बढ़ाने को प्रेरित करने का एक अच्छा माध्यम है।

प्रक्रिया :

- कहानियों का चयन विषय की स्पष्टता और प्रस्तुतीकरण तथा क्या हल या रास्ता दिखा रहे हैं इन सब के आधार पर होना चाहिए। अतः आयोजक दल स्वयं पहले इन सभी कहानियों को पढ़ लें।
- कहानी एक निश्चित अवधि में सुनाने/सामूहिक पढ़ने के लिए तय की जाए। प्रत्येक दिन किसी एक मुद्दे पर एक कहानी सुनाई जाए। हर कहानी के बाद खुली चर्चा का आयोजन भी किया जाना चाहिए।
- क्षेत्रीय स्तर पर दो-तीन गांव के बीच में इस तरह तीन-चार दिन लगातार सामाजिक मुद्दों से संबंधित कहानियों और चर्चा रखने से सामाजिक बदलाव का माहौल बनेगा।

2. खेल प्रतियोगिता

खेल हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम अपने जीवन की शुरुआत खेल से ही करते हैं और युवा होने तक किसी न किसी माध्यम से खेल से जुड़े होते हैं। यह आपसी संवाद को मजबूत करने के सबसे बेहतर तरीकों में से एक है।

खेल का मैदान समावेशी होता है जहां धर्म और जाति, अमीरी और गरीबी खेल मैदान के बाहर रह जाते हैं खेल के मैदान में सभी अपनी पोज़िशन पर खेलने वाले खिलाड़ी होते हैं। उनका टैलेंट ही उनकी पहचान होता है।

फुटबॉल को चुनने का कारण ये है कि यह सभी वर्ग के लोग खेल सकते हैं आपको खेलने के लिए बस जज़्बा एक फुटबॉल और एक ग्राउंड चाहिए होते है। मतलब इस खेल में आर्थिक खर्च बहुत कम होते हैं।

उद्देश्य : शहर/गांव के युवाओं में टूटते संवाद को बढ़ाने और उनको उनके पसंदीदा खेल से वापस जोड़ने के लिए यह सबसे उपयुक्त प्रक्रिया है जिसमें युवा टीवी, मोबाइल से बाहर निकल कर अपने प्राकृतिक खेल से जुड़ते हैं और लोगों से जीवंत रिश्ते भी बनाते हैं।

खेल को देखने वाले और खेलने वाले दोनों टीम में बंटे होते हैं और वो धर्म, संप्रदाय और जाति से इतर किसी ऐसी टीम को जिताने की कोशिश करते हैं जिसमें खेलने वाले युवा विभिन्न धर्म और जाति से होते हैं और एक ही टीम में खेल रहे होते हैं

प्रक्रिया :

- यह एक आमंत्रण टूर्नामेंट होता है। तो आपको उन जगहों को चिन्हित करना

होगा जहां साम्प्रदायिक सौहार्द की बराबरी के मूल्यों को स्थापित करने की ज़रूरत है फिर उन जगहों के खेलने वाले पुराने नए सभी खिलाड़ियों से संपर्क कर एक सामुदायिक टीम को अपने टूर्नामेंट में आमंत्रित करिये। ऐसे शहर या ग्रामीण क्षेत्रों से 6 से 10 टीम चिन्हित करिये।

- किसी भी टीम को तभी एंट्री मिलेगी जब उस टीम में एक धर्म या जाति के खिलाड़ी नही खेलेंगे बल्कि हर एक टीम में अलग-अलग धर्म और जाति के खिलाड़ी होंगे ।
- चूंकि प्रत्येक टीम में कोच सहित 15 खिलाड़ी होते हैं तो हमारे पास मौका होता है कि हम इस पूरे आयोजन के समय इन सभी को खेल के बाद कि प्रक्रियाओं में इंगेज करें।
- कोशिश करिये कि टूर्नामेंट में साप्ताहिक मैच हो और एक दिन में 2 से अधिक मैच न हो।
- मैच के बीच के खाली 6 दिनों में किसी एक टीम के खिलाड़ियों के समुदाय में जा कर बैठक करें और युवाओं से उनकी कहानियां सुने। आज के समय में समुदाय के युवाओं को सुनने वाले कम ही लोग बचे हैं।
- अपने फुटबॉल क्लब और समुदाय में सकारात्मक और समावेशी परिवर्तन के लिए उनको प्रेरित करें।
- प्रत्येक मैच में किसी ऐसे व्यक्ति को बुलाएं जो युवाओं को प्रोत्साहित कर सके युवाओं से संवाद करे और उनको खेल की समावेशी प्रकृति से उनके जीवन को जोड़ें

3. नाटक

उद्देश्य : समाज में भेदभाव, हिंसा, सामाजिक बुराइयों, अन्याय, स्वतंत्रता का हनन आदि के दुष्परिणामों को संवेदनशीलता से समाज के समक्ष लाना।

प्रक्रिया :

- इसका आयोजन गांव की चौपाल या शहर के किसी सभागार में किया जा सकता है। इसका कई दिनों तक प्रचार किया जाए जिससे बड़ी तादात में लोग इन्हें देखने आए।
- नाटक गांव के समूह या विभिन्न स्कूल के समूहों द्वारा प्रस्तुत किए जा सकते हैं। आयोजकों को इसके लिए पूरी तैयारी की जरूरत होगी।
- आयोजकों को यह भी ध्यान रखना होगा कि प्रत्येक नाटक से क्या सूचना समाज में दी जा सकती है। इसके लिए आयोजकों को प्रत्येक नाटक समूह के संपर्क में रहना जरूरी है।

4. समानता दिवस या मेला

उद्देश्य : सामाजिक समानता विषय पर विविध तरह से बच्चों या युवाओं का ध्यान आकर्षित करना।

प्रक्रिया :

- युवा या बड़े उम्र के लोगों के साथ समानता दिवस या मेले के आयोजन की योजना बनाएं।
- विविधता पूर्ण कार्यक्रम जैसे कि सामाजिक समानता की दृष्टि से मुख्य कानूनी जानकारी क्विज प्रतियोगिता के रूप में देना। सवाल-जवाब मंच, नुक्कड़ नाटक, नौटंकी आदि के द्वारा समाज में मौजूद गैर-बराबरी के मुद्दे को उठाया जाए।
- इस तरह के आयोजन का पूर्व से प्रचार-प्रसार अच्छी तरह किया जाए जिससे आम व्यक्ति इस तरह के आयोजनों का लाभ उठा सके।

5. वाद-विवाद प्रतियोगिता

उद्देश्य : समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व आदि मूल्यों से जुड़े मुद्दों पर वाद-विवाद द्वारा मुद्दे की गहनता का अभ्यास युवा वर्ग को कराना।

प्रक्रिया :

- वाद-विवाद प्रतियोगिता का समय बच्चों की परीक्षा के समय को दृष्टिगत रखकर किया जाना चाहिए। संभव हो तो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, मानवाधिकार दिवस, महापुरुषों की जयंती आदि के नजदीक इसका आयोजन किया जाए।
- विषय का चयन बच्चों की उम्र, विषय की समझने की परिपक्वता, माहौल, तत्कालीन परिस्थितियों को देखकर किया जाए।
- प्रतियोगिता एक ही स्कूल में विभिन्न कक्षाओं के मध्य या अंतर स्कूल या अंतर जिला, राज्य में आयोजित की जा सकती है। इसका निश्चित समय, संसाधन, उद्देश्य के अनुसार आयोजन स्वयं करें।
- प्रतियोगिता के निर्णायक दल का चयन, प्रतियोगिता के व्यापक लक्ष्य को मध्य नजर में रखकर किया जाए।
- समाचार पत्रों के माध्यम से वाद-विवाद में मुख्य बिंदुओं को समाज के समक्ष लाना भी आयोजन का हिस्सा बनाया जाए जिससे समाज के नजरिए पर भी प्रभाव डाला जा सकता है।

6. निबंध प्रतियोगिता

उद्देश्य : सामाजिक भेदभाव, सामाजिक कुरीतियां एवं संवैधानिक मूल्यों आदि पर वैचारिक ज्ञान बढ़ाना एवं गहराई से इन विषयों को समझने का अवसर प्रदान करना।

प्रक्रिया :

- निबंध प्रतियोगिता का आयोजन स्कूल के अंदर विभिन्न कक्षाओं के बीच, अंतर स्कूल या विभिन्न उम्र के युवाओं के साथ खुले में किया जाए।
- निबंध का विषय शैक्षणिक हो एवं उनकी उम्र के स्तर, परिपक्वता को नजर में रखकर तय किया जाए।
- समाचार पत्रों में निबंध के मुख्य बिंदुओं को समाज के समक्ष लाएं। संभव हो तो मुख्य बिंदुओं का संकलन पुस्तिका के रूप में भी प्रकाशित किया जाए।

7. पोस्टर निर्माण प्रतियोगिता

उद्देश्य : सामाजिक गैर-बराबरी, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता संबंधित किसी भी विषय पर युवावर्ग के लिए पोस्टर प्रतियोगिता के द्वारा विषय की गहराई को समझा कर चित्र के माध्यम से प्रस्तुत करना।

प्रक्रिया :

- यह तरीका निरक्षर युवावर्ग के लिए भी उपयुक्त रहेगा। विषय का चयन तत्कालीन परिस्थितियों, भाग लेने वाले युवाओं की परिपक्वता, उम्र, रूचि के अनुसार किया जाए।
- प्रतियोगिता का विषय, समय, स्थान, भाग लेने वालों की उम्र आदि की सूचना विविध माध्यम (पत्र-पत्रिकाओं, नोटिस बोर्ड) से दी जाए।
- गांव के परिपेक्ष में मौखिक रूप से या लोक माध्यम जैसे कि डुगडुगी, ढोल बजाकर भी दी जा सकती है।
- स्कूल के विद्यार्थियों को उनकी कक्षा में नोटिस भेजकर भी सूचना दी जा सकती।
- एक निश्चित संख्या में अवश्य ही प्रतियोगी भाग ले यह किसी न किसी माध्यम से सुनिश्चित करें जैसे कि पंचायत स्तर पर यदि यह आयोजन किया जा रहा है तो प्रत्येक स्कूल व गांव से पांच-पांच युवाओं के भाग लेने की व्यवस्था की जाए जिससे कम से कम 35-50 लड़के-लड़कियां भाग ले सकें।
- सभी प्रतियोगिताओं द्वारा तैयार पोस्टर की प्रदर्शनी ऐसे स्थान पर लगाई जाए जहां अधिक से अधिक लोग पोस्टर को देखकर जानकारी बढ़ा सकें।

इस तरह से कई तरीकों का इस्तेमाल संवैधानिक मूल्यों के प्रसार के लिए और उनके प्रति सकारात्मक नजरिया बनाने के लिए किया जा सकता है।

प्रशिक्षक समूह

अभिषेक श्रीवास्तव: उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में जन्म, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से गणित में औपचारिक शिक्षण। भारतीय जनसंचार संस्थान से पत्रकारिता में प्रशिक्षण। दो दशक से ज्यादा की पत्रकारिता। संप्रति सहायक संपादक, आउटलुक समूह और अंतरिम संपादक, इंडिया क्वार्टरली (हिंदी)। पीस द्वारा 2021-2023 के बीच चलाई गई दो वर्ष की फॉलोशिप में पत्रकारिता और कला एवं संस्कृति के क्षेत्र से चुने गए प्रतिभागियो के लिए 'मेन्टर' की भूमिका, साथ ही प्रशिक्षण में केंद्रीय भूमिका निभाई।

अरुण कुमार सिंह: उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के सुदूरवर्ती घोरदौर गांव में एक किसान परिवार में जन्म, श्री गणेश राय स्नातकोत्तर महाविद्यालय से विज्ञान में स्नातक। स्नातक स्तर की पढ़ाई के दौरान नई शिक्षा नीति आ जाने के कारण छात्र समुदाय के लिए चुनौतियाँ उभरीं, यहीं से सामाजिक आंदोलन में शामिल हो गये, जमीनी स्तर के आंदोलनों का नेतृत्व करने में चार दशकों से अधिक के अनुभव के साथ। 2017 से पीस टीम का हिस्सा, शोध-आधारित लेखन, प्रशिक्षण कौशल प्रदान करने में सक्रिय है।

जितेंद्र चाहर: राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर से "राजस्थान में महिला आंदोलन: संघर्ष और मुद्दे" विषय पर पीएच.डी. की उपाधि प्राप्त करने के बाद "राजस्थान में समकालीन जन आंदोलन : एक विश्लेष्णात्मक अध्ययन" पर भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएसएसआर), नई दिल्ली से पोस्ट डॉक्टरेट। 2007 से पीस टीम का हिस्सा, प्रशिक्षण और परियोजनाओं के क्रियान्वयन में केंद्रीय भूमिका।

ऋचा: पिछले दो दशकों से अधिक के अनुभव के साथ एक प्रशिक्षक, सामुदायिक जुड़ाव और लेखन में विशेषज्ञ। 2014 से पीस टीम का हिस्सा, प्रशिक्षण और परियोजनाओं के क्रियान्वयन में केंद्रीय भूमिका।

पॉपुलर एजुकेशन एंड एक्शन सेंटर (पीस) प्रतिबद्ध और अनुभवी लोगों का ऐसा समूह है, जो स्थानीय एवं व्यापक स्तर पर सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को मजबूत करने की दिशा में प्रयत्नशील है।

इस क्रम में जीवन-यापन के लिए जूझ रहे व्यक्तियों एवं समुदायों और अपनी अस्मिता को बचाए रखने तथा जनतांत्रिक मूल्यों के लिए संघर्षरत जन समूहों की जानकारी एवं ज्ञान में बढ़ोत्तरी करना पीस का मुख्य सरोकार रहा है। विगत कुछ वर्षों से पीस समान सोच वाले समूहों और जन संगठनों के बीच संवाद की प्रक्रिया चला कर व्यापक स्तर पर चलने वाले जन आंदोलनों और गठबंधनों की प्रक्रिया को भी मजबूत करने हेतु प्रयत्नशील है।

मौजूदा पुस्तक की तर्ज पर ही हमने पहले भी आम जन जीवन को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर शिक्षण सामग्री का निर्माण व प्रकाशन किया है। इस क्रम में कुछ महत्वपूर्ण सामग्री है-

- ज्ञान की पूंजी पर पूंजी का शिकंजा
- पूंजी के निशाने पर पानी
- बाजारीकरण के दस साल
- नकेल कसती जा रही है
- कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना : वन अधिकार अधिनियम 2006
- परमाणु ऊर्जा : सस्ती साफ बिजली या महाविनाश को बुलावा
- जिंदगी पर मंडराते परमाणु के बादल
- आर्थिक उछाल की असलियत
- भारत राष्ट्र राज्य एवं सांस्कृतिक विविधता
- पंचायती राज और जन सहभागिता : कार्यकर्ता प्रशिक्षण (मैनुअल)
- स्थानीय कार्यकर्ताओं के लिए अपील हैंडबुक
- पूर्वाग्रह मुक्त शिक्षा और अल्पसंख्यक : शिक्षकों के लिए हैंडबुक
- पेसा कानून और जन सहभागिता : गांव विकास नियोजन पर कार्यकर्ता मैनुअल
- डूंगरपुर, राजस्थान में आयोजित गांव विकास नियोजन कार्यशालाओं की रिपोर्ट
- राजस्थान के सन्दर्भ में : पेसा कानून और गांव सभा की भूमिका

PEACE

पॉपुलर एजुकेशन एंड एक्शन सेंटर (पीस)
ए-124/6, कटवारिया सराय, नयी दिल्ली- 110016
फोन: 011-26858940
ईमेल: peaceactdelhi@gmail.com
वेबसाइट: https://populareducation.in